

अक्टूबर 2025

समाजामायिकी

मासिक पत्रिका









सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार की एकीकृत तैयारी के लिए

चहल एकेडमी द्वारा एनसीईआरटी कॉम्पेंडियम

“हमारी एनसीईआरटी कॉम्पेंडियम सीरीज एक ही विषय के लिए विभिन्न कक्षाओं की कई एनसीईआरटी पुस्तकों को कवर करने की समस्या का समाधान करती है। यह कॉम्पेंडियम सीरीज अभ्यार्थियों को कम समय में समग्र एनसीईआरटी को कवर करने में मदद करेगी, साथ ही प्रत्येक इकाई के बाद अभ्यास प्रश्न के माध्यम से अपने प्रदर्शन के स्व-परीक्षण में भी सहायक सिद्ध होगी।”

चहल एनसीईआरटी कॉम्पेंडियम सीरीज की सभी पुस्तकें



अनुक्रमणिका

| | | |
|--|-----------|--|
| राजव्यवस्था एवं शासन | 1 | |
| ▪ मतदाता सूची प्रबंधन | 1 | |
| ▪ विचाराधीन कैदियों के मतदान अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई..... | 2 | |
| ▪ अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम | 3 | |
| ▪ LIMBS के अंतर्गत “लाइव केस” डैशबोर्ड | 5 | |
| ▪ भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकीय ऑक्टडे | 6 | |
| ▪ एनसीआरबी की ‘क्राइम इन इंडिया 2023’ रिपोर्ट | 8 | |
| ▪ भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) | 9 | |
| ▪ सूचना का अधिकार अधिनियम के 20 वर्ष | 11 | |
| ▪ पीपुल्स प्लान कैम्पेन 2025–26..... | 13 | |
| अंतरराष्ट्रीय संबंध..... | 15 | |
| ▪ वासेनार व्यवस्था..... | 15 | |
| ▪ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव (UNSCR) - 1325..... | 16 | |
| ▪ भारत-यूके कनेक्टिविटी एवं नवाचार केंद्र | 18 | |
| ▪ अभ्यास ‘समुद्र शक्ति’ – 2025..... | 19 | |
| ▪ अमेरिका-चीन व्यापारिक तनाव | 21 | |
| ▪ भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)..... | 22 | |
| अर्थव्यवस्था एवं कृषि | 25 | |
| ▪ भारत का आर्थिक वर्चस्व के विरुद्ध दीर्घकालीन इतिहास | 25 | |
| ▪ इंडिया एनर्जी स्टैक (IES) | 27 | |
| ▪ जीएसटी 2.0 सुधार का व्यापक प्रभाव | 28 | |
| ▪ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार (NCMS) | 29 | |
| ▪ कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण: अद्वय श्रम से आर्थिक अभिकरण तक | 31 | |
| ▪ आर्थिक वर्चस्व के प्रति भारत का प्रतिरोध | 34 | |
| ▪ सतत मत्स्य पालन और बाज़ार विविधीकरण | 35 | |
| ▪ कीमतों में बढ़ोतरी का मनोविज्ञान : फोमोफ्लेशन | 37 | |
| पर्यावरण एवं भूगोल | 39 | |
| ▪ दार्जिलिंग में भूस्खलन..... | 39 | |
| ▪ भारतीय भेड़िया (कैनीस लुपस पॉलिप्स) | 40 | |
| ▪ भारत के फ्रंटलाइन वन कर्मियों पर WTI रिपोर्ट | 42 | |
| ▪ भारत में ऑरोरा (ध्रुवीय प्रकाश)..... | 44 | |
| ▪ नेट-ज़ीरो बैंकिंग एलायंस का संचालन समाप्त | 45 | |
| ▪ सुंदरबन जलीय कृषि मॉडल | 47 | |
| ▪ गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन | 50 | |
| ▪ कैंपी फ्लेग्रेइ में एआई-आधारित भूकंपीय मानवित्रण | 51 | |
| ▪ आर्मेनिया - आइयूसीएन का नवीनतम सदस्य..... | 53 | |
| ▪ नई बेगोनिया प्रजाति की खोज | 54 | |
| ▪ पलाऊ द्वारा विश्व का पहला लाइव अंडरवाटर इंटरव्यू..... | 55 | |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 57 | |
| ▪ विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2025 | 57 | |
| ▪ कप सिरप में मिलावट और संशोधित M अनुसूची | 58 | |
| ▪ सैन्य युद्धक पैराशूट प्रणाली (MCPS) | 60 | |
| ▪ गगनयान कू एस्केप सिस्टम (CES) | 61 | |
| ▪ उभरती विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ESTIC) | 63 | |
| ▪ स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन (स्पार्क)-4.0..... | 64 | |
| ▪ डीज़ल में आइसोब्यूटानॉल का मिश्रण | 66 | |
| रक्षा एवं सुरक्षा | 67 | |
| ▪ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) | 67 | |
| ▪ ब्रह्मोस मिसाइल | 67 | |
| ▪ सक्षम (SAKSHAM) प्रणाली | 68 | |
| ▪ तेजस Mk1A लड़ाकू विमान | 69 | |
| ▪ टॉमहॉक मिसाइलें | 69 | |
| सामाजिक मुद्दे | 71 | |
| ▪ वैश्विक तंत्रिका (न्यूरोलॉजिकल) स्वास्थ्य संकट | 71 | |
| ▪ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस | 72 | |
| ▪ जनजातीय सशक्तीकरण का माध्यम - शिक्षा | 73 | |
| ▪ चिल्ड्रेन इन इंडिया रिपोर्ट | 74 | |
| ▪ “स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस: ए वर्क इन प्रोग्रेस” रिपोर्ट | 75 | |
| इतिहास एवं संस्कृति | 78 | |
| ▪ श्रीशैलम मंदिर | 78 | |
| ▪ यूनेस्को वर्चुअल म्यूज़ियम | 79 | |
| ▪ सोमनाथ मंदिर | 80 | |
| ▪ निंगोल चाकोउबा उत्सव | 80 | |
| ▪ कंबाला | 81 | |
| ▪ रवीन्द्रनाथ टैगोर | 82 | |
| ▪ कथकली | 83 | |
| सरकारी योजनाएँ | 85 | |
| ▪ विकसित भारत बिल्डाथैन | 85 | |
| ▪ फ़ेयर से फुर्सत (Fare Se Fursat) | 86 | |
| ▪ प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना | 86 | |
| ▪ दालों में आमनिर्भरता हेतु मिशन | 88 | |
| ▪ “सबकी योजना, सबका विकास” अभियान | 89 | |
| ▪ पीएम-सेतु (PM-SETU) | 90 | |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| ▪ रखस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान..... | 91 | ▪ गांधी जयंती 2025 | 101 |
| ▪ दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना | 91 | ▪ पंडित छन्नलाल मिश्र..... | 102 |
| महत्वपूर्ण रिपोर्ट | 93 | विविध | 103 |
| ▪ राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (NHIS) 2026 | 93 | ▪ नोबेल पुरस्कार 2025 | 103 |
| ▪ सतर्क नागरिक संगठन (SNS) की रिपोर्ट | 94 | ▪ हेनले पासपोर्ट सूचकांक | 105 |
| ▪ वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) | 95 | ▪ UNEP अडैटेशन गैप रिपोर्ट..... | 106 |
| ▪ एक्सीडेंटल डेथ & सुइसाइड्स इन इंडिया (ADSI) रिपोर्ट | 96 | ▪ समाचार में चर्चित स्थान - भारत..... | 107 |
| ▪ भारत में कारागार सांख्यिकी (PSI) 2023..... | 97 | ▪ समाचार में चर्चित स्थान – विश्व..... | 108 |
| ▪ तंबाकू उपयोग सम्बंधी WHO की वैश्विक रिपोर्ट | 98 | | |
| समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व | 100 | 'द हिंदू' व 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न.... | 109 |
| ▪ सोनम वांगचुक | 100 | ▪ दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न | 109 |
| | | ▪ दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास प्रश्न..... | 122 |

राजव्यवस्था एवं शासन

मतदाता सूची प्रबंधन

चर्चा में क्यों: निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) किया है और इसे चरणबद्ध तरीके से देशभर में विस्तारित करने की योजना बनाई है।

वर्तमान संदर्भ: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सफलतापूर्वक पूरा किया। यह अभ्यास जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत किया गया, ताकि मतदाता सूचियाँ सटीक, अद्यतन और समावेशी बनी रहें। अब आयोग इस अभ्यास को अन्य राज्यों में भी चरणबद्ध ढंग से लागू करने की योजना बना रहा है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का महत्व:

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के अंतर्गत मतदाता सूचियों का समय-समय पर पुनरीक्षण आवश्यक है। सामान्यतः प्रमुख चुनावों से पहले संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाता है। हालांकि, अधिनियम निर्वाचन आयोग को आवश्यकता पड़ने पर विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार देता है।

बिहार का SIR इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि:

- सभी पंजीकृत मतदाताओं के लिए गणना (एन्यूमरेशन) प्रपत्र जमा करना अनिवार्य किया गया।
- वर्ष 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं को अवैध प्रवासियों को लेकर उठी चिंताओं के कारण नागरिकता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पड़े।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेशों के माध्यम से इस अभ्यास हेतु आधार को स्वीकार्य पहचान दस्तावेज़ के रूप में अनुमति दी।
- अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की गई, जिससे जून 2024 के निर्वाचन आयोग दिशानिर्देशों के अंतर्गत पहले प्रमुख SIR का समापन हुआ।
- निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव चक्रों के साथ समन्वय करते हुए, इसी तरह के पुनरीक्षण देशभर में लागू करने का इरादा रखता है।

मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत प्रमुख चुनाव प्रपत्र:

- पुनरीक्षण प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए नागरिकों को मतदाता पंजीकरण नियम (RER), 1960 के अंतर्गत निधरित आवश्यक प्रपत्रों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे प्रासंगिक प्रपत्र निम्नलिखित हैं:
 - प्रपत्र 6

- उद्देश्य: मतदाता सूची में नाम शामिल कराने हेतु।
- किसके द्वारा उपयोग किया जाएगा:
 - नए मतदाता (18 वर्ष या अर्हक तिथि को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले)
 - वे प्रवासी जिन्होंने एक चुनाव क्षेत्र से दूसरे में स्थान परिवर्तन किया हो
- ✓ **अतिरिक्त उपयोग:** प्रवासी भारतीय (NRI) भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20A के अंतर्गत पंजीकरण हेतु इसका उपयोग कर सकते हैं।
- ✓ **प्रपत्र 6A**
 - उद्देश्य: विदेश में निवासरत भारतीय नागरिकों (प्रवासी मतदाता) द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन।
 - आवश्यक दस्तावेज़: पासपोर्ट विवरण तथा विदेश में निवास का प्रमाण।
- ✓ **प्रपत्र 7**
 - उद्देश्य: किसी नाम के शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने का अनुरोध करने हेतु (जैसे - मृत व्यक्ति, स्थानांतरित मतदाता)।
 - महत्व: मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक।
- ✓ **प्रपत्र 8**
 - उद्देश्य: प्रविश्यों में सुधार हेतु जैसे - वर्तनी त्रुटि, लिंग विवरण या आयु में विसंगति।
- ✓ **प्रपत्र 8A**
 - उद्देश्य: उसी चुनाव क्षेत्र के भीतर स्थानांतरण (पते में परिवर्तन) के लिए।
 - ये सभी प्रपत्र ऑफलाइन (बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से) तथा ऑनलाइन (वोटर हेल्पलाइन ऐप या निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल) पर उपलब्ध हैं।
- स्वच्छ मतदाता सूचियों के लिए नागरिकों की जिम्मेदारियाँ:**
 - भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता मतदाता सूचियों की सटीकता पर निर्भर करती है। नागरिकों को पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।
 - प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूचियों का सत्यापन**
 - प्रारूप सूचियाँ प्रकाशित होने के बाद, नागरिकों को अपने विवरणों की जाँच कर उनकी शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
 - गणना (एन्यूमरेशन) प्रपत्रों का प्रस्तुतिकरण**

- ✓ SIR या संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान, प्रत्येक मतदाता को निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- **सही पंजीकरण सुनिश्चित करना**
 - ✓ नए मतदाताओं को शीघ्रता से प्रपत्र 6 के माध्यम से आवेदन करना चाहिए।
 - ✓ प्रवासी मतदाताओं को अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित विवरण अद्यतन करना चाहिए।
 - ✓ विदेश में निवासरत मतदाताओं को प्रपत्र 6A के माध्यम से पंजीकरण कराना चाहिए।
- **आपत्तियों और सुधारों के लिए प्रपत्रों का उपयोग**
 - ✓ गलत विवरणों का सुधार प्रपत्र 8 के माध्यम से किया जाना चाहिए।
 - ✓ **दोहराव** या अमान्य प्रविष्टियों की सूचना प्रपत्र 7 के माध्यम से दी जानी चाहिए।
- **हाशिए पर स्थित वर्गों का समर्थन**
 - ✓ राजनीतिक दलों, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और नागरिक समाज समूहों को संवेदनशील वर्गों—जैसे वृद्ध नागरिक, दिव्यांगजन तथा प्रवासी श्रमिकों—की सहायता करनी चाहिए, ताकि उनके नाम मतदाता सूची से वंचित न रहें।

निष्कर्ष:

पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है। यद्यपि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यासों की आवश्यकता और समय-सीमा को लेकर बहस जारी है, फिर भी मतदाता सूची की शुद्धता का महत्व निर्विवाद है। पहचान प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग की सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति और निर्वाचन आयोग की देशव्यापी चरणबद्ध विस्तार योजना के साथ, यह पुनरीक्षण प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ होने की संभावना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग किसी भी समय मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण करा सकता है।
2. मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए अर्हक तिथि केवल 1 जनवरी निर्धारित है।
3. बिहार में SIR के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में आधार को एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल 1 और 3

विचाराधीन कैदियों के मतदान अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई

चर्चा में क्यों: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों सहित बंदियों को मतदान से वंचित करने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है। यह याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 62(5) के अंतर्गत किए गए व्यापक अयोग्यकरण को चुनौती देती है। इस कदम ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में निर्वाचन अधिकार, निर्दोषता की धारणा और लोकतांत्रिक भागीदारी की प्रकृति पर एक महत्वपूर्ण बहस को पुनर्जीवित किया है।

मुख्य विवरण

1. याचिका की पृष्ठभूमि

- अधिवक्ता सुनीता शर्मा द्वारा दायर याचिका का तर्क है कि अभिरक्षा में सभी व्यक्तियों को मतदान अधिकार से वंचित करना संवैधानिक रूप से विवेकाधीन है।
- याचिका व्यापक निषेध के बजाय एक सूक्ष्म, व्यक्तिगत (न्यायोचित) ढाँचे की मांग करती है।
- याचिका में मतदान की अनुमति देने के सुझाव दिए गए हैं:
 - ✓ कारागारों के भीतर मतदान केंद्रों के माध्यम से, तथा
 - ✓ अंतर-राज्यीय विचाराधीन कैदियों के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता प्रशंसात् भूषण ने रेखांकित किया कि यह प्रतिबंध लगभग 4.5 लाख कैदियों को प्रभावित करता है, जिनमें से 75% से अधिक विचाराधीन कैदी हैं (NCRB 2022)।

2. चुनौती के अंतर्गत विधिक प्रावधान

- **धारा 62(5), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:**
 - ✓ निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों को छोड़कर, कारागार या पुलिस अभिरक्षा में बंद किसी भी व्यक्ति को मतदान से वंचित करती है।
- **धारा 16(1)(c), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950:**
 - ✓ मतदाता सूची से अयोग्यता केवल तभी अनुमति देती है जब कोई व्यक्ति:
 - भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन अपराधों में दोषसिद्ध हो, या
 - अस्वस्थ मस्तिष्क का हो, या
 - गैर-निवासी हो।

अतः विचाराधीन कैदी विधिक रूप से मतदाता बनने के पात्र हैं- परंतु अभिरक्षा में रहते हुए उन्हें मतदान की अनुमति नहीं है।

3. प्रश्नगत संवैधानिक तर्क

- मौलिक अधिकार के रूप में मतदान का अधिकार
 - ✓ यद्यपि पूर्व में मतदान के अधिकार को वैधानिक अधिकार माना गया था (अनुकूल चंद्र प्रधान, 1997), परंतु सर्वोच्च न्यायालय के अनूप वर्णवाल (2023) निर्णय ने मतदान के तत्वों को अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।
 - ✓ इससे सर्वव्यापी (ब्लैकेट) प्रतिबंधों के विरुद्ध चुनौती और सशक्त होती है।
- अनुच्छेद 14 — समानता और विवेकाधीन का निषेध
 - ✓ अपराध सिद्ध होने, अपराध के प्रकार या सजा की अवधि की परवाह किए बिना, किसी संपूर्ण वर्ग के कैदियों को मतदान से वंचित करना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है।
- अनुच्छेद 21 — निर्दोषता की धारणा
 - ✓ भारत की जेल आबादी में विचाराधीन कैदियों की प्रधानता है (77%), जिनमें से अनेक वर्षों तक बिना दोषसिद्धि के निरुद्ध रहते हैं।
 - ✓ याचिका का तर्क है कि उन्हें मतदान अधिकार से वंचित करना इस सिद्धांत के विपरीत है कि व्यक्ति को दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है।
- असंगत एवं असमानुपातिक व्यवहार
 - ✓ दोषसिद्ध व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में चुनाव लड़ सकते हैं, किंतु निर्दोष विचाराधीन कैदी मतदान नहीं कर सकते—जिससे एक संवैधानिक विरोधाभास उत्पन्न होता है।

4. तुलनात्मक एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- अधिकांश लोकतांत्रिक देश कैदियों के मतदान पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते। उदाहरणस्वरूप:
 - ✓ दक्षिण अफ्रीका (1999, संवैधानिक न्यायालय का निर्णय): पूर्ण प्रतिबंध निरस्त।
 - ✓ कनाडा (Sauvé बनाम कनाडा, 2002): कैदियों के मताधिकार पर प्रतिबंध असंवैधानिक।
 - ✓ यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (Hirst बनाम यूके, 2005): पूर्ण प्रतिबंध लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन।
- भारत का पूर्ण प्रतिबंध वैश्विक मानक के बजाय एक अपवाद बना हुआ है।

5. आँकड़ा-आधारित चिंताएँ

- NCRB (2022) के अनुसार:
 - ✓ 77% कैदी विचाराधीन हैं - जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक अनुपात है।
 - ✓ IPC अपराधों में दोषसिद्धि दर मात्र 8.55% है।
 - ✓ दीर्घकालिक मामलों में 80-90% विचाराधीन अंततः बरी हो जाते हैं।

- अतः दीर्घकालिक मताधिकार-हरण का प्रभाव मुख्यतः निर्दोष, हाशिए पर स्थित व्यक्तियों पर पड़ता है।

6. प्रशासनिक व्यवहार्यता

- याचिका के अनुसार विचाराधीन कैदियों के मतदान को प्रशासनिक रूप से संभव बनाया जा सकता है:
 - ✓ मतदान केंद्र स्थापित करने में सक्षम 1,350+ परिचालन जेलें।
 - ✓ डिजिटल मतदाता सत्यापन, जो पहले से सेवा मतदाताओं के लिए प्रयुक्त है।
 - ✓ डाक मतपत्र तंत्र, जैसा कि सैनिकों और अनुपस्थित मतदाताओं के लिए लागू है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने निर्वाचन समावेशन और निष्पक्षता पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व नीतिगत बहस को जन्म दिया है। जब भारत की जेल आबादी में विचाराधीन कैदियों का बहुमत है, तब व्यापक निषेध द्वारा निर्दोष नागरिकों को लोकतांत्रिक भागीदारी से वंचित करना वैधता के संकट को जन्म देता है। सार्वभौमिक एवं समान मताधिकार पर बल के साथ, RPA की धारा 62(5) का पुनर्विचार अनिवार्य हो गया है। भविष्य का निर्णय संवैधानिक नैतिकता, निर्दोषता की धारणा और अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक मानकों के अनुरूप भारत के निर्वाचन परिवृश्य को पुनर्परिभाषित कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में कैदियों के मतदान अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत विचाराधीन कैदियों को मतदान से वंचित किया गया है।
2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत विचाराधीन कैदियों को मतदाता सूची में शामिल किए जाने से अयोग्य ठहराया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम

चर्चा में क्यों: पंजाब में हाल ही में अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 पर नवीकृत चर्चा देखने को मिली। होशियारपुर में हुई एक घटना के बाद जनाक्रोश और प्रवासी-विरोधी भावनाएँ उभरीं। कई पंचायतों ने प्रवासियों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए,

जिसके चलते प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा तथा सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए अधिनियम के कड़े प्रवर्तन की माँग हेतु यूनियनों और श्रमिक समूहों को नेतृत्व करना पड़ा।

अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 के बारे में

- **परिभाषा:** यह संसद द्वारा पारित एक केन्द्रीय विधान है, जिसका उद्देश्य रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में, सामान्यतः ठेकेदारों (कॉन्ट्रैक्टर्स) के माध्यम से, प्रवास करने वाले कामगारों की सुरक्षा करना है।
- **उद्देश्य:** भर्ती को विनियमित करना, प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों का पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा प्रवासी कामगारों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्रदान करना:

 - ✓ स्थानीय कामगारों के समान वेतन
 - ✓ विस्थापन भत्ता
 - ✓ यात्रा भत्ता
 - ✓ आवास एवं चिकित्सीय सुविधाएँ
 - ✓ सुरक्षा उपकरण तथा सुरक्षित कार्य-स्थितियाँ

- **कानून का स्वरूप:** यह एक कल्याणकारी एवं नियामक कानून है, जिसका उद्देश्य शोषण को रोकना तथा नियोक्ताओं और ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- **प्रवर्तन:** अधिनियम को 2 अक्टूबर 1980 को देशव्यापी कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित किया गया। पंजाब ने इसे अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (पंजाब) नियम, 1983 के माध्यम से लागू किया।

पंजाब को इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- पंजाब ऐतिहासिक रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से आने वाले प्रवासी कामगारों पर निर्भर रहा है, विशेषकर निम्न क्षेत्रों में:
 - ✓ कृषि (धन की रोपाई, कटाई)
 - ✓ ईंट-भट्टे
 - ✓ वस्त्र एवं होजरी उद्योग
 - ✓ निर्माण और विनिर्माण

मुख्य तथ्य:

- 1970 के दशक में हरित क्रांति के बाद प्रवासी श्रमिकों का प्रवाह उल्लेखनीय रूप से बढ़ा।
- 2016 के एक राज्य सर्वेक्षण के अनुसार, पंजाब में 39 लाख प्रवासी कामगार अनुमानित थे।
- COVID-19 लॉकडाउन के दौरान 18 लाख प्रवासी अपने घरों को लौटे।

इस व्यापक पैमाने को देखते हुए, यह अधिनियम प्रवासी श्रम के कल्याण, सुरक्षा और विधिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कार्यान्वयन तंत्र (पंजाब नियम, 1983)

- **प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों के लिए आवश्यकताएँ**
 - ✓ कोई भी प्रतिष्ठान या ठेकेदार जो पाँच या अधिक प्रवासी कामगारों को नियोजित करता है, उसे:
 - ई-लेबर पंजाब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
 - कार्यबल, ठेकेदारों तथा कार्य की प्रकृति का विवरण प्रदान करना होगा।
 - मस्टर रोल, वेतन रजिस्टर और ऑफरटाइम रजिस्टर जैसे अभिलेख बनाए रखने होंगे।
 - ✓ ठेकेदारों को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी:
 - पूर्व दोषसिद्धियाँ (यदि कोई हों)
 - सुरक्षा जमाराशि (Security Deposit)
 - श्रम कानूनों का अनुपालन
 - ✓ लाइसेंस सामान्यतः एक वर्ष के लिए वैध होते हैं और नवीनीकरण आवश्यक होता है।
- **वास्तविक स्थिति:**
 - ✓ स्पष्ट नियमों के बावजूद, संगठित औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर कार्यान्वयन कमज़ोर बना हुआ है।

पंजाब में प्रवासी-विरोधी विमर्श का उभार

हालिया आपराधिक घटनाओं ने निम्नलिखित को जन्म दिया है:

- प्रवासियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले सार्वजनिक आक्रोश और पंचायत प्रस्ताव
- बाहरी प्रवासी समुदायों के प्रति भय और असुरक्षा
- किसान संघों, श्रमिक संगठनों और उद्योग निकायों द्वारा उठाई गई चिंताएँ

प्रवासी-विरोधी बयानबाज़ी में अक्सर जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर गहरी आशंकाएँ झलकती हैं, क्योंकि अनेक पंजाबी विदेशों में प्रवास कर चुके हैं।

अधिनियम का महत्व

- प्रवासी कामगारों को शोषण & अल्प-वेतन से संरक्षण प्रदान करना।
- ठेकेदारों और प्रतिष्ठानों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- पंजाब की श्रम-प्रधान अर्थव्यवस्था को समर्थन देता है।
- सामाजिक समरसता और अंतर-सामुदायिक विश्वास बनाए रखने में सहायक है।
- समानता के संवैधानिक सिद्धांतों तथा अनुच्छेद 14, 16, 23 और 24 (श्रम और शोषण से संरक्षण) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है।

प्रवासी कामगारों के समर्थन हेतु प्रमुख सरकारी तंत्र

- **ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal):** असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस, जिससे लाभों की पोर्टेबिलिटी संभव होती है।

- एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC):** प्रवासी कामगारों को देश के किसी भी हिस्से में सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराता है।
- श्रम सुविधा पोर्टल (Shram Suvidha Portal):** श्रम कानूनों के अनुपालन और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता।
- अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार प्रकोष्ठ:** कई राज्यों में शिकायत निवारण हेतु कार्यरत।
- कौशल इंडिया और पीएम विश्वकर्मा:** प्रवासी कारीगरों/कामगारों के कौशल विकास और औपचारिक मान्यता को बढ़ावा।

चुनौतियाँ

- छोटे ठेकेदारों में पंजीकरण और लाइसेंस अनुपालन कमजोर।
- प्रवासी कामगारों में अपने अधिकारों और पात्रताओं के प्रति जागरूकता का अभाव।
- श्रम निरीक्षकों और प्रवर्तन क्षमता की कमी।
- स्थानीय तनाव और प्रवासी कामगारों के प्रति सामाजिक कलंक में वृद्धि।
- श्रम विभाग, पुलिस, पंचायतों और उद्योगों के बीच कमजोर समन्वय।

निष्कर्ष

ਪंजाब में अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम पर पुनर्जीवित बहस प्रभावी श्रम शासन, सामाजिक एकता और कमजोर समुदायों के संरक्षण की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करती है। सशक्त कार्यान्वयन, समन्वित कल्याणकारी उपायों और सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से पंजाब प्रवासी कामगारों के लिए गरिमा, सुरक्षा और समान व्यवहार सुनिश्चित कर सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था तथा समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोनों सुट्ट छोड़ दी जा सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह अधिनियम पाँच या अधिक अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को अनिवार्य करता है।
 - यह प्रवासी कामगारों को विस्थापन भत्ता (Displacement Allowance) तथा यात्रा भत्ता (Journey Allowance) प्रदान करने का प्रावधान करता है।
 - यह केवल सरकारी प्रतिष्ठानों पर ही लागू होता है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

LIMBS के अंतर्गत “लाइव केस” डैशबोर्ड

चर्चा में क्यों: विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS) के अंतर्गत “लाइव केस” डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। यह पहले केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सरकारी वाद-विवाद (Government Litigation) में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को सुट्ट करना है।

लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS) के बारे में

परिभाषा:

LIMBS, विधि कार्य विभाग (Department of Legal Affairs) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य भारत की विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों (Tribunals) में सरकारी वाद-विवाद की डिजिटल निगरानी और प्रबंधन करना है।

उद्देश्य:

वाद-विवाद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करना तथा प्रकरण-संबंधी जानकारी तक वास्तविक समय में पहुँच प्रदान कर अनावश्यक विलंब को कम करना।

मुख्य घटक:

- ✓ डिजिटल प्रकरण अभिलेख और ब्रीफ (Digital Case Records & Briefs)
- ✓ सुनवाई तिथियों और समय-सीमाओं हेतु स्वचालित अलर्ट
- ✓ प्रकरण स्थिति तक अंतर-मंत्रालयी पहुँच
- ✓ निर्णय-निर्माण हेतु विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड

वर्तमान डेटा कवरेज:

- ✓ LIMBS के अंतर्गत 7,23,123 लाइव प्रकरण दर्ज
- ✓ 53 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित प्रकरण

उपयोगकर्ता आँकड़े:

- ✓ 13,175 सरकारी उपयोगकर्ता तथा 18,458 अधिवक्ता नियमित रूप से अभिलेख अद्यतन कर रहे हैं।

“लाइव केस” डैशबोर्ड की विशेषताएँ

- वास्तविक समय दृश्यांकन:** विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की लाइव स्थिति प्रदर्शित करता है, जिससे शीघ्र निर्णय-निर्माण संभव होता है।
- आगामी सुनवाई ट्रैकर:** मंत्रालयों को संरचित समय-निर्धारण के माध्यम से पूर्व-तैयारी में सहायता करता है।
- उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस:** प्रभावी समीक्षा हेतु ग्राफिकल अंतर्दृष्टि, फिल्टर और सारांश उपलब्ध कराता है।
- एकीकरण एवं समन्वय:** विभागों और विधिक प्रतिनिधियों के बीच बेहतर संचार को प्रोत्साहित करता है।

इस पहल के उद्देश्य

- सरकारी वाद-विवाद में पारदर्शिता को सुदृढ़ करना।
- समय पर अद्यतन और निगरानी के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना।
- प्रधानमंत्री मोदी के “न्यूनतम सरकारी अपील” पर बल के अनुरूप वाद-विवाद भार को कम करना।
- डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि (Data-Driven Insights) के उपयोग से शासन परिणामों में सुधार करना।
- सरकार के व्यापक डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस उद्देश्यों का समर्थन करना।

डैशबोर्ड का महत्व

- वाद-विवाद प्रबंधन में सुधार:** यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रालय न्यायालयी मामलों पर शीघ्र प्रतिक्रिया दें, जिससे मामलों की लंबितता कम होती है।
- दक्षता में वृद्धि:** दोहराव को कम करता है, प्रलेखन में सुधार करता है तथा प्रशासनिक विलंब को न्यूनतम करता है।
- सुशासन को समर्थन:** न्याय वितरण प्रणाली में सुधार हेतु एक सक्रिय और सुधारोन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- जवाबदेही को सुगम बनाता है:** विलंब या चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और अधिवक्ताओं की पहचान संभव बनाता है।
- नीति कार्यान्वयन को सुदृढ़ करता है:** मंत्रालयों को प्रमुख योजनाओं और सुधारों से जुड़ी विधिक चुनौतियों की निगरानी में सहायता करता है।

विधिक एवं शासन प्रणालीगत ढाँचों से संबंध

- राष्ट्रीय वाद-विवाद नीति (National Litigation Policy – Draft):** सरकारी वाद-विवाद को कम करने और अपीलों के जिम्मेदाराना दायर को सुनिश्चित करने का उद्देश्य।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग:** प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता में आईसीटी (ICT) की भूमिका पर बल।
- ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना (e-Courts Mission Mode Project):** यह डैशबोर्ड न्यायिक डिजिटलीकरण के चल रहे प्रयासों का पूरक है।

चुनौतियाँ

- मंत्रालयों में असमान अंगीकरण, जिससे अद्यतन में विलंब होता है।
- डिजिटल प्रणालियों को संभालने में स्टाफ की क्षमता संबंधी अंतराल।
- अभिलेख नियमित रूप से अद्यतन न होने पर डेटा की शुद्धता से जुड़ी चिंताएँ।
- विरासत प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, जो डिजिटल प्रणालियों की ओर संक्रमण को धीमा करती हैं।

आगे की राह

- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** विधिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण, ताकि सुचारू उपयोग सुनिश्चित हो सके।

- एआई और पूर्वानुमानात्मक उपकरण (AI and Predictive Tools):** भविष्य में विधिक प्रवृत्ति विश्लेषण और जोखिम आकलन हेतु एआई का एकीकरण।
- मज़बूत जवाबदेही ढाँचा:** प्रकरण विवरण अद्यतन करने के लिए स्पष्ट समय-सीमाएँ और उत्तरदायित्व निर्धारित करना।
- ई-कोर्ट और डिजिटल रिकॉर्ड प्रणालियों के साथ एकीकरण:** निर्बाध डेटा प्रवाह हेतु।
- मंत्रालयों के लिए प्रदर्शन डैशबोर्ड:** प्रतिस्पर्धा और दक्षता को प्रोत्साहित करने हेतु मासिक प्रदर्शन संकेतक।

निष्कर्ष

लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS) के अंतर्गत “लाइव केस” डैशबोर्ड का शुभारंभ डिजिटल विधिक शासन की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारदर्शिता, समन्वय और डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण को सुदृढ़ कर यह पहल न्याय वितरण प्रणाली को मज़बूत करती है और उत्तरदायी, दक्ष तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन की परिकल्पना के अनुरूप है। इसके पूर्ण सामर्थ्य को साकार करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और अंतर-मंत्रालयी सहयोग अत्यंत आवश्यक होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह न्यायालयों और अधिकरणों में सरकारी वाद-विवाद की निगरानी हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
- LIMBS का “लाइव केस” डैशबोर्ड लंबित मामलों का वास्तविक समय दर्शाने के लिए एक रिलायंस विश्लेषण (Real-Time Visualization) प्रदान करता है।
- LIMBS का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आँकड़े

चर्चा में क्यों: भारत के महापंजीयक (Registrar General of India – RGI) ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System – CRS) पर आधारित “भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आँकड़े” रिपोर्ट, 2023 जारी की। रिपोर्ट में जन्म पंजीकरण में गिरावट तथा मृत्यु पंजीकरण में मामूली वृद्धि को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

• जन्म और मृत्यु प्रवृत्तियाँ:

- ✓ 2023 में 2.52 करोड़ जन्म पंजीकृत हुए, जो 2022 की तुलना में लगभग 2.32 लाख कम हैं—जिससे कुल जन्म दर में हल्की गिरावट का संकेत मिलता है।
- ✓ 2023 में पंजीकृत मृत्यु संख्या 86.6 लाख रही, जो 2022 के 86.5 लाख से मामूली अधिक है।
- ✓ 2021 में मृत्यु में तेज वृद्धि देखी गई, जब 1.02 करोड़ मौतें दर्ज हुईं—जो 2020 की तुलना में लगभग 21 लाख अतिरिक्त थीं। यह वृद्धि COVID-19 की दूसरी लहर के साथ मेल खाती है।

• जन्म के समय लिंगानुपात (SRB):

- ✓ **चूनतम SRB:** झारखंड (899), उसके बाद बिहार (900), तेलंगाना (906), महाराष्ट्र (909), गुजरात (910), हरियाणा (911) और मिज़ोरम (911)।
- ✓ **अधिकतम SRB:** अरुणाचल प्रदेश में 1,085 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष, इसके बाद नागालैंड (1,007), गोवा (973), लद्दाख और त्रिपुरा (972 प्रत्येक), तथा केरल (987)।

• संस्थागत प्रसव:

- ✓ 2023 में पंजीकृत कुल जन्मों में से लगभग 74.7% स्वास्थ्य संस्थानों में हुए, जो मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में क्रमिक सुधार को दर्शाता है।

- ✓ पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों का समग्र पंजीकरण 98.4% रहा।

• समय पर पंजीकरण:

- ✓ समय पर पंजीकरण से आशय है—घटना (जन्म) के 21 दिनों के भीतर किया गया पंजीकरण।

भारत में विकृत लिंगानुपात के कारण क्या हैं?

- **लैंगिक पक्षपात:** भारतीय समाज में पुत्र-प्राथमिकता की गहरी जड़ें हैं, जहाँ महिलाओं को अक्सर अधीनस्थ माना जाता है। यह पक्षपात लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यहाँ तक कि जीवन के अवसरों में असमान पहुँच के रूप में प्रकट होता है।
- **पुत्र-प्राथमिकता:** पुत्रों को पारंपरिक रूप से माता-पिता और परिवार के वंश-विस्तार का मुख्य सहारा माना जाता है। यह धारणा पुरुष संतानों की प्राथमिकता को मजबूत करती है और कन्या भ्रूण हत्या जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा देती है।

लिंग असंतुलन

यह चार्ट उन पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाता है जिनमें 2023 में जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) सबसे अधिक और सबसे कम था। एसआरबी को आमतौर पर प्रति 1,000 पुरुष जन्मों पर माहिला जन्मों की संख्या के ऊपर में परिभाषित किया जाता है।



भारत में लिंगानुपात सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

- **व्यवहारगत परिवर्तन:** सामाजिक दृष्टिकोण में दीर्घकालिक परिवर्तन आवश्यक है।
 - ✓ **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ** जैसी सरकारी पहलों को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले और पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती दी जा सके।
- **युवा संवेदनशीलता:** प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं तक पहुँच बनाना अत्यंत आवश्यक है।

- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने और समान व्यवहार को प्रोत्साहित करने हेतु मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHA) की सेवाओं का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।
- **कानून प्रवर्तन:** लिंग-चयन प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत विधिक ढाँचा आवश्यक है। गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
 - ✓ हाल ही में ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीनों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय, लिंग निर्धारण हेतु उनके दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक स्वागतयोग्य कदम है।

भारत के महापंजीयक (Registrar General of India – RGI)

- भारत के महापंजीयक का गठन वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया।
- यह भारत की जनगणना तथा भारत का भाषायी सर्वेक्षण (Linguistic Survey of India) सहित विभिन्न जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों का आयोजन, संचालन व विश्लेषण करता है।
- महापंजीयक का पद सामान्यतः संयुक्त सचिव स्तर के सिविल सेवक के पास होता है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System)

- भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) एक एकीकृत प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जन्म, मृत्यु और विवाह जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं का सतत, स्थायी, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक पंजीकरण किया जाता है।
- पूर्ण और अद्यतन CRS से प्राप्त ऑक्डे सामाजिक-आर्थिक योजना निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
- भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (Registration of Births and Deaths Act, 1969) के अंतर्गत किया जाता है तथा यह घटना के घटित होने के स्थान के अनुसार संपत्र होता है।

गृह मंत्रालय की 2020-21 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार CRS के आधुनिकीकरण की योजना बना रही है, ताकि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण वास्तविक समय (Real-Time) में, यूनिटम मानवीय हस्तक्षेप के साथ और स्थान-निर्भरता के बिना संभव हो सके।

निष्कर्ष

यद्यपि भारत ने जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु लिंगानुपात में सुधार और गुणवत्तापूर्ण जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना शेष है।

पूरीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System – CRS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत विधिक रूप से अनिवार्य है।
2. CRS के ऑक्डें का उपयोग सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है।
3. CRS 2023 में 2022 की तुलना में जन्मों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

एनसीआरबी की 'क्राइम इन इंडिया 2023' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

मुख्य विवरण:

1. समग्र अपराध प्रवृत्तियाँ:

- भारत में 62.4 लाख संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जो 2022 की तुलना में 7.2% की वृद्धि है।
 - ✓ इनमें से 37.6 लाख अपराध भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत तथा 24.8 लाख अपराध विशेष एवं स्थानीय कानूनों (Special and Local Laws – SLL) के अंतर्गत दर्ज हुए।
 - राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या 422.2 से बढ़कर 448.3 हो गई।
 - ✓ महानगरीय शहरों में अपराध 10.6% बढ़कर 9.44 लाख मामलों तक पहुँचा, जिसमें चोरी (Theft) का हिस्सा 44.8% रहा, इसके बाद लापरवाह तरीके से वाहन चालन 9.2% और सार्वजनिक मार्गों में अवरोध 8.1% रहा।

2. अपराधों के स्वरूप में परिवर्तन:

- बलात्कार और दहेज मृत्यु जैसे पारंपरिक हिंसक अपराधों में गिरावट दर्ज की गई।
 - ✓ साइबर अपराधों और शहरी-संबंधित अपराधों में तीव्र वृद्धि देखी गई, जो सामाजिक, तकनीकी और जीवन-शैली परिवर्तनों को दर्शाती है।
 - ✓ साइबर अपराध 31.2% बढ़कर 86,420 मामलों तक पहुँच गए, जिनमें से लगभग 69% मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) से संबंधित थे।

- ✓ कर्नाटक ने साइबर अपराधों की सर्वाधिक संख्या (21,889) दर्ज की, इसके बाद तेलंगाना (18,236) और उत्तर प्रदेश (10,794) का स्थान रहा।

3. अनुसूचित जनजातियों (STs) के विरुद्ध अपराध:

- अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में 28.8% की वृद्धि हुई - जो 2022 में 10,064 से बढ़कर 2023 में 12,960 हो गई।

4. महिलाओं के विरुद्ध अपराध:

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 0.4% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।
- अधिकांश मामले पति या रिश्तेदारों द्वारा कूरता (29.8%), अपहरण (19.8%) और हमला (18.7%) से संबंधित थे।

महत्वपूर्ण सुझाव:

- क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट अपराध के बदलते स्वरूप - विशेषकर डिजिटल क्षेत्र - के संदर्भ में सुधारों की ताक़ालिक आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- प्रमुख नीतिगत सिफारिशों में डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में निवेश और जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से साइबर अपराध अवसंरचना को सुट्ट करना, गुमनाम शिकायत चैनलों द्वारा रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार, तथा लैगिक-संवेदनशीलता और बाल-अनुकूल प्रोटोकॉल पर पुलिस का प्रशिक्षण शामिल है।
- रिपोर्ट अपराध वर्गीकरण के मानकीकरण, राष्ट्रीय अपराध विश्लेषण डैशबोर्ड के माध्यम से अंतर-राज्यीय समन्वय को सुट्ट करने, तथा साइबर और लैगिक-आधारित मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालयों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं को त्वरित करने का भी आह्वान करती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)

- स्थापना:** वर्ष 1986 में टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-81) तथा गृह मंत्रालय टास्क फोर्स (1985) की सिफारिशों के आधार पर।
- मंत्रालय:** गृह मंत्रालय।
- कार्य:** अपराध और आपराधिक आँकड़ों के राष्ट्रीय कोष (National Repository) के रूप में कार्य करता है।
 - ✓ अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) का प्रबंधन।
- प्रमुख प्रकाशन:**
 - ✓ क्राइम इन इंडिया
 - ✓ आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्याएँ
 - ✓ कारागार संस्थिकी

उन्होंने पंच परमेश्वर सिद्धांत का उल्लेख किया, जो विवाद समाधान में सामूहिक सहमति का समर्थन करता है।

वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र क्या है?

- एडीआर ऐसे तंत्रों को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से न्यायालयों के बाहर विवादों का समाधान किया जाता है। यह एक तीव्र, कम खर्चीला और सहयोगात्मक विकल्प प्रदान करता है, जहाँ पक्षकार सर्वोत्तम समाधान के लिए मिलकर कार्य करते हैं।

संवैधानिक और विधिक आधार:

- भारत में एडीआर का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 39A है, जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है।
- विवाचन (Arbitration), सुलह (Conciliation), मध्यस्थता (Mediation) और लोक अदालत जैसे एडीआर तरीकों को दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
- विवाचन और सुलह अधिनियम, 1996 (2021 में संशोधित) दीवानी और समझौता-योग्य अपराधों के बाधकारी समाधान की अनुमति देता है तथा भारतीय विवाचन परिषद (Indian Arbitration Council) की स्थापना करता है। इसमें 180 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके।

एडीआर के मॉडल:

- विवाचन (Arbitration):** एक तटस्थ तृतीय पक्ष बाधकारी निर्णय देता है। यह प्रायः वाणिज्यिक विवादों में प्रयुक्त होता है और औपचारिक होते हुए भी लचीला विकल्प प्रदान करता है।
- मध्यस्थता (Mediation):** एक निष्पक्ष मध्यस्थ पक्षकारों को गैर-बाधकारी, सहयोगात्मक समाधान तक पहुँचने में सहायता करता है, जिससे संबंधों का संरक्षण होता है।
- सुलह (Conciliation):** मध्यस्थता के समान, किंतु इसमें अधिक हस्तक्षेप होता है और समाधान सुझाए जाते हैं; यह पारिवारिक, व्यावसायिक और रोजगार संबंधी विवादों में उपयोगी है।
- वार्ता (Negotiation):** एक अनौपचारिक, सहमति-आधारित प्रक्रिया, जिसमें पक्षकार सीधे सहमत होते हैं और परिणाम पर अधिकतम नियंत्रण रखते हैं।
- लोक अदालत:** भारत में जन न्यायालय, जहाँ न्यायालयी गतिविधियों से बाहर (Extrajudicial) और मैत्रीपूर्ण तरीके से पारिवारिक, श्रम तथा छोटे दीवानी मामलों का निपटारा किया जाता है।
 - ✓ लोक अदालतें, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत संचालित होती हैं; पहली लोक अदालत 1999 में गुजरात में आयोजित की गई थी।
 - ✓ इनके निर्णय अंतिम होते हैं और अपील का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि ये औपचारिक वाद-विवाद से पहले विवादों का समाधान करती हैं; हालांकि उनकी शक्तियाँ पूर्णतः असीमित नहीं हैं।

भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर)

चर्चा में क्यों: विधि एवं न्याय मंत्री ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को सुट्ट करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

एडीआर की आवश्यकता:

- न्यायिक लंबित मामलों में कमी:** भारत में लगभग 4.57 करोड़ लंबित मामले हैं, जिनमें से अनेक 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं, जिससे न्याय में विलंब होता है। एडीआर को सुदृढ़ करना पारंपरिक वाद-विवाद के मुकाबले तीव्र विकल्प प्रदान करता है।
- सुलभ और समावेशी न्याय:** एडीआर एक कम-लागत, समावेशी और वाद-पूर्व (Pre-litigation) तंत्र प्रदान करता है, जिससे पक्षकार अपनी शर्तों पर और परिचित भाषा में विवादों का समाधान कर सकते हैं।
- राज्य-स्तरीय असमानताओं का समाधान:** इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 दर्शती है कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लंबित मामलों की संख्या अधिक है तथा अवसंरचना और न्यायाधीशों की उपलब्धता में असमानताएँ हैं—जो मज़बूत एडीआर प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

- न्याय वितरण में सुधार:** उच्च न्यायालयों में 33% और जिला न्यायालयों में 21% रिक्तियों के बीच, एडीआर तंत्र समयबद्ध और प्रभावी न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
- वैश्विक मानकों के अनुरूपता:** एडीआर संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL) मॉडल कानून जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय विधिक ढाँचों के साथ संगत बनाता है।
- विदेशी निवेशकों का विश्वास:** तटस्थता, लागत-प्रभावशीलता और दक्षता के कारण विदेशी निवेशक अक्सर एडीआर को प्राथमिकता देते हैं, जिससे यह भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहभागिता को सुदृढ़ करने का एक प्रमुख घटक बनता है।

भारत में एडीआर के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ एवं शमन उपाय

| चुनौतियाँ (Mnemonic : DELAY) | उपाय (Mnemonic: CURES) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> D – अवसंरचना की कमी: संस्थागत समर्थन का अभाव, विधिक प्रावधानों का अपर्याप्त उपयोग तथा मज़बूत न्यायालय-संलग्न एडीआर केंद्रों की कमी, पहुँच को बाधित करती है। | <ul style="list-style-type: none"> C – अवसंरचना का सृजन: मान्यता प्राप्त एडीआर केंद्रों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करना तथा मध्यस्थता अधिनियम, 2023 का उपयोग कर संरचनात्मक समर्थन प्रदान करना। |
| <ul style="list-style-type: none"> E – प्रवर्तन और विश्वास की कमी: पूर्वाधार की धारणा, शक्ति असंतुलन तथा प्रवर्तन में प्रक्रियागत विलंब, एडीआर के परिणामों पर विश्वास को कम करते हैं। | <ul style="list-style-type: none"> U – कौशल उत्त्रयन और शिक्षा: जन-जागरूकता अभियानों का शुभारंभ और विधिक शिक्षा में एडीआर का समावेशन, ताकि इसे प्रथम वरीयता के रूप में अपनाया जा सके। |
| <ul style="list-style-type: none"> L – विधिक संस्कृति और मानसिकता: गहरी जड़ें जमाए मुकदमेबाज़ी-केन्द्रित सोच और आम जनता व विधिक पेशेवरों में एडीआर के लाभों के प्रति कम जागरूकता। | <ul style="list-style-type: none"> R – विनियमन और सुदृढ़ीकरण: तटस्थों के लिए नियामक ढाँचे को मज़बूत करना तथा समयबद्ध रूप से निर्णयों/पंचाटों (Awards) के प्रवर्तन को सुनिश्चित कर विश्वास निर्माण करना। |
| <ul style="list-style-type: none"> A – गुणवत्तापूर्ण तटस्थों का अभाव: प्रशिक्षित विवाचकों और मध्यस्थों की कमी तथा एकरूप मान्यता (Accreditation) मानकों का अभाव। | <ul style="list-style-type: none"> E – मानकों का उत्तर्यन: संस्थानों को सशक्त बनाकर मानकीकृत प्रशिक्षण सुनिश्चित करना और एडीआर पेशेवरों के लिए कठोर आचार संहिता (Code of Conduct) लागू करना। |
| <ul style="list-style-type: none"> Y – प्रक्रियागत जटिलता के आगे झूकाव: विवाचन (Arbitration) का मुकदमेबाज़ी जितना जटिल हो जाना (Arbitration Fatigue) और मध्यस्थता का रणनीतिक विलंब के लिए उपयोग। | <ul style="list-style-type: none"> S – प्रक्रियाओं का सरलीकरण: फास्ट-ट्रैक तंत्र को बढ़ावा देना तथा दुर्भावनापूर्ण सहभागिता (Bad-faith Participation) पर लागत दंड लगाकर वास्तविक समाधान सुनिश्चित करना। |

भारत में एडीआर के लाभ

- न्यायालयों पर बोझ में कमी:** एडीआर तंत्र पारंपरिक न्यायालयों के बाहर विवादों का समाधान कर न्यायिक प्रणाली पर दबाव कम करते हैं।
- लागत-प्रभावशीलता:** विवाचन (आर्बिट्रेशन), मध्यस्थता (मिडिएशन) और सुलह (कॉर्सिलिएशन) की लागत प्रायः दीर्घकालिक मुकदमेबाजी की तुलना में काफी कम होती है।

- विवादों का त्वरित निपटान:** एडीआर प्रक्रियाएँ, जैसे मध्यस्थता और मेडिएशन, शीघ्र समाधान की अनुमति देती हैं, जिससे सभी पक्षों का समय बचता है।
- लचीलापन और अनुकूलनशीलता:** एडीआर विधियाँ विवादित पक्षों के हितों के अनुरूप अनुकूलित (Customized) व्यावहारिक समाधान प्रदान कर सकती हैं।

- गोपनीयता:** एडीआर कार्यवाहियों में निजता और गोपनीयता बनाए रखी जाती है, जो व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत मामलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत में एडीआर के नुकसान

- जटिल विधिक मुद्दों के लिए सीमित उपयोगिता:** एडीआर जटिल विधिक प्रश्नों या कानून के महत्वपूर्ण बिंदुओं वाले मामलों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, जिनमें अनुभवी न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक व्याख्या आवश्यक होती है।
- कुछ विधियों में गैर-बाध्यकारी निर्णयः** मध्यस्थता (मिडिएशन) और सुलह (कॉसिलिएशन) जैसी विधियाँ गैर-बाध्यकारी समझौतों तक सीमित रहती हैं, जो पक्षकारों की स्वेच्छा पर निर्भर होती हैं और इससे प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- औपचारिक साक्ष्य नियमों का अभावः** एडीआर प्रक्रियाओं में अक्सर साक्ष्य के कठोर नियम नहीं होते, जिससे अपूर्ण या अनौपचारिक जानकारी के आधार पर निर्णय होने की संभावना रहती है और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
- पक्षकारों के बीच शक्ति असंतुलनः** यदि एक पक्ष अधिक शक्तिशाली या प्रभावशाली हो, तो वह कार्यवाही पर हावी हो सकता है, जिससे अन्यायपूर्ण समाधान हो सकता है।
- मिसाल का अभाव (Lack of Precedent):** एडीआर के निर्णय विधिक नज़ीर स्थापित नहीं करते, जिससे भविष्य में समान विवादों के समाधान में उनकी उपयोगिता सीमित रहती है।
- सीमित अपील तंत्रः** मध्यस्थता के माध्यम से लिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं और अपील के सीमित विकल्प होते हैं, जो निर्णय के अन्यायपूर्ण माने जाने की स्थिति में नुकसानदेह हो सकते हैं।
- सार्वजनिक निगरानी का अभावः** एडीआर प्रक्रियाएँ निजी होती हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी हो सकती है, जबकि न्यायालयी कार्यवाहियाँ सामान्यतः सार्वजनिक होती हैं।
- लागत में वृद्धि की संभावना:** यद्यपि एडीआर सामान्यतः किफायती है, फिर भी कुशल विवाचकों/मध्यस्थों/पंचों (आर्बिट्रेशन) की नियुक्ति महंगी हो सकती है, विशेषकर लंबे या विवादास्पद मामलों में।
- प्रवर्तन संबंधी समस्याएँ (अंतरराष्ट्रीय विवादः)** सीमा-पार विवादों में एडीआर निर्णयों के प्रवर्तन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्योंकि यह न्यूयॉर्क कन्वेंशन जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों या समझौतों पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष

भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र - जैसे विवाचन (आर्बिट्रेशन), मध्यस्थता (मिडिएशन) और सुलह (कॉसिलिएशन) - विवादों के लिए दक्ष, लागत-प्रभावी और मैत्रीपूर्ण समाधान प्रदान करते हैं, जहाँ विवाचन बाध्यकारी निर्णय देती है, वहीं मध्यस्थता और सुलह सहयोगात्मक वार्ता और समझौते को प्राथमिकता देते हैं। पारंपरिक न्यायालयी कार्यवाहियों के

बाहर त्वरित, गोपनीय और किफायती समाधान चाहने वाले पेशेवरों, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए इन तंत्रों की समझ अत्यंत आवश्यक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के 20 वर्ष

चर्चा में क्यों: हाल ही में, सूचना का अधिकार (राइट टू इन्फोर्मेशन - आरटीआई) अधिनियम, 2005 ने अक्टूबर 2025 में अपने कार्यान्वयन के 20 वर्ष पूरे किए। हालिया अध्ययनों और रिपोर्टों ने गंभीर संस्थागत, विधायी और परिचालन चुनौतियों को रेखांकित किया है, जिससे संकेत मिलता है कि भारत की पारदर्शिता रूपरेखा दबाव में है।

मुख्य विवरणः

- आरटीआई अधिनियम, 2005** नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने के लिए अधिनियमित किया गया, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिला।
- यह अधिनियम सरकार के सभी स्तरों—केंद्र, राज्य और स्थानीय—पर लागू होता है; जिसमें मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) और सरकारी अनुदान से पोषित निकाय शामिल हैं।
- इसने नागरिकों के जानने के अधिकार (Right to Know) को संस्थागत रूप दिया, जहाँ सूचना का प्रकटीकरण नियम और गोपनीयता अपवाद बना। अधिनियम के अंतर्गत पहला RTI आवेदन शाहिद रजा बर्नी द्वारा पुणे में दायर किया गया था।
- इस अधिनियम ने भारत में भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और प्रशासनिक जवाबदेही को गहरा करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है।

मुख्य प्रावधान एवं विधिक संरचनाः

- धारा 8(2): सार्वजनिक हित की प्रधानता**
 - ✓ यदि सार्वजनिक हित संरक्षित हितों को होने वाली हानि से अधिक हो, तो अपवादित सूचना भी प्रकट की जा सकती है।
- धारा 22: वरीय प्रभाव (Overriding Effect)**
 - ✓ RTI अधिनियम अन्य कानूनों में निहित असंगत प्रावधानों पर प्रधानता रखता है, जिससे पारदर्शिता सुदृढ़ होती है।
- धारा 8(1) के अंतर्गत अपवादः**
 - ✓ संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी संबंधों को प्रभावित करने वाली अथवा अपराध के लिए उकसाने की संभावना वाली सूचना अपवादित है।

उपलब्धियाँ एवं लोकतांत्रिक प्रभावः

- सार्वजनिक कल्याण योजनाओं की निगरानी में वृद्धि:
 - ✓ मनरेगा (MGNREGA) व्यय
 - ✓ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
 - ✓ स्थानीय अवसंरचना और विकास परियोजनाएँ

- प्रमुख घोटालों के उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका, जिनमें शामिल हैं:
 - आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला
 - 2G स्पेक्ट्रम घोटाला
 - कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला
- सार्वजनिक अधिकारियों में जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा दिया, यह जानते हुए कि उनके कार्य सार्वजनिक जांच के अधीन हैं।

मुख्य चुनौतियाँ और संरचनात्मक कमजोरियाँ

- प्रशासनिक विलंब और लंबितता (Delay & Pendency)**
 - अधिकांश सूचना आयोगों में निस्तारण का समय एक वर्ष से अधिक हो जाता है।
 - चरम उदाहरणों में शामिल हैं:
 - तेलंगाना: लगभग 29 वर्ष
 - त्रिपुरा: लगभग 23 वर्ष
- रिक्तियाँ और निष्क्रिय सूचना आयोग**
 - 2023-24 के दौरान नियुक्तियाँ न होने के कारण छह सूचना आयोग निष्क्रिय हो गए।
 - वर्तमान स्थिति:
 - झारखण्ड और हिमाचल प्रदेश के आयोग निष्क्रिय हैं।
 - केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त है।
- स्वायत्तता का विधायी क्षरण**
 - आरटीआई (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया, जिससे उनकी स्वतंत्रता कम हुई।
 - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act – DPDP Act), 2023 ने धारा 8(1) में संशोधन कर सार्वजनिक अधिकारियों सहित व्यक्तिगत डेटा को प्रकटीकरण से अपवादित किया।
- अपवादों और गोपनीयता मानकों का विस्तार**
 - सूचना देने से इनकार के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 का बार-बार उपयोग।
 - RAW, IB और CERT-In जैसी एजेंसियाँ RTI अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत अब भी अपवादित हैं।
- आरटीआई कार्यकर्ताओं पर खतरे**
 - आरटीआई उपयोगकर्ताओं को उत्तीड़न, धमकी और हिंसा का सम्मान करना पड़ता है।
 - कई कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं या उनकी हत्या की गई है।
 - डिसल ब्लॉअर संरक्षण अधिनियम, 2014 का कार्यान्वयन कमजोर बना हुआ है।

आगे की राह: आरटीआई ढाँचे को सुदृढ़ करना

- सूचना आयोगों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण

- पारदर्शी और समयबद्ध नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना।
- पर्याप्त स्टाफ, अवसंरचना और डिजिटल क्षमता उपलब्ध कराना।
- लंबितता कम करने हेतु प्रदर्शन मानक लागू करना।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण और डिजिटल आरटीआई**
 - आरटीआई आवेदन का मसौदा तैयार करने में नागरिकों की सहायता हेतु एआई-सक्षम उपकरणों का उपयोग।
 - आरटीआई पोर्टलों का डिजिलॉकर (DigiLocker) और वास्तविक-समय ट्रैकिंग प्रणालियों के साथ एकीकरण।
 - डेटा की प्रामाणिकता और छेड़छाड़-रोधी अभिलेखों के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग।
- कठोर प्रवर्तन और सक्रिय प्रकटीकरण**
 - धारा 4 के अंतर्गत अनिवार्य प्रकटीकरणों का सख्ती से पालन।
 - गलत तरीके से सूचना न देने और विलंब के लिए लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) पर दंड।
 - धारा 25 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदनों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।
- आरटीआई उपयोगकर्ताओं और डिसल ब्लॉअर्स का संरक्षण**
 - डिसल ब्लॉअर संरक्षण अधिनियम, 2014 का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन।
 - गुमनाम शिकायतों, आपात सुरक्षा उपायों और फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की व्यवस्था।
 - जिला-स्तरीय सहायता प्रकोष्ठों और विधिक सहायता तंत्र की स्थापना।
- संस्थागत स्वायत्तता की बहाली**
 - नियुक्तियों में संसदीय निगरानी की व्यवस्था।
 - स्वतंत्रता की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर न्यायिक समीक्षा।

निष्कर्ष

दो दशकों के बाद भी सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम भारत में लोकतांत्रिक जवाबदेही की एक आधारशिला बना हुआ है। तथापि, प्रशासनिक विलंब, विधायी क्षरण और कार्यकर्ताओं पर बढ़ते खतरे इसकी परिवर्तनकारी क्षमता को कमजोर कर रहे हैं। आरटीआई फ्रेमवर्क की पुनर्बहाली, पारदर्शी शासन, सूचित नागरिकता और लोकतंत्र की संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

- प्रश्न. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत, यदि सार्वजनिक हित हानि से अधिक हो, तो अपवादित सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता है।

2. आरटीआई (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने सूचना आयुक्तों के निश्चित कार्यकाल और वैधानिक स्वतंत्रता को कम किया।
3. सभी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियाँ RTI अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण प्रकटीकरण के लिए बाध्य हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

- गरीबी-मुक्त
- स्वस्थ
- बाल-अनुकूल
- जल-पर्याप्त
- स्वच्छ एवं हरित
- आत्मनिर्भर अवसंरचना
- सामाजिक सुरक्षा युक्त
- सुशासन
- महिला-अनुकूल गाँव

• समन्वय-आधारित विकास

- ✓ संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और दोहराव से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य योजनाओं का समन्वय सुनिश्चित करना।

• पारदर्शिता एवं जवाबदेही

- ✓ योजनाओं की सार्वजनिक प्रकटीकरण, सूचना अभियान तथा ग्राम सभा-आधारित अनुमोदन सुनिश्चित करना।

पीपुल्स प्लान कैम्पेन 2025–26

चर्चा में क्यों: पंचायती राज मंत्रालय ने पीपुल्स प्लान कैम्पेन (PPC) 2025–26 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभ किया है, ताकि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं (Panchayat Development Plans – PDPs) की राष्ट्रव्यापी तैयारी की जा सके।

मुख्य विवरण:

- पीपुल्स प्लान कैम्पेन (PPC), जिसे जन योजना अभियान (Jan Yojana Abhiyan) के नाम से भी जाना जाता है, 2 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारीपूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह योजनाओं-निर्माण को संस्थागत रूप देना है।
- यह अभियान निम्न स्तरों पर पंचायत विकास योजनाओं (PDPs) की तैयारी को सक्षम बनाता है:
 - ✓ ग्राम स्तर (Gram Panchayat Development Plans)
 - ✓ ब्लॉक स्तर (Block Panchayat Development Plans)
 - ✓ जिला स्तर (District Panchayat Development Plans)
- पीपुल्स प्लान कैम्पेन (PPC), संविधान के अनुच्छेद 243G को क्रियान्वित करता है, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार मिलता है।
- eGramSwaraj पोर्टल के अनुसार, 2019–20 से 2025–26 के बीच 18.13 लाख से अधिक PDPs अपलोड की गई हैं, जो बड़े पैमाने पर नागरिक सहभागिता को दर्शाता है।

उद्देश्य और मुख्य घटक:

- **भागीदारीपूर्ण और समावेशी योजना:**
 - ✓ ग्राम सभाओं के माध्यम से समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना, जिसमें नागरिक, स्वयं सहायता समूह (SHGs) और महिला निर्वाचित प्रतिनिधि (WERs) शामिल हों।
- **सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण:**
 - ✓ पंचायत योजनाओं में SDGs के नौ विषयगत दृष्टिकोणों का एकीकरण;

पीपुल्स प्लान कैम्पेन (PPC) 2025–26 : प्रमुख बिंदु

• परियोजनाओं की समीक्षा एवं प्राथमिकता निर्धारण

- ✓ ग्राम सभाएँ पूर्ववर्ती GPDPS की समीक्षा निम्न माध्यमों से करेंगी:
 - ई-ग्राम स्वाराज पोर्टल (eGramSwaraj Portal)
 - मेरी पंचायत ऐप (Meri Panchayat App)
 - पंचायत निर्णय (Panchayat NIRNAY)

- अपूर्ण कार्यों के पूर्ण होने पर विशेष ध्यान, विशेषकर वे कार्य जो अव्ययित केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों से जुड़े हैं।

• पंचायत उत्तरायन सूचकांक (पीएआई)

- ✓ पीएआई द्वारा निर्देशित योजना, सभा-सार (SabhaSaar) के समर्थन से, शासन परिणामों में सुधार हेतु।
- ✓ स्वयं के राजस्व स्रोत (Own Source Revenue – OSR) में वृद्धि और नागरिक सहभागिता को बढ़ाने पर बल।

• जनजातीय एवं समावेशी विकास

- ✓ आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से जनजातीय सशक्तिकरण पर विशेष फोकस।
- ✓ समावेशिता, जवाबदेही और समतामूलक ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करता है।

भारत के विकास ढाँचे में पंचायतों की भूमिका

• संवैधानिक भूमिका:

- ✓ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत संस्थागत स्वरूप।
- ✓ ग्राम पंचायत विकेन्द्रीकृत शासन की आधारभूत इकाई के रूप में कार्य करती है।

• सेवा वितरण एवं कल्याण:

- ✓ बुनियादी सेवाओं के लिए उत्तरदायी:
 - पेयजल

- स्वच्छता
- ग्रामीण सड़कें
- सड़क प्रकाश व्यवस्था
- स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण

• विकास योजना

- ✓ वार्षिक GPDPs भागीदारीपूर्ण ग्राम सभाओं के माध्यम से तैयार किए जाते हैं।
- ✓ ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों को सम्मिलित करते हैं।
- ✓ BPDPs और DPDPs समन्वय और विस्तार सुनिश्चित करते हैं।

• जन-केंद्रित योजना

- ✓ स्वयं सहायता समूह, ग्राम समृद्धि एवं सुदृढ़ता योजनाओं (VPRPs) के माध्यम से योगदान करते हैं।
- ✓ लैगिक-संवेदनशील और सामाजिक रूप से समावेशी योजना को प्रोत्साहित करता है।

मुख्य चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

• क्षमता की कमी:

- ✓ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार, ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षित कर्मियों और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव।

• कमजोर वित्तीय स्वायत्तता:

- ✓ पंचायतें करों के माध्यम से केवल लगभग 1% राजस्व ही उत्पन्न कर पाती हैं।
- ✓ केंद्र और राज्य अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता से पंचायतों की लचीलापन क्षमता सीमित होती है।

• निधि प्रवाह संबंधी समस्याएँ:

- ✓ प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत निधियों में विलंब और प्राप्ति न होना, जिससे कार्यान्वयन प्रभावित होता है।

• डिजिटल विभाजन:

- ✓ दूरदराज़ क्षेत्रों में कमजोर कनेक्टिविटी, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ई-गवर्नेंस और वास्तविक-समय निगरानी को बाधित करती है।

• कमजोर अंतर-विभागीय समन्वय:

- ✓ योजनाओं के बीच खंडित कार्यान्वयन से समग्र विकास परिणाम कमजोर पड़ते हैं।

आगे की राह: जन-योजना को सुदृढ़ करना

• क्षमता निर्माण:

- ✓ राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों (State Institutes of Rural Development & Panchayati Raj – SIRD&PRs) के माध्यम से पंचायत अधिकारियों और सुगमकर्ताओं का प्रशिक्षण।

• स्वयं के स्रोत राजस्व का सुदृढ़ीकरण (Strengthening Own Source Revenue – OSR):

- ✓ 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) की सिफारिशों के अनुसार OSR संग्रह को प्रोत्साहित करना और प्रदर्शन-आधारित अनुदान अपनाना।

• डिजिटल अवसंरचना का विस्तार:

- ✓ भारतनेट कनेक्टिविटी का विस्तार।
- ✓ हितधारकों को eGramSwaraj, पंचायत NIRNAY और मेरी पंचायत ऐप के उपयोग में प्रशिक्षण।

• संस्थागत समन्वय:

- ✓ खंड और जिला स्तर पर समन्वय प्रकोष्ठों (Convergence Cells) की स्थापना।
- ✓ मनरेगा (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसी योजनाओं का एकीकरण - जैसा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

निष्कर्ष

पीपुल्स प्लान कैम्पेन (PPC), नागरिक-नेतृत्व और विकेन्द्रीकृत विकास योजना की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल का प्रतिनिधित्व करता है। स्थानीय शासन के इंजन के रूप में पंचायतों को सशक्त बनाकर, PPC जमीनी स्तर के लोकतंत्र की संवैधानिक परिकल्पना को आगे बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्य ग्राम स्तर पर ठोस परिणामों में परिवर्तित हों।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

वासेनार व्यवस्था

चर्चा में क्यों: वासेनार व्यवस्था के अंतर्गत निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को लेकर माँग बढ़ रही है।

मुख्य विवरण:

- वासेनार व्यवस्था (WA) की स्थापना 1996 में एक बहुपक्षीय निर्यात-नियंत्रण व्यवस्था के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य परंपरागत हथियारों तथा “द्विउपयोग” वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों (अर्थात् जिनका नागरिक और सैन्य - दोनों उपयोग हो सकता है) के हस्तांतरण को विनियमित करना है।
- इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है - यह सुनिश्चित करके कि संवेदनशील प्रौद्योगिकियों का निर्यात अस्थिरकारी सैन्य जमाव या प्रसार (Proliferation) में योगदान न दे, तथा ऐसी वस्तुएँ आतंकवादियों या अविश्वासी राज्यों (Rogue States) के हाथों में न पहुँचें।
- WA सदस्य देशों द्वारा बनाए गए सहमत “नियंत्रण सूचियों” के माध्यम से कार्य करता है, सूचीबद्ध वस्तुओं के हस्तांतरण के लिए निर्यात लाइसेंस और सदस्यों के बीच नियमित रिपोर्टिंग आवश्यक होती है।
- 2025 तक, यह बहस तेज़ हो रही है कि WA का ढाँचा आधुनिक तकनीकी वास्तविकताओं के साथ तेज़ी से असंगत होता जा रहा है।
- सुधार की माँग क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर-निगरानी और सेवाओं की दूरस्थ आपूर्ति जैसी चुनौतियों के संदर्भ में उठी है - जो पारंपरिक निर्यात-नियंत्रण मॉडल पर दबाव डालती है।

प्रमुख बिंदु

| चुनौती | निहितार्थ / जोखिम |
|---|---|
| संकीर्ण, हार्डवेयर-केंद्रित निर्यात परिभाषा | सॉफ्टवेयर, क्लाउड सेवाएँ, रिमोट एक्सेस, एआई मॉडल - अपने दोहरे-उपयोग क्षमता के बावजूद - अक्सर WA-अनिवार्य नियंत्रणों से बाहर रह जाते हैं। इससे दुरुपयोग (जैसे निगरानी, घुसपैठ) की गुंजाइश बिना पर्याप्त निगरानी के बढ़ती है। |
| स्वैच्छिक एवं सहमति-आधारित व्यवस्था | WA कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है; अनुपालन राष्ट्रीय कानूनों और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। कोई भी सदस्य सुधारों को रोक सकता है, जिससे अनुकूलन की गति धीमी पड़ती है। देशों के बीच प्रवर्तन असमान रहता है। |

| | |
|--|--|
| प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के अनुरूप धीमा अनुकूलन | WA के आवधिक अद्यतन AI, क्लाउड और साइबर-टूल्स जैसे तेज़ी से विकसित क्षेत्रों के लिए बहुत धीमे हैं। जब तक नई वस्तुएँ सूची में जोड़ी जाती हैं, तब तक तकनीक पहले ही आगे बढ़ या फैल चुकी होती है। |
| मानवाधिकार और अंतिम-उपयोग सुरक्षा उपायों का अभाव | मौजूदा लाइसेंसिंग अक्सर सैन्य/डब्ल्यूएमडी उपयोग पर केंद्रित रहती है—जो डिजिटल उपकरणों के लिए अपर्याप्त है, जिनका उपयोग व्यापक निगरानी, दमन या निजता एवं नागरिक अधिकारों के उल्लंघन में हो सकता है। |
| खंडित राष्ट्रीय कार्यान्वयन | विभिन्न देश WA नियंत्रण सूचियों की अलग-अलग व्याख्या और अनुप्रयोग करते हैं, जिससे खामियाँ (Loopholes), “सुरक्षा-अनुसंधान” अपवाद, या अंतरिक हस्तांतरण निगरानी से बाहर रह जाते हैं। |

सुधार और आगे की राह

- “नियंत्रित प्रौद्योगिकियों” के दायरे का विस्तार:** केवल हार्डवेयर/प्रणालियों तक सीमित न रखते हुए क्लाउड अवसंरचना, सॉफ्टवेयर-एज़-ए-सर्विस (SaaS) प्लेटफॉर्म, AI प्रणालियाँ, डेटा-निगरानी उपकरण, बायोमेट्रिक प्रणालियाँ और सीमा-पार डेटा प्रवाह को शामिल करना।
- डिजिटल युग के लिए “निर्यात” की पुनर्परिभाषा:** दूरस्थ पहुँच, API-आधारित आपूर्ति, प्रशासनिक/विशेषाधिकार प्राप्त पहुँच और क्लाउड होस्टिंग (केवल भौतिक शिपमेंट नहीं) को निर्यात नियंत्रण के अंतर्गत लाना।
- WA को बाध्यकारी बनाना और न्यूनतम मानकों का प्रवर्तन:** स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं से आगे बढ़कर संधि-जैसे ढाँचे (Treaty-like Framework) अपनाना, जिसमें अनिवार्य लाइसेंसिंग मानक, पीयर रिव्यू मानकीकृत कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र शामिल हों।
- अंतिम-उपयोग और मानवाधिकार-आधारित लाइसेंसिंग मानदंडों की शुरुआत:** लाइसेंसिंग में यह भी आकलन किया जाए कि कौन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है, किस उद्देश्य से, और किस निगरानी के तहत - केवल वस्तु की प्रकृति नहीं, बल्कि नागरिक संदर्भों में दुरुपयोग (जैसे निगरानी, दमन, प्रोफाइलिंग) की संभावना भी।
- तीव्र और प्रतिक्रियात्मक शासन की स्थापना:** एक समर्पित तकनीकी समिति/सचिवालय का गठन, जो नई वस्तुओं (जैसे AI, साइबर टूल्स) को शीघ्र शामिल कर सके, अंतरिम नियंत्रण जारी करे, और वार्षिक पूर्ण-सत्रीय सहमति की प्रतीक्षा के बजाय सूचियों को अधिक बार अद्यतन करे।

निष्कर्ष

वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement – WA) की परिकल्पना ऐसे समय में की गई थी, जब दुनिया भौतिक हथियारों और हार्डवेयर निर्यात से संचालित होती थी। आज की वास्तविकता - क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, साइबर-निगरानी और डिजिटल सेवाओं द्वारा संचालित - मूलतः भिन्न है। “निर्यात” और “उपयोग” के बीच का अंतर धूधला हो गया है, अनेक संवेदनशील प्रौद्योगिकियाँ सीमाओं के पार आभासी रूप से वितरित होती हैं - उन तरीकों से, जिनकी मूल WA निर्माताओं ने संभवतः कल्पना नहीं की थी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement – WA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- वासेनार व्यवस्था एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जो सभी सदस्य देशों में समान निर्यात-नियंत्रण कानूनों को अनिवार्य करती है।
- यह व्यवस्था मुख्यतः परंपरागत हथियारों तथा द्वि-उपयोग वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को विनियमित करने पर केंद्रित है।
- आज WA के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में से एक क्लाउड-आधारित और सॉफ्टवेयर-चालित निर्यातों को प्रभावी रूप से विनियमित करने में इसकी अक्षमता है।
- वासेनार व्यवस्था में सभी निर्णय बहुमत मतदान के माध्यम से लिए जाते हैं, ताकि तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप शीघ्र अनुकूलन सुनिश्चित हो सके।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/है?

- (a) केवल 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 4

उत्तर: (c)

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए, यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक सिमा बाहौस (Sima Bahous) ने सदस्य देशों से इस वर्षगांठ को अर्थपूर्ण कार्रवाई में बदलने का आग्रह किया। उन्होंने वैश्विक संघर्षों के बढ़ने, नागरिक क्षेत्र के सिमटने, बढ़ती स्त्रीद्वेष (Misogyny) और महिला-नेतृत्व वाली शांति पहलों में अपर्याप्त निवेश के प्रति चेतावनी दी।

प्रमुख बिंदु:

- महिलाओं के लिए संघर्ष-जोखिम में वृद्धि**
 - संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, जिससे लाखों महिलाओं और बालिकाओं को हिंसा, विस्थापन, आजीविका की हानि तथा मूलभूत सेवाओं तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ रहा है।
 - लैंगिक-विशिष्ट कमजोरियाँ बढ़ने के बावजूद मानवीय सहायता में कमी आ रही है।
- UNSCR 1325 के कार्यान्वयन में ठहराव**
 - 25 वर्षों की प्रतिबद्धताओं के बावजूद, कार्यान्वयन असमान, प्रतीकात्मक और अपर्याप्त वित्तपोषित बना हुआ है।
 - कई राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ कागज़ों तक सीमित हैं, जिनमें संसाधनों, जवाबदेही तंत्रों और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है।
- साक्ष्य: महिलाओं की भागीदारी से शांति सुदृढ़ होती है**
 - अनुसंधान दर्शाता है कि महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ की गई शांति संधियाँ अधिक संधारणीय होती हैं और उनके पुनः विफल होने की संभावना कम होती है।
 - हैती, चाड, सीरिया, यूक्रेन और अफ्रीका के कुछ हिस्सों के उदाहरण दिखाते हैं कि महिला नेताओं ने संघर्षों में मध्यस्थता, स्थानीय युद्धविराम में सहायता और लैंगिक-संवेदनशील पुनर्निर्माण की वकालत की है।
- लैंगिक समानता के विरुद्ध प्रतिरोध**
 - अतिवाद, दुष्प्रचार, अँनलाइन दुर्व्ववहार और अधिकार-विरोधी आंदोलनों के वैश्विक उभार से लैंगिक समानता की उपलब्धियाँ खतरे में हैं।
 - डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंसा के नए क्षेत्र बन गए हैं, जिससे राजनीतिक और शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की आवाज़ और अधिक सीमित हो रही है।
- नई प्रतिबद्धताओं का आहान**
 - बाहौस ने निम्नलिखित पर बल दिया:
 - उच्च राजनीतिक और शांति-निर्माण नेतृत्व पदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना।
 - महिला-नेतृत्व वाले जमीनी शांति संगठनों को वित्तपोषण।
 - संघर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए दंडमुक्ति (Impunity) का अंत।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव (UNSCR) - 1325

चर्चा में क्यों: हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र – महिला (UN-Women) की प्रमुख ने 25 वर्ष पुराने इस प्रस्ताव के प्रभावी क्रियान्वयन का आह्वान किया है।

मुख्य विवरण:

- वर्ष 2025, ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1325 की 25वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह प्रस्ताव वर्ष 2000 में अपनाया गया था, जिसने संघर्ष की रोकथाम, शांति वार्ता, शांति-निर्माण (Peacebuilding) और संघर्षोंतर पुनर्निर्माण में महिलाओं की निर्णयक भूमिका को मान्यता दी।

- न्याय, क्षतिपूर्ति (Reparations) और जवाबदेही प्रणालियों तक पहुँच को सुदृढ़ करना।
- युवाओं के बीच महिला-शांति-सुरक्षा एजेंडा को अंतर्निहित करना।

मुख्य चुनौतियाँ

• दीर्घकालिक अपर्याप्त वित्तपोषण

- ✓ शांति-निर्माण में होने वाले कुल वित्तीय प्रवाह का 1% से भी कम हिस्सा महिला-नेतृत्व वाले संगठनों को प्राप्त होता है।
- ✓ संघर्षों के बढ़ने के साथ मानवीय बजट लगातार सिकुड़ रहे हैं।

• 2. प्रतीकात्मक भागीदारी

- ✓ महिलाओं को अक्सर प्रतीकात्मक रूप से शामिल किया जाता है, बिना वास्तविक निर्णय-निर्माण शक्ति के।
- ✓ शांति वार्ताओं में अभी भी पुरुष-सहभागिता की प्रधानता है, जहाँ महिला वार्ताकारों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

• लैंगिक-आधारित हिंसा में वृद्धि

- ✓ संघर्ष-संबंधी यौन हिंसा, मानव तस्करी और प्रौद्योगिकी-संबद्ध दुर्व्यवहार में वृद्धि हुई है, फिर भी न्याय प्रणालियाँ कमजोर बनी हुई हैं।

• कमजोर जवाबदेही

- ✓ अधिकांश देशों में UNSCR 1325 के संकेतकों—प्रतिनिधित्व, संरक्षण और रोकथाम—पर प्रगति को ट्रैक करने के तंत्र का अभाव है।
- ✓ भू-राजनीतिक हितों के कारण उल्लंघन प्रायः दंडविहीन रह जाते हैं।

• बहुपक्षवाद में गिरावट

- ✓ बहुपक्षीय संस्थानों में बढ़ता अविश्वास महिला-केंद्रित शांति पहलों के लिए सामूहिक समर्थन को कमजोर करता है।

आगे की राह

• राजनीतिक प्रतिबद्धता और नेतृत्व को सुदृढ़ करना

- ✓ सरकारों को UNSCR 1325 को राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, विदेश नीति और विकास एजेंडों में एकीकृत करना चाहिए।
- ✓ सकारात्मक कार्रवाई को संस्थागत बनाकर शांति वार्ताओं और सुरक्षा संस्थानों में महिलाओं का कम-से-कम 30–50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

• सतत वित्तपोषण सुनिश्चित करना

- ✓ महिला शांति-निर्माताओं के लिए समर्पित वैश्विक और राष्ट्रीय वित्त पोषण कोष स्थापित किए जाएँ।
- ✓ निजी परोपकार, अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक और जलवायु वित्त तंत्र को लैंगिक-संवेदनशील शांति-निर्माण के समर्थन हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

• संरक्षण और न्याय तंत्र को सुदृढ़ करना

- ✓ संघर्ष-संबंधी लैंगिक हिंसा से निपटने के लिए कानूनों, न्यायिक प्रक्रियाओं और निगरानी प्रणालियों को मज़बूत किया जाए।
- ✓ पीड़ित-केंद्रित क्षतिपूर्ति (Reparations) सुनिश्चित की जाए तथा अपराधियों के विरुद्ध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियोजन को सुदृढ़ किया जाए।

• डिजिटल सुरक्षा और समावेशन को बढ़ावा देना

- ✓ महिला नेताओं को निशाना बनाने वाली ऑनलाइन धूम्र, उत्पीड़न और दुष्प्रचार का प्रतिकार किया जाए।
- ✓ डिजिटल साक्षरता का विस्तार किया जाए और महिला मानवाधिकार रक्षकों के लिए सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएँ।

• जमीनी स्तर और युवा आंदोलनों का उपयोग

- ✓ शांति प्रक्रिया को समावेशी और सतत बनाने के लिए महिला समुदाय संगठनों, युवा समूहों और स्थानीय शांति समितियों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाए।
- ✓ महिला-शांति-सुरक्षा एजेंडा को शिक्षा और नागरिक कार्यक्रमों में एकीकृत किया जाए।

• बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना

- ✓ लैंगिक विशेषज्ञता के साथ संयुक्त राष्ट्र-नेतृत्व वाली शांति मिशनों को मज़बूत किया जाए।
- ✓ महिला-नेतृत्व वाली शांति प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं पर देशों के बीच सीख को प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव-1325 (UNSCR-1325) के 25 वर्ष बाद, विश्व एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। यद्यपि साक्ष्य स्पष्ट हैं कि महिलाओं का नेतृत्व शांति परिणामों को बेहतर बनाता है, फिर भी संरचनात्मक असमानताएँ, संघर्षों का तीव्र होना और नीतिगत जड़ता वास्तविक प्रगति में बाधा डालती हैं। यह वर्षगांठ कथन से कर्म की ओर बढ़ने का अवसर प्रस्तुत करती है—यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएँ केवल संघर्ष की पीड़ित न हों, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा की केंद्रीय शिल्पकार हों।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव-1325 (UNSCR-1325) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह शांति और सुरक्षा प्रक्रियाओं में महिलाओं की भूमिका को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला UNSC प्रस्ताव है।
2. यह सभी सदस्य देशों को राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के लिए कम-से-कम 50% आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश देता है।
3. यह संघर्ष-संबंधी यौन हिंसा की रोकथाम और सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं के संरक्षण पर बल देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

भारत-यूके कनेक्टिविटी एवं नवाचार केंद्र

चर्चा में क्यों: भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) ने भारत-यूके कनेक्टिविटी एवं नवाचार केंद्र के शुभारंभ के साथ रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ किया है।

मुख्य विवरण:

- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारत-यूके कनेक्टिविटी एवं नवाचार केंद्र की शुरुआत की है, जो द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने और उन्नत दूरसंचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह पहल व्यापक भारत-यूके टेक्नोलॉजी सुरक्षा पहल के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, सुदृढ़ और भविष्य-तैयार (Future-ready) टेलीकॉम इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है।

प्रमुख बिंदु:

- **संयुक्त वित्तपोषण प्रतिबद्धता**
 - ✓ भारत और यूके ने चार वर्षों में £24 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई है।
 - ✓ यह वित्तपोषण अनुप्रयुक्त अनुसंधान, टेस्टबेड्स, प्रोटोटाइप, तथा अकादमिक-उद्योग सहयोग की ओर निर्देशित है।
- **अत्याधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकियों पर फोकस**
 - ✓ **AI-सक्षम नेटवर्क अनुकूलन:** नेटवर्क दक्षता बढ़ाने, भीड़ कम करने और नई सेवाएँ सक्षम करने हेतु AI/ML का उपयोग।
 - ✓ **गैर-स्थलीय नेटवर्क (एनटीएन):** दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए उपग्रह-आधारित और वायुमंडलीय (Airborne) संचार नेटवर्क का विकास।
 - ✓ **टेलीकॉम साइबर सुरक्षा:** उपभोक्ताओं, उद्यमों और राष्ट्रीय अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षित और अंतर-संचालन प्रणालियों का निर्माण।
- **बाजार-उन्मुख अनुसंधान एवं विकास**
 - ✓ यह केंद्र केवल प्रयोगशाला अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावसायीकरण मार्गों पर भी केंद्रित है, जिससे नवाचारों का त्वरित परिनियोजन संभव हो सके।
 - ✓ भारत की 6G विजन के समर्थन हेतु वैश्विक टेलीकॉम मानकों और अंतर-संचालनीयता पर विशेष बल।
- **भारत-यूके रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी का सुदृढ़ीकरण**
 - ✓ सुरक्षित टेलीकॉम आपूर्ति श्रृंखलाओं, मानकों, कौशल विकास और संयुक्त नवाचार में सहयोग को बढ़ाता है।

- ✓ टेलीकॉम उपकरण और R&D में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विस्तार तथा आत्मनिर्भर भारत के भारत के लक्ष्यों के साथ संरेखण करता है।

मुख्य चुनौतियाँ

- **विस्तारित दूरसंचार पारितंत्र में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना**
 - ✓ जैसे-जैसे नेटवर्क में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) और उपग्रह-आधारित प्रणालियाँ एकीकृत होती हैं, अटैक के दायरे (Attack Surface) में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
 - ✓ चुनौती मजबूत एक्रिप्शन, आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा तथा वास्तविक-समय खतरा पहचान सुनिश्चित करने की है।
- **गैर-स्थलीय नेटवर्क (एनटीएन) परियोजन की उच्च लागत और जटिलता**
 - ✓ उपग्रह-आधारित संचार प्रणालियों में उच्च पूँजीगत व्यय, जटिल नियामक प्रक्रियाएँ तथा वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखलाओं पर निर्भरता शामिल होती है।
 - ✓ एनटीएन को स्थलीय (terrestrial) नेटवर्क के साथ एकीकृत करने के लिए व्यापक परीक्षण और मानकीकरण की आवश्यकता होती है।
- **डीप-टेक दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कौशल अंतर को पाठना**
 - ✓ भारत को 6G, कांटम संचार तथा एआई-आधारित नेटवर्क प्रबंधन जैसे उन्नत दूरसंचार क्षेत्रों में अधिक कुशल शोधकर्ताओं और अभियंताओं (इंजीनियर्स) के बड़े समूह की आवश्यकता है।
- **नियामक और स्पेक्ट्रम-आवंटन संबंधी बाधाएँ**
 - ✓ उभरती प्रौद्योगिकियाँ—विशेषकर एनटीएन और एआई-आधारित प्रणालियाँ—अद्यतन नीतियों, स्पेक्ट्रम ढाँचों तथा सुरक्षा दिशानिर्देशों की माँग करती हैं।
 - ✓ भारत के नियामक मानकों का वैश्विक मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना एक चुनौती बना हुआ है।
- **व्यावसायीकरण और उद्योग अपनामन**
 - ✓ अनुसंधान एवं विकास के परिणामों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों में बदलना उद्योग की भागीदारी, निवेश-विश्वास तथा बड़े-पैमाने के परीक्षण-स्थलों पर निर्भर करता है।

आगे की राह

- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) पारितंत्र को सुदृढ़ करना**
 - ✓ 6G, साइबर सुरक्षा और गैर-स्थलीय नेटवर्क (एनटीएन) के क्षेत्रों में कार्यरत विश्विद्यालयों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए वित्तपोषण बढ़ाना।
 - ✓ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करना तथा मानक-निर्धारण प्रक्रियाओं में भागीदारी को बढ़ावा देना।

- सुरक्षित और लचीले दूरसंचार अवसंरचना का निर्माण
 - ✓ सुरक्षित आपूर्ति-श्रृंखला प्रोटोकॉल, स्वदेशी घटकों और सतत निगरानी प्रणालियों सहित मजबूत साइबर-लचीलापन ढाँचे विकसित करना।
- उपग्रह और एनटीएन एकीकरण को तीव्र करना
 - ✓ लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम आवर्टन तथा उपग्रह-स्थलीय एकीकरण नीतियों को सरल बनाना।
 - ✓ वंचित और कम-सेवित क्षेत्रों में उपग्रह कनेक्टिविटी के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडलों को प्रोत्साहित करना।
- प्रतिभा विकास को सशक्त बनाना
 - ✓ उभरते दूरसंचार क्षेत्रों में संयुक्त भारत-यूके फेलोशिप कार्यक्रम, कौशल-विकास पाठ्यक्रम तथा उद्योग-संलग्न अनुसंधान इंटर्नशिप प्रारंभ करना।
- उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना
 - ✓ दूरसंचार ऑपरेटरों, स्टार्टअप्स, अकादमिक संस्थानों और वैश्विक मानक-निर्धारण निकायों को एक मंच पर लाने हेतु पायलट टेस्टबेड और नवाचार क्लस्टर स्थापित करना।
- समावेशी और किफायती कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना
 - ✓ परिनियोजन (डिप्लॉयमेंट) रणनीतियों में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को प्राथमिकता देना।
 - ✓ लागत कम करने और आयात-निर्भरता घटाने के लिए स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

भारत-यूके कनेक्टिविटी एवं नवाचार केंद्र सुरक्षित, नवोन्मेषी और समावेशी दूरसंचार भविष्य के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी कदम का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के व्यापक पैमाने और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को यूके की तकनीकी दक्षताओं के साथ जोड़कर, यह पहल एआई-संचालित नेटवर्क से लेकर उपग्रह-आधारित संचार तक अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी समाधानों को तेज़ी से आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है। विनियामक, साइबर सुरक्षा और कौशल-विकास से जुड़ी चुनौतियों का समाधान इस साझेदारी को राष्ट्रीय विकास और वैश्विक डिजिटल नेतृत्व के लिए ठोस परिणामों में बदलने हेतु अनिवार्य होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत-यूके कनेक्टिविटी एवं नवाचार केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे भारत-यूके प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के अंतर्गत शुरू किया गया है।
2. इसका उद्देश्य केवल स्थलीय (terrestrial) संचार नेटवर्कों में अनुसंधान का समर्थन करना है।
3. इसे दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

अभ्यास 'समुद्र शक्ति' – 2025

चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना ने इंडोनेशियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास 'समुद्र शक्ति' का पाँचवाँ संस्करण वर्ष 2025 में विशाखापत्तनम में आयोजित किया।

मुख्य विवरण:

- भारत और इंडोनेशिया—भारतीय महासागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में स्थित दो प्रमुख समुद्री राष्ट्र—भारत की एक्ट ईस्ट नीति और स्वतंत्र, खुले तथा समावेशी हिंद-प्रशांत के साझा वृष्टिकोण के अनुरूप रक्षा सहयोग को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं।
- अभ्यास समुद्र शक्ति का पाँचवाँ संस्करण (14–17 अक्टूबर 2025) विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ, जो दोनों देशों के बीच गहराते नौसैनिक साझेदारी संबंधों को दर्शाता है।
- **पृष्ठभूमि:**
 - ✓ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का तीव्र होना।
 - ✓ गैर-पारंपरिक समुद्री खतरों में वृद्धि (जैसे—समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मत्स्ययन)।
 - ✓ इंडोनेशिया—भारत समुद्री निरंतरता से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्गों का रणनीतिक महत्व—यह अभ्यास पारस्परिक संचालन क्षमता, सामरिक सहयोग और क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता को सुदृढ़ करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच है।

समुद्र शक्ति-2025 : प्रमुख विशेषताएँ

- **भाग लेने वाले संसाधन:**
 - ✓ भारतीय नौसेना: आईएनएस कवरत्ती (INS Kavaratti) — पनडुब्बी-रोधी युद्ध कार्वेट।
 - ✓ इंडोनेशियाई नौसेना: केआरआई जॉन ली (KRI John Lie) — ऑनबोर्ड हेलीकॉपर से सुसज्जित कार्वेट।
- **अभ्यास के चरण:**
 - ✓ बंदरगाह चरण (Harbour Phase): विशाखापत्तनम।
 - समुद्री चरण (Sea Phase)।
- **प्रमुख उद्देश्य:**
 - ✓ दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिक संचालन क्षमता (Interoperability) को सुदृढ़ करना।
 - ✓ सामरिक समन्वय तथा परिचालन तालमेल (Operational Synergy) को मजबूत करना।

- ✓ सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना।
- ✓ मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) तथा समुद्री सुरक्षा से जुड़ी आकस्मिक परिस्थितियों के लिए तैयारी को बेहतर बनाना।
- ✓ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना।
- **सामरिक महत्व:**
 - ✓ एक प्रमुख आसियान (ASEAN) देश के साथ समुद्री साझेदारी को मजबूत करता है।
 - ✓ क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) के रूप में भारत की भूमिका को और सुदृढ़ करता है।
 - ✓ समग्र रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत-इंडोनेशिया रक्षा सहयोग का विस्तार करता है।
 - ✓ भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्त (IND-INDO CORPAT) जैसी संयुक्त पहलों को पूरक बनाता है।
 - ✓ क्षेत्रीय समुद्री खतरों के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाता है।
 - ✓ सागर (SAGAR – क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) संबंधी भारत की दृष्टि के अनुरूप है।

भारत के अन्य प्रमुख देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास

| अभ्यास | सहभागी देश / समूह | सेवा |
|-----------------|-------------------------------------|------------|
| मालाबार | अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया (क्राड) | नौसेना |
| गरुड़ | फ्रांस | वायुसेना |
| वरुण | फ्रांस | नौसेना |
| मित्र शक्ति | श्रीलंका | थलसेना |
| सम्प्रीति | बांग्लादेश | थलसेना |
| सूर्य किरण | नेपाल | थलसेना |
| युद्ध अभ्यास | अमेरिका | थलसेना |
| कोप इंडिया | अमेरिका | वायुसेना |
| रेड फ्लैग | अमेरिका | वायुसेना |
| लामित्रे | फ्रांस | थलसेना |
| सहयोग-काइजिन | जापान | तटरक्षक बल |
| धर्म गार्जियन | जापान | थलसेना |
| जिमेक्स (JIMEX) | जापान | नौसेना |
| एकाथा | मालदीव | थलसेना |
| एकुवेरिन | मालदीव | थलसेना |

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| कोंकण | यूनाइटेड किंगडम (यूके) | नौसेना |
| इंद्रधनुष | यूनाइटेड किंगडम (यूके) | वायुसेना |
| अजेय वॉरियर | यूनाइटेड किंगडम (यूके) | थलसेना |
| इंद्र | रूस | त्रि-सेवा |
| अवियइंद्र | रूस | वायुसेना |
| हैंड-इन-हैंड | चीन | थलसेना |
| नोमैडिक एलीफेट | मंगोलिया | थलसेना |
| अल-नजाह | ओमान | थलसेना |
| नसीम-अल-बहर | ओमान | नौसेना |
| ईस्टर्न ब्रिज | ओमान | वायुसेना |
| डेझर्ट ईगल | संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) | वायुसेना |
| ज़ायद तलवार | संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) | नौसेना |
| खंजर | किर्गिस्तान | थलसेना |
| काज़इंड | कज़ाखस्तान | थलसेना |
| हरिमाउ शक्ति | मलेशिया | थलसेना |
| विनबैक्स (VINBAX) | वियतनाम | थलसेना |
| समुद्र शक्ति | इंडोनेशिया | नौसेना |
| CORPAT (समन्वित गश्त) | इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश | नौसेना |
| IMTTR (त्रि-सेवा अभ्यास) | रूस | त्रि-सेवा |
| मिलन | बहराईय | नौसेना |

| यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न: | | |
|---|--|--|
| प्रश्न. भारत के संयुक्त रक्षा अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: | | |
| 1. 'मित्र शक्ति' श्रीलंका के साथ आयोजित एक संयुक्त थलसेना अभ्यास है। | | |
| 2. 'हरिमाउ शक्ति' मलेशिया के साथ आयोजित किया जाता है। | | |
| 3. 'नोमैडिक एलीफेट' मंगोलिया के साथ एक नौसैनिक अभ्यास है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? | | |
| (a) केवल एक | | |
| (b) केवल दो | | |
| (c) उपर्युक्त सभी | | |
| (d) इनमें से कोई नहीं | | |
| उत्तर: (b) केवल 1 और 2 | | |

अमेरिका-चीन व्यापारिक तनाव

चर्चा में क्यों: चीन ने व्यापार तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और दुर्लभ मृदा (रेयर अर्थ) पर लगाए गए प्रतिबंधों का बचाव किया है।

मुख्य विवरण:

- अक्टूबर 2025 में चीन ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि वाशिंगटन द्वारा चीनी आयातों की एक श्रृंखला पर अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाए जाने के बाद अमेरिका ने व्यापार तनाव को और तीव्र किया।
- इसके जवाब में चीन ने दुर्लभ मृदा तत्वों पर हाल ही में लागू किए गए निर्यात प्रतिबंधों का बचाव किया—जो अर्धचालकों (सेमीकंडक्टर्स), रक्षा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इनपुट हैं।
- चीन ने कड़ी कूटनीतिक भाषा अपनाई, लेकिन तत्काल समानुपाती टैरिफ प्रतिशोध से परहेज़ किया। यह घटना विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच लंबे समय से चल रही रणनीतिक, तकनीकी और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के एक नए चरण को दर्शाती है।

घटनाक्रम की प्रमुख विशेषताएँ:

- व्यापार तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिका पर आरोप**
 - चीन ने अमेरिका पर टैरिफ बढ़ोतारी के माध्यम से एकतरफा और संरक्षणवादी कदम उठाने का आरोप लगाया।
 - बीजिंग का तर्क है कि वाशिंगटन के ये कदम वैश्विक व्यापार नियमों को कमजोर करते हैं और बाजारों को अस्थिर बनाते हैं।
- दुर्लभ मृदा निर्यात नियंत्रण का बचाव**
 - चीन ने निर्यात प्रतिबंधों को आर्थिक प्रतिशोध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय के रूप में प्रस्तुत किया।
 - ये नियंत्रण उन विशिष्ट दुर्लभ मृदा प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के निर्यात को सीमित करते हैं, जिन पर अमेरिका अत्यधिक निर्भर है।
 - दुर्लभ मृदा इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित प्रौद्योगिकियों और उन्नत सैन्य प्रणालियों के लिए अनिवार्य हैं।
- तत्काल टैरिफ प्रतिशोध से परहेज़**
 - तीखी बयानबाज़ी के बावजूद चीन ने तत्काल जवाबी टैरिफ लगाने से परहेज़ किया।
 - यह घरेलू अपेक्षाओं, वैश्विक निवेशकों के विश्वास और कूटनीतिक संतुलन के बीच संतुलन साधने की एक सोची-समझी रणनीति का संकेत देता है।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव**
 - दुर्लभ मृदा से जुड़ा यह निर्णय उन उद्योगों के लिए व्यापक प्रभाव रखता है जो चीनी प्रसंस्करण क्षमताओं पर निर्भर हैं।

✓ जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और यूरोपीय देशों सहित कई देश आपूर्ति बाधाओं के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं।

भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि

- यह घटना व्यापार, प्रौद्योगिकी, अर्धचालक, हरित ऊर्जा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भू-अर्थशास्त्रीय परिवर्तन में फैली व्यापक अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है।
- उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रभुत्व के लिए दोनों देश प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जहाँ दुर्लभ मृदा सामग्रियाँ निर्णायक महत्व रखती हैं।

विश्व के लिए प्रमुख चुनौतियाँ

• महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता

- चीन वैश्विक दुर्लभ मृदा उत्पादन का लगभग 60–70% तथा प्रसंस्करण का लगभग 85–90% नियंत्रित करता है।
- निर्यात प्रतिबंधों के कारण उच्च-प्रौद्योगिकी, रक्षा और हरित ऊर्जा उद्योगों की आपूर्ति-श्रृंखलाओं की कमजोरियाँ उजागर होती हैं।

• बढ़ता संरक्षणवाद

- प्रमुख वैश्विक शक्तियों द्वारा टैरिफ वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए निर्यात नियंत्रण प्रणालीगत अनिश्चितता को बढ़ाते हैं।
- संरक्षणवादी चक्र वैश्विक बाजारों को बाधित करते हैं, उत्पादन लागत बढ़ाते हैं और बहुपक्षीय व्यापार मानदंडों को कमजोर करते हैं।

• आपूर्ति-श्रृंखला की संवेदनशीलता

- इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), नवीकरणीय ऊर्जा, रोबोटिक्स, एआई हार्डवेयर और हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्र उच्च इनपुट लागत और तकनीकी अड़चनों के जोखिम में हैं।

• डब्ल्यूटीओ-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का क्षण

- दोनों देश तेजी से डब्ल्यूटीओ के विवाद-निपटान तंत्रों को दरकिनार कर रहे हैं।
- इससे नियम-आधारित वैश्विक व्यापार शासन कमजोर होता है।

• व्यापक भू-राजनीतिक फैलाव की संभावना

- व्यापार तनाव कूटनीतिक, तकनीकी और सैन्य क्षेत्रों में फैल सकते हैं।
- छोटी अर्थव्यवस्थाएँ किसी एक गुट के साथ सरेखित होने के लिए विवश हो सकती हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता को खतरा उत्पन्न होता है।

• विकासशील देशों पर प्रभाव

- वस्तु कीमतों में अस्थिरता, महँगे प्रौद्योगिकी आयात और बाधित विनिर्माण श्रृंखलाएँ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करती हैं।

आगे की राह

- बहुपक्षीय व्यापार मंचों को सुदृढ़ करना
 - ✓ डब्ल्यूटीओ में सुधारों तथा विवाद-निपटान तंत्रों को पुनर्जीवित करना अनिवार्य है।
 - ✓ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पारदर्शी और पूर्वानुमेय व्यापार व्यवहार के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण
 - ✓ देशों को निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए:
 - दुर्लभ मृदा खनन
 - प्रसंस्करण सुविधाएँ
 - पुनर्चक्रण क्षमताएँ
 - ✓ क्वाड साझेदार, यूरोपीय संघ (EU) और आसियान (ASEAN) आपूर्ति-शृंखला लचीलापन बढ़ाने के लिए सहयोग को गहरा कर सकते हैं।
- प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
 - ✓ सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) और उन्नत विनिर्माण में घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करना आवश्यक है, ताकि संवेदनशीलता कम हो सके।
- कूटनीतिक संवाद को प्रोत्साहित करना
 - ✓ अमेरिका और चीन के बीच संरचित संवाद गलत आकलनों को रोक सकते हैं।
 - ✓ विश्वास-निर्माण उपाय तथा क्षेत्र-विशिष्ट समझौते (जैसे - दुर्लभ मृदा आपूर्ति की गारंटी) आवश्यक हैं।
- विकासशील देशों के लिए समर्थन
 - ✓ बहुपक्षीय संस्थानों (विश्व बैंक, यूनीडो, एडीबी) को उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तकनीकी क्षमता बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए, ताकि वे वैश्विक झटकों का सामना कर सकें।
- भारत के लिए अवसर
 - ✓ भारत अपने खनिज संसाधनों, कौशल और भू-राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर:
 - दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण का विस्तार कर सकता है।
 - वैश्विक प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित कर सकता है।
 - पीएलआई योजना, राष्ट्रीय खनिज नीति तथा भारत-ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी जैसे ढाँचों को और मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष

चीन-अमेरिका व्यापार तनाव केवल टैरिफ विवादों तक सीमित नहीं है; वे प्रौद्योगिकीय वर्चस्व और रणनीतिक प्रभाव के लिए चल रही एक गहरी प्रतिस्पर्धा को दर्शती हैं। चीन द्वारा दुर्लभ मृदा (रेयर अर्थ) पर लगाए गए निर्यात नियंत्रण और अमेरिका द्वारा की गई टैरिफ वृद्धि, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की कमजोरियों तथा भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बढ़ते स्वरूप को उजागर करती हैं। बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना, महत्वपूर्ण खनिजों की

आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण करना तथा सहयोगात्मक कूटनीतिक तंत्रों को बढ़ावा देना—ये सभी वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने और प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए अनिवार्य हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: दुर्लभ मृदा तत्त्वों (Rare Earth Elements – REEs) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चीन वैश्विक दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण क्षमता के अधिकांश हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
2. दुर्लभ मृदा तत्त्व, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए अनिवार्य हैं।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में दुर्लभ मृदा ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)

चर्चा में क्यों: हालिया पश्चिम एशिया की स्थिति यह संकेत देती है कि भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) के मार्गों को क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलताओं के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है।

मुख्य विवरण:

- आईएमईसी (IMEC) को सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से प्रारंभ किया गया। इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत, कई खाड़ी देश, यूरोपीय संघ के सदस्य देश और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, जो इसके व्यापक बहुपक्षीय समर्थन को दर्शाता है।
- यह अर्थव्यवस्था, भू-राजनीति और दीर्घकालिक वैश्विक एकीकरण के संगम पर स्थित एक रणनीतिक अवसंरचना और संपर्क (कनेक्टिविटी) पहल है।
- यह गलियारा ऐसे समय में उभर रहा है, जब वैश्विक व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान, लाल सागर और स्वेज नहर जैसे पारंपरिक समुद्री मार्गों की संवेदनशीलता, तथा बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ अधिक विविधीकृत और लचीले संपर्क मार्गों की आवश्यकता को रेखांकित कर रही हैं।
- भारत के लिए, आईएमईसी वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था बनने की उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप है; यह मध्य पूर्व और यूरोप के साथ व्यापारिक संपर्कों को सुदृढ़ करता है, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करता है और भारत के रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाता है।

प्रमुख विशेषताएँ एवं सामरिक महत्व

- मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी:** बंदरगाह, रेल, ऊर्जा, डिजिटल

 - प्रस्तावित गलियारा समुद्री और रेल मार्गों को एकीकृत करता है—पश्चिमी भारतीय बंदरगाहों को खाड़ी देशों के बंदरगाहों से जोड़ते हुए। वहाँ से माल उच्च-गति रेल नेटवर्क के माध्यम से खाड़ी देशों (संभावित रूप से सऊदी अरब और जॉर्डन) से होकर भूमध्यसागर के एक पारगमन बिंदु (जैसे - इज़राइल का हाइफ़ा बंदरगाह) तक पहुँचेगा और आगे समुद्री संपर्कों के माध्यम से यूरोप तक जाएगा।
 - पारंपरिक वस्तु परिवहन से आगे बढ़ते हुए, आईएमईसी हरित ऊर्जा अवसंरचना, डिजिटल संपर्क (उप-समुद्री केबल/सब-सी केबल) तथा स्वच्छ ऊर्जा पाइपलाइनों (जैसे - हाइड्रोज़ेन) को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है - इस प्रकार ऊर्जा और डेटा अवसंरचना के साथ परिवहन का एकीकरण करता है।
 - इससे महाद्वीपों के बीच एक संभावित 'हरित + डिजिटल सेतु' का निर्माण होता है, जो सतत विकास और विकार्बनीकरण (डी-कार्बनाइज़ेशन) के वैश्विक रुझानों के अनुरूप है।

- आर्थिक दक्षता, आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन व बाज़ार तक पहुँच**


 - आकलनों के अनुसार, आईएमईसी लाल सागर/स्वेज नहर के माध्यम से पारंपरिक समुद्री मार्गों की तुलना में परिवहन समय को लगभग 40% तक कम कर सकता है, जिससे भारत-यूरोप माल परिवहन की गति और दक्षता में सुधार होगा।

✓ यह व्यापार और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने का वादा करता है, जिससे भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं, साथ ही आयात और आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण भी अधिक सुगम होगा।

✓ भारत और सहभागी देशों के लिए, आईएमईसी औद्योगिकीकरण, बंदरगाह-आधारित विकास, निवेश प्रवाह, व्यापार विस्तार और गलियारे के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकता है।

भू-राजनीतिक और सामरिक अनिवार्यताएँ

- भारत के लिए, आईएमईसी एक राजनीतिक साधन है—यह व्यापार मार्गों का विविधीकरण करता है, संवेदनशील समुद्री चौकपैइंट्स पर निर्भरता घटाता है, तथा खाड़ी और यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करता है - जिससे भारत की वैश्विक आर्थिक पहुँच का सुदृढ़ीकरण होता है।
- इस गलियारे को व्यापक वैश्विक कनेक्टिविटी संरचना के एक हिस्से के रूप में देखा जाता है - जो अन्य मेगा-गलियारा पहलों के विकल्प प्रदान करता है और अस्थिर वैश्विक परिवेश में आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन बढ़ाता है।
- ऊर्जा, परिवहन और डिजिटल अवसंरचना के एकीकरण के माध्यम से, आईएमईसी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास जैसे दीर्घकालिक उद्देश्यों का भी समर्थन करता है - जो भारत के जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों हेतु विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।



प्रमुख चुनौतियाँ और बाधाएँ

- भू-राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा जोखिम**

 - यह गलियारा पश्चिम एशिया जैसे भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहाँ संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और तनाव (जैसे—इज़राइल और पड़ोसी देशों के बीच) गंभीर जोखिम उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, गाज़ा संघर्ष के बाद उत्पन्न तनावों ने प्रस्तावित रेल-आधारित मार्ग की व्यवहार्यता पर संदेह खड़े किए हैं।
 - समुद्री मार्गों की अस्थिरता (लाल सागर, खाड़ी क्षेत्रों में जोखिम या राजनीतिक व्यवधान) व्यापार की निरंतरता को बाधित कर सकती है।
 - कार्यान्वयन की जटिलता: अवसंरचना, एकीकरण और समन्वय**

 - बंदरगाहों, रेल नेटवर्क, ऊर्जा पाइपलाइनों और डिजिटल केबलों को शामिल करने वाले एक वास्तविक एकीकृत बहु-माध्यमीय गलियारे का निर्माण—जो अनेक संप्रभु देशों से होकर गुजरता है—उच्च स्तर के समन्वय, विनियमों के मानकीकरण तथा

- व्यापार, सीमा शुल्क और कानूनी ढाँचों के सामंजस्य की माँग करता है, जो विविध प्रशासनिक प्रणालियों के कारण चुनौतीपूर्ण है।
- ✓ विशेषकर मध्य पूर्व में रेल संपर्कों के कुछ महत्वपूर्ण खंड या तो अनुपस्थित हैं या अविकसित हैं। इन्हें पूरा करने के लिए भारी अवसंरचनात्मक निवेश, लंबी समय-सीमा और अनेक हितधारकों के बीच सहयोग आवश्यक होगा।
 - **वित्तीय व्यवहार्यता और निवेश अनिश्चितता**
 - ✓ ऐसे गलियारे के लिए अनुमानित वित्तपोषण आवश्यकताएँ अत्यधिक हैं, फिर भी सहभागी देशों के बीच स्पष्ट, सहमति-आधारित वित्तीय रोडमैप या लागत-साझेदारी मॉडल का अभाव है।
 - ✓ दीर्घकालिक समय-सीमा, बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, जोखिम की धारणाएँ और निवेश पर प्रतिफल (रिटर्न) को लेकर अनिश्चितताएँ निजी क्षेत्र की भागीदारी को हतोत्साहित कर सकती हैं, जिससे प्रमुख खंडों में प्रगति ठहरने की आशंका रहती है।
 - **स्थिरता हेतु क्षेत्रीय राजनीति, कूटनीति और स्थायित्व पर निर्भरता**
 - ✓ आईएमईसी की सफलता गलियारे से जुड़े देशों के बीच स्थिर राजनीतिक संबंधों, संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में शांति और सतत कूटनीतिक सहयोग पर अत्यधिक निर्भर करती है—ये कारक ताल्कालिक नियंत्रण से बाहर होते हैं और क्षेत्रीय उथल-पुथल के प्रति संवेदनशील रहते हैं।
 - ✓ इसके अतिरिक्त, देशों के बीच विश्वास और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता अनिवार्य है; किसी एक पक्ष द्वारा समन्वय में कमी पूरे गलियारे की व्यवहार्यता को संकट में डाल सकती है।

आगे की राह: रणनीतिक सिफारिशें एवं रोडमैप

- **मॉड्यूलर और लचीले गलियारा डिज़ाइन को अपनाना**
 - ✓ एकल कठोर मार्ग (जैसे - हाइफा) पर निर्भर रहने के बजाय, विभिन्न बंदरगाहों, रेल और समुद्री मार्गों के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग विकसित किए जाएँ—जिसमें खाड़ी और भूमध्यसागर के

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

- प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से घटक आईएमईसी (IMEC) की प्रस्तावित अवसंरचना/कनेक्टिविटी के भाग हैं?
1. बंदरगाह और समुद्री संपर्क
 2. मध्य पूर्व और यूरोप में फैले रेल नेटवर्क
 3. ऊर्जा पाइपलाइन/स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना

बंदरगाह (जैसे - सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, ग्रीस, इटली आदि) शामिल हों - ताकि जोखिम का विविधीकरण हो और लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके।

- **स्थायी बहुपक्षीय समन्वय तंत्र की स्थापना**
 - ✓ सहभागी देशों के बीच योजना-निर्माण के समन्वय, विनियामक सामंजस्य (सीमा शुल्क, टैरिफ, मानक) तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल और लॉजिस्टिक संचालन के लिए एक संयुक्त शासन ढाँचा स्थापित किया जाए।
- **मिश्रित वित्तपोषण को सक्रिय करना**
 - ✓ सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बहुपक्षीय कोषों के माध्यम से वैश्विक निवेशकों, अवसंरचना कोषों और बहुपक्षीय एजेंसियों को आकर्षित किया जाए; सार्वजनिक वित्त, निजी निवेश और बहुपक्षीय विकास वित्त को संयोजित कर जोखिम का प्रसार और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जाए।
- **सॉफ्ट अवसंरचना को प्राथमिकता देना**
 - ✓ सीमा शुल्क सामंजस्य, डिजिटल व्यापार मंच, विनियामक मानकीकरण और पारदर्शी व्यापार नीतियों के माध्यम से व्यापार सुविधा और डिजिटल/विनियामक संपर्कों को सुदृढ़ किया जाए; इससे पूर्ण भौतिक अवसंरचना के पूर्ण होने से पहले भी व्यापार प्रवाह में तेजी लाइ जा सकती है।
- **हरित और डिजिटल घटकों का उपयोग**
 - ✓ ऊर्जा, हाइड्रोजन और डिजिटल केबल जैसे घटक आईएमईसी की 'हरित + डिजिटल गलियारा' दृष्टि को साकार करते हैं, जो वैश्विक सततता लक्ष्यों और भारत के ऊर्जा संक्रमण के अनुरूप है; इससे जलवायु-वित्त, हरित निवेशकों को आकर्षित करने और भारत को भविष्य के ऊर्जा एवं डेटा निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- **सक्रिय कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता प्रयास बनाए रखना**
 - ✓ संघर्ष समाधान का समर्थन किया जाए, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए और गलियारे के साझेदारों के बीच रणनीतिक विश्वास का निर्माण किया जाए; वैकल्पिक मार्गों और आकस्मिक योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि आईएमईसी भू-राजनीतिक झटकों से सुरक्षित रहे

4. डेटा कनेक्टिविटी के लिए समुद्र-तल डिजिटल केबल

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

अर्थव्यवस्था एवं कृषि

भारत का आर्थिक वर्चस्व के विरुद्ध दीर्घकालीन इतिहास

चर्चा में क्यों: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार वाताएँ ठप बनी हुई हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक शुल्क दोगुना किया और भारत द्वारा रूसी तेल आयात पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया।

मुख्य बिंदु

- ौपनिवेशिक शोषण से लेकर वर्तमान संरक्षणवाद तक, भारत ने लगातार असमान और बाह्य रूप से थोपे गए आर्थिक प्रबंधों का विरोध किया है।
- भारत का आर्थिक विकास खुलापन और संप्रभुता के बीच संतुलन दर्शाता है, ताकि राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके।

ौपनिवेशिक आर्थिक शोषण और भारत का प्रतिरोध

- अर्थव्यवस्था का रूपांतरण:** ब्रिटिश ौपनिवेशिक व्यवस्था ने भारत की आत्मनिर्भर कृषि एवं हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था को तोड़कर उसे कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के बाजार में बदल दिया।
- ड्रेन थोरी (धन बहिर्गमन सिद्धांत) और राजकोषीय शोषण:** दादाभाई नौरोजी ने पावरी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1901) में तर्क दिया कि भारत की संपत्ति ब्रिटेन में स्थानांतरित हो रही थी, जिससे उसकी समृद्धि का वित्तपोषण हुआ—“ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य पूरी तरह भारतीय धन से और मुख्यतः भारतीय रक्त से संचालित व बनाए रखा गया।”
- ौपनिवेशिक पूँजीवाद के चरण:**
 - वाणिज्यिक पूँजीवाद (ब्रिटिश काल): एकाधिकार व्यापार और कराधान के माध्यम से दोहन।
 - ौद्योगिक पूँजीवाद (19वीं सदी): भारत को कच्चे कपास का निर्यातक और वस्त्रों का आयातक बना दिया गया।
 - वित्तीय पूँजीवाद (20वीं सदी का प्रारंभ): ब्रिटिश निजी पूँजी का अवसंरचना, बागानों और बैंकिंग पर प्रभुत्व, जिससे निर्भरता और गहरी हुई।
- आर्थिक परिणाम:** इस संरचना ने ौद्योगिक हास, कृषि ठहराव, अत्यधिक कराधान और बार-बार अकाल को जन्म दिया, परिणामस्वरूप व्यापक निर्धनता फैली।

ौपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की बौद्धिक आलोचनाएँ

- आर. सी. दत्त — ौद्योगिक विनाश:** द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया (1901–02) में दिखाया कि ौपनिवेशिक नीतियों ने ब्रिटिश निर्माताओं की रक्षा हेतु देशी उद्योगों का जानबूझकर विनाश किया।

- एम. जी. रानाडे — आर्थिक निर्भरता:** औपनिवेशिक आर्थिक निर्भरता की आलोचना की और भारतीय उद्यमिता के माध्यम से ौद्योगिक पुनर्जागरण का समर्थन किया।
- आर. पाल्मे दत्त — साम्राज्यवाद के चरण:** India To-day (1940) में पूँजीवादी प्रभुत्व के तीन चरण—वाणिज्यिक, ौद्योगिक और वित्तीय—की पहचान की, जिससे साम्राज्यवादी नियंत्रण का विकास स्पष्ट होता है।
- जी. वी. जोशी:** रेलवे व्यय को उन्होंने “ब्रिटिश उद्योग को भारतीय सब्सिडी” के रूप में वर्णित किया।

स्वतंत्रता पश्चात आर्थिक पुनर्निर्माण

- विरासत में मिली संरचनात्मक कमज़ोरियाँ:** 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत एक कृषि-प्रधान, निर्धन और असमान अर्थव्यवस्था था, जिसकी पूँजी और ौद्योगिक आधार का व्यापक क्षरण हो चुका था।
- वैचारिक समन्वय:** शीत युद्ध की द्विध्रुवीयता को अस्वीकार करते हुए भारत ने गुटनिरपेक्ष मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें समाजवादी नियोजन और पूँजीवादी व्यावहारिकता का समन्वय कर आत्मनिर्भरता और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया।
- योजना निर्माण के बौद्धिक आधार**
 - विश्वेश्वरैया योजना (1934): ौद्योगीकरण और राज्य समन्वय का समर्थन।
 - राष्ट्रीय योजना समिति (1938): राज्य-निर्देशित विकास की नींव रखी।
 - बॉम्बे योजना (1944): सार्वजनिक-निजी सहयोग के साथ बड़े पैमाने पर ौद्योगीकरण का प्रस्ताव।
 - गांधीवादी एवं जन-योजनाएँ (1944–45): विकेंद्रीकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर बल।
- प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएँ**
 - प्रथम योजना (1951–56): कृषि, सिंचाई और ग्रामीण पुनर्निर्माण पर केंद्रित।
 - द्वितीय योजना (1956–61): पी. सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित; भारी उद्योगों, पूँजीगत वस्तुओं और आयात प्रतिस्थापन को प्राथमिकता।

नियोजित अर्थव्यवस्था और प्राधिकार का केंद्रीकरण

- संस्थागत गठन:** योजना आयोग (1950) की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे; इससे केंद्रीकृत योजना निर्माण और लक्षित संसाधन आवंटन को संस्थागत रूप मिला।
- राजकोषीय केंद्रीकरण:** वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) संवैधानिक रूप से राजकोषीय हस्तांतरण हेतु अनिवार्य होने के बावजूद, योजना-आधारित संसाधन आवंटन के सामने गौण हो गया।

- सीमित संघीय परामर्श:** राज्यों को स्वतंत्र वित्तीय शक्तियों में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद (1952) का गठन किया गया।
- आदेशात्मक अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ:** भारत की योजना संरचना में सोवियत-शैली के केंद्रीय नियंत्रण की झलक मिली, जिसका उद्देश्य तीव्र औद्योगीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और गरीबी उन्मूलन था, परिणामस्वरूप आर्थिक शासन में केंद्रीय प्रभुत्व सुदृढ़ हुआ।

संघीय आर्थिक शासन की ओर संक्रमण

- उदारीकरण युग (1991):** भुगतान संतुलन संकट के बाद व्यापक सुधार किए गए—लाइसेंस-परमिट-कोटा राज का अंत, विनियमित उद्योगों में कमी, और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन।
- बाजारोन्मुख दिशा:** 1991 के सुधारों ने राज्य-नेतृत्व आधारित मॉडल को बाजार-प्रेरित विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण से प्रतिस्थापित किया।
- संस्थागत परिवर्तन:**
 - ✓ **योजना आयोग का उन्मूलन (2014):** केंद्रीय आदेश से संघीय सहयोग की ओर बदलाव का संकेत।
 - ✓ **नीति आयोग का गठन (2015):** सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की शुरुआत; राज्य नवाचार और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण पर ज़ोर।
- राजकोषीय संघीय तनाव:** वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने राजकोषीय एकता बढ़ाई, परंतु राज्य स्वायत्तता को सीमित भी किया—जिससे ऊर्ध्व असंतुलन और राजकोषीय न्याय पर बहस तेज़ हुई।

भारत-अमेरिका व्यापार मतभेद

- शुल्क विवाद की गतिशीलता:** राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू रोजगार संरक्षण के आधार पर उचित ठहराए गए ट्रम्प काल के शुल्क ने WTO के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का विरोध किया, जिससे वैश्विक मुक्त व्यापार मानदंड कमज़ोर पड़े।
- भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया:** ऐतिहासिक अनुभवों में निहित भारत की व्यापार नीति आमनिर्भरता को व्यावहारिक वैश्विक सहभागिता के साथ संतुलित करती है, और संरक्षणवाद से बचते हुए घरेलू हितों की रक्षा करती है।
- दार्शनिक निरंतरता:** जवाहरलाल नेहरू का कथन—“यदि व्यापार शुल्क है, तो प्रतिस्पर्धात्मकता कहाँ है?”—बाह्य रूप से थोपे गए असमित प्रबंधों की भारत की दीर्घकालिक आलोचना को समाहित करता है, जो औपनिवेशिक काल से चली आ रही है।

भारत के आर्थिक प्रतिरोध की विरासत

- नीतिगत विकास की निरंतरता:** औपनिवेशिक अधीनता से नियोजित पुनर्निर्माण और फिर उदार संघवाद तक—भारत की आर्थिक यात्रा संप्रभुता और आत्मनिर्णय के सतत आग्रह को दर्शाती है।

- आवर्ती विषय:** आत्मनिर्भरता, न्यायसंगत विकास, और बाहरी नियंत्रण के प्रति प्रतिरोध—ये दादाभाई नौरोजी के धन बहिर्गमन सिद्धांत से लेकर नीति आयोग के सहकारी मॉडल तक, प्रत्येक नीतिगत चरण में दिखाई देते हैं।
- समकालीन प्रासंगिकता:** वर्तमान भारत-अमेरिका व्यापार तनाव केवल एक रणनीतिक असहमति नहीं, बल्कि आर्थिक अधीनता का प्रतिरोध करने और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के भारत के ऐतिहासिक संकल्प का प्रतीकात्मक पुनः पुष्टिकरण है।

आगे की राह

- रणनीतिक सहभागिता:** अधीनता नहीं, बल्कि पारस्परिकता के आधार पर अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताएँ आगे बढ़ाना।
- संस्थागत लचीलापन:** बहुपक्षीय व्यवस्था की रक्षा के लिए विवाद निपटान हेतु WTO-संगत ढाँचों को सुदृढ़ करना।
- घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता:** पीएलआई योजनाओं और नवाचार-प्रेरित प्रोत्साहनों के माध्यम से विनिर्माण और निर्यात का विस्तार।
- संघीय संतुलन:** राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को मजबूत कर व्यापक-आधारित आर्थिक विकास को संधारणीय बनाना।
- आर्थिक कूटनीति:** बाहरी संकटों को कम करने के लिए व्यापार को प्रौद्योगिकी साझेदारियों, डिजिटल सहयोग और सतत आपूर्ति शृंखलाओं के साथ एकीकृत करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत के आर्थिक वर्चस्व के विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- दादाभाई नौरोजी के ड्रेन सिद्धांत के अनुसार औपनिवेशिक भारत ने धन के प्रणालीगत हस्तांतरण के माध्यम से ब्रिटेन की समृद्धि का वित्तपोषण किया।
- आर. सी. दत्त के अनुसार भारत में विऔद्योगीकरण मुक्त व्यापार नीतियों का अनपेक्षित परिणाम था।
- औपनिवेशिक भारत में वित्तीय पूँजीवाद के चरण में ब्रिटिश निजी पूँजी का अवसंरचना और बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभुत्व था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 2
- 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत-अमेरिका के समकालीन व्यापार तनाव किस प्रकार बाह्य रूप से थोपे गए आर्थिक वर्चस्व के विरुद्ध भारत के ऐतिहासिक प्रतिरोध की निरंतरता को दर्शाती है? औपनिवेशिक शोषण से लेकर उदारीकरणोत्तर संघीय आर्थिक शासन तक भारत की आर्थिक यात्रा की विवेचना कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

इंडिया एनर्जी स्टैक (IES)

चर्चा में क्यों: यह महत्वाकांक्षी पहल उत्पादकों, वितरकों और उपभोक्ताओं को एक जुड़े हुए डेटा पारितंत्र में एकीकृत करने का लक्ष्य रखती है, ताकि स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन और उपभोक्ता सहभागिता को बढ़ाया जा सके।

मुख्य विवरण

- भारत का विद्युत क्षेत्र संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है:
 - नवीकरणीय ऊर्जा का तीव्र विस्तार
 - प्रोस्यूमर (जो उपभोक्ता होने के साथ ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं), विशेषकर रूफटॉप सोलर, की बढ़ती भूमिका
 - इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का विस्तार
 - स्मार्ट मीटर और SCADA प्रणालियों जैसी स्मार्ट ग्रिड तकनीकों का विकास
- हालांकि, यह क्षेत्र खंडित विरासत प्रणालियों, अलग-थलग डेटा और असंगत डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रभावित है, जिससे रीयल-टाइम समन्वय और नवाचार कठिन हो जाता है।
- इसलिए, नीति-निर्माता इन संरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए इंडिया एनर्जी स्टैक (IES) को डिजिटल आधार (डिजिटल बैकबोन) के रूप में परिकल्पित करते हैं।

पृष्ठभूमि

- इंडिया एनर्जी स्टैक (IES) विद्युत क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय सरकारी पहल है, जो एक एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के निर्माण का लक्ष्य रखती है।
- इसका उद्देश्य उत्पादकों, वितरकों, नियामकों और उपभोक्ताओं को परस्पर-संचालनीय, डेटा-आधारित पारितंत्र में एकीकृत कर स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
- इसे पहचान के लिए आधार और डिजिटल भुगतान के लिए UPI की तरह, विद्युत क्षेत्र के लिए एक "UPI क्षण" के रूप में वर्णित किया जाता है।

इंडिया एनर्जी स्टैक क्या है?

- इंडिया एनर्जी स्टैक विद्युत क्षेत्र के लिए एक मॉड्यूलर, सुरक्षित और परस्पर-संचालनीय DPI है, जिसे निम्न उद्देश्यों के साथ डिज़ाइन किया गया है:
 - उपभोक्ताओं, परिसंपत्तियों और लेन-देन के लिए विशिष्ट डिजिटल पहचानकर्ता प्रदान करना
 - रीयल-टाइम, सहमति-आधारित डेटा साझा को सक्षम बनाना
 - निर्बाध एकीकरण के लिए मानक प्रोटोकॉल और खुले API स्थापित करना
 - ग्रिड प्रबंधन, बाज़ार सहभागिता, एनालिटिक्स और ऊर्जा फिनेटेक से जुड़े अनुप्रयोगों का समर्थन
- इसका विकास विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें REC लिमिटेड नोडल एजेंसी है और RFS ग्लोबल ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है।

संरचना एवं प्रमुख घटक

सरकारी संक्षिप्तकी और विशेषज्ञ इनपुट के अनुसार:

- डिजिटल रजिस्ट्रियाँ:** उपभोक्ताओं, परिसंपत्तियों, ग्रिड तत्वों और लेन-देन से संबंधित मानकीकृत जानकारी को संग्रहीत करने वाली केंद्रीकृत रजिस्ट्रियाँ—जो खंडित विरासत डेटा प्रणालियों की समस्या का समाधान करती हैं।
- ओपन प्रोटोकॉल और API:** खुले मानक जो यूटिलिटीज, ट्रांसमिशन प्रणालियों और उपभोक्ता डेटा प्लेटफॉर्म के बीच निर्बाध परस्पर-संचालनीयता सुनिश्चित करते हैं।
- यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (UIP):** एनालिटिक्स, रीयल-टाइम निगरानी, पूर्वानुमान, बिलिंग स्वचालन और यूटिलिटीज व नियामकों के लिए निर्णय-सहायक उपकरणों हेतु एक मुख्य एप्लिकेशन लेयर।

अपेक्षित परिणाम

इंडिया एनर्जी स्टैक (IES) से भारत के विद्युत पारितंत्र के प्रबंधन और सहभागिता के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन की परिकल्पना की गई है:

- ग्रिड दक्षता में वृद्धि:** डेटा एकीकरण और विश्लेषण से बेहतर लोड बैलेंसिंग, आउटेज (बिजली कटौती) पूर्वानुमान और मांग पूर्वानुमान संभव होगा।
- उपभोक्ता सहभागिता में वृद्धि:** उपभोक्ता रीयल-टाइम उपभोग डेटा तक पहुँच सकेंगे, अधिशेष ऊर्जा का व्यापार (पीयर-टू-पीयर) कर सकेंगे और लागत-प्रभावी टैरिफ चुन सकेंगे।
- नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण:** मानकीकृत डेटा और रीयल-टाइम दृश्यता से अस्थिर नवीकरणीय स्रोतों का ग्रिड में अधिक प्रभावी एकीकरण होगा।
- नवाचार एवं बाज़ार वृद्धि:** ओपन API ऊर्जा फिनेटेक, एनालिटिक्स स्टार्टअप्स और विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधानों को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे क्षेत्र एक गतिशील डिजिटल बाज़ार में रूपांतरित हो सकता है।

कार्यान्वयन समरेखा

- विकास, पायलट कार्यान्वयन और राष्ट्रीय विस्तार के मार्गदर्शन हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
- राष्ट्रव्यापी विस्तार से पहले वास्तविक उपयोग मामलों के परीक्षण के लिए 12 माह का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) चयनित यूटिलिटीज के साथ प्रस्तावित है।
- मूल रणनीति और संरचना दस्तावेज़ हितधारकों द्वारा समीक्षा और परिष्करण के चरण में हैं।

चुनौतियाँ एवं विचारणीय बिंदु

- खंडित विरासत प्रणालियाँ:** विभिन्न स्वामित्व वाली प्रणालियों के कारण मानकीकरण और एकीकरण जटिल है।
- डेटा गोपनीयता एवं साइबर जोखिम:** बड़े पैमाने पर डेटा साझा करने से सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ बढ़ती हैं।

- क्षमता एवं कौशल:** डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने के लिए यूटिलिटीज़ को कार्यबल के कौशल उन्नयन की आवश्यकता होगी।
- नियामक समन्वय:** रीयल-टाइम डेटा विनिमय के लिए केंद्र और राज्य नियामकों & अनेक हितधारकों के बीच समन्वय आवश्यक है।
- तुलनात्मक उपमा:** जैसे आधार ने पहचान को और UPI ने डिजिटल भुगतानों को एकीकृत किया, वैसे ही IES विद्युत क्षेत्र के डिजिटल पारितंत्र को एकीकृत और मानकीकृत करने का लक्ष्य रखता है—जिससे नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़े पैमाने पर उत्प्रेरित किया जा सके।

निष्कर्ष

इंडिया एनर्जी स्टैक भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक आधारभूत सुधार का प्रतिनिधित्व करता है—जो देश को खड़ित विरासत प्लेटफॉर्मों से एक एकीकृत, डेटा-आधारित डिजिटल आधार की ओर ले जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. इंडिया एनर्जी स्टैक (IES) के बारे में, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्णन करता है:

- बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा संचालित नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण तंत्र
- परस्पर-संचालनीय डेटा प्रणालियों के माध्यम से बिजली उत्पादकों, यूटिलिटीज़ और उपभोक्ताओं को एकीकृत करने वाली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
- राष्ट्रीय स्तर पर बिजली टैरिफ निर्धारित करने हेतु नियामक ढाँचा
- तापीय ऊर्जा विस्तार पर केंद्रीकृत विद्युत उत्पादन कार्यक्रम

उत्तर: (b)

जीएसटी 2.0 सुधार का व्यापक प्रभाव

चर्चा में क्यों: “जीएसटी 2.0” चर्चा में है क्योंकि भारत सरकार ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का व्यापक पुनर्गठन आधिकारिक रूप से लागू किया है, ताकि उपभोग को प्रोत्साहन मिले और अनुपालन में सुगमता आए।

जीएसटी 2.0 की प्रमुख विशेषताएँ

- दर-स्लैब का युक्तिकरण**
 - अधिकांश वस्तुएँ और सेवाएँ 5% या 18% जीएसटी के अंतर्गत रखी गईं।
 - 375 से अधिक वस्तुओं—जैसे किराना, दवाइयाँ, कृषि उपकरण, वस्त्र, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स—में दर में कमी की गई।
 - चुनिंदा वस्तुओं और अति-विलासिता वस्तुओं के लिए 40% स्लैब बरकरार रखा गया।
- प्रमुख छूट**
 - व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर पूर्ण जीएसटी छूट।

- जीवन-रक्षक दवाइयों और मुख्य शैक्षणिक सामग्री को शून्य या 5% जीएसटी के अंतर्गत लाया गया।

विसंगतियों का निराकरण

- प्रतिलोमित शुल्क ढाँचे और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ी विकृतियों का समाधान—विशेषकर कोयला और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में।

घरेलू उपभोक्ताओं और उपभोग पर प्रभाव

सरकारी आकलन के अनुसार:

- किराना और दैनिक आवश्यक वस्तुओं के बिल में लगभग 13% की कमी।
- छोटी कारों की खरीद पर ₹70,000 तक की बचत।
- कपड़े, जूते, स्टेशनरी और दवाइयों पर 7-12% तक की बचत।
- बीमा प्रीमियम में 18% की कमी, क्योंकि जीएसटी से छूट दी गई है।
- वित्त मंत्रालय के अनुसार, लगभग ₹2 लाख करोड़ उपभोक्ताओं के हाथ में रहेंगे, जिससे विशेषकर त्योहारों के मौसम में खर्च योग्य आय और उपभोग मांग को बढ़ावा मिलेगा।

क्षेत्र-वार आर्थिक प्रभाव

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

- ट्रैक्टर, उर्वरक और कृषि मशीनरी पर कम जीएसटी (5% या शून्य) से इनपुट लागत घटेगी।
- ग्रामीण मांग और कृषि यंत्रीकरण के सुदृढ़ होने की उम्मीद।

एमएसएमई और विनिर्माण

- सरलीकृत स्लैब और कम दरें अनुपालन को आसान बनाती हैं।
- घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जो मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के अनुरूप है।

ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता संधारणीय वस्तुएँ

- छोटी कारों, दोपहिया वाहनों, एसी और टीवी पर दरें 28% से घटाकर 18% करने से आकांक्षी उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवा और बीमा

- बीमा पर जीएसटी छूट से बीमा कवरेज और वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि होने की अपेक्षा है।

समष्टि-आर्थिक महत्व

इन सुधारों से अपेक्षा है कि:

- सरकारी आकलन के अनुसार GDP वृद्धि में 0.8% तक का इजाफा होगा।
- वैश्विक प्रतिकूलताओं, जैसे व्यापार अनिश्चितता और टैरिफ दबाव, के प्रभाव को संतुलित किया जा सकेगा।
- जीएसटी के मूल उद्देश्य — गंतव्य-आधारित, उपभोग-मैत्री कर को और सुदृढ़ किया जाएगा।

संघवाद और राजस्व से जुड़ी चिंताएँ

- कई राज्यों ने निम्नलिखित चिंताएँ व्यक्त की हैं:
 - कर दरों में कटौती के कारण राजस्व में कमी (जैसे—पश्चिम बंगाल, तेलंगाना)।
 - पहले सुनिश्चित अवधि के बाद भी जीएसटी को आगे बढ़ाने की मांग।
- यह बहस सहकारी संघवाद की निरंतर चुनौतियों को उजागर करती है, विशेषकर राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता और राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने के संदर्भ में।

कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ

- उपभोक्ताओं तक लाभ पहुँचाना**
 - राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (NAA) के कमजोर होने से यह चिंता बढ़ती है कि करों में कटौती का लाभ वास्तव में खुदरा कीमतों में कमी के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुँचेगा या नहीं।
- अल्पकालिक राजस्व प्रभाव**
 - पूर्व निश्चित कर राजस्व अल्प अवधि में सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाल सकता है।
- प्रशासनिक संक्रमण**
 - व्यवसायों को वस्तुओं के पुनर्वर्गीकरण और संशोधित अनुपालन मानकों के अनुसार स्वयं को ढालना होगा।

निष्कर्ष

जीएसटी 2.0 एक सरल, विकासोन्मुख और नागरिक-केंद्रित अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की ओर निर्णायक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि इन सुधारों से उपभोग, वहनीयता और व्यवसाय करने में सुगमता के संदर्भ में उल्लेखनीय लाभ होने की संभावना है, लेकिन इनकी दीर्घकालिक सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, राज्यों के वित्तीय हितों की सुरक्षा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े निगरानी तंत्र पर निर्भर करेगी कि लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक वास्तव में पहुँचे। विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत की यात्रा में, यदि इसे सहकारी संघवाद और संस्थागत जवाबदेही का पर्याप्त समर्थन मिले, तो जीएसटी 2.0 एक महत्वपूर्ण समष्टि-आर्थिक साधन के रूप में कार्य कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

- प्रश्न:** भारत में हाल ही में लागू किए गए “जीएसटी 2.0” सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- उच्च जीएसटी दर श्रेणियों का विस्तार कर अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ाना
 - उपभोग को प्रोत्साहित करने और अनुपालन को आसान बनाने हेतु जीएसटी संरचना को सरल बनाना
 - राज्यों की भूमिका कम करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का केंद्रीकरण करना
 - जीएसटी को दोहरे वैट (Dual VAT) प्रणाली से प्रतिस्थापित करना

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार (NCMS)

चर्चा में क्यों: भारत दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements) की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा चीन द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों से उत्पन्न वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार (National Critical Mineral Mission-NCMS) शुरू करने जा रहा है।

दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements – REEs) क्या हैं?

- REEs कुल 17 खनिजों का एक समूह होते हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - 15 लैथेनाइट्स, तथा
 - स्कैंडियम और येट्रियम।
- इन तत्वों में विशिष्ट चुंबकीय, प्रकाशीय (ल्यूमिनेसेंट) और विद्युत गुण होते हैं, जो इन्हें निम्नलिखित के लिए अनिवार्य बनाते हैं:
 - विद्युत वाहन (EVs)
 - पवन टरबाइन
 - स्मार्टफोन और अर्धचालक (सेमीकंडक्टर)
 - रक्षा और एयरोस्पेस प्रणालियाँ

मुख्य विशेषताएँ

- परिभाषा:** राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार (NCMS) महत्वपूर्ण खनिजों का एक रणनीतिक भंडार है, जिसे देश के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए बनाए रखा जाता है।
- उद्देश्य:** आयात पर निर्भरता कम करना तथा भू-राजनीतिक या बाजार संबंधी व्यवधानों के समय दुर्लभ मृदा तत्वों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- इसके अंतर्गत शामिल है:** राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM)
 - प्रारंभिक फोकस:** आपूर्ति संकटों से निपटने के लिए दुर्लभ मृदा तत्वों का दो माह का बफर भंडार तैयार करना।
 - वित्तपोषण:** भंडार की स्थापना और रखरखाव हेतु NCMM के अंतर्गत ₹500 करोड़ का आवंटन।
 - कार्यान्वयन मॉडल:** प्रभावी खरीद, भंडारण और भंडार के क्रमावर्तन (रोटेशन) को सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ तैयार किया गया।
 - भविष्य में विस्तार:** समय के साथ NCMS के दायरे को लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तक विस्तारित किए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार के पक्ष में तक

- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियाँ**
 - दुर्लभ मृदा खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और निर्यात में चीन का वर्चस्व है।

- ✓ चीन द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों ने बाहरी संकटों के प्रति भारत की संवेदनशीलता को उजागर किया है।
- **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण**
 - ✓ नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) और कार्बन उत्सर्जन में कमी (डी-कार्बोनाइजेशन) से जुड़े भारत के लक्ष्यों के लिए दुर्लभ मृदा तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- **रणनीतिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताएँ**
 - ✓ रक्षा विनिर्माण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिए दुर्लभ मृदा-आधारित घटकों की निर्बाध उपलब्धता आवश्यक है।

महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रमुख पहलें

- **घरेलू विनिर्माण प्रोत्साहन**
 - ✓ घरेलू दुर्लभ मृदा चुंबक (मैग्नेट) उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ₹7,300 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति।
 - ✓ लक्ष्य: पाँच वर्षों में 6,000 टन चुंबकों का उत्पादन।
- **महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी**
 - ✓ नीलामी के पाँच चरण पूरे किए जा चुके हैं:
 - 55 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की पेशकश की गई।
 - 34 ब्लॉकों का सफलतापूर्वक आवंटन किया गया।
 - ✓ घरेलू अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए छठा चरण हाल ही में प्रारंभ किया गया है।
- **संस्थागत ढाँचा**
 - ✓ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को एकीकृत करना है।

भारत की संसाधन क्षमता

- भारत के पास अनुमानित रूप से:
 - ✓ 7.23 मिलियन टन दुर्लभ मृदा ऑक्साइड
 - ✓ जो 13.15 मिलियन टन मोनाज़ाइट भंडारों में अंतर्निहित हैं।
- प्रमुख भंडार निम्न राज्यों में पाए जाते हैं:
 - ✓ आंध्र प्रदेश
 - ✓ ओडिशा
 - ✓ तमिलनाडु
 - ✓ केरल
- इस संसाधन आधार के बावजूद, वाणिज्यिक स्तर पर खनन और प्रसंस्करण अभी भी सीमित बना हुआ है।

मुख्य चुनौतियाँ

- **प्रौद्योगिकीय सीमाएँ**
 - ✓ दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए उन्नत प्रसंस्करण और पृथक्करण (सेपरेशन) तकनीकों का अभाव।
- **आयात पर निर्भरता**
 - ✓ प्रसंस्कृत दुर्लभ मृदा सामग्री के लिए भारत अभी भी बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है।

• पर्यावरणीय चिंताएँ

- ✓ मोनाज़ाइट से निष्कर्षण के दौरान रेडियोधर्मी उप-उत्पाद निकलते हैं, जिनके लिए कड़े नियामक प्रावधानों की आवश्यकता होती है।

NCMS (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार) का रणनीतिक महत्व

- वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के विरुद्ध आर्थिक लचीलापन बढ़ाता है।
- मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन देता है।
- रणनीतिक खनिज कूटनीति में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।
- विकसित भारत 2047 की दीर्घकालिक दृष्टि के अनुरूप है।

निष्कर्ष

प्रस्तावित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार (NCMS) बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि भारत के पास पर्याप्त दुर्लभ मृदा संसाधन उपलब्ध हैं, फिर भी प्रौद्योगिकीय अंतराल को पाटना और सतत निष्कर्षण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि इसका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाए, तो NCMS भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता और राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे का एक सशक्त आधार स्तंभ बन सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार (NCMS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. NCMS का उद्देश्य भू-राजनीतिक या बाजार से जुड़े आपूर्ति व्यवधानों के दौरान दुर्लभ मृदा तत्वों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
2. NCMS को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है, जिसका प्रारंभिक फोकस दुर्लभ मृदा तत्वों का बफर भंडार तैयार करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार (NCMS) के गठन के पीछे के तर्क पर चर्चा कीजिए। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और रणनीतिक स्वायत्तता में किस प्रकार योगदान देता है? (150 शब्द) (10 अंक)

कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण: अद्वय श्रम से आर्थिक अभिकरण तक

चर्चा में क्यों: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023–24 के अनुसार, कृषि में महिलाओं की भागीदारी में तीव्र वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, कृषि से जुड़ी लगभग आधी महिलाएँ अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक हैं, जो मजदूरी, भूमि स्वामित्व और संस्थागत पहुँच में बनी हुई लैंगिक असमानताओं को रेखांकित करता है।



भारतीय कृषि में महिलाओं की स्थिति

- कार्यबल का नारीकरण (Feminisation of the Workforce):** महिलाएँ अब भारत के कृषि कार्यबल का 42% से अधिक हिस्सा हैं, जो पिछले दशक में लगभग 135% की वृद्धि को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं में से हर तीन में दो महिलाएँ अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। यह परिवर्तन स्वैच्छिक

सशक्तिकरण से अधिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक बदलावों का परिणाम है।

- क्षेत्रीय आयाम:** कृषि में महिलाओं का संकेंद्रण बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विशेष रूप से अधिक है, जहाँ 80% से अधिक कामकाजी महिलाएँ कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं। इनमें से आधी से अधिक महिलाएँ अवैतनिक हैं, जो पीढ़ीगत गरीबी और आर्थिक निर्भरता को सुट्ट करता है।
- अवैतनिक और अनौपचारिक कार्य का ग्रभुत्व:** अधिक भागीदारी के बावजूद, महिलाओं का श्रम अधिकांशतः अद्वय बना हुआ है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत लगभग आधी महिलाएँ अवैतनिक पारिवारिक मजदूर हैं। इनकी संख्या 2017–18 में 2.36 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में लगभग 5.91 करोड़ हो गई है। परिणामस्वरूप, आज भारत में कामकाजी महिलाओं में से हर तीन में एक को कोई प्रत्यक्ष पारिश्रमिक नहीं मिलता, जिससे केवल भागीदारी-आधारित सशक्तिकरण की सीमाएँ उजागर होती हैं।

कृषि क्षेत्र में काम करने वाली अवैतनिक पारिवारिक कामगार महिलाओं की संख्या (मिलियन में)



- सरकारी समर्थन तंत्र:** महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह (SHGs) तथा महिला-केंद्रित किसान उत्पादक संगठन (FPOs) जैसी पहलों महिलाओं की कौशल, ऋण और सामूहिक सौदेबाजी तक पहुँच बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं। हालांकि, संरचनात्मक बाधाओं के कारण इनकी पहुँच और प्रभाव अभी भी असमान बना हुआ है।

कृषि के नारीकरण को प्रेरित करने वाले कारक


- पुरुषों का बाह्य प्रवासन (Male Out-Migration):** ग्रामीण पुरुष तेजी से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं या निर्माण, परिवहन, सेवाओं तथा सरकारी रोजगार जैसे बेहतर वेतन वाले गैर-कृषि कार्यों में स्थानांतरित हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं को खेतों का प्रबंधन संभालना पड़ रहा है, प्रायः बिना औपचारिक अधिकार या स्वामित्व के।
- संविदा एवं वाणिज्यिक कृषि का विस्तार:** फूलों की खेती, बागवानी तथा चाय-कॉफी बागानों जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में महिला श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है। इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ते हैं, परंतु अक्सर कम मजदूरी और अनौपचारिकता को बनाए रखता है।
- पितृसत्तात्मक मानदंड और सामाजिक अपेक्षाएँ:** महिलाओं का कृषि श्रम प्रायः घरेलू दायित्वों के विस्तार के रूप में देखा जाता है। ऐसे मानदंड उनके योगदान को कम आँकते हैं और उन्हें स्वतंत्र कृषक के रूप में मान्यता से वंचित करते हैं।
- गैर-कृषि विकल्पों की सीमाएँ:** कम साक्षरता, सीमित गतिशीलता और सामाजिक बंधन महिलाओं के गैर-कृषि रोजगार में प्रवेश को बाधित करते हैं, जिससे कृषि उनके लिए डिफ़ॉल्ट और कई बार एकमात्र आजीविका विकल्प बन जाती है।

कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रणालीगत बाधाएँ

• स्मरणसूत्र: WOMEN

- ✓ **W – मजदूरी में भेदभाव (Wage Discrimination):** समान कृषि कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में **20–30%** कम मजदूरी मिलती है, जिससे आय-सुरक्षा कमजोर होती है।
- ✓ **O – निर्णय-निर्माण से वंचित होना (Omission from Decision-Making):** कृषि विस्तार प्रणालियाँ, सहकारी संस्थाएँ और ग्राम पंचायतें प्रायः पुरुष-प्रधान हैं, जिससे महिलाओं की आवाज़ हाशिये पर चली जाती है।
- ✓ **M – मशीनरी और प्रौद्योगिकी का असंतुलन (Machinery and Technology Mismatch):** कृषि उपकरण मुख्यतः पुरुष उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे महिलाओं की उत्पादकता और यंत्रीकरण को अपनाने की क्षमता सीमित रहती है।

- ✓ **E – दोहरे दायित्व का बोझ (Entrenched Double Burden):** घरेलू जिम्मेदारियाँ और देखभाल कार्य समय-गरीबी पैदा करते हैं, जिससे बाजारों और प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी सीमित होती है।
- ✓ **N – भूमि और पहचान अधिकारों का अभाव (Negotiation of Land and Identity Rights):** महिलाएँ केवल **13–14%** कृषि भूमि की स्वामिनी हैं, जिससे ऋण, बीमा और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच बाधित होती है।
- ये बाधाएँ स्पष्ट करती हैं कि महिला भागीदारी बढ़ने के बावजूद कृषि उत्पादकता या आय में समानुपातिक वृद्धि क्यों नहीं हुई।
- उल्लेखनीय है कि भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में कृषि का हिस्सा घटा है, जो परिवर्तनकारी समावेशन की बजाय संकट-प्रेरित नारीकरण की ओर संकेत करता है।



वैश्विक व्यापार, प्रौद्योगिकी और नए अवसर

• व्यापार एकीकरण का लाभ उठाना

- ✓ व्यापक मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) सहित भारत की विस्तारित व्यापारिक भागीदारी महिलाओं के आर्थिक समावेशन के नए मार्ग खोलती है। भारत-यूके एफटीए जैसे समझौतों से कृषि नियर्त में लगभग 20% वृद्धि की अपेक्षा है, जिससे चावल, मसाले, डेयरी, चाय और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों को


तरजीही पहुँच मिलेगी - जहाँ महिलाओं की भागीदारी अधिक है।

- ✓ लक्षित कौशल विकास, ऋण तक पहुँच और बाजार संपर्क महिलाओं को कम-मूल्य कृषि श्रम से निकलकर प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रॉडिंग और निर्यात जैसी उच्च-मार्जिन गतिविधियों में आगे बढ़ने में सक्षम बना सकते हैं, विशेषकर जैविक और भौगोलिक संकेत (GI)-टैग वाले उत्पादों में।

उच्च नियति मूल्य वाली फ़सलों से जुड़े पुळषों और महिलाओं का अनुपात

(में %)

■ पुळष ■ महिला



• डिजिटल परिवर्तन की भूमिका

- ✓ डिजिटल मंचों में महिलाओं के कृषि कार्य को औपचारिक रूप देने की व्यापक क्षमता है। ई-नाम (e-NAM), मोबाइल-आधारित परामर्श सेवाएँ और वॉइस-इनेबल्स एप्लिकेशन जैसी पहलें मूल्य खोज में सुधार, बिचौलियों में कमी और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में सहायक हैं।
- ✓ बहुभाषी और वॉइस-फर्स्ट समाधान—जैसे भाषिणी (BHASHINI) और जुगलबंदी (Jugalbandi)—तथा डिजिटल सखी जैसे कार्यक्रम साक्षरता और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हालांकि, कम डिजिटल साक्षरता, उपकरणों तक सीमित पहुँच और कनेक्टिविटी की कमी अपनाने में बाधा बनी रहती है।

श्रेष्ठ प्रथाएँ और उभरते मॉडल

- कई आशाजनक पहलें महिला-केंद्रित कृषि परिवर्तन के मार्ग प्रदर्शित करती हैं:
 - ✓ महिला-नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठन (FPOs), जो समेकन, ब्रॉडबैंड और सीधे बाजार तक पहुँच के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं।
 - ✓ प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और सामूहिक उद्यमों को एकीकृत करने वाले राज्य-समर्थित कार्यक्रम।
 - ✓ सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच साझेदारियाँ, जो डिजिटल और वित्तीय क्षमताओं को सुदृढ़ करती हैं।
- ऐसे मॉडलों का विस्तार प्रदर्शन प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और महिलाओं के उच्च-मूल्य कृषि बाजारों में एकीकरण को तीव्र कर सकता है।

आगे की राह

स्मरण सूत्र: GROW

- **G – बाजार तक सुनिश्चित पहुँच (Guarantee Market Access):** एफटीए और निर्यात प्रोत्साहन को चाय, मसाले, डेयरी और मोटे अनाज जैसे महिला-प्रधान क्षेत्रों के साथ संरेखित करना।

- **R – संसाधन अधिकार एवं सुधार (Resource Rights and Reforms):** महिलाओं के लिए संयुक्त और व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व को बढ़ावा देना तथा महिला-नेतृत्व वाले एसएचजी और एफपीओ का व्यवस्थित विस्तार करना।
- **O – खुले डिजिटल गेटवे (Open Digital Gateways):** ई-नाम का विस्तार, ब्रॉडबैंड पहुँच बढ़ाना और महिलाओं के अनुकूल वॉइस-फर्स्ट डिजिटल मंच विकसित करना।
- **W – कल्याण एवं सामाजिक समर्थन (Well-being and Social Support):** टाइम पावर्टी कम करने के लिए शिशु देखभाल (क्रेच) सुविधाएँ, स्वच्छ ऊर्जा, जल उपलब्धता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

निष्कर्ष

भारतीय कृषि का नारीकरण एक साथ चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। यदि इसे संबोधित नहीं किया गया, तो यह अवैतनिक श्रम और लैंगिक असमानता को और गहरा कर सकता है। हालांकि, भूमि अधिकार, मजदूरी, प्रौद्योगिकी तक पहुँच और बाजार एकीकरण में लक्षित सुधारों के माध्यम से महिलाओं को अदृश्य श्रमिकों से सशक्त आर्थिक अभिकर्ताओं में बदला जा सकता है। ऐसा परिवर्तन कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिला-नेतृत्व वाले, समावेशी तथा सतत विकास के व्यापक लक्ष्य को साकार करने के लिए अनिवार्य है—जो भारत की भविष्य की विकास यात्रा के केंद्र में है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय कृषि में महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. महिलाएँ भारत के कृषि कार्यबल का 40% से अधिक हिस्सा हैं, फिर भी उनमें से लगभग आधी अवैतनिक पारिवारिक श्रम में संलग्न हैं।
2. महिला किसानों में भूमि स्वामित्व की कमी उनके लिए संस्थापन ऋण और सरकारी सहायता योजनाओं तक पहुँच को सीमित करती है।

3. भारत में कृषि का नारीकरण कृषि के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में हिस्सेदारी की निरंतर वृद्धि के साथ-साथ हुआ है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “भारतीय कृषि का बढ़ता नारीकरण महिलाओं के समुचित आर्थिक सशक्तिकरण में परिवर्तित नहीं हो पाया है।” इस प्रवृत्ति के पीछे निहित संरचनात्मक कारणों की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए तथा कृषि में महिलाओं की भागीदारी को समावेशी और सतत आर्थिक सशक्तिकरण में बदलने हेतु उपाय सुझाइए। (250 शब्द) (15 अंक)

को निर्णात वित्तपोषित करने में किया। औद्योगिक पूँजीवाद के आगमन के साथ, भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बंदी बाज़ार बना दिया गया। इस प्रक्रिया ने भारत की अर्थव्यवस्था की कीमत पर ब्रिटेन के औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया।

- औपनिवेशिक नीतियों ने एकाधिकारवादी और असमान शर्तों के तहत निजी ब्रिटिश निवेश को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप:
 - ✓ भारतीय हस्तशिल्प का बड़े पैमाने पर विऔद्योगीकरण
 - ✓ कृषि में ठहराव
 - ✓ भारी कराधान और बार-बार अकाल
 - ✓ व्यापक गरीबी और आर्थिक निर्भरता
- यहाँ तक कि रेलवे जैसी अवसंरचना परियोजनाएँ भी मुख्यतः ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई, जिससे स्वदेशी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के बजाय भारत की निर्भर स्थिति और मजबूत हुई।

औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध बौद्धिक प्रतिरोध

- भारतीय राष्ट्रवादी चिंतकों ने औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की शोषणकारी प्रकृति को व्यवस्थित रूप से उजागर किया। आर.सी. दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताया कि ब्रिटिश भूमि-राजस्व प्रणालियाँ और व्यापार नीतियाँ भारतीय किसानों को निर्धन बनाती थीं। एम. जी. रानाडे ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की निर्भर संरचना की आलोचना की, जबकि आर. पाल्मे दत्त ने साम्राज्यवादी शासन को प्रारंभिक पूँजीवाद, औद्योगिक पूँजी और वित्तीय पूँजी के चरणों में वर्गीकृत किया।
- इन आलोचनाओं ने स्वतंत्रता-पश्चात आर्थिक योजना की बौद्धिक नींव रखी और लेसेज़-फेयर औपनिवेशिक विरासतों के त्याग का आधार बनाया।

स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में नियोजित अर्थव्यवस्था

- भारत ने शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्रता प्राप्त की, जब पूँजीवाद और समाजवाद प्रतिस्पर्धी वैश्विक विचारधाराएँ थीं। किसी एक मॉडल से पूर्णतः जुड़ने के बजाय, भारत ने अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया।
- स्वतंत्रता से पहले ही आर्थिक योजना की अवधारणा विकसित हो चुकी थी, जिसका प्रतिबिंब विशेष्वरैया योजना, बॉम्बे योजना, गांधीवादी योजना और पीपुल्स प्लान जैसे प्रस्तावों में दिखता है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को संस्थापित रूप दिया।
- प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी गई, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो महलानोबिस मॉडल से निर्देशित थी, ने भारी उद्योग और पूँजीगत वस्तुओं पर बल दिया। नियोजित विकास के उद्देश्यों में गरीबी उन्मूलन, आयात प्रतिस्थापन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार और महत्वपूर्ण उद्योगों में आत्मनिर्भरता शामिल थे।

आर्थिक वर्चस्व के प्रति भारत का प्रतिरोध

चर्चा में क्यों: अमेरिका द्वारा तीव्र टैरिफ वृद्धि के बाद भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता ठप हो गई है, जिससे संरक्षणवादी वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक प्रभुत्व के प्रति भारत के ऐतिहासिक प्रतिरोध और राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा की आवश्यकता पर बहस फिर से तेज हुई है।

मुख्य विवरण

- ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने धन-निकासी, औद्योगीकरण-विरोध और शोषणकारी व्यापार प्रथाओं के माध्यम से भारत को एक निर्भर अर्थव्यवस्था में बदल दिया।
- स्वतंत्रता पश्चात, भारत ने मिश्रित और नियोजित आर्थिक मॉडल अपनाया, ताकि कृषि का पुनर्निर्माण किया जा सके, औद्योगीकरण को बढ़ावा मिले और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।
- प्रारंभिक केंद्रीकृत 'निर्देशित अर्थव्यवस्था' (Command Economy) समय के साथ आर्थिक सुधारों और नीति आयोग की स्थापना के साथ एक अधिक संघीय ढाँचे में विकसित हुई।
- भारत की समकालीन व्यापार और आर्थिक नीतियाँ ऐतिहासिक अनुभवों से सीख लेकर वैश्विक एकीकरण और राष्ट्रीय आर्थिक हितों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करती हैं।

औपनिवेशिक आर्थिक शोषण और धन-निकासी

- औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था को घेरेलू विकास के बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की पूर्ति के लिए संरचित किया गया था। दादाभाई नौरोजी के धन-निकासी सिद्धांत ने यह रेखांकित किया कि भारत में सृजित संपदा बिना समुचित आर्थिक प्रतिफल के व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन स्थानांतरित की गई।
- प्रारंभिक व्यापारिक (मर्केटाइल) चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अत्यधिक राजस्व निकाला और भारतीय संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन

केन्द्रीयकरण और निर्देशित अर्थव्यवस्था

- योजना को अपनाने से एक अत्यधिक केन्द्रीयकृत आर्थिक संरचना का निर्माण हुआ। कम निवेश, व्यापार असंतुलन और अवसंरचनात्मक कमी जैसी राष्ट्रव्यापी चुनौतियों से निपटने की तकाल आवश्यकता के कारण प्रमुख आर्थिक निर्णय संघ स्तर पर केंद्रित हो गए।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संचालित योजना आयोग, जिसमें मुख्यतः केंद्र द्वारा नियुक्त सदस्य होते थे, ने वित्त आयोग जैसी संवैधानिक रूप से अनिवार्य संस्थाओं को आच्छादित कर दिया। यद्यपि राष्ट्रीय विकास परिषद (1952) ने राज्यों के लिए एक परामर्श मंच उपलब्ध कराया, फिर भी नीति-निर्माण प्रायः अधोगामी दृष्टिकोण से संचालित रहा।
- राज्य मुख्यतः कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करते थे, जिनकी भूमिका संसाधन-संचालन और केंद्र द्वारा डिजाइन किए गए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तक सीमित थी, जबकि नीति-निर्माण में उनकी स्वायत्ता सीमित रही।

आर्थिक सुधार और राज्यों की बदलती भूमिका

- आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और विकेंद्रीकरण के चलते केन्द्रीयकृत योजना ढाँचा धीरे-धीरे विकसित हुआ। 2014 में योजना आयोग के उन्मूलन के साथ केन्द्रीय योजना युग का अंत हुआ। इसके स्थान पर स्थापित नीति आयोग को सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के मंच के रूप में परिकल्पित किया गया, जिससे राष्ट्रीय नीति-निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- नया ढाँचा एक-सा समाधान (One-Size-Fits-All) मॉडल से हटकर सहमति-आधारित विकास रणनीतियों की ओर बढ़ा। हालांकि, वस्तु एवं सेवा कर (GST) जैसे सुधारों ने बाज़ार एकीकरण में सुधार किया, पर साथ ही राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता को सीमित किया, जिससे राजकोषीय संघवाद पर बहस पुनः तेज हुई।

संरक्षणवादी विश्व में आर्थिक संप्रभुता

- औपनिवेशिक शोषण का भारत का ऐतिहासिक अनुभव आधुनिक व्यापार वार्ताओं के प्रति उसके सतर्क दृष्टिकोण को दिशा देता है। बढ़ते संरक्षणवाद, टैरिफ के हाथियारीकरण और भू-राजनीतिक आर्थिक दबावों के दौर में, तुलनात्मक लाभ, प्रतिस्पर्धात्मकता और नीतिगत स्वायत्ता की रक्षा पर भारत का जोर अतीत से विच्छेद नहीं, बल्कि निरंतरता को दर्शाता है।
- वैश्विक एकीकरण और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना भारतीय आर्थिक कूटनीति की एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

निष्कर्ष

भारत का आर्थिक इतिहास बाहरी प्रभुत्व का प्रतिरोध करने, घरेलू क्षमता के पुनर्निर्माण और नीतिगत स्वायत्ता के संरक्षण के निरंतर प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। औपनिवेशिक शोषण से लेकर नियोजित विकास और बाद के सुधारों तक, भारत ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी रणनीतियाँ ढाली हैं। यह विरासत आज भी

भारत की समकालीन आर्थिक और व्यापारिक चुनौतियों के प्रति उसके दृष्टिकोण को आकार देती है।

सतत मत्स्य पालन और बाज़ार विविधीकरण

चर्चा में क्यों: भारत का मत्स्य क्षेत्र नियर्त बाज़ारों में विविधता लाने और व्यापार प्रतिबंधों का सामना करने के लिए, वैश्विक सततता मानकों के अनुरूप कई मछली और झींगा प्रजातियों हेतु मरीन स्टूअर्डशिप काउंसिल (MSC) की इको-प्रमाणीकरण (Eco-Certification) की ओर बढ़ रहा है।

MSC प्रमाणीकरण और महत्व

- मरीन स्टूअर्डशिप काउंसिल (MSC) का प्रमाणीकरण जंगली मत्स्य पालन के लिए एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त इको-लेबल है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के जिम्मेदार मत्स्य पालन आचार संहिता और इको-लेबलिंग दिशानिर्देशों पर आधारित है।
- यह प्रमाणीकरण तीन प्रमुख सिद्धांतों पर मत्स्य पालन का मूल्यांकन करता है:
 - ✓ सतत मछली भंडार, ताकि मछली पकड़ने का स्तर भंडार क्षय का कारण न बने।
 - ✓ पर्यावरणीय प्रभाव का न्यूनतमीकरण, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जैव-विविधता की रक्षा हो।
 - ✓ प्रभावी मत्स्य प्रबंधन, जिसमें निगरानी, अनुपालन और अनुकूली शासन शामिल हैं।
- वैश्विक स्तर पर लगभग 20% मत्स्य पालन MSC-प्रमाणित हैं, और ऐसे उत्पादों को प्रायः उपभोक्ता विश्वास अधिक मिलता है तथा पर्यावरण-सचेत बाज़ारों में तरजीही पहुँच प्राप्त होती है।

भारत का मत्स्य क्षेत्र: व्यापारिक चुनौतियाँ और विविधीकरण की आवश्यकता

- भारत के समुद्री खाद्य नियर्त पारंपरिक रूप से कुछ सीमित बाज़ारों—विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका—पर केंद्रित रहे हैं। हालिया टैरिफ वृद्धि और गैर-शुल्क बाधाओं ने इस निर्भरता के जोखिमों को उजागर किया है।
- यूरोप और जापान जैसे समुद्र बाज़ारों में सततता, अनुरेखणीयता (ट्रेसेबिलिटी) और नैतिक स्रोत का प्रमाण बढ़ती मांग है।
- MSC प्रमाणीकरण नियर्त गंतव्यों में विविधता, व्यापार वार्ताओं में सौदेबाजी शक्ति बढ़ाने और एकतरफा व्यापार प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशीलता घटाने का मार्ग प्रदान करता है।

इको-लेबलिंग से आर्थिक लाभ

- विशेषज्ञों का अनुमान है कि MSC प्रमाणीकरण से मत्स्य क्षेत्र के राजस्व में लगभग 30% तक वृद्धि हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में प्रमाणित समुद्री खाद्य उत्पादों को प्रायः उच्च मूल्य प्रीमियम मिलता है।

• प्रमुख आर्थिक लाभ:

- ✓ मछुआरों और व्यापारियों के लिए उच्च निर्यात प्राप्ति
- ✓ भारतीय समुद्री खाद्य की बेहतर ब्रांड छवि
- ✓ सुनिश्चित मांग के माध्यम से आय की अधिक स्थिरता
- मूल्य-प्रतिस्पर्धी निर्यात से हटकर गुणवत्ता और सततता-आधारित बाज़ारों की ओर बढ़ने से भारत अपने समुद्री खाद्य निर्यात का समग्र मूल्य बढ़ा सकता है।

प्रमाणीकरण के अंतर्गत मत्स्य पालन: सततता दायरे का विस्तार

- भारत की कई मत्स्य इकाइयाँ वर्तमान में उन्नत मूल्यांकन चरणों में हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - ✓ जाल से पकड़ा गया नीला स्विमिंग केकड़ा,
 - ✓ ट्रॉल से पकड़ी गई झींगा प्रजातियाँ,
 - ✓ स्किड (कलमारी), कटलफिश, ऑक्टोपस
 - ✓ थ्रेडफिन ब्रीम।
- इसके अतिरिक्त कन्याकुमारी, लक्ष्मीप, केरल, ओडिशा और मन्दार की खाड़ी जैसे क्षेत्रों की अन्य मत्स्य इकाइयाँ भी प्रमाणीकरण का लक्ष्य रख रही हैं।
- अष्टमुडी झील (केरल) में भारत की पहली MSC-प्रमाणित मत्स्य इकाई का पुनः-प्रमाणीकरण, पारिस्थितिक मानकों और दीर्घकालिक भंडार स्थिरता को बनाए रखने की नवीकृत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरकार और संस्थानों की भूमिका

- संघ सरकार, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के माध्यम से तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण ऑडिट की लागत पर सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे मछुआरों और निर्यातकों के लिए प्रवेश बाधाएँ कम होती हैं।
- मरीन स्टूअर्डशिप काउंसिल, स्टेनेबल सीफूड नेटवर्क इंडिया (SSNI) और सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEAI) के बीच संस्थागत सहयोग तकनीकी आकलन, भंडार मूल्यांकन और क्षमता निर्माण को सुगम बना रहा है।
- इस प्रकार का सार्वजनिक-निजी सहयोग आर्थिक प्रोत्साहनों को सततता लक्ष्यों के साथ संरक्षित करने के लिए आवश्यक है।

सततता और आजीविका सुरक्षा

- व्यापारिक लाभों से आगे बढ़कर, इको-लेबलिंग जिम्मेदार मत्स्य पालन प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है, जिससे मछली भंडार की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यह विशेष रूप से छोटे पैमाने के मछुआरों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी आजीविका सीधे स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करती है।
- मत्स्य प्रबंधन में सततता को अंतर्निहित करके, MSC प्रमाणीकरण पारिस्थितिक संतुलन, आय की स्थिरता और पीढ़ीगत समानता में योगदान देता है—जो सतत विकास के प्रमुख घटक हैं।

चुनौतियाँ और आगे की राह

- संभावनाओं के बावजूद, प्रमाणीकरण प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ हैं:
 - ✓ उच्च तकनीकी आवश्यकताएँ, जैसे वैज्ञानिक भंडार (स्टॉक) आकलन
 - ✓ छोटे पैमाने के मछुआरों में सीमित जागरूकता और क्षमता
 - ✓ अनुपालन और निगरानी की लागत
- लाभों को अधिकतम करने के लिए भारत को चाहिए कि वह:
 - ✓ डेटा संग्रह और वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन को सुट्ट करे।
 - ✓ मछुआरा समुदायों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार करे।
 - ✓ प्रमाणीकरण लक्ष्यों को तटीय आजीविका योजनाओं के साथ एकीकृत करे।
 - ✓ सतत रूप से प्राप्त समुद्री खाद्य के लिए घरेलू मांग को प्रोत्साहित करे।

निष्कर्ष

मरीन स्टूअर्डशिप काउंसिल (MSC) प्रमाणीकरण को अपनाने की भारत की पहल बदलती वैश्विक व्यापार परिस्थितियों के प्रति उसके मत्स्य क्षेत्र की रणनीतिक पुनर्संरचना को दर्शाती है। इको-लेबलिंग और सततता मानकों को अपनाकर भारत बाहरी व्यापार दबावों को निर्यात विविधीकरण, उच्च आय, और पारिस्थितिक संरक्षण के अवसरों में बदल सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मरीन स्टूअर्डशिप काउंसिल (MSC) प्रमाणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. MSC प्रमाणीकरण केवल जलकृषि (Aquaculture) आधारित मत्स्य पालन पर लागू होता है।
2. यह FAO के जिम्मेदार मत्स्य पालन आचार संहिता के अनुरूप है।
3. MSC-प्रमाणित समुद्री खाद्य उत्पादों को पर्यावरण-संवेद देशों में प्रायः बेहतर बाज़ार पहुँच प्राप्त होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है?

- (a) केवल 2 और 3
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मरीन स्टूअर्डशिप काउंसिल (MSC) जैसी इको-प्रमाणीकरण प्रणालियाँ भारत के मत्स्य क्षेत्र में बाज़ार विविधीकरण और सतत आजीविका में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं? चर्चा कीजिए। (150 शब्द) (10 अंक)

कीमतों में बढ़ोतरी का मनोविज्ञान : फोमोफ्लेशन

चर्चा में क्यों: हाल के वैश्विक और घरेलू मूल्य उछाल - जैसे नीति घोषणाओं के बाद हवाई किरायों में अचानक वृद्धि या आवश्यक वस्तुओं की कमी के दौरान घबराहट में खरीद—ने फोमोफ्लेशन की ओर ध्यान खींचा है। इसमें शुद्ध आपूर्ति-मांग कारकों की बजाय व्यवहारगत प्रतिक्रियाएँ मुद्रास्फीतिक दबावों को बढ़ाती हैं।

फोमोफ्लेशन क्या है?

- फोमोफ्लेशन शब्द FOMO (Fear of Missing Out—कुछ छूट जाने का डर) और मुद्रास्फीति का संयुक्त रूप है। यह उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ निम्न कारक मिलकर कार्य करते हैं:
 - ✓ भविष्य में कमी या कीमत बढ़ने को लेकर उपभोक्ता चिंता
 - ✓ मीडिया रिपोर्टिंग, सामाजिक संकेत और झुंड व्यवहार
 - ✓ मौजूदा आपूर्ति या लॉजिस्टिक बाधाएँ
- इनके संयुक्त प्रभाव से—यहाँ तक कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में—तेज़ और आत्म-सुदृढ़ मूल्य वृद्धि होती है। पारंपरिक मुद्रास्फीति के विपरीत, जो धीरे-धीरे विकसित होती है, फोमोफ्लेशन अचानक, धारणा-प्रेरित और अस्थायी, किंतु कष्टदायक होता है।

फोमोफ्लेशन कैसे कार्य करता है?

- यह प्रक्रिया सामान्यतः एक चक्रीय पैटर्न का अनुसरण करती है:
 1. **उत्तरक घटना:** नीति घोषणा, भू-राजनीतिक घटना या मीडिया रिपोर्ट संभावित कमी या लागत वृद्धि का संकेत देती है।
 2. **मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया:** उपभोक्ताओं में सस्ते दाम या उपलब्धता छूट जाने का डर पैदा होता है।
 3. **घबराहट में खरीद और जमाखोरी:** अत्य समय में मांग तेज़ी से बढ़ती है।
 4. **मूल्य वृद्धि:** विक्रेता अतिरिक्त मांग के प्रत्युत्तर में कीमतें बढ़ाते हैं।
 5. **प्रतिपुष्टि चक्र:** बढ़ती कीमतें कमी की आशंकाओं को और मज़बूत करती हैं, जिससे चक्र बना रहता है।
- यह व्यवहारगत चक्र कृत्रिम मांग पैदा करता है, जिससे कीमतें केवल आपूर्ति स्थितियों से अपेक्षित स्तर से भी ऊपर चली जाती हैं।

फोमोफ्लेशन के उदाहरण

- **हवाई किरायों में अचानक वृद्धि:** आवजन या यात्रा नियमों से जुड़ी नीति घोषणाओं के बाद घबराहट में बुकिंग शुरू हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक विमानन लागत में बदलाव न होने के बावजूद कुछ ही दिनों में किरायों में तेज़ बढ़ोतरी देखी जाती है।
- **ईंधन और आवश्यक वस्तुएँ:** आर्थिक संकटों या कमी की अफवाहों के दौरान उपभोक्ता अक्सर ईंधन या दालें, खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं का भंडारण (जमाखोरी) करने लगते हैं। यह व्यवहार कमी को और गहरा करता है तथा कीमतों में वृद्धि को तेज़ कर देता है।

- **त्योहारों के मौसम की मांग:** त्योहारों से पहले संभावित कमी की मीडिया रिपोर्टें अत्यधिक अग्रिम खरीद को प्रेरित करती हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएँ स्थिर होने पर भी कीमतें बढ़ जाती हैं।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अनुभूत कमी (Perceived Scarcity) का प्रभाव वास्तविक कमी जितना ही शक्तिशाली हो सकता है।

फोमोफ्लेशन पारंपरिक मुद्रास्फीति से कैसे भिन्न है

- यह नीति-प्रेरित होने के बजाय व्यवहार-प्रेरित होता है।
- अल्पकालिक और अस्थिर, परंतु प्रभाव में तीव्र होता है।
- सोशल मीडिया & त्वरित सूचना प्रवाह से इसका प्रभाव बढ़ जाता है।
- उत्पादन लागत या मुद्रा आपूर्ति से इसका कमज़ोर संबंध होता है।

इसी कारण इसे केवल मौद्रिक सख्ती या राजकोषीय हस्तक्षेप से संबोधित करना कठिन होता है।

अर्थव्यवस्था और शासी व्यवस्था पर प्रभाव

- **उपभोक्ता कल्याण में हानि:** परिवारों पर लागत का बोझ बढ़ता है, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के मामले में।
- **बाजार विकृतियाँ:** कृत्रिम मांग मूल्य संकेतों को भ्रामक बना देती है।
- **नीतिगत चुनौतियाँ:** यदि व्यवहारगत मुद्रास्फीति को संरचनात्मक समझ लिया जाए, तो केंद्रीय बैंक अत्यधिक सख्ती कर सकते हैं।
- **विश्वास में कमी:** बार-बार होने वाले मूल्य संकट बाजारों और संस्थानों में भरोसा कमज़ोर करते हैं।

उपभोक्ता स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें?

- उपभोक्ता निम्न तरीकों से फोमोफ्लेशन के प्रभाव कम कर सकते हैं:
 - ✓ यह आकलन करना कि कमी वास्तविक है या केवल धारणा-आधारित।
 - ✓ घबराहट में खरीदारी और अंतिम समय के निर्णयों से बचना।
 - ✓ पूर्व-योजना बनाकर आवश्यक वस्तुओं का सीमित भंडार रखना।
 - ✓ विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कीमतों की तुलना करना।
 - ✓ हाइप-प्रेरित और मूलभूत कारणों से प्रेरित मूल्य परिवर्तनों में अंतर समझना।
- सूचित और धैर्यपूर्ण उपभोक्ता व्यवहार कृत्रिम मांग के प्रतिपुष्टि चक्र को कमज़ोर कर सकता है।

सरकार और संस्थानों की भूमिका

- **पारदर्शी संचार:** घबराहट कम करने के लिए नीतिगत निर्णयों की समय पर स्पष्टता।
- **बाजार निगरानी:** जमाखोरी, कार्टेलकरण और अनुचित मूल्य निर्धारण पर निगरानी।

- उपभोक्ता जागरूकता:** भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करने हेतु सार्वजनिक परामर्श/सलाह।
- डेटा-आधारित विनियमन:** प्रतिक्रियाएँ तय करते समय व्यवहारगत और संरचनात्मक मुद्रास्फीति में भेद करना। प्रभावी शासन फोमोफ्लेशन को बढ़ावा देने वाले मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरकों को शांत कर सकता है।

निष्कर्ष

फोमोफ्लेशन त्वरित सूचना और सामाजिक प्रसार के युग में मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के बढ़ते अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। धैर्य और सूचित निर्णय-निर्माण उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों से बचा सकता है। समान रूप से, संरचनात्मक सुरक्षा उपाय और पारदर्शी शासन भी अनिवार्य हैं। अतः फोमोफ्लेशन को पहचानना और संबोधित करना आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता कल्याण की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।



यूपीएससी से पहले अपना मूल्यांकन स्वयं करें

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए दैनिक उत्तर लेखन शुरू करें
द्वारा चहल एकेडमी: सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार संस्थान

क्यू आर कोड स्कैन करें



प्रतिदिन प्रश्न को सुबह 10 बजे तथा माँडल उत्तर
रात 9 बजे अपलोड किया जाएगा
(सोमवार से शनिवार)

पर्यावरण एवं भूगोल

दार्जिलिंग में भूस्खलन

चर्चा में क्यों: अक्टूबर 2025 में दार्जिलिंग तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण भीषण भूस्खलन हुए। इससे जान-माल की भारी हानि हुई, पुलों जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षतिग्रस्त हुई तथा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग बाधित हुए। इस आपदा ने पूर्वी हिमालय की बढ़ती संवेदनशीलता और उससे जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को एक बार फिर उजागर किया है।

पृष्ठभूमि:

- दार्जिलिंग, जिसे लोकप्रिय रूप से “कीन ऑफ हिल्स” कहा जाता है, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र नाजुक भूविज्ञान, तीव्र ढलानों और अधिक वर्षा से युक्त है।
- ऐतिहासिक अभिलेख दर्शाते हैं कि 1899, 1934, 1968, 1975, 1980, 1991, 2011 और 2015 में यहाँ बार-बार भूस्खलन की घटनाएँ हुई हैं।
- विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की 1991 की रिपोर्ट के अनुसार, 20वीं सदी में तीस्ता घाटी में अनेक बादल फटने (क्लाउडबर्स्ट) की घटनाएँ हुईं।
- इसरो द्वारा 2023 में प्रकाशित लैंडस्लाइड एटलस में दार्जिलिंग को देश के सर्वाधिक भूस्खलन-प्रवण जिलों में शामिल किया गया है, जो आकस्मिक जोखिम की तुलना में दीर्घकालिक/स्थायी जोखिम को दर्शाता है।



दार्जिलिंग में भूस्खलन बढ़ने के कारण:

- जलवायु परिवर्तन और वर्षा के पैटर्न में बदलाव
 - वर्षा का स्वरूप लंबे समय तक मध्यम बारिश से बदलकर अल्प अवधि की अत्यधिक तीव्र वर्षा में परिवर्तित हो गया है।
 - भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ऐसी घटनाओं को “अत्यधिक भारी वर्षा” की श्रेणी में रखता है, जो प्राकृतिक जल-निकासी प्रणालियों को पस्त कर देती है।

- जलवायु परिवर्तन ने पूरे हिमालयी क्षेत्र में चरम मौसमी घटनाओं को तीव्र कर दिया है।

अस्थायी/असंवहनीय विकास

- जलविद्युत परियोजनाओं, रेलवे, होटलों तथा शहरी अवसंरचना के निर्माण ने पहाड़ियों की पारिस्थितिक वहन क्षमता से अधिक दबाव डाला है।
- पहाड़ी कटान, ढलानों की अस्थिरता तथा वनों की कटाई से भूस्खलन की संवेदनशीलता बढ़ी है।

अनियोजित शहरीकरण और अतिक्रमण

- तीव्र जनसंख्या वृद्धि और प्रवासन के कारण नदी-तटों, ढलानों तथा प्राकृतिक जल-निकासी मार्गों (झोरा) पर अनधिकृत बस्तियाँ विकसित हुई हैं।

- ठोस कररे का अवैध निस्तारण प्राकृतिक जल प्रवाह को अवरुद्ध करता है, जिससे ढलान विफलता का जोखिम बढ़ता है।

जल-वैज्ञानिक और नदी मार्गों में परिवर्तन

- तीस्ता और बालासन जैसी नदियों के मार्गों में परिवर्तन से कटाव और निचले क्षेत्रों में बाढ़ की तीव्रता बढ़ी है।
- हिमनदों के पिघलने और तलछट भार में वृद्धि से भू-स्थिरता और अधिक कमजोर होती है।

कमजोर संस्थागत क्षमता

- नगरपालिकाओं, पंचायतों और स्वायत्त परिषदों जैसे स्थानीय निकायों में तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय संसाधनों और आपदा-तैयारी तंत्र का अभाव है।
- पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेषीकृत आपदा प्रबंधन संस्थानों का न होना एक गंभीर कमी बना हुआ है।

आपदा : एक पूर्वानुमेय घटना के रूप में

कई वैज्ञानिक तथा नीतिगत रिपोर्टों ने ऐसी आपदाओं के प्रति पहले ही चेतावनी दी थी:

- सिक्किम मानव विकास रिपोर्ट (2001)** ने हिमनद झील फटने से उत्पन्न बाढ़ (ग्लोशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लॉड - GLOFs) के जोखिम के प्रति आगाह किया था।
- सिक्किम में लोहनाक झील से उत्पन्न GLOF (2023)** ने व्यापक तबाही मचाई, जिसमें चुंगथांग जलविद्युत परियोजना, सैन्य अवसंरचना तथा आर्थिक परिसंपत्तियों की क्षति शामिल है, जिससे सिक्किम के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 60% प्रभावित हुआ।
- दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में इसके डाउनस्ट्रीम (निचले प्रवाह क्षेत्र) प्रभाव हिमालयी आपदाओं की सीमापार (ट्रांसबाउंडरी) तथा श्रृंखलाबद्ध (कैस्केडिंग) प्रकृति को उजागर करते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ

- रणनीतिक स्थिति – “चिकन नेक” कॉरिडोर
 - दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट स्थित है, जो उत्तर-पूर्व भारत को जोड़ने वाला संकरा स्थल-मार्ग है।
 - यहाँ किसी भी प्रकार का व्यवधान निम्न को प्रभावित करता है:
 - सैन्य रसद व्यवस्था
 - सीमा प्रबंधन
 - उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ संपर्क और आवागमन
- रणनीतिक अवसंरचना के लिए खतरा
 - भूखलन से सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों तथा संचार नेटवर्क को नुकसान पहुँचता है, जो सैन्य आवाजाही और आपदा प्रतिक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
 - चरम घटनाओं के दौरान सैन्य प्रतिष्ठान और आपूर्ति मार्ग विशेष रूप से असुरक्षित हो जाते हैं।
- आर्थिक और सॉफ्ट पावर की क्षति
 - दार्जिलिंग की चाय, पर्फटन, शिक्षा और जैव-विविधता विदेशी मुद्रा अर्जन तथा भारत की वैश्विक छवि में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
 - बार-बार होने वाली आपदाएँ इन दीर्घकालिक आर्थिक परिसंपत्तियों को क्षीण कर देती हैं।
- क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी चिंताएँ
 - तीस्ता नदी प्रणाली भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल को प्रभावित करती है, जिससे आपदाएँ एक क्षेत्रीय सुरक्षा चिंता बन जाती हैं।
 - कुप्रबंधन से कूटनीतिक संबंधों और जल-साझेदारी व्यवस्थाओं पर दबाव पड़ सकता है।

आगे की राह

- एकीकृत हिमालयी आपदा प्रबंधन ढाँचा
 - पूर्वी हिमालय में जलवायु परिवर्तन और आपदा अध्ययन हेतु विशेषीकृत क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना।
 - इसरो (ISRO) के उपग्रह-आधारित निगरानी तंत्र का उपयोग कर प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
- सतत विकास का विनियमन
 - पहाड़ी क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कड़े पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को लागू करना।
 - पारिस्थितिक क्षेत्र-निर्धारण (इको-सेंसिटिव ज्ञानिंग) तथा वहन क्षमता-आधारित योजना को प्रोत्साहित करना।
- संस्थागत क्षमता निर्माण
 - स्थानीय सरकारों को प्रशिक्षित मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों से सुसज्जित करना।
 - जिला प्रशासन और राज्य आपदा मोर्चन बलों (SDRFs) की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करना।

प्रकृति-आधारित समाधान

- वनीकरण, ढलानों का स्थिरीकरण, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन तथा प्राकृतिक जल-निकासी मार्गों का पुनर्जीवन।
- झोरा (प्राकृतिक नालों) के अवरोध को रोकने हेतु वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एकीकरण

- दार्जिलिंग तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय हित क्षेत्र के रूप में मानना।
- आपदा-रोधक क्षमता (डिज़ास्टर रेजिलिएंस) को रक्षा तैयारी और सीमा अवसंरचना नियोजन के साथ समन्वित करना।

निष्कर्ष

दार्जिलिंग में बार-बार होने वाले भूखलन केवल प्राकृतिक आपदाएँ नहीं हैं, बल्कि वे जलवायु परिवर्तन, असंवहनीय विकास और संस्थागत उपेक्षा का परिणाम हैं। इसकी पारिस्थितिक नाजुकता और रणनीतिक महत्व को देखते हुए, दार्जिलिंग के भविष्य की योजना राष्ट्रीय सुरक्षा और सततता के वृष्टिकोण से की जानी चाहिए। सक्रिय शासन, वैज्ञानिक नियोजन और क्षेत्रीय सहयोग मानव जीवन तथा भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: दार्जिलिंग हिमालय में भूखलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- दार्जिलिंग पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, जो नाजुक भूविज्ञान और तीव्र ढलानों से युक्त है।
- अल्प अवधि की अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटनाएँ, क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ी हैं।
- भारत का लैंडस्लाइड एटलस दार्जिलिंग को कम संवेदनशील जिलों में से एक के रूप में पहचानता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही है?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “जलवायु परिवर्तन ने हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं की प्रकृति और तीव्रता को बदल दिया है।” दार्जिलिंग में बार-बार होने वाले भूखलनों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द) (10 अंक)

भारतीय भेड़िया (कैनीस लुपस पॉलिप्स)

चर्चा में क्यों: प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN) की वैश्विक प्रजाति स्थिति प्राधिकरण ने पहली बार भारतीय भेड़िए (*Canis Lupus*

Pallipes) का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि इसे **कैनिस जीनस (Canis Genus)** के अंतर्गत एक संभावित पृथक प्रजाति के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इस अद्यतन के वन्यजीव संरक्षण, जैव-विविधता नीति तथा भारत की पारिस्थितिक सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव हैं।

पृष्ठभूमि और वर्गीकरण

- भारतीय भेड़िए को पारंपरिक रूप से ग्रे वुल्फ (Canis lupus) की एक उप-प्रजाति माना जाता रहा है, जिसे सामान्यतः कैनीस लुपस पॉलिप्स (**Canis Lupus Pallipes**) कहा जाता है।
- हालिया आनुवंशिक और विकासवादी अध्ययनों से पता चलता है कि भारतीय भेड़िया भेड़ियों की सबसे प्राचीन वंशावलियों में से एक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्ष पहले अन्य भेड़िया प्रजातियों से अलग हो गया था।



- इन विशेषताओं के आधार पर, IUCN के विशेषज्ञ अब इसे **कैनिस जीनस (Canis genus)** के अंतर्गत एक “संभावित पृथक प्रजाति” मानते हैं। यदि इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो यह उस जीनस की **आठवीं मान्यता प्राप्त प्रजाति** बन जाएगी।

जनसंख्या और संरक्षण स्थिति

- 2025 की IUCN रेड लिस्ट के आकलन के अनुसार, भारतीय भेड़िए की वैश्विक जनसंख्या लगभग **2,877-3,310** वयस्क भेड़िये आंके गए हैं, जिनमें से अधिकांश भारत में तथा कुछ पाकिस्तान में पाए जाते हैं।
- इस प्रजाति को “**सुभेद्य (Vulnerable)**” श्रेणी में रखा गया है, जिसका कारण आवासीय हास, पर्यावास का खंडन, उत्पीड़न तथा मानवजनित दबावों से जनसंख्या में गिरावट है।
- इसके वितरण क्षेत्र का केवल लगभग **12.4%** भाग ही संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश जनसंख्या कानूनी रूप से संरक्षित परिवर्षों के बाहर रहती है, और औपचारिक संरक्षण अधिक जटिल हो जाता है।

पारिस्थितिक और विकासवादी महत्व

- भारतीय भेड़िए में अर्ध-शुष्क घासभूमियों और झाड़ीदार क्षेत्रों के अनुरूप विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं, जो इसके उत्तरी समकक्षों से भिन्न हैं, जो सामान्यतः वनों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं।

- इसका पतला शरीर, हल्का रंग और ऊष्मा सहनशीलता भारत की शुष्क पारिस्थितिक प्रणालियों के प्रति इसकी पारिस्थितिक विशेषज्ञता को दर्शाते हैं।
- भेड़ियों की सबसे प्राचीन वंशावलियों में से एक होने के कारण, इसका संरक्षण **कैनिस जीनस** की विकासवादी विविधता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य खतरे

इस प्रजाति को अनेक प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ रहा है:

- आवासीय हास और खंडन**
 - कृषि विस्तार, अवसंरचना विकास और भूमि-उपयोग परिवर्तन के कारण घासभूमियाँ और अर्ध-शुष्क परिवर्ष—जो भेड़िए के प्राथमिक पर्यावास हैं—सिमटते और खंडित होते जा रहे हैं।
- मानव-भेड़िया संघर्ष**
 - जंगली शिकार की संख्या घटने के कारण भेड़िए पशुधन पर निर्भर होने लगते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों द्वारा प्रतिशोधात्मक हत्याएँ होती हैं।
- संरक्षित क्षेत्र कवरेज का अभाव**
 - इसके पर्यावास क्षेत्र का केवल एक छोटा भाग ही औपचारिक संरक्षण के अंतर्गत होने से, पारंपरिक संरक्षित-क्षेत्र आधारित संरक्षण रणनीतियाँ अपर्याप्त सिद्ध होती हैं।
- आनुवंशिक खतरे और संकरण**
 - खुले में धूमने वाले कुत्तों के साथ संकरण (हाइब्रिडाइजेशन) की बढ़ती आशंका, जो आनुवंशिक शुद्धता को कमजोर कर सकती है।
 - गुजरात जैसे क्षेत्रों में भेड़िया-कुत्ता संकर के मामलों की सूचना मिली है, जिससे संरक्षण की चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं।

नीतिगत आयाम और संरक्षण की अनिवार्यताएँ

- वैज्ञानिक वर्गीकरण और संरक्षण नीति**
 - भारतीय भेड़िए को एक पृथक प्रजाति के रूप में मान्यता देना, वैश्विक और राष्ट्रीय संरक्षण एजेंडों में इसकी प्राथमिकता बढ़ा देगा। इससे अधिक अनुसंधान वित्तपोषण, लक्षित निगरानी और “कैनिड प्रबंधन” से परे विशेष रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता मिलेगी।
- घासभूमि और अर्ध-शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण**
 - भेड़िए का अधिकांश आवास खुली प्राकृतिक घासभूमियों और झाड़ीदार क्षेत्रों में है, जिन्हें भारत के संरक्षण ढाँचे में ऐतिहासिक रूप से कम महत्व दिया गया है।
 - इन परिवर्षों का पुनर्वर्गीकरण और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।
- समुदाय-केंद्रित रणनीतियाँ**
 - समुदाय-आधारित सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना

- सामुदायिक जागरूकता, पशुधन हानि के लिए मुआवज़ा तथा सहभागी निगरानी (पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग) के माध्यम से सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे मानव-भेड़िया संघर्ष कम होगा और स्थानीय संरक्षकता (स्टेवार्डशिप) को बल मिलेगा।
- ✓ **राष्ट्रीय विधि और कार्य-योजनाएँ**
 - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के अंतर्गत भेड़ियों को अनेक क्षेत्रों में **अनुसूची I** के तहत संरक्षण प्राप्त है। तथापि, परिवृश्य-स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन तथा राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्य-योजनाओं में समेकन से संरक्षण की प्रभावशीलता और बढ़ेगी।

निष्कर्ष

भारतीय भेड़िए का IUCN द्वारा स्वतंत्र आकलन और उसे एक संभावित पृथक प्रजाति के रूप में मान्यता देना, जैव-विविधता संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह **सूक्ष्म, परिवृश्य-स्तरीय संरक्षण रणनीति** की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो केवल पारंपरिक संरक्षित-क्षेत्र आधारित वृष्टिकोण से आगे जाकर पारिस्थितिक और विकासवादी मूल्य, प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण, नीति समर्थन, आवास पुनर्स्थापन तथा समुदाय सहभागिता को एकीकृत करे—ताकि भारत **जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD)** और राष्ट्रीय जैव-विविधता लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रभावी रूप से पूरा कर सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

- प्रश्न:** भारतीय भेड़िए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. IUCN ने हाल ही में भारतीय भेड़िए का स्वतंत्र आकलन किया है और सुझाव दिया है कि यह एक संभावित पृथक (distinct) प्रजाति हो सकता है।
 2. भारतीय भेड़िया मुख्यतः हिमालयी क्षेत्र की ठंडी अल्पाइन और वन पारिस्थितिक प्रणालियों के अनुकूलित है।
 3. भारतीय भेड़िए की अधिकांश जनसंख्या संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पाई जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 1
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

भारत के फ्रंटलाइन वन कर्मियों द्वारा सामना किए गए जोखिमों, बलिदानों और योगदानों को रेखांकित किया गया है।

मुख्य विवरण

- वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI) ने “Guardians of the Wild: Supporting India’s Frontline Forest Staff” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट IUCN-WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड समारोह के दौरान IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस, अबू धाबी (अक्टूबर 2025) में प्रस्तुत की गई।
- रिपोर्ट में पिछले 25 वर्षों में भारत के फ्रंटलाइन वन कर्मियों (वन रक्षक/वन रक्षकों—वन रक्षक, वन प्रहरी आदि) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका, उठाए गए जोखिमों और किए गए त्याग को उजागर किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारत विश्व की सबसे समृद्ध जैव-विविधताओं में से एक का स्वामी है और **1,100** से अधिक संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करता है, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण आरक्षित तथा सामुदायिक वन शामिल हैं।
- फ्रंटलाइन वन कर्मी, जिन्हें सामान्यतः वन रक्षक (वन प्रहरी) कहा जाता है, वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध प्रथम रक्षा पंक्ति होते हैं, तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष, आवास क्षरण और अवैध गतिविधियों से निपटते हैं।
- संरक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाने के बावजूद, ये कर्मी अक्सर कठिन और जानलेवा परिस्थितियों में कार्य करते हैं तथा उन्हें संस्थागत समर्थन और औपचारिक मान्यता सीमित रूप में ही मिल पाती है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **संरक्षण की मानवीय लागत**
 - ✓ रिपोर्ट में 540 वन कर्मियों का उल्लेख है, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए।
 - ✓ प्रलेखित मामलों में से लगभग 74% मामलों में मृत्यु हुई है, जो फ्रंटलाइन वन कर्मियों द्वारा झेले जाने वाले अत्यधिक जोखिम को रेखांकित करता है।
 - ✓ रिपोर्ट में शामिल व्यक्तिगत कथाएँ (पर्सनल नैरेटिव्स) संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों पर जमीनी स्तर की समझ प्रदान करती हैं।
- **वन रक्षक परियोजना**
 - ✓ वर्ष 2000 में WTI द्वारा अंतरराष्ट्रीय पशु कल्याण कोष (IFAW) के सहयोग से प्रारंभ की गई।
 - ✓ **उद्देश्य:** एक प्रशिक्षित, प्रेरित तथा सुसज्जित फ्रंटलाइन वन बल का निर्माण करना।
 - ✓ **प्रभाव:**
 - भारत भर में 21,000 से अधिक वन कर्मियों को सहयोग प्रदान किया गया।

भारत के फ्रंटलाइन वन कर्मियों पर WTI रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI) ने IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें पिछले 25 वर्षों के दौरान

- प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण, जिनमें शामिल हैं:
 - वन्यजीव अपराधों की रोकथाम
 - मानव-वन्यजीव संघर्ष का शमन
 - वन्यजीव बचाव तकनीकें
- सुरक्षा और गश्त हेतु आवश्यक फील्ड उपकरणों की उपलब्धता।
- पूरक दुर्घटना आश्वासन योजना
 - ✓ कर्तव्य के दौरान घायल या मृत हुए स्थायी, अस्थायी तथा दैनिक वेतनभोगी वन कर्मियों को तकाल वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
 - ✓ वर्ष 2001 से अब तक 367 कर्मियों या उनके परिवारों को सहायता दी जा चुकी है।
 - ✓ कोविड-19 महामारी के दौरान यह सहायता **कन्जर्वेशन हीरोज कोविड कैजुअलटी फण्ड** के अंतर्गत 173 परिवारों तक विस्तारित की गई।

संस्थागत और वैश्विक समर्थन

- रिपोर्ट निम्नलिखित संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जारी की गईः
 - ✓ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
 - ✓ प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN)
 - ✓ संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व आयोग (WCPA)
 - ✓ अंतरराष्ट्रीय पशु कल्याण कोष (IFAW)
- यह भारत के संरक्षण कार्यबल को मिल रही बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है।

भारत के लिए महत्व

1. जैव-विविधता संरक्षण
 - फ्रंटलाइन वन कर्मी निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्रीय भूमिका निभाते हैं:
 - ✓ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
 - ✓ राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्य-योजना
 - ✓ जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD) के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताएँ
2. आंतरिक सुरक्षा और पर्यावरणीय शासन
 - वन कर्मी निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:
 - ✓ वन्यजीव तस्करी से मुकाबला
 - ✓ वन अतिक्रमण की रोकथाम
 - ✓ पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील तथा सीमावर्ती वन क्षेत्रों का प्रबंधन
3. सतत विकास
 - उनका कार्य प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित में योगदान देता है:
 - ✓ जलवायु परिवर्तन शमन
 - ✓ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ

- ✓ वन-निर्भर समुदायों की आजीविका सुरक्षा

चिह्नित चुनौतियाँ

- अपर्याप्त बीमा कवरेज के साथ उच्च व्यावसायिक जोखिम।
- आधुनिक उपकरणों और अवसंरचना की कमी।
- मनोवैज्ञानिक तनाव तथा औपचारिक मान्यता का अभाव।
- सामाजिक सुरक्षा के बिना संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की भागीदारी।

आगे की राह

- संस्थागत बीमा और कल्याण उपाय
 - ✓ सभी श्रेणियों के वन कर्मियों के लिए देशव्यापी दुर्घटना एवं जीवन बीमा।
- क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण
 - ✓ प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी, फॉरेंसिक वन्यजीव जांच तथा संघर्ष शमन में नियमित प्रशिक्षण।
- औपचारिक मान्यता और करियर प्रगति
 - ✓ राष्ट्रीय पुरस्कार, सेवा लाभ तथा मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियाँ।
- समुदाय-वन कर्मी साझेदारी
 - ✓ संघर्ष और कार्यभार को कम करने हेतु संयुक्त वन प्रबंधन को सुदृढ़ करना।
- नीतिगत समेकन
 - ✓ फ्रंटलाइन वन कर्मियों के कल्याण को राष्ट्रीय जलवायु और जैव-विविधता नीतियों में एकीकृत करना।

निष्कर्ष

वाइल्लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI) की रिपोर्ट यह पुनः स्थापित करती है कि प्रभावी वन्यजीव संरक्षण की शुरुआत जमीनी स्तर से होती है। भारत के फ्रंटलाइन वन कर्मी केवल पर्यावरणीय कानूनों के प्रवर्तक नहीं हैं, बल्कि देश की प्राकृतिक धरोहर के संरक्षक भी हैं। उनकी सुरक्षा, गरिमा और संस्थागत समर्थन को सुदृढ़ करना दीर्घकालिक संरक्षण तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

- प्रश्न. भारत में वन संरक्षण के संदर्भ में अक्सर उल्लेखित वन रक्षक परियोजना (VRP) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- पूरे भारत में नए संरक्षित क्षेत्र बनाना।
 - प्रशिक्षण, उपकरण और कल्याणकारी सहायता के माध्यम से अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों को सशक्त बनाना।
 - वन क्षेत्रों में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना।
 - वन भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना।

उत्तर: (b)

भारत में ऑरोरा (ध्रुवीय प्रकाश)

चर्चा में क्यों: हाल ही में तीव्र सौर गतिविधि के कारण उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश (ऑरोरा बोरेलिस) के अत्यंत आकर्षक दृश्य दिखाई दिए। इससे सूर्य-पृथ्वी अंतःक्रियाओं और अंतरिक्ष मौसम से जुड़ी घटनाओं पर वैज्ञानिकों तथा आम जनता का ध्यान आकर्षित हुआ।

ऑरोरा (ध्रुवीय प्रकाश) क्या हैं?

- उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, जिसे वैज्ञानिक रूप से ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है, प्राकृतिक प्रकाशीय घटनाएँ हैं, जो मुख्यतः उत्तरी गोलार्द्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखी जाती हैं।
- दक्षिणी गोलार्द्ध में इसी प्रकार के प्रकाशीय प्रदर्शन को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है।
- ये आकाश में हरे, लाल, बैंगनी और नीले रंगों की चलती हुई परतों या मेहराबों के रूप में दिखाई देते हैं, जो मानो नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं।

वैज्ञानिक व्याख्या: ऑरोरा कैसे बनते हैं?

- सूर्य पर उत्पत्ति**
 - सूर्य निरंतर आवेशित कणों की एक धारा उत्सर्जित करता है, जिसे सौर पवन कहा जाता है।
 - सौर तूफानों या कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) के दौरान इन कणों का प्रवाह अत्यधिक बढ़ जाता है।
- पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की भूमिका**
 - पृथ्वी का मैग्नेटोस्फियर (चुंबकमंडल) अधिकांश सौर कणों को विचलित कर देता है।

- कुछ आवेशित कण भू-चुंबकीय ध्रुवों के पास फँस जाते हैं, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एकत्रित होती हैं।

3. ऊपरी वायुमंडल में अंतःक्रिया


- ये कण पृथ्वी की सतह से लगभग **90–1,000 किमी** ऊपर स्थित आयनमंडल में प्रवेश करते हैं।
- यहाँ इनकी टक्कर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी वायुमंडलीय गैसों से होती है।
- इन टक्करों से ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है, जिससे ऑरोरा उत्पन्न होते हैं।

ऑरोरा मुख्यतः ध्रुवों के पास ही क्यों दिखाई देते हैं?

- ध्रुवीय क्षेत्रों में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक शक्तिशाली और खुला होता है।
- आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ चलते हुए ध्रुवों की ओर निर्देशित होते हैं।
- इसलिए ऑरोरा मुख्यतः भू-चुंबकीय उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के चारों ओर स्थित ऑरोरल ओवल्स में पाए जाते हैं।

संबंधित सौर प्रक्रियाएँ

- सौर पवन:** सूर्य से निरंतर निकलने वाली आवेशित कणों की धारा।
- पृथ्वी का मैग्नेटोस्फियर:** पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो अंतरिक्ष में फैलकर सौर पवन से रक्षा करता है।
- मैग्नेटोस्फियर के साथ अंतःक्रिया:** सौर पवन के कण पृथ्वी के मैग्नेटोस्फियर से, विशेषकर ध्रुवों के पास, अंतःक्रिया करते हैं, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ सघन होती हैं।



ऑरोरा (ध्रुवीय प्रकाश) के रंग और उनके कारण ऑरोरा कब और कहाँ सबसे अधिक दिखाई देते हैं?

| सम्मिलित गैस | ऊँचाई | उत्पन्न रंग |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| ऑक्सीजन | लगभग 200 किमी से अधिक | लाल |
| ऑक्सीजन | लगभग 200 किमी से कम | हरा (सबसे सामान्य) |
| नाइट्रोजन | निचली ऊँचाइयों पर | नीला और बैंगनी (Blue and Purple) |
| हाइड्रोजन / हीलियम (दुर्लभ) | परिवर्तनीय | गुलाबी और जामुनी (Pink and Violet) |

- सर्वोत्तम समय:** शीत ऋतु के महीने (जब रातें लंबी और अधिक अंधेरी होती हैं)
- अधिकतम सक्रियता:** तीव्र सौर तूफानों के दौरान तथा विषुव (इकिनॉक्स) के आसपास
- मुख्य स्थान:**
 - ✓ नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड
 - ✓ आइसलैंड और ग्रीनलैंड
 - ✓ कनाडा और अलास्का
 - ✓ रूस के कुछ भाग & अंटार्कटिका (ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के लिए)

चुंबकीय तूफान और अंतरिक्ष मौसम

- सौर पवन की तीव्रता में समय-समय पर होने वाली वृद्धि से भू-चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं।
- ये तूफान निम्नलिखित प्रभाव डाल सकते हैं:
 - ✓ ऑरोरा (ध्रुवीय प्रकाश) के दृश्य को अधिक तीव्र और स्पष्ट बना सकते हैं।
 - ✓ उपग्रह संचार में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं।
 - ✓ जीपीएस प्रणालियों & विद्युत प्रिड को प्रभावित कर सकते हैं।

ऑरोरा का महत्व

- वैज्ञानिक महत्व:** सूर्य-पृथ्वी अंतःक्रियाओं और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन में सहायक।
- प्रौद्योगिकीय प्रासंगिकता:** सौर-प्रेरित व्यवधानों के विरुद्ध तैयारी और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाता है।
- सांस्कृतिक एवं पर्यटन महत्व:** स्थानीय जनजातीय लोककथाओं तथा ध्रुवीय पर्यटन का अभिन्न अंग।
- पर्यावरणीय संकेतक:** सौर और भू-चुंबकीय गतिविधि चक्रों का प्रतिबिंब।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

- ऑरोरा बोरेलिस → उत्तरी गोलार्द्ध
- ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस → दक्षिणी गोलार्द्ध

- आयनमंडल में घटित होते हैं -
- सौर पवन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अंतःक्रिया से उत्पन्न
- सबसे सामान्य रंग: हरा (ऑक्सीजन के कारण)

निष्कर्ष

उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के बहुत कठिन नहीं हैं, बल्कि सूर्य और पृथ्वी के बीच गतिशील संबंधों का सजीव प्रदर्शन भी है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित करते हैं और अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं के अध्ययन में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे ऑरोरा वैज्ञानिक महत्व के साथ-साथ प्राकृतिक सौदर्य का भी प्रतीक बन जाते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. ऑरोरा (ध्रुवीय प्रकाश) पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के पास ही मुख्यतः क्यों दिखाई देते हैं?

- ध्रुवों के पास वायुमंडलीय घनत्व सबसे कम होता है।
- ध्रुवों पर पृथ्वी का घूर्णन सबसे धीमा होता है।
- ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एकत्रित (अभिसारित) होती हैं।
- ध्रुवों पर सौर विकिरण सबसे अधिक होता है।

उत्तर: (c)

नेट-ज़ीरो बैंकिंग एलायंस का संचालन समाप्त

चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक जलवायु-वित्त पहल नेट-ज़ीरो बैंकिंग एलायंस (NZBA) ने अक्टूबर 2025 में अपने संचालन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की। इसका प्रमुख कारण राजनीतिक और संस्थागत समर्थन में कमी बताई गई है, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में।

नेट-ज़ीरो बैंकिंग एलायंस (NZBA) के बारे में

- आरंभ:** 2021
- संस्थागत ढाँचा:**
 - ✓ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम – वित्त पहल (UNEP-FI) के अंतर्गत संचालित।
- मुख्य उद्देश्य:**
 - ✓ बैंकिंग क्षेत्र के ऋण और निवेश पोर्टफोलियो को वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य (नेट-ज़ीरो) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप बनाना।
- मुख्य फोकस क्षेत्र:**
 - ✓ ऋण और निवेश से उत्पन्न कार्बन पदचिह्न को कम करना।
 - ✓ कम-कार्बन तथा जलवायु-सहनशील विकास के लिए निजी वित्त को प्रोत्साहित करना।
- सदस्यता:**

- ✓ अपने चरम पर लगभग **150 वैश्विक बैंक**, जिनमें प्रमुख अमेरिकी, यूरोपीय, कनाडाई और जाजल बैंक शामिल थे

संचालन समाप्त होने के कारण

1) जलवायु वित्त के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिक्रिया

- संयुक्त राज्य अमेरिका में **डोनाल्ड ट्रम्प** के पुनः निवाचित होने और जीवाशम ईंधन विस्तार ("डिल, बेबी, डिल") पर नए सिरे से ज़ोर देने से जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के लिए राजनीतिक समर्थन कमज़ोर पड़ा।
- जलवायु कार्रवाई को विकास को बढ़ावा देने के बजाय **आर्थिक रूप** से प्रतिबंधात्मक के रूप में अधिकाधिक प्रस्तुत किया जाने लगा।

2) प्रमुख वैश्विक बैंकों की वापसी

- कई अग्रणी बैंकों ने इस गठबंधन से बाहर निकलने का निर्णय लिया, जिनमें शामिल हैं:
 - ✓ जेपी मॉर्गन चेज़
 - ✓ गोल्डमैन सैक्स
 - ✓ बैंक ऑफ अमेरिका
 - ✓ बार्कलेज (यूके)
- बैंकों ने नियामक अनिश्चितता, कानूनी जोखिम, और जलवायु जवाबदेही पर सहमति के अभाव का हवाला दिया।

3) जलवायु प्रतिबद्धताओं का कमज़ोर होना

- नेट-ज़ीरो बैंकिंग एलायंस (NZBA) ने अपने ढाँचे को नरम किया:
 - ✓ "अनिवार्य दिशानिर्देशों" को स्वैच्छिक मार्गदर्शन के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया।
 - ✓ बाधकारी आवश्यकताएँ गैर-प्रवर्तनीय सिफारिशों में बदल गई।
- इससे गठबंधन की विश्वसनीयता कम हुई और सामूहिक जवाबदेही कमज़ोर पड़ी।

4) संस्थागत व्यवहार्यता में कमी

- प्रमुख वैश्विक बैंकों के बाहर निकलने के बाद, गठबंधन के पास एक सामूहिक मंच के रूप में कार्य करने हेतु पर्याप्त सदस्यता नहीं रह गई।

वर्तमान स्थिति

- नेट-ज़ीरो बैंकिंग एलायंस (NZBA) ने तत्काल प्रभाव से अपना संचालन बंद कर दिया है।
- हालांकि, इसका तकनीकी दस्तावेज "बैंकों के लिए जलवायु लक्ष्य निर्धारण हेतु मार्गदर्शन" उपलब्ध रहेगा।
- व्यक्तिगत बैंक इन ढाँचों का स्वैच्छिक रूप से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि:
 - ✓ उत्सर्जन का मापन
 - ✓ पोर्टफोलियो का डीकार्बोनाइजेशन
 - ✓ संक्रमण (ट्रांज़िशन) योजना बनाना

विकास क्रम का महत्व

(A) वैश्विक जलवायु शासन (क्लाइमेट गवर्नेंस) के लिए

- स्वैच्छिक और गैर-बाधकारी जलवायु गठबंधनों की संवेदनशीलता को उजागर करता है।
- जलवायु प्रतिबद्धताओं और अल्पकालिक आर्थिक हितों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है।
- पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में वैश्विक गति को कमज़ोर करता है।

(B) जलवायु वित्त के लिए

- निजी वित्तीय संस्थानों द्वारा स्व-नियमन (Self-regulation) की सीमाओं को प्रदर्शित करता है।
- कानूनी समर्थन के बिना ESG-आधारित स्वैच्छिक पहलों की प्रभावशीलता पर प्रश्न खड़े करता है।

(C) सतत विकास के लिए

- सामूहिक कार्रवाई में कमी से निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रगति धीमी पड़ सकती है:
 - ✓ स्वच्छ ऊर्जा में निवेश
 - ✓ जलवायु-सहनशील अवसंरचना का वित्तपोषण
- वैश्विक पूँजी प्रवाह पर निर्भर विकासशील देशों पर इसका असमान रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है।

भारत के लिए निहितार्थ

- भारत को निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बड़े पैमाने पर जलवायु वित्त की आवश्यकता है:
 - ✓ वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य
 - ✓ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
- NZBA का पतन भारत के लंबे समय से चले आ रहे इस रुख को सुदृढ़ करता है कि:
 - ✓ जलवायु वित्त पूर्वानुमेय, वहनीय होना चाहिए तथा विकसित देशों द्वारा समर्थित होना चाहिए।
 - ✓ केवल स्वैच्छिक निजी वित्त पर अत्यधिक निर्भरता अपर्याप्त है।
- यह निम्न बातों के पक्ष को भी मजबूत करता है:
 - ✓ बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) में सुधार
 - ✓ सार्वजनिक जलवायु वित्त और रियायती वित्तपोषण का विस्तार

आगे की राह

• मजबूत नियामक ढाँचे

- ✓ जलवायु जोखिम प्रकटीकरण और संक्रमण योजना को स्वैच्छिक से नियामक क्षेत्र में लाना आवश्यक है।

• बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार

- ✓ बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को अधिक नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए।

- **संतुलित जलवायु संक्रमण**
 - ✓ जलवायु कार्बोर्वाई में निम्नलिखित का समावेश होना चाहिए:
 - विकासात्मक आवश्यकताएँ
 - ऊर्जा सुरक्षा
 - समानता & सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR)
- **दक्षिण-नेतृत्व आधारित जलवायु वित्त मॉडल**
 - ✓ भारत जैसे उभरते देशों को वैकल्पिक, समावेशी जलवायु वित्त मंचों को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

नेट-जीरो बैंकिंग एलायंस का संचालन बंद होना वैश्विक जलवायु वित्त सहयोग के लिए एक झटका है, जो राजनीतिक इच्छाशक्ति और नियामक समर्थन के अभाव में स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं की सीमाओं को उजागर करता है। भारत जैसे देशों के लिए यह घटना संस्थागत, न्यायसंगत और कानूनी रूप से समर्थित जलवायु वित्त तंत्रों की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करती है, ताकि एक न्यायपूर्ण और प्रभावी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके।

यूरोपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

- प्रश्न. हाल ही में संचालन बंद करने वाले नेट-जीरो बैंकिंग एलायंस (NZBA) की शुरुआत निम्न में से किसके अंतर्गत की गई थी?
- (a) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
 - (b) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम – वित्त पहल (UNEP-FI)
 - (c) विश्व बैंक समूह (WBG)
 - (d) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

उत्तर: (b)

सुंदरबन जलीय कृषि मॉडल

चर्चा में क्यों: भारतीय सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) में नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी (NEWS) द्वारा विकसित मैंग्रोव पारितंत्रों में सतत जलीय कृषि (SAIME) मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई है। यह मान्यता FAO की 80वीं वर्षगांठ समारोह और वर्ल्ड फूड फोरम 2025 के दौरान रोम, इटली में प्रदान की गई।

पृष्ठभूमि

- सुंदरबन, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, विश्व का सबसे बड़ा सतत (सञ्चित) मैंग्रोव वन है और चक्रवातों, तूफानी ज्वार तथा समुद्र-स्तर वृद्धि के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
- हालांकि, क्षेत्र को तीव्र झींगा एकल-खेती, भूमि-उपयोग परिवर्तन, लवणता प्रवेश और जलवायु परिवर्तन से बढ़ते दबाव का सामना

करना पड़ रहा है, जिससे पारितंत्र की स्थिरता और आजीविका सुरक्षा खतरे में है।

- इस संदर्भ में, FAO-मान्यता प्राप्त पारितंत्र-आधारित जलीय कृषि मॉडल महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये खाद्य उत्पादन को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करते हैं।

SAIME मॉडल के बारे में

- SAIME (मैंग्रोव पारितंत्रों में सतत जलीय कृषि) एक जलवायु-अनुकूल तथा संरक्षण-सम्बद्ध आजीविका मॉडल है, जो जलीय कृषि को मैंग्रोव संरक्षण के साथ एकीकृत करता है।

मुख्य विशेषताएँ

- **मैंग्रोव-संबद्ध जलीय कृषि:** मछली तालाबों के भीतर 5%-30% मैंग्रोव आवरण बनाए रखना
- पारितंत्र-आधारित और रसायन-मुक्त झींगा पालन को अपनाना
- मैंग्रोव पत्तियों का प्राकृतिक फ़िल्टर के रूप में उपयोग, जिससे वाणिज्यिक इनपुट पर निर्भरता कम होती है
- ब्लैक टाइगर झींगा (Penaeus monodon) पर ध्यान, जो एक देशज प्रजाति है
- सामुदायिक सहभागिता आधारित वृष्टिकोण, जिसमें स्थानीय मछुआरे/मछली पालक शामिल हैं
- 42 किसानों द्वारा 29.84 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्यान्वयन:
 - ✓ चैतल (उत्तर 24 परगना)
 - ✓ माधवपुर (दक्षिण 24 परगना)

परिणाम और प्रभाव

- **आजीविका से जुड़े लाभ**
 - ✓ किसानों की वार्षिक औसत शुद्ध आय में 100% से अधिक वृद्धि
 - ✓ बाहरी इनपुट पर कम निर्भरता के कारण उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी
 - ✓ जलवायु-संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में आय की स्थिरता में सुधार
- **पर्यावरणीय लाभ**
 - ✓ आजीविका सृजन के साथ-साथ मैंग्रोव संरक्षण
 - ✓ कार्बन अवशोषण में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान
 - ✓ चक्रवातों & समुद्र-स्तर वृद्धि के विरुद्ध तटीय लचीलापन बेहतर होना
 - ✓ भूमि क्षरण और जैव विविधता हास की रोकथाम

सुंदरबन

(A) भौगोलिक विस्तार

- सुंदरबन विश्व की सबसे बड़ी सतत (सञ्चित) मैंग्रोव वन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में स्थित है।

- यह विशिष्ट पारितंत्र स्थल और समुद्र के संधि क्षेत्र में स्थित है तथा निम्न-ऊँचाई वाले द्वीपों के गतिशील मोज़ेक से बना है, जिन्हें ज्वारीय क्रिया, अवसाद निक्षेपण और नदी आधारित प्रक्रियाएँ निरंतर पुनः आकार देती रहती हैं।
- यह क्षेत्र भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है।

(B) जैविक परिवर्तन

• वनस्पति (Flora)

- सुंदरबन की मैंग्रोव वनस्पति पर निम्न प्रजातियों का प्रभुत्व है:
 - Heritiera fomes* (सुंदरी)
 - Excoecaria agallocha* (गेवा)
 - Ceriops decandra* (गोरान)
 - Sonneratia apetala* (केओरा)
- मीठे जल के प्रवाह में कमी और समुद्र-स्तर वृद्धि के कारण बढ़ती लवणता, धीरे-धीरे ऊँचे मैंग्रोव वृक्षों को बौनी और लवण-सहिष्णु किसों से प्रतिस्थापित कर रही है, जिससे वन संरचना में परिवर्तन हो रहा है।

• जीव-जंतु (Fauna)

- सुंदरबन में समृद्ध जीव-जंतु विविधता पाई जाती है, जिसमें शामिल हैं:
 - रॉयल बंगाल टाइगर
 - गंगीय तथा इरावदी डॉल्फिन
 - एस्टुअरीन (मुहाना) मगरमच्छ
 - ऑलिव रिडले कछुआ
- यह जैव विविधता मैंग्रोव-मुहाना प्रणाली की उच्च पारिस्थितिक उत्पादकता को दर्शाती है।

(C) पारिस्थितिक भूमिका

- सुंदरबन मछलियों, केकड़ों और झींगों के लिए नर्सरी और प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करते हैं, जिससे समुद्री और तटीय खाद्य शृंखलाओं को समर्थन मिलता है।
- मैंग्रोव वन प्राकृतिक तटीय बफर की तरह कार्य करते हैं, जो चक्रवातों, तूफानी ज्वार और ज्वारीय बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं।
- ये पारितंत्र प्रभावी कार्बन सिंक हैं, जो कार्बन को संग्रहीत कर जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान देते हैं।

(D) सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन

- आजीविका:** सुंदरबन 1.2 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का आधार है, जिनमें लगभग 45 लाख भारत में और 75 लाख बांग्लादेश

में रहते हैं। ये लोग मत्स्ययन, मधुमक्खी पालन, वन उत्पादों और लघु-स्तरीय कृषि पर निर्भर हैं।

- सांस्कृतिक सामंजस्य:** स्थानीय समुदायों का इस पारितंत्र से गहरा सांस्कृतिक संबंध है। पारंपरिक विश्वास, लोककथाएँ और अनुष्ठान प्रकृति के प्रति सम्मान और वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व पर ज़ोर देते हैं।
- बोनबीबी की पूजा:** वन देवी बोनबीबी की उपासना मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच सामंजस्य का प्रतीक है, विशेषकर मानव-बाघ अंतःक्रिया के संदर्भ में।

(E) संरक्षण और संरक्षण स्थिति

- सुंदरबन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में
 - 1987 में (भारत) और
 - 1997 में (बांग्लादेश) नामित किया गया।
- सुंदरबन आर्द्धभूमि (भारत) को 2019 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्धभूमि घोषित किया गया।
- भारत-बांग्लादेश समझौता ज्ञापन (2011) साझा पारितंत्र के संयुक्त संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी को बढ़ावा देता है।

(F) सुंदरबन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल संरक्षित क्षेत्र

- सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (भारत)
- सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य (बांग्लादेश)
- सुंदरबन आरक्षित वन (बांग्लादेश)

मैंग्रोव का महत्व

- कार्बन संचयन:** मैंग्रोव सबसे प्रभावी ल्यू कार्बन पारितंत्रों में से हैं, जो प्रति हेक्टेयर बड़ी मात्रा में कार्बन संचयित करते हैं। लवणीय और ऑक्सीजन-गरीब मृदा जैविक पदार्थ के अपघटन को धीमा कर देती है, जिससे दीर्घकालिक कार्बन भंडारण संभव होता है।
- तटीय संरक्षण:** मैंग्रोव वन प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं और चक्रवातों, सुनामियों, तटीय अपरदन तथा बाढ़ से रक्षा करते हैं। अध्ययनों के अनुसार ये तरंग ऊर्जा को 5%-35% तक और 1 मीटर तक की बाढ़ गहराई को 70% तक कम कर सकते हैं, जिससे तटीय बस्तियों की सुरक्षा होती है।
- जैव विविधता संरक्षण:** मैंग्रोव पारितंत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जहाँ हजारों वनस्पति और जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं। केवल भारत में ही मैंग्रोव 5,700 से अधिक प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे पारिस्थितिक स्थिरता और लचीलापन बढ़ता है।
- आजीविका समर्थन:** मैंग्रोव वैश्विक मत्स्य संसाधनों का आधार हैं, समुद्री जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं और शहद, फल तथा पत्तियों जैसे वन उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, जिससे लाखों तटीय और वन-आश्रित समुदायों की आजीविका बनी रहती है।

मैंग्रोव कार्ड प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

1 जैव विविधता हॉटस्पॉट



मैंग्रोव वन अनगिनत प्रजातियों का घर हैं, जो मछलियों, थार्क, टे मछलियों, समुद्री कछुओं और पक्षियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। वैश्विक मछली पकड़ का लगभग 80% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ठप से मैंग्रोव वनों पर निभटि करता है।

2 आजीविका



जिन मछुआरा समुदायों के साथ हम काम करते हैं, वे अपने पटिवारों का भरण-पोषण करने के लिए अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर निभटि हैं। स्वस्थ मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है स्वस्थ मत्स्य पालन।

3 जल निपटन



समुद्री जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मैंग्रोव वन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये बहते हुए तलछट को रोकते हैं और प्रदूषकों को फंसाकर प्रवाल भित्तियों और समुद्री धारा के मैदानों जैसे जुड़े हुए आवासों की रक्षा करते हैं।

4 भूभाग नियन्ता



जङ्गों और आसपास की वनस्पतियों का घना जाल, जो तलछट को रोककर रखता है, कठार को रोकता है और समय के साथ तटेखाओं और टापुओं का नियन्त्रण कर सकता है।

5. जलवायु परिवर्तन से लड़ना



मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में वायुमंडल से अधिक दर से कार्बन अवशोषित करते हैं, और अपनी नियंत्रित प्रति एकड़ 5 गुना अधिक कार्बन संग्रहित कर सकते हैं।

6 अर्थव्यवस्था



तटीय क्षेत्रों में इन वाले कई समुदाय अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए मैंग्रोव वनों पर निभटि हैं, विशेषकर मत्स्य पालन और पर्यटन क्षेत्रों में। मैंग्रोव वन लड्डों और तूफानी जलप्रापात से सुरक्षा प्रदान करके तूफानों से होने वाले भारी नुकसान को भी कम करते हैं।

भारत के मैंग्रोव पारितंत्र के लिए प्रमुख खतरे और संरक्षण रणनीतियाँ

| पहलू | खतरा | संरक्षण रणनीति |
|--|--|--|
| भूमि रूपांतरण | जलीय कृषि, ताढ़ (ऑयल पाम) और धान की खेती के लिए बड़े पैमाने पर मैंग्रोव की कटाई से मैंग्रोव आवरण में भारी कमी आई है। | तटीय क्षेत्र विनियमन (CRZ) और भूमि-उपयोग नियमों को सख्ती से लागू करना। तटीय विकास योजनाओं में मैंग्रोव बफर ज़ोन को एकीकृत करना। |
| लकड़ी कटाई एवं कोयला उत्पादन | अस्थिर लकड़ी कटाई और ईंधन लकड़ी संग्रह से मैंग्रोव पारितंत्र का क्षरण, जैव विविधता में कमी तथा कार्बन संचयन क्षमता घटती है। | स्थानीय समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देना। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रवर्तन को सुदृढ़ करना। |
| प्रदूषण | तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरा मैंग्रोव पुनर्जनन और मृदा गुणवत्ता को बाधित करते हैं। | फाइटो-रेमेडिएशन (वनस्पति-आधारित शोधन) और स्वच्छता अभियानों का क्रियान्वयन। तेल और रासायनिक रिसाव पर कड़ी दायित्व व्यवस्था लागू करना। |
| आक्रामक प्रजातियाँ | Prosopis juliflora जैसी प्रजातियाँ देशज वनस्पति को प्रतिस्पर्धा में पछाड़ देती हैं, मृदा लवणता बदलती हैं और मैंग्रोव पुनर्जनन को अवरुद्ध करती हैं। | जैव-पुनर्स्थापन विधियों का उपयोग तथा देशज प्रजातियों का पुनरोपण कर उनकी रक्षा करना। |
| जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र-स्तर वृद्धि | बढ़ती लवणता, तटीय अपरदन और जलमग्नता मैंग्रोव आवासों को खतरे में डालती है। | ब्लू कार्बन पहल को सुदृढ़ करना। जलवायु-सहनशील मैंग्रोव पट्टियों का निर्माण। |

निष्कर्ष

SAIME मॉडल दर्शाता है कि मैंग्रोव संरक्षण और जलीय कृषि सह-अस्तित्व में रह सकते हैं, जिससे आजीविका और जलवायु लचीलापन दोनों को बढ़ावा मिलता है। यह कार्बन उत्सर्जन में कमी लाते हुए तटीय पारितंत्रों की रक्षा करता है और सतत व समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "सतत जलीय कृषि पर्यावरण संरक्षण और आजीविका सुरक्षा के बीच सेतु का कार्य कर सकती है।" इस कथन के आलोक में, सुंदरबन के FAO-मान्यता प्राप्त SAIME मॉडल के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन और तटीय आजीविका से निपटने में पारितंत्र-आधारित जलीय कृषि की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द) (15 अंक)

पुनर्जीवन की आवश्यकता

वर्षों के दौरान गोमती नदी का गंभीर क्षरण हुआ है, जिसके कारण हैं:

- अशोधित तथा आंशिक रूप से उपचारित शहरी सीधेज का नदी में निर्वहन
- अतिक्रमण, जिससे नदी चैनल संकरा होता गया
- आर्द्धभूमियों और बाढ़ मैदानों का हास
- जलीय जैव विविधता और जल गुणवत्ता में गिरावट

अन्य अध्ययनों से यह भी संकेत मिलता है कि विशेषकर लखनऊ जैसे शहरी हिस्सों में जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) अधिक और घुलित ऑक्सीजन (DO) का स्तर कम पाया गया है।

गोमती पुनर्जीवन मिशन की प्रमुख विशेषताएँ

बेसिन-स्तरीय दृष्टिकोण

- ✓ यह मिशन अलग-अलग शहरी हिस्सों के बजाय पूरे गोमती नदी बेसिन को कवर करते हुए एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन अपनाता है।

- ✓ स्रोत-से-सिंक (Source-to-Sink) योजना पर विशेष ध्यान, जो नदी पुनर्स्थापन की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

सीधेज प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण

- ✓ 39 प्रमुख नालों की पहचान, जिनमें से 13 पहले बिना उपचार के थे।
- ✓ नदी में अशोधित सीधेज के शून्य निर्वहन को सुनिश्चित करने का लक्ष्य।
- ✓ 605 MLD की संयुक्त क्षमता वाले 6 मौजूदा सीधेज शोधन संयंत्र (STPs) का उन्नयन।
- ✓ नए STPs का निर्माण तथा नालों को शोधन संयंत्रों की ओर मोड़ना।

पारिस्थितिक पुनर्स्थापन

- ✓ आर्द्धभूमियों का विकास और पुनर्जीवन, जिनमें लखनऊ की एकाना आर्द्धभूमि और साजन झील शामिल हैं।
- ✓ आर्द्धभूमियाँ प्राकृतिक जैव-फ़िल्टर के रूप में कार्य करेंगी, भूजल पुनर्भरण बढ़ाएँगी और जैव विविधता को सुदृढ़ करेंगी।
- ✓ नदी तटों के साथ हरित आवरण का विस्तार, जिससे मृदा स्थिरकरण होगा और अपवाह-जनित प्रदूषण कम होगा।

अतिक्रमण हटाना

- ✓ नदी तल और बाढ़ मैदानों से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान।
- ✓ नदी की प्राकृतिक चौड़ाई और प्रवाह व्यवस्था की बहाली।

रिवरफ्रंट एवं सामुदायिक सहभागिता


- ✓ नगरिकों को नदी से पुनः जोड़ने हेतु घाटों और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यकरण।
- ✓ नदी संरक्षण और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान।

गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन

चर्चा में क्यों: उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती नदी को उसके "स्वच्छ, अविरल और निर्मल" स्वरूप में पुनर्स्थापित करने के लिए गोमती पुनर्जीवन मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य नदी में प्रवाहित होने वाले शहरी सीधेज के 95% को रोकना/उपचारित करना है तथा पीलीभीत से गाजीपुर तक पूरे नदी बेसिन को कवर करना है।

गोमती नदी के बारे में

- गोमती एक भूजल-आधारित, बारहमासी नदी है तथा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसकी लंबाई लगभग 960 किमी है।
- इसका उद्भव पीलीभीत ज़िले के माधोटांडा के निकट होता है और यह लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों से होकर बहते हुए गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है।
- यह नदी पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है—विशेषकर शहरी जलापूर्ति, जैव विविधता और धार्मिक आचरणों के लिए।



संस्थागत तंत्र

गोमती टास्क फोर्स

- जनवरी 2025 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के अंतर्गत गठित।
- सदस्य शामिल हैं:**
 - ✓ राज्य स्वच्छ गंगा मिशन
 - ✓ सिंचाई विभाग
 - ✓ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 - ✓ जल निगम
 - ✓ शहरी स्थानीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण
 - ✓ विषय विशेषज्ञ
- निगरानी और जवाबदेही**
 - ✓ टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठकें।
 - ✓ त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करना।
 - ✓ पर्याप्त वित्तीय एवं लॉजिस्टिक समर्थन का आश्वासन, जिसमें ट्रैक बोट, फ्लोटिंग बैरियर और खुदाई मशीनें जैसे उपकरण शामिल।

गोमती पुनर्जीवन मिशन का महत्व

- पर्यावरणीय महत्व:** अशोधित सीवेज को रोककर, आर्द्रभूमियों का पुनर्जीवन कर और नदी की प्राकृतिक धाराओं को बहाल करके जल गुणवत्ता और पारिस्थितिक प्रवाह में सुधार। इससे जलीय जैव विविधता सुदृढ़ होगी और गंगा नदी प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य में सुधार आएगा।
- शहरी एवं सामाजिक महत्व:** शहरी स्वच्छता, जन स्वास्थ्य और बाढ़ लचीलापन में वृद्धि, विशेषकर लखनऊ जैसे शहरों में। शहरी आबादी के लिए जीवन गुणवत्ता और जल सुरक्षा में सुधार।
- शासी व्यवस्था संबंधी महत्व:** यह पहल एकीकृत नदी बेसिन शासन की ओर बदलाव को दर्शाती है, जिसमें विभागीय समन्वय, नियमित निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है—वह भी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के ढाँचे के अंतर्गत।

चुनौतियाँ

- अवसंरचना और सीवेज प्रबंधन:** तीव्र शहरीकरण के कारण सीवेज शोधन संयंत्रों (STPs) की क्षमता और रखरखाव पीछे रह गए हैं, जिससे नालों से होने वाले प्रदूषण को रोकना और उसका सतत नियंत्रण एक बड़ी कार्यान्वयन चुनौती बना हुआ है।
- अतिक्रमण और भूमि-उपयोग दबाव:** बाढ़ मैदानों और नदी तटों पर लंबे समय से चले आ रहे अतिक्रमणों ने नदी चैनल को संकरा कर दिया है, जिससे प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है और पुनर्स्थापन प्रयास जटिल हो जाते हैं।
- व्यवहारगत एवं संस्थागत बाधाएँ:** जन-जागरूकता की कमी, कमज़ोर सामुदायिक सहभागिता तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव से नदी पुनर्जीवन की दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित होती है।

आगे की राह


- प्रदूषण नियंत्रण को सुदृढ़ करना:** वास्तविक-समय निगरानी के साथ STPs का उत्त्रयन, विकेंद्रीकृत शोधन प्रणालियाँ तथा निर्वहन मानकों का कड़ा प्रवर्तन—ये सभी जल गुणवत्ता में सतत सुधार के लिए आवश्यक हैं।
- पारिस्थितिक और प्रकृति-आधारित समाधान:** आर्द्रभूमियों, बाढ़ मैदानों और तटीय/नदी-किनारी वनस्पति का पुनर्स्थापन प्राथमिकता पर होना चाहिए, ताकि प्राकृतिक शोधन, भूजल पुनर्भरण और जलवायु लचीलापन बढ़े।
- सहभागी और जवाबदेह शासन:** सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना, पारदर्शी रिपोर्टिंग, तृतीय-पक्ष लेखा-परीक्षण और निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता—मिशन की दीर्घकालिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।

निष्कर्ष

गोमती पुनर्जीवन मिशन नदी पुनर्स्थापन के लिए एक समग्र और पारितंत्र-आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह भारत में शहरी नदियों के पुनर्जीवन का आदर्श मॉडल बन सकता है और नमामि गंगे तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप सतत जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जीवन गुणवत्ता में सुधार में योगदान दे सकता है।

कैंपी फ्लेग्रेई में एआई-आधारित भूकंपीय मानचित्रण

चर्चा में क्यों: पत्रिका Science में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित भूकंपीय विश्लेषण ने इटली के कैंपी फ्लेग्रेई ज्वालामुखीय क्षेत्र के नीचे एक पहले अज्ञात रिंग-आकार की भूवैज्ञानिक भ्रंश (फॉल्ट) का खुलासा किया है। इस भ्रंश को 2022 से 2025 के बीच दर्ज दसियों हज़ार भूकंपीय घटनाओं से जोड़ा गया है और यह मध्यम से तीव्र भूकंप (परिमाण 5 तक) उत्पन्न करने में सक्षम हो सकता है।



कैंपी फ्लेग्रेई ज्वालामुखी के बारे में

- अवस्थिति:** इटली में नेपल्स के पश्चिम में
- प्रकार:** विशाल ज्वालामुखीय काल्डेरा (धॅसी हुई ज्वालामुखीय अवसाद संरचना)

- **आकार:** व्यास लगभग 11 किमी (7 मील)
- **जोखिम ग्रस्त जनसंख्या:**
 - ✓ काल्डेरा के भीतर लगभग 3.6 लाख लोग रहते हैं
 - ✓ आसपास के महानगरीय क्षेत्र में लगभग 15 लाख लोग निवास करते हैं
- **भौवैज्ञानिक महत्व**
 - ✓ कैंपी फ्लेग्रेई को यूरोप के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है।
 - ✓ पिछले 40,000 वर्षों में यहाँ यूरोपीय इतिहास के दो सबसे बड़े विस्फोट हुए हैं।
 - ✓ यह क्षेत्र ब्रैडिसिज्म (भूमि का धीमा उत्थान और अवतलन) के लंबे इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से पोजुओली नगर में देखा गया है।

एआई-आधारित अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **भूकंपों की बड़े पैमाने पर कम पहचान (अंडर-डिटेक्शन):**
 - ✓ पारंपरिक भूकंपीय निगरानी में 2022 से मध्य-2025 के बीच लगभग 12,000 भूकंप दर्ज किए गए।
 - ✓ इसी अवधि में एआई मॉडल ने लगभग 54,000 भूकंपीय घटनाओं की पहचान की।
 - ✓ इससे संकेत मिलता है कि पारंपरिक तरीकों से लगभग 75% भूकंप दर्ज ही नहीं हो पाए थे।
- **“रिंग फ़ॉल्ट” (वृत्ताकार भ्रंश) की खोज:**
 - ✓ नए पहचाने गए भूकंपों के मानचित्रण से वैज्ञानिकों ने काल्डेरा के केंद्रीय उत्थान क्षेत्र के चारों ओर एक स्पष्ट, वलयाकार भ्रंश की पहचान की।
 - ✓ यह रिंग फ़ॉल्ट स्थल (ऑनशोर) और समुद्र (ऑफशोर)—दोनों में फैला हुआ है और उन क्षेत्रों को घेरता है जहाँ भूमि उत्थान अधिकतम है।
 - ✓ ऐसे रिंग फ़ॉल्ट सामान्यतः काल्डेरा गतिकी से जुड़े होते हैं और भूकंपीय तनाव मुक्त होने के क्षेत्र के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- **भूकंप जोखिम की संभावना:**
 - ✓ पोजुओली के नीचे दो महत्वपूर्ण भ्रंशों के अभिसरण का पता चला है—यहीं वह नगर है जहाँ 1980 के दशक में बड़े पैमाने पर निकासी हुई थी।
 - ✓ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि परिमाण 5 तक के भूकंप संभावित हैं, जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गंभीर क्षति पहुँचा सकते हैं।
- **निरंतर भूमि उत्थान:**
 - ✓ पोजुओली के नीचे की भूमि वर्तमान में लगभग 10 सेमी प्रति वर्ष की दर से ऊपर उठ रही है।
 - ✓ उत्थान क्षेत्र लगभग पूरी तरह से नए पहचाने गए रिंग फ़ॉल्ट से घिरा हुआ है, जो सतही विकृति पर संरचनात्मक नियंत्रण का संकेत देता है।

अध्ययन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका

- **पारंपरिक भूकंपीय निगरानी:**
 - ✓ सिस्मोग्राम से भूमि कंपनों में अचानक वृद्धि (फेज़ पिकिंग) की पहचान पर आधारित।
 - ✓ प्रभावी होने के बावजूद, छोटे, परस्पर आच्छादित या कम तीव्रता वाले भूकंपीय घटनाओं की पहचान में सीमित।
- **एआई-आधारित दृष्टिकोण:**
 - ✓ मशीन लर्निंग मॉडल को विशेषज्ञों द्वारा लेबल किए गए लाखों भूकंपीय अभिलेखों से प्रशिक्षित किया गया।
 - ✓ प्रणाली समय के साथ भूकंपों के पैटर्न सीखती है और पहचान की सटीकता में निरंतर सुधार करती है।
 - ✓ इससे ज्वालामुखी के नीचे मौजूद पहले अद्वय भूकंपीय संरचनाओं की पहचान संभव हुई।

महत्वपूर्ण अवलोकन और सीमाएँ

- सभी पहचाने गए भूकंप उथले थे (लगभग 4 किमी से कम गहराई पर)।
- अब तक मैग्मा के सतह की ओर प्रवासन का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
- अतः भूकंपीय जोखिम बढ़ने के बावजूद तत्काल ज्वालामुखीय विस्फोट की चेतावनी का संकेत नहीं है।

महत्व

- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण:**
 - ✓ बेहतर पहचान और भ्रंश मानचित्रण से भूकंपीय खतरों का सटीक आकलन संभव होता है, जिससे शमन और निकासी रणनीतियों में सहायता मिलती है।
- **पूर्व चेतावनी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:**
 - ✓ छोटे किंतु संभावित रूप से विघटनकारी भूकंपों की पहचान कर, एआई वास्तविक-समय और अधिक विश्वसनीय निगरानी प्रदान करता है।
- **शहरी सुरक्षा योजना:**
 - ✓ सटीक भूकंपीय मानचित्रण घनी आबादी वाले ज्वालामुखीय क्षेत्रों में सुरक्षित अवसंरचना डिज़ाइन और भूमि-उपयोग योजना को समर्थन देता है।
- **वैश्विक अनुग्रहोग क्षमता:**
 - ✓ एआई-आधारित भूकंपीय उपकरणों को विश्वभर के अन्य सक्रिय ज्वालामुखीय और भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, जिससे वैश्विक आपदा तैयारी बेहतर होगी।
 - ✓ इस एआई मॉडल को निम्न जैसे सक्रिय क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है:
 - सैटोरिनी (ग्रीस)
 - माउंट एटना (इटली)
 - विश्वभर की अन्य अशांत काल्डेरा प्रणालियाँ

निष्कर्ष

कैपी फ्लेग्रेइ में एआई-आधारित रिंग फ़ॉल्ट की खोज ज्वालामुखीय जोखिम आकलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। यद्यपि यह किसी तत्काल ज्वालामुखीय विस्फोट का संकेत नहीं देती, फिर भी यह विश्व के सबसे घनी आबादी वाले ज्वालामुखीय क्षेत्रों में से एक में छिपे हुए भूकंपीय जोखिमों को उजागर करती है। यह अध्ययन रेखांकित करता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार आपदा तैयारी को सुदृढ़ कर सकती है, वैज्ञानिक समझ को बेहतर बना सकती है और साक्ष्य-आधारित नीति निर्णयों को समर्थन दे सकती है—जिससे यह आधुनिक शासन और सतत विकास के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक बन जाती है।

आर्मेनिया - आइयूसीएन का नवीनतम सदस्य

चर्चा में क्यों: हाल ही में, आर्मेनिया प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN) का नवीनतम राज्य सदस्य बन गया है। यह घोषणा अबू धाबी में आयोजित IUCN संरक्षण कांग्रेस के दौरान की गई। यह कदम जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास और वैश्विक पर्यावरणीय शासन के प्रति आर्मेनिया की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN) के बारे में

- स्थापना:** 1948
- मुख्यालय:** ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड
- स्वरूप:** विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरणीय नेटवर्क
- सदस्य:** 1,400 से अधिक—जिसमें देश, सरकारी एजेंसियाँ, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और आदिवासी संगठन शामिल हैं
- मुख्य कार्य:**
 - ✓ IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची (IUCN Red List of Threatened Species) का संधारण
 - ✓ विज्ञान-आधारित संरक्षण मानक और उपकरण विकसित करना
 - ✓ प्रकृति-आधारित समाधान (NbS) को समर्थन देना
 - ✓ जैव विविधता नीति और पर्यावरण कानून पर सरकारों को परामर्श देना

आर्मेनिया की सदस्यता का महत्व

- आर्मेनिया को वैश्विक वैज्ञानिक विशेषज्ञता, संरक्षण उपकरणों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों तक पहुँच मिलती है।
- जैव विविधता निगरानी, पारितंत्र पुनर्स्थापन और सतत भूमि उपयोग के लिए राष्ट्रीय क्षमता सुदृढ़ होती है।
- जैविक विविधता अभिसमय (CBD) के COP-17 (2026) की मेज़बानी की तैयारियों को समर्थन मिलता है, जिससे आर्मेनिया की वैश्विक पर्यावरणीय पहचान मजबूत होती है।
- अंतरराष्ट्रीय संरक्षण मानकों के अनुरूप आर्मेनिया के पर्यावरणीय कानूनों और प्रथाओं का संरेखण होता है।

आर्मेनिया की जैव विविधता प्रोफ़ाइल

- भौगोलिक अवस्थिति:** यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित—जिससे उच्च पारिस्थितिक विविधता पाई जाती है।
- प्रमुख पारितंत्र:**
 - ✓ अल्पाइन घासभूमियाँ
 - ✓ पर्वतीय वन
 - ✓ अर्ध-मरुस्थलीय क्षेत्र
 - ✓ मीठे जल के पारितंत्र (झीलें और नदियाँ)
- उल्लेखनीय प्रजातियाँ**
 - ✓ कॉकसियन तेंदुआ — गंभीर रूप से संकटग्रस्त
 - ✓ बैज़ोअर बकरी — स्थानिक और संकटग्रस्त
 - ✓ सेवन ट्राउट — सेवन झील की स्थानिक प्रजाति

ये प्रजातियाँ कॉकसस क्षेत्र में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में आर्मेनिया की भूमिका को रेखांकित करती हैं।

आर्मेनिया द्वारा अपनाई गई नीतिगत पहलें

- राष्ट्रीय जैव विविधता राजनीति एवं कार्य योजना (NBSAP)
- रेड बुक ऑफ आर्मेनिया, जिसमें संकटग्रस्त वनस्पति और जीव-जंतुओं का दस्तावेजीकरण
- संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार
- वन पुनर्स्थापन पहलें
- राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानूनों का वैश्विक ढाँचों के साथ समन्वय

प्रमुख चुनौतियाँ

- जैव विविधता निगरानी प्रणालियों की कमज़ोरी
- कानूनी प्रवर्तन तंत्र को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता
- संरक्षण के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण का अभाव
- जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और आवास विखंडन से उत्पन्न दबाव

आगे की राह

- IUCN के विज्ञान-आधारित उपकरणों और नीतिगत मार्गदर्शन का प्रभावी उपयोग
- राष्ट्रीय योजना में प्रकृति-आधारित समाधानों को सुदृढ़ करना
- संस्थागत क्षमता और संरक्षण वित्तपोषण को मजबूत करना
- जैव विविधता शासन में क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना

उदाहरण - आर्मेनिया के हरित संक्रमण लक्ष्य

- 2030 तक राष्ट्रीय क्षेत्रफल के 12.9% में वन पुनर्स्थापन
- मीठे जल के पारितंत्रों का संरक्षण, विशेषकर झील सेवन
- विकास योजना में जैव विविधता को मुख्यधारा में शामिल करना

निष्कर्ष

प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN) में आर्मेनिया का प्रवेश जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय नेतृत्व को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे समय में जब पारिस्थितिक चुनौतियाँ तेज़ी से बढ़

रही हैं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैविक विविधता अभिसमय (CBD) और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभवित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN) और भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत 1969 से IUCN का राज्य सदस्य रहा है।
2. IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची का निर्माण विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किया जाता है।
3. भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) जैसे संस्थान IUCN गतिविधियों से संबद्ध हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
 - (a) केवल 1 और 3
 - (b) केवल 1
 - (c) केवल 2 और 3
 - (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

- अरुणाचल प्रदेश पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, जिसे उच्च स्थानिकता और प्रजाति समृद्धि के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त है।

खोज की प्रमुख विशेषताएँ

- इस नई प्रजाति की पहचान राज्य उद्यानिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान (SHRDI) के वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान की गई।
- यह पौधा अपनी चमकीली लाल पत्तियों और विशिष्ट आकारिकी (मॉर्फोलॉजिकल) लक्षणों के कारण अलग पहचाना जाता है।
- इस प्रजाति का नाम “चोवना बुकु चुलु” रखा गया है, जो उद्यानिकी अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करने में योगदान के लिए अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोवना मीन के सम्मान में है।
- यह खोज उत्तर-पूर्व भारत के अब तक कम अन्वेषित वन क्षेत्रों की वैज्ञानिक क्षमता को उजागर करती है।

खोज का महत्व

- **पारिस्थितिक महत्व**
 - ✓ पादप विविधता और पारितंत्र लचीलापन की समझ को सुदृढ़ करता है।
 - ✓ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के माध्यम से संरक्षण योजना को समर्थन देता है।
 - ✓ पूर्वी हिमालय के वैश्विक पारिस्थितिक महत्व को और सुदृढ़ करता है।
- **वैज्ञानिक महत्व**
 - ✓ वर्गिकी (टैक्सोनॉमिक) अनुसंधान और वनस्पति प्रलेखन में योगदान देता है।
 - ✓ औषधीय तथा सजावटी वनस्पति अनुसंधान की संभावनाएँ खोलता है।
 - ✓ जैविक विविधता अभिसमय (CBD) जैसे वैश्विक ढाँचों के अंतर्गत भारत के जैव विविधता डाटाबेस को मजबूत करता है।
- **सांस्कृतिक एवं संस्थागत महत्व**
 - ✓ प्रजाति का नामकरण विज्ञान, स्थानीय पहचान और शासन के समन्वय को दर्शाता है।
 - ✓ जैव विविधता संरक्षण में राज्य-स्तरीय अनुसंधान संस्थानों की भूमिका को रेखांकित करता है।

उल्लेखित चुनौतियाँ

- वनों की कटाई और अवसंरचना विस्तार के कारण पर्यावास (हैबिटेट) का हास।
- जलवायु परिवर्तन के कारण नाजुक हिमालयी पारितंत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव।
- दूरस्थ क्षेत्रों में वनस्पति का सीमित प्रलेखन।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों में वैज्ञानिक मानव संसाधन और अनुसंधान वित्तपोषण की अपर्याप्तता।



पृष्ठभूमि

- बेगोनिया पुष्टीय पौधों की सबसे बड़ी वंशावलियों (जीनस) में से एक है, जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
- भारत, विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, विविध भू-आकृति, जलवायु और वर्षा के कारण उच्च पादप विविधता के लिए जाना जाता है।

आगे की राह

- अप्रयुक्ति/अन्वेषण-विहीन क्षेत्रों में बनस्पति सर्वेक्षण और जैव विविधता मानचित्रण को सुदृढ़ करना।
- राज्य-स्तरीय अनुसंधान संस्थानों की संस्थागत क्षमता को बढ़ाना।
- संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता और आदिवासी/स्थानीय ज्ञान को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना के अनुरूप नीतिगत ढाँचों में खोजों का एकीकरण।
- आवास संरक्षण सुनिश्चित करते हुए सतत पारिस्थितिक पर्यटन (इको-ट्रूरिज़म) को बढ़ावा देना।

पलाऊ द्वारा विश्व का पहला लाइव अंडरवाटर इंटरव्यू

चर्चा में क्यों: प्रशांत महासागर का छोटा द्वीपीय देश पलाऊ हाल ही में विश्व का पहला लाइव अंडरवाटर इंटरव्यू आयोजित करने वाला देश बना। इसका उद्देश्य महासागर संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की ताकालिकता को उजागर करना था। यह साक्षात्कार पलाऊ के राष्ट्रपति सुरांगेल व्हिस्प जूनियर और एस्टोनियाई ओलंपिक तैराक व पर्यावरण कार्यकर्ता मेरले लिवांड के बीच समुद्र की सतह के नीचे आयोजित किया गया।



पलाऊ के बारे में

- अवस्थिति:** पश्चिमी प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पूर्व में
- भूगोल:** लगभग 340 द्वीपों का एक द्वीपसमूह
- संवेदनशीलता:** समुद्र-स्तर वृद्धि, प्रवाल विरंजन (कोरल ब्लीचिंग) और जलवायु-प्रेरित तटीय अपरदन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील
- आर्थिक निर्भरता:** मत्स्यन और पारिस्थितिक पर्यटन (इको-ट्रूरिज़म)—दोनों स्वरूप समुद्री पारितंत्रों पर निर्भर

नोट: पलाऊ लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में शामिल है, जिन्हें वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान के बावजूद जलवायु परिवर्तन से अस्तित्वगत खतरे का सामना करना पड़ता है।

अंडरवाटर इंटरव्यू: प्रमुख विशेषताएँ

- साक्षात्कार जल के भीतर आयोजित हुआ, जो समुद्री पारितंत्रों के साथ मानवता की प्रत्यक्ष सहभागिता का प्रतीक है।
- इसका उद्देश्य महासागरों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर वैश्विक जागरूकता उत्पन्न करना था।
- राष्ट्रपति व्हिस्प ने स्वीकार किया कि पलाऊ के कुछ निम्न-स्थित द्वीप आने वाले दशकों में समुद्र-स्तर वृद्धि के कारण रहने योग्य नहीं रह सकते हैं।

प्रौद्योगिकीय नवाचार: LiFi टॉकिंग मास्क

- यह साक्षात्कार LiFi टॉकिंग मास्क की सहायता से संभव हुआ।
- LiFi (लाइट फ़िडेलिटी) ध्वनि और डेटा के संप्रेषण के लिए रेडियो तरंगों के स्थान पर प्रकाश तरंगों का उपयोग करता है, जो जल के भीतर भी प्रभावी रूप से कार्य करता है।
- जल के भीतर LiFi का महत्व:**
 - ✓ रेडियो तरंगें जल के भीतर प्रभावी ढंग से संचरित नहीं होतीं।
 - ✓ LiFi गोताखोरों, वैज्ञानिकों और खोज एवं बचाव अभियानों के लिए स्पष्ट संचार संभव बनाता है।
- यह दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार पर्यावरणीय पक्षधरता और समुद्री अनुसंधान को समर्थन दे सकती है।

वैश्विक संदर्भ और पूर्व उदाहरण

- 2009:** मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने द्वीपीय देशों पर जलवायु खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व की पहली जल के भीतर मंत्रिमंडल बैठक आयोजित की।
- 2019:** सेशेल्स के तत्कालीन राष्ट्रपति डैनी फॉर ने हिंद महासागर में एक पनडुब्बी से महासागर संरक्षण पर केंद्रित साक्षात्कार दिया।

नोट: ये घटनाएँ कमज़ोर देशों द्वारा प्रतीकात्मक जलवायु कूटनीति के बढ़ते उपयोग को रेखांकित करती हैं, जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु वार्ताओं को प्रभावित करना है।

जलवायु परिवर्तन और महासागर शासन के लिए महत्व

- महासागर संरक्षण**
 - ✓ महासागर ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु को नियंत्रित करते हैं।
 - ✓ प्रमुख खतरे हैं: महासागर अम्लीकरण, प्रवाल भित्तियों का क्षरण, प्लास्टिक प्रदूषण और अति मत्स्यन।
- जलवायु न्याय**
 - ✓ पलाऊ जैसे लघु द्वीपीय विकासशील देश (SIDS) जलवायु परिवर्तन के असमान रूप से अधिक प्रभाव झेलते हैं।
 - ✓ यह समानता, उत्तरदायित्व और जलवायु वित्त से जुड़े नैतिक प्रश्नों को सामने लाता है।

- **वैश्विक पर्यावरणीय शासन**

- ✓ निम्न के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करता है:
 - संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 14 (जल के नीचे जीवन)
 - UNFCCC और पेरिस समझौता
- ✓ विकसित देशों द्वारा महत्वाकांक्षी शमन & संवेदनशील देशों के लिए अनुकूलन समर्थन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत के लिए प्रासंगिकता

- भारत की लंबी तटरेखा (लगभग 7,500 किमी) है और उसकी लूं इकॉनमी व्यापक है।
- भारत को भी तटीय अपरदन, समुद्र-स्तर वृद्धि और समुद्री प्रदूषण जैसी समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- यह भारत की निम्न पहलों के साथ संगति रखता है:

- ✓ डीप ओशन मिशन
- ✓ राष्ट्रीय तटीय मिशन
- ✓ वैश्विक मंचों पर जलवायु न्याय के लिए पक्षधरता

निष्कर्ष

पलाऊ द्वारा आयोजित अंडरवाटर इंटरव्यू नवोन्मेषी पर्यावरणीय कूटनीति का एक सशक्त उदाहरण है, जिसमें प्रौद्योगिकी, प्रतीकवाद और नेतृत्व का समन्वय कर एक तात्कालिक वैश्विक संदेश दिया गया। जैसे-जैसे जलवायु प्रभाव तीव्र होते जा रहे हैं, ऐसी पहलें यह स्मरण कराती हैं कि महासागरों का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए केंद्रीय है, न कि केवल एक पर्यावरणीय चिंता।

CHAHAL ACADEMY

यूपीएससी-सिविल सेवा परीक्षा

2026/27/28

प्रवेश प्रारंभ

एनसीईआरटी+जीएस+सीसैट
फाउंडेशन बैच के लिए

माध्यम

English

हिंदी

द्विभाषी (Bilingual)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2025

चर्चा में क्यों: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) ने भारत भर में **विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2025** मनाया, जिसका उद्देश्य सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति जागरूकता, समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

सेरेब्रल पाल्सी के बारे में

- परिभाषा:** सेरेब्रल पाल्सी (CP) स्थायी तंत्रिका संबंधी विकारों का एक समूह है, जो गति, शारीरिक मुद्रा और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है। यह जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद मस्तिष्क को हुए नुकसान या असामान्य विकास के कारण होता है।
- रोग की प्रकृति:** सेरेब्रल पाल्सी गैर-प्रगतिशील प्रकृति की होती है, यानी मस्तिष्क की क्षति समय के साथ बढ़ती नहीं है। हालांकि, व्यक्ति के बढ़ने के साथ इसके शारीरिक प्रभावों में बदलाव आ सकता है।
- लक्षण और प्रभाव:**
 - ✓ चलने-फिरने और समन्वय में कठिनाई
 - ✓ स्पास्टिस्टी (मांसपेशियों में अकड़न) या अनैच्छिक गतियाँ
 - ✓ शरीर का संतुलन, बोलने और निगलने में समस्या
 - ✓ सहवर्ती समस्याएँ जैसे दृष्टि या श्रवण बाधा, बौद्धिक अक्षमता या मिर्गी
- प्रचलन (Prevalence):**
 - ✓ WHO के अनुसार, सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में सबसे सामान्य मोटर विकलांगता है, जो विश्व स्तर पर प्रति 1,000 जीवित जन्मों में लगभग 2 से 3 बच्चों को प्रभावित करती है।

विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2025

- थीम: "Unique and United" (अद्वितीय और एकजुट)** यह थीम सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त व्यक्तियों की विशिष्टता और सामर्थ्य का उत्सव मनाते हुए एकता, समावेशन और सशक्तिकरण की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- उद्देश्य:**
 - ✓ सेरेब्रल पाल्सी के प्रति जन-जागरूकता और समझ बढ़ाना।
 - ✓ शीघ्र निदान और पुनर्वास के महत्व को उजागर करना।
 - ✓ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पारिवारिक और सामुदायिक सहयोग को प्रोत्साहित करना।
 - ✓ समावेशी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।

भारत भर में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

- स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (SVNIRTAR), ओडिशा:**
 - ✓ सेरेब्रल पाल्सी (CP) से ग्रस्त बच्चों के लिए वॉकिंग प्रतियोगिता और टारगेट बॉल गेम का आयोजन किया गया।
 - ✓ गतिविधियाँ बच्चों की शक्ति, समन्वय और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित की गईं।
- राष्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांग संस्थान (NILD), कोलकाता:**
 - ✓ सिट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
 - ✓ "Unique and United" थीम के अंतर्गत बच्चों, अभिभावकों और देखभालकर्ताओं सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- राष्ट्रीय बहुदिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान (NIEPMMD), चेन्नई:**
 - ✓ सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) से ग्रस्त बच्चों के अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
 - ✓ सत्रों में थेरेपी विकल्पों, प्रारंभिक हस्तक्षेप और पारिवारिक मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान दिया गया।
- समग्र क्षेत्रीय केंद्र (CRCs):**
 - ✓ **त्रिपुरा:** प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।
 - ✓ **नेल्लोर:** मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पर फोकस किया गया।
 - ✓ **भोपाल:** विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस और मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर छात्रों और शिक्षकों के लिए इंटरैक्टिव स्कूल-आधारित सत्र आयोजित किए गए।
- ये सभी पहलें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समुदाय-स्तरीय पुनर्वास और जागरूकता निर्माण पर भारत के बढ़ते जोर को दर्शाती हैं।**

अवलोकन का महत्व

- दिव्यांग व्यक्तियों की समावेशी भागीदारी और सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।
- परिवारों और समुदायों में प्रारंभिक हस्तक्षेप और विशेष शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाता है।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act)** के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी सहित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है।

- संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग अधिकार अभिसमय (UNCRPD) के अंतर्गत भारत की जिम्मेदारियों के निर्वहन में योगदान देता है।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रमुख सरकारी पहलें

- **सुगम्य भारत अभियान:**
 - ✓ निर्मित वातावरण, सार्वजनिक परिवहन और आईसीटी (ICT) को सभी के लिए सुलभ बनाने का लक्ष्य।
- **दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS):**
 - ✓ दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशिष्ट दिव्यांग पहचान (UDID) परियोजना:**
 - ✓ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करती है और लाभों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करती है।
- **राष्ट्रीय संस्थान और समग्र क्षेत्रीय केंद्र:**
 - ✓ पूरे भारत में पुनर्वास, प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
- **समावेशी शिक्षा – समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत:**
 - ✓ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उचित सहयोग के साथ मुख्यधारा के विद्यालयों में शामिल करना सुनिश्चित करता है।

चुनौतियाँ

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक पहचान और थेरेपी तक सीमित पहुँच।
- फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट जैसे प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी।
- समाज में स्टिम्गा और जागरूकता की कमी।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता।

आगे की राह

- प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में पुनर्वास और प्रारंभिक हस्तक्षेप को एकीकृत करना।
- सामुदायिक-आधारित पुनर्वास (CBR) मॉडलों का विस्तार करना।
- डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टूल्स और टेली-रिहैबिलिटेशन सेवाओं को बढ़ावा देना।
- स्वीकृति और सहानुभूति को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियानों को मजबूत करना।
- अनुसंधान और सहायक प्रौद्योगिकी (Assistive Technology) नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2025 का आयोजन समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में भारत की निरंतर यात्रा का प्रतीक है। नीति प्रयासों, सामुदायिक सहभागिता और तकनीकी नवाचार को एकीकृत करके भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि दिव्यांग व्यक्ति गरिमा,

समानता और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन व्यतीत करें — जिससे एक समावेशी और सशक्त समाज की परिकल्पना साकार हो सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सेरेब्रल पाल्सी (CP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विकसित हो रहे मस्तिष्क को हुई क्षति के कारण होने वाला एक गैर-प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है।
2. यह मुख्य रूप से गति, मांसपेशियों के टोन और शारीरिक मुद्रा को प्रभावित करता है।
3. इसे प्रारंभिक फिजियोथेरेपी द्वारा पूरी तरह ठीक किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

कप सिरप में मिलावट और संशोधित M अनुसूची

चर्चा में क्यों: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी औषधि निर्माताओं को औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अंतर्गत संशोधित M अनुसूची के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में दृष्टिखाँसी की दवा के सेवन से कई बच्चों की मृत्यु के बाद उठाया गया है। नियमों का पालन न करने वाली दवा इकाइयों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।

घटनाक्रम की पृष्ठभूमि

- तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग ने तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित एक इकाई द्वारा निर्मित कोल्डरिफ खाँसी की दवा के नमूनों में डायइथिलीन ग्लाइकोल (DEG) की मिलावट का पता लगाया।
- इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसी ब्रांड से जुड़ी कई बच्चों की मौतें सामने आईं।
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा की गई जाँच में पुष्टि हुई कि सिरप में अनुमेय सीमा से अधिक DEG पाया गया।
- तमिलनाडु के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने तत्काल उत्पादन रोकने का आदेश दिया, जबकि CDSCO ने निर्माण लाइसेंस रद्द करने और कंपनी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ आपात बैठक आयोजित कर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए।

डाइएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) संद्रुपण के बारे में

- DEG और एथिलीन ग्लाइकोल (EG):** ये विषैले औद्योगिक सॉल्वेंट होते हैं, जिन्हें कभी-कभी अवैध रूप से दवाओं में प्रयुक्त ग्लिसरीन या प्रोपाइलीन ग्लाइकोल के सस्ते विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- विषाक्तता (Toxicity):** DEG से तीव्र गुर्दा विफलता, यकृत क्षति, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और तंत्रिका संबंधी लक्षण हो सकते हैं, जो विशेष रूप से बच्चों में मृत्यु तक का कारण बन सकते हैं।
- पूर्व वैश्विक घटनाएँ:**
 - ✓ **गाम्बिया (2022):** दूषित भारतीय सिरप से जुड़ी मौतें।
 - ✓ **उज़्बेकिस्तान (2022):** DEG युक्त खाँसी सिरप से हुई समान मौतें।
 - ✓ **इंडोनेशिया (2023):** दूषित सिरप से जुड़ी 200 से अधिक बच्चों की मौतें।
- इन घटनाओं ने भारत की फार्मास्युटिकल नियामक प्रणाली पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, विशेष रूप से "विश्व की फार्मेसी" के रूप में भारत की भूमिका के संदर्भ में।

संशोधित M अनुसूची: विनिर्माण मानकों को सुदृढ़ करना

- औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की M अनुसूची फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) को निर्धारित करती है। संशोधित M अनुसूची (2024 अपडेट) भारत के औषधि निर्माण मानकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अंतरराष्ट्रीय सामंजस्य परिषद (ICH) के मानकों के अनुरूप बनाती है।

संशोधित M अनुसूची की प्रमुख विशेषताएँ

- फार्मास्युटिकल गुणवत्ता प्रणाली (PQS):**
 - ✓ उत्पाद विकास से लेकर वितरण तक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण।
- गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन (QRM):**
 - ✓ दवा निर्माण के सभी चरणों में जोखिम की पहचान, विश्लेषण और शमन के लिए तंत्र।
- अवसंरचना एवं उपकरण मानक:**
 - ✓ मान्यता प्राप्त मशीनरी, कैलिब्रेटेड उपकरण और डेटा ट्रेसबिलिटी हेतु कम्प्यूटरीकृत प्रणालियाँ अनिवार्य।
- कर्मचारी एवं प्रशिक्षण:**
 - ✓ नियमित स्टाफ प्रशिक्षण, दक्षता प्रमाणन और अभिलेखों के रखरखाव की आवश्यकता।
- दस्तावेजीकरण एवं ऑडिट:**
 - ✓ पारदर्शिता, डिजिटल रिकॉर्ड-रखरखाव और नियमित आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट पर बल।
- कार्यान्वयन की समय-सीमा:**
 - ✓ सभी औषधि निर्माताओं को 31 दिसंबर 2025 तक अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- आपातकालीन समन्वय:**
 - ✓ स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य औषधि नियंत्रकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक बुलाकर GMP अनुपालन और निगरानी उपायों की समीक्षा की।
- नियामक प्रवर्तन:**
 - ✓ दूषित बैचों को तुरंत निलंबित करना और वापस मंगाना।
 - ✓ औषधि एवं प्रसाधन नियम, 1945 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के लाइसेंस रद्द करना।
 - ✓ लापरवाही बरतने वाली कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू करना।
- निरीक्षण अभियान:**
 - ✓ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSO) द्वारा संशोधित मानकों के अनुपालन का आकलन करने हेतु देशव्यापी जोखिम-आधारित निरीक्षण।
- राज्यों के लिए परामर्श:**
 - ✓ विशेष रूप से बच्चों में खाँसी की दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना, क्योंकि अधिकांश श्वसन संक्रमण स्वयं सीमित होते हैं।
 - ✓ एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) के माध्यम से फार्माकोविजिलेंस और रिपोर्टिंग तंत्र को सुदृढ़ करना।
 - ✓ प्रारंभिक पहचान, नमूना परीक्षण और संयुक्त कार्रवाई के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय को मजबूत करना।

स्वास्थ्य मंत्रालय की कार्रवाई का महत्व

- सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा:**
 - ✓ घटिया या मिलावटी दवाओं से होने वाली रोकी जा सकने वाली मौतों की पुनरावृत्ति को रोकता है।
- वैश्विक विश्वास की पुनर्स्थापना:**
 - ✓ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित कर भारत की एक प्रमुख जेनेरिक दवा आपूर्तिकर्ता के रूप में साख बनाए रखता है।
- नियामक आधुनिकीकरण:**
 - ✓ डिजिटलाइजेशन, निरीक्षण और ट्रेसबिलिटी प्रणालियों के माध्यम से भारत की नियामक व्यवस्था को मजबूत करता है।
- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप:**
 - ✓ औषधि सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित कर SDG-3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) में योगदान देता है।

फार्मास्युटिकल गुणवत्ता नियंत्रण में चुनौतियाँ

- खंडित नियामक निगरानी:** केंद्रीय और राज्य नियामकों के बीच समन्वय की कमी से प्रवर्तन में देरी होती है।
- अपर्याप्त अवसंरचना:** कई लघु और मध्यम औषधि इकाइयों के पास GMP मानकों के अनुरूप उत्पन्न के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं।

- कुशल मानव संसाधन की कमी:** प्रशिक्षित ड्रग इंस्पेक्टर, विश्लेषक और गुणवत्ता विशेषज्ञों की सीमित उपलब्धता।
- कमजोर पोस्ट-मार्केट निगरानी:** प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं और गुणवत्ता दोषों की रिपोर्टिंग एवं अनुवर्ती कार्यवाई में असंगति।
- निर्यात दबाव और बड़े पैमाने पर उत्पादन:** वैश्विक मांग अधिक होने के कारण कभी-कभी आंतरिक गुणवत्ता जाँच से समझौता हो जाता है।

आगे की राह

- नियामक सुदृढ़ीकरण:**
 - अधिक ड्रग इंस्पेक्टरों की भर्ती और प्रशिक्षण; एजेसियों के बीच डेटा साझा करने और निगरानी को मजबूत करना।
- एमएसएमई फार्मा इकाइयों को समर्थन:**
 - अवसंरचना उन्नयन और नए मानकों को अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
- केंद्रीकृत गुणवत्ता डेटाबेस:**
 - अनुपालन करने वाले और गैर-अनुपालन निर्माताओं की सूची के साथ एक राष्ट्रीय औषधि गुणवत्ता पोर्टल की स्थापना।
- डिजिटल निगरानी:**
 - बैच ट्रैकिंग, बाजार निगरानी और गड़बड़ियों की शीघ्र पहचान के लिए एआई-आधारित उपकरणों का उपयोग।
- जन-जागरूकता और विवेकपूर्ण उपयोग:**
 - विशेष रूप से बाल रोग और ओवर-द-काउंटर दवाओं के सुरक्षित उपयोग पर सामुदायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
 - WHO, विदेशी नियामकों और आयातक देशों के साथ समन्वय बढ़ाकर रियल-टाइम सूचना साझा करना और पारदर्शी गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

खाँसी की दवा में मिलावट की घटना ने औषधि निर्माण निगरानी और नैतिक अनुपालन में एक गंभीर कमी को उजागर किया है। संशोधित M अनुसूची गुणवत्ता आश्वासन, जोखिम प्रबंधन और नियामक जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की फार्मास्युटिकल प्रणाली में विश्वास बहाल करने और आधुनिकीकरण का अवसर प्रदान करती है। कठोर प्रवर्तन, क्षमता निर्माण और सभी हितधारकों के बीच सहयोग से भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है और एक विश्वसनीय वैश्विक फार्मा हब के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अंतर्गत संशोधित M अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह भारत में औषधीय उत्पादों के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज़ (GMP) निर्धारित करती है।
- यह फार्मास्युटिकल कालिटी सिस्टम और कालिटी रिस्क मैनेजमेंट ढांचे को अनिवार्य बनाती है।
- संशोधित M अनुसूची के अनुपालन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

सैन्य युद्धक पैराशूट प्रणाली (MCPS)

चर्चा में क्यों: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 32,000 फीट की ऊँचाई से कॉम्बैट फ्री-फॉल जंप के माध्यम से सैन्य युद्धक पैराशूट प्रणाली (MCPS) का सफल परीक्षण किया है। यह भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (MCPS) के बारे में

- MCPS एक स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत पैराशूट प्रणाली है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उच्च ऊँचाई वाले युद्ध अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह वर्तमान में 25,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर तैनाती में सक्षम एकमात्र परिचालन पैराशूट प्रणाली है, जिससे पैरा ट्रूपर्स दुर्गम और शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों में विशेष मिशन कर सकते हैं।

विकास से जुड़े संस्थान

- एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ADRDE), आगरा
- डिफेंस बायोइंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी (DEBEL), बोंगलुरु

दोनों संस्थान DRDO के अंतर्गत आते हैं और रक्षा क्षेत्र में एरियल डिलीवरी एवं लाइफ-सपोर्ट सिस्टम में विशेषज्ञता रखते हैं।

सैन्य युद्धक पैराशूट प्रणाली (MCPS) की प्रमुख विशेषताएँ

- उन्नत सामरिक क्षमताएँ**
 - कम अवतरण गति, जिससे सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित होती है।
 - बेहतर स्टीयरिंग कंट्रोल, जिससे लक्ष्य क्षेत्र तक सटीक पहुँच संभव होती है।
- उच्च ऊँचाई पर संचालन**
 - 25,000–32,000 फीट की ऊँचाई से विमान से तैनाती की क्षमता।

- **NAVIC** (भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली) से एकीकरण
 - ✓ स्वदेशी नेविगेशन सपोर्ट उपलब्ध।
 - ✓ विदेशी हस्तक्षेप या सिग्नल जैमिंग से सुरक्षित।
- **रखरखाव में सरलता**
 - ✓ निरीक्षण, मरम्मत और सर्विसिंग में कम समय।
 - ✓ आयातित प्रणालियों की तुलना में अधिक परिचालन जीवन।

महत्व

- **रणनीतिक आत्मनिर्भरता:** संघर्ष के समय विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करता है।
- **संचालनात्मक बढ़त:** उच्च ऊँचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में स्टीक ड्रॉप की सुविधा देकर विशेष बलों की क्षमता बढ़ाता है।
- **स्वदेशीकरण को बढ़ावा:** आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देता है और घरेलू रक्षा निर्माण को सशक्त बनाता है।
- **तकनीकी उपलब्धि:** एरियल डिलीवरी और बायो इंजीनियरिंग प्रणालियों में भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के कथन और सराहना

- **रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह** ने DRDO, सशस्त्र बलों और उद्योग साझेदारों को बधाई देते हुए इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक "महत्वपूर्ण उपलब्धि" बताया।
- **डॉ. समीर वी. कामत, सचिव (रक्षा अनुसंधान एवं विकास)** एवं अध्यक्ष, DRDO ने इस सफलता की सराहना करते हुए इसे "एरियल डिलीवरी सिस्टम में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम" बताया।

आगे की राह

- थल सेना और वायु सेना की परिचालन इकाइयों में MCPS का चरणबद्ध समावेशन।
- अधिक भार वहन क्षमता और स्वचालित नेविगेशन से युक्त अगली पीढ़ी की पैराशूट प्रणालियों का विकास।
- अन्य स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण, जिससे भारत की रणनीतिक गतिशीलता और त्वरित तैनाती क्षमता को और सुट्ट किया जा सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (MCPS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और 25,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर तैनाती में सक्षम है।
2. यह NAVIC (भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली) के साथ संगत है।

3. इसे ADRDE, आगरा और DEBEL, बैंगलुरु द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
- (a) केवल 1 और 2
 - (b) केवल 2 और 3
 - (c) केवल 1 और 3
 - (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम (CES)

चर्चा में क्यों: ISRO का त्वरित प्रतिक्रिया वाला क्रू एस्केप सिस्टम (CES) प्रक्षेपण के दौरान आपात स्थिति में मॉड्यूल को अलग कर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

मुख्य विवरण:

- **उद्देश्य:** क्रू एस्केप सिस्टम (CES) को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि प्रक्षेपण के दौरान आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों सहित क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से रॉकेट से अलग किया जा सके, जिससे महत्वपूर्ण चरणों में जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- **कार्य प्रणाली:**
 - ✓ इसमें कई उच्च-थ्रस्ट ठोस ईंधन मोटरें (solid motors) होती हैं, जो प्रक्षेपण यान से अधिक बल उत्पन्न करती हैं, जिससे तेज़ी से अलगाव संभव होता है।
 - ✓ इसके बाद पैराशूट प्रणाली सक्रिय होती है, जो नियंत्रित समुद्री लैंडिंग (splashdown) सुनिश्चित करती है।
- **किए गए परीक्षण:**
 - ✓ **पैड एबॉर्ट टेस्ट (2018):** 2.75 किमी ऊँचाई पर ग्राउंड एस्केप को सत्यापित किया गया।
 - ✓ **TV-D1 टेस्ट (2023):** 16.9 किमी ऊँचाई और माक 1.25 गति पर उड़ान निरस्तीकरण का सफल प्रदर्शन।
 - ✓ **अगला परीक्षण (TV-D2):** 2025 के अंत में प्रस्तावित।
- **सुरक्षा प्रणाली:**
 - ✓ इसमें एक इंटेलिजेंट व्हीकल हेल्प मैनेजमेंट सिस्टम लगा है, जो किसी भी असामान्यता की स्थिति में स्वतः एस्केप सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे गलत सक्रियण (false activation) की संभावना कम होती है।
- **महत्व:**
 - ✓ CES भारत को स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान सुरक्षा क्षमता वाला चौथा देश बनाता है।
 - ✓ यह गगनयान मिशन 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किमी की निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में भेजा जाएगा।

मानव अंतरिक्ष उड़ान में कूर सुरक्षा का महत्व

- मानव अंतरिक्ष उड़ान स्वभावतः जोखिमपूर्ण होती है, विशेषकर वायुमंडल से गुजरते समय, जब उच्च गतिशील भार, अत्यधिक गति और प्रक्षेपण यान की जटिलताएँ एक साथ प्रभाव डालती हैं।
- गगनयान संरचना में, मानव-रेटेड लॉन्च हीकल **HLV मार्क-3** (LVM3 का मानव संस्करण) बड़े ठोस ईंधन बूस्टर (S200) का उपयोग करता है, जिन्हें प्रज्वलन के बाद बंद नहीं किया जा सकता, जिससे विफलता का जोखिम बढ़ जाता है।
- कूर एस्केप सिस्टम (CES) - कूर मॉड्यूल के लिए "लाइफबोट" की तरह कार्य करता है, जो किसी भी आपात स्थिति में त्वरित अलगाव सुनिश्चित कर अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन की रक्षा करता है।

कूर एस्केप सिस्टम (CES) की तकनीकी संरचना

- अवस्थिति:** CES को प्रक्षेपण यान के अग्र भाग में, सीधे कूर मॉड्यूल के ऊपर स्थापित किया जाता है।
- प्रणोदन:** यह प्रणाली कई उच्च-प्रदर्शन ठोस-ईंधन रॉकेट मोटरों का उपयोग करती है, जिनकी दहन दर अधिक होती है। इससे मुख्य प्रक्षेपण यान की तुलना में अधिक त्वरण उत्पन्न होता है और कूर मॉड्यूल को तेजी से अलग किया जा सकता है।
- अलगाव अनुक्रम:**
 - एक "पुलर" मोटर एस्केप प्रक्रिया शुरू करती है, जिससे लगभग **10 g** (मानव सहनशीलता के भीतर) तक त्वरण उत्पन्न होता है और कूर मॉड्यूल को तेजी से दूर ले जाया जाता है।
 - एटीट्यूड-कंट्रोल ब्रस्टर वाहन से दूर मॉड्यूल को स्थिर करते हैं।
 - सुरक्षित दूरी बनते ही एस्केप टॉवर या मोटर को भार कम करने हेतु अलग कर दिया जाता है।
 - ड्रोग पैराशूट पहले खुलते हैं, जो मॉड्यूल को स्थिर और धीमा करते हैं; इसके बाद मुख्य पैराशूट खुलते हैं, जिससे समुद्र में नियंत्रित लैंडिंग (splashdown) होती है।
 - इसके पीछे एक इंटेलिजेंट हीकल हेल्प मैनेजमेंट सिस्टम कार्य करता है, जो प्रक्षेपण यान के व्यवहार की निगरानी करता है और मिलीसेकंड में CES को सक्रिय कर देता है, ताकि पैड-अबॉर्ट और उड़ान के दौरान विफलताओं से सुरक्षा मिल सके।
- परिचालन क्षेत्र:** कूर एस्केप सिस्टम (CES) को विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है —
 - पैड एबॉर्ट:** शून्य या कम ऊँचाई पर
 - प्रारंभिक आरोहण एबॉर्ट:** सुपरसोनिक अवस्था ($Mac > 5$) में
 - उच्च-ऊँचाई एबॉर्ट:** वायुमंडलीय उड़ान के दौरान
- HLV का मानव-रेटिंग:** प्रक्षेपण यान (HLV) को सामान्य LVM3 से संशोधित कर मानव-रेटेड बनाया जा रहा है, जिसमें
 - अतिरिक्त रिडंडेंसी,

- कम कंपन और ध्वनि स्तर,
- प्रणालियों का पुनः प्रमाणीकरण शामिल है। कूर एस्केप सिस्टम (CES) इन सभी प्रयासों को पूरक बनाते हुए सबसे खराब स्थिति में भी कूर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

प्रदर्शन एवं क्षमता का इतिहास

- पैड एबॉर्ट टेस्ट - 5 जुलाई 2018:**
 - कूर एस्केप सिस्टम (CES) के साथ एक सिमुलेटेड कूर मॉड्यूल (~12.6 टन) को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, जो ~2.7 किमी की ऊँचाई तक पहुँचा। उड़ान अवधि लगभग 259 सेकंड रही और बंगल की खाड़ी में ~2.9 किमी डाउन-रेंज पर पैराशूट के माध्यम से उतारा गया।
 - परीक्षण के दौरान लगभग 300 सेंसरों ने प्रमुख मापदंड दर्ज किए। इससे पैड-स्तरीय आपात स्थिति में त्वरित एस्केप क्षमता की पुष्टि हुई।
- इन-फ्लाइट एबॉर्ट प्रदर्शन - TV-D1 (अक्टूबर 2023):**
 - परीक्षण यान को ~16.9 किमी ऊँचाई और लगभग मैक 1.21 (~550 किमी/घंटा) की गति पर उड़ाया गया, जहाँ CES ने कूर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक अलग किया।
 - स्लैशडाउन के बाद कूर मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से बरामद किया गया — ISRO ने घोषणा की कि कूर एस्केप सिस्टम (CES) ने "अपेक्षित अनुसार कार्य किया"।
- आगामी योग्यता परीक्षण - TV-D2 (2025 के अंत में):**
 - उच्च ऊँचाई और विभिन्न विफलता स्थितियों में CES के प्रदर्शन का परीक्षण किया जाएगा, जिससे इसकी विश्वसनीयता 99.8% से अधिक सुनिश्चित की जा सके।
- पैराशूट एवं रिकवरी सिस्टम का एकीकरण:**
 - ADRDE (DRDO) द्वारा विकसित ड्रोग, पायलट और मुख्य पैराशूट प्रणालियों को एकीकृत कर स्लैशडाउन और रिकवरी चरणों के लिए परीक्षण किया जा रहा है।

रणनीतिक और नीतिगत निहितार्थ

- राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अंतरिक्ष क्षमता:** गगनयान का उद्देश्य भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाला चौथा देश बनाना है — इसमें CES की भूमिका केंद्रीय है।
- कूर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता:** जैसे-जैसे मानव जीवन अंतरिक्ष अभियानों का हिस्सा बनता है, सुरक्षा प्रणालियाँ (जैसे CES) केवल कक्षा प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं — यह परिपक्व अंतरिक्ष नीति को दर्शाता है।
- प्रौद्योगिकी स्पिन-ऑफ:** हाई-बन मोटर, फास्ट-एक्टुएशन सिस्टम, हेल्प-मॉनिटरिंग सेंसर और पैराशूट रिकवरी तकनीकें रक्षा व एयरोस्पेस क्षेत्रों में उच्च-विश्वसनीयता अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी होंगी।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा:** स्वदेशी मानव अंतरिक्ष-उड़ान सुरक्षा प्रणाली विकसित कर भारत ने अपनी तकनीकी संप्रभुता को सुदृढ़ किया है और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में समान भागीदार बनने की क्षमता अर्जित की है।
- जोखिम प्रबंधन एवं मानव-रेटिंग:** यह प्रक्रिया जोखिम न्यूनीकरण, प्रणालीगत रिडंडेसी, योग्यता परीक्षण और “फेल-सेफ” डिजाइन पर बढ़ते जोर को दर्शाती है — जो मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अनिवार्य हैं।

चुनौतियाँ और आगे की राह

- विश्वसनीयता लक्ष्य प्राप्त करना:** ISRO ने 99.8% से अधिक विश्वसनीयता का लक्ष्य रखा है। इतने उच्च स्तर तक पहुँचने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में अनेक परीक्षण उड़ानें, उच्च-स्तरीय डेटा और पूर्ण प्रणाली एकीकरण की आवश्यकता होगी।
- उच्च ऊँचाई / हाइपरसोनिक अवस्था:** भविष्य में एबॉर्ट परिस्थितियाँ Mach 5 से अधिक वेग या अधिक ऊँचाई पर हो सकती हैं। ऐसे में CES को पूरे विस्तारित परिचालन दायरे में विश्वसनीय रूप से कार्य करना होगा।
- लाइफ-सपोर्ट और क्रू-मॉड्यूल सिस्टम के साथ एकीकरण:** CES को क्रू मॉड्यूल की एवियोनिक्स, लाइफ-सपोर्ट, डीसेलरेशन और स्प्लैशडाउन प्रणालियों के साथ पूरी तरह समन्वित होना चाहिए। किसी भी प्रकार का असंतुलन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
- रिकवरी एवं पोस्ट-स्प्लैशडाउन संचालन:** समुद्र में सुरक्षित उतरना ही पर्याप्त नहीं है—रिकवरी लॉजिस्टिक्स (जहाज़, डाइविंग टीमें, ट्रैकिंग, चिकित्सीय सहायता) को भी मजबूत करना होगा।
- समय-सीमा का दबाव:** गगनयान (2026) के लक्ष्यों में पहले ही विलंब हुआ है। समय-सीमा का दबाव तकनीकी तत्परता और बजटीय अनुशासन बनाए रखने की चुनौती को बढ़ाता है।
- मानव प्रशिक्षण और परिचालन तैयारी:** अंतरिक्ष यात्रियों को पूर्ण एकीकृत परिदृश्यों में प्रशिक्षण देना होगा, जिसमें CES सक्रियण, त्वरित अलगाव, मॉड्यूल डीसेलरेशन, स्प्लैशडाउन और निकासी शामिल हैं। प्रणालियों को मानव-केंद्रित संचालन के अनुरूप तैयार करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

ISRO द्वारा विकसित क्रू एस्केप सिस्टम (CES) केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह सुरक्षित और विश्वसनीय मानव अंतरिक्ष मिशनों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आपातकालीन बचाव क्षमता और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा पर बल देकर, ISRO वैश्विक मानव अंतरिक्ष उड़ान मानकों के अनुरूप कार्य कर रहा है। लगभग 400 किमी की कक्षा में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की आगामी योजना इस बात को रेखांकित

करती है कि CES जैसे तंत्र इस मिशन की रीढ़ हैं। भारत के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण में सुरक्षा अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ISRO के गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम (CES) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- CES क्रू मॉड्यूल को प्रक्षेपण यान से अलग करने के लिए हाई-बर्न तरल इंजन (liquid engines) का उपयोग करता है।
- इंटेलिजेंट क्लीकल हेल्प मैनेजमेंट सिस्टम असामान्यता का पता लगते ही CES को स्वतः सक्रिय करता है।
- CES का पहला सफल इन-फ्लाइट एबॉर्ट परीक्षण (TV-D1) वर्ष 2023 में लगभग 17 किमी की ऊँचाई पर किया गया था।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल 2 और 3

उभरती विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ESTIC)

चर्चा में क्यों: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) नवंबर 2025 में पहली बार उभरती विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ESTIC) का आयोजन करेगा। संभवतः यह सम्मेलन भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक आयोजन इंडियन साइंस कांग्रेस का स्थान लेगा।

ESTIC के बारे में

- उभरती विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ESTIC) को भारत के एक प्रमुख मंच के रूप में परिकल्पित किया गया है, जहाँ अत्याधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन एवं विमर्श किया जाएगा।
- इसका पहला संस्करण नवंबर 2025 में भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
- ESTIC का उद्देश्य एक मंच पर लाना है:
 - ✓ सभी विज्ञान-संबंधी मंत्रालय (अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, जैव-प्रौद्योगिकी, आईटी, पृथ्वी विज्ञान आदि)
 - ✓ वैश्विक वैज्ञानिक, नवोन्मेषक, उद्योग जगत के नेता और नीति-निर्माता

मुख्य विशेषताएँ

• बहु-हितधारक भागीदारी

- इसमें मंत्रालयों, वैज्ञानिक विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, स्टार्ट-अप्स और वैश्विक संस्थानों की भागीदारी होगी।

- डीप-टेक प्रदर्शन**
 - ✓ 11 विषयगत तकनीकी सत्र, जिनमें AI, कॉटम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक, मैटेरियल साइंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे अग्रणी क्षेत्र शामिल होंगे।
 - ✓ 75 प्रदर्शनी स्टॉल, जिनमें डीप-टेक स्टार्टअप्स द्वारा स्वदेशी नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- वैश्विक विचारक**
 - ✓ अपेक्षित प्रमुख अतिथि:
 - आंद्रे गीम (नोबेल पुरस्कार विजेता, भौतिकी – 2010)
 - ज्यां-ईव ले गाल (पूर्व अध्यक्ष, फ्रेंच स्पेस एजेंसी)

उद्देश्य

- सहयोग को बढ़ावा देना

- युवा नवप्रवर्तकों को प्रेरित करना
- भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना

ESTIC का महत्व

- भारत की वैज्ञानिक पारितंत्र को भविष्योन्मुखी मंच प्रदान करता है।
- उद्योग-शिक्षा-सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- डीप-टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को समर्थन देता है।
- विज्ञान-आधारित आर्थिक विकास की दिशा में भारत की पहल को मजबूत करता है।
- उच्च-प्रौद्योगिकी कूटनीति में भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करता है।

उभरती विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ESTIC) बनाम इंडियन साइंस कांग्रेस (ISC)

| विशेषता | ESTIC (वर्ष 2025 से आगे) | इंडियन साइंस कांग्रेस (वर्ष 2023 तक) |
|-----------------|--|--|
| आयोजक संस्था | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) | इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन (ISCA), कोलकाता |
| फोकस | उभरती प्रौद्योगिकी, नवाचार, डीप-टेक स्टार्ट-अप्स | व्यापक वैज्ञानिक समुदाय और अनुसंधान |
| स्वरूप | विषयगत, नवाचार-आधारित, वैश्विक भागीदारी | पारंपरिक शैक्षणिक सम्मेलन |
| भविष्य उन्मुखता | ISC का स्थान लेने की अपेक्षा | अंतिम बार 2023 में आयोजित (108वाँ संस्करण) |
| दृष्टिकोण | उद्योग-शिक्षा-नीति एकीकरण | मुख्यतः शैक्षणिक फोकस |

इंडियन साइंस कांग्रेस (ISC) के बारे में

- भारत में वैज्ञानिकों का सबसे पुराना सम्मेलन।
- प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता था।
- 108वाँ संस्करण (अंतिम) – वर्ष 2023 में आयोजित।**
- इसका आयोजन ISCA, कोलकाता द्वारा किया जाता था और इसे DST द्वारा वित्तपोषित किया जाता था।
- वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क को बढ़ावा देने में ऐतिहासिक भूमिका रही है।

SPARK-4.0 के बारे में

- SPARK (स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन)** अल्पकालिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद के छात्रों को-
- अनुसंधान पद्धति से परिचित कराना;
 - स्वतंत्र मिनी-रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने का अवसर देना है।

मुख्य उद्देश्य

- BAMS छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा & अनुसंधान रुचि को बढ़ावा देना।
- अनुसंधान अभिरुचि, विश्लेषणात्मक कौशल और बुनियादी शोध उपकरणों से परिचित कराना।
- छोटे स्तर की परियोजनाओं के माध्यम से हैंडस-ऑन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आयुर्वेद में साक्ष्य-आधारित अभ्यास को मजबूत करना।

मुख्य विशेषताएँ

- लाभार्थी**
 - ✓ NCISM-मान्यता प्राप्त कॉलेजों में अध्ययनरत **300 BAMS छात्र**
 - ✓ पात्र छात्र: प्रथम से चतुर्थ वर्ष (अंतिम परीक्षा से पूर्व)
- स्टूडेंटशिप राशि**
 - ✓ कुल ₹50,000 (₹25,000 प्रति माह × 2 माह)

स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन (स्पार्क)-4.0

- चर्चा में क्यों:** आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) ने SPARK-4.0 (2025–26) की शुरुआत की है। यह एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्नातक आयुर्वेद छात्रों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह पहल भारतीय चिकित्सा पद्धति (ISM) में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने की सरकार की व्यापक नीति के अनुरूप है।

- ✓ अंतिम शोध रिपोर्ट की सफल पूर्णता और स्वीकृति के बाद राशि जारी की जाएगी।
- **मेंटॉरशिप संरचना**
 - ✓ प्रत्येक छात्र अपने ही संस्थान के पूर्णकालिक फैकल्टी गाइड के अंतर्गत कार्य करेगा।
 - ✓ एक गाइड के अंतर्गत अधिकतम दो छात्रों को अनुमति।
 - ✓ समूह परियोजनाओं की अनुमति नहीं है।
- **पात्रता शर्तें**
 - ✓ NCISM-मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेज में अध्ययनरत भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- **पात्र नहीं होंगे:**
 - ✓ इंटर्न
 - ✓ स्नातकोत्तर (PG) छात्र
 - ✓ अनिवासी भारतीय (NRI)
 - ✓ गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्र

पहल का महत्व

- **अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना:** SPARK-4.0 सातक स्तर पर अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देता है और भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार करता है जो आयुर्वेद में वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दे सकें।
- **साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद को प्रोत्साहन:** यह पहल पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच की खाई को पाटती है तथा मानकीकरण, प्रमाणीकरण और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देती है।
- **भविष्य के शोधकर्ताओं का विकास:** वैज्ञानिक सोच और शोध पद्धति से प्रारंभिक परिचय देकर SPARK छात्रों को उच्च अध्ययन, नैदानिक अनुसंधान और अंतर्विषयक सहयोग हेतु तैयार करता है।

निष्कर्ष

SPARK-4.0 पहल भारत में आयुर्वेद शिक्षा के भीतर एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति विकसित करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। BAMS छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान और परियोजना-आधारित अधिगम से सशक्त बनाकर यह योजना आयुर्वेद की वैज्ञानिक विश्वसनीयता, प्रासंगिकता और वैश्विक स्वीकृति को मजबूत करती है, तथा इसे एक आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होती है।

डीज़ल में आइसोब्यूटानॉल का मिश्रण

चर्चा में क्यों: ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) डीज़ल के साथ आइसोब्यूटानॉल के मिश्रण की व्यवहार्यता की जाँच कर रहा है, विशेषकर तब जब डीज़ल के साथ एथेनॉल मिश्रण के पूर्व प्रयास प्रभावी सिद्ध नहीं हुए। यह पहल भारत के जैव-ईंधन के उपयोग को बढ़ाने,

उत्सर्जन में कमी और 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है।

आइसोब्यूटानॉल क्या है?

- आइसोब्यूटानॉल एक उच्च आणविक भार वाला अल्कोहल है, जो अपनी ज्वलनशीलता के लिए जाना जाता है।
- इसका उपयोग व्यापक रूप से औद्योगिक सॉल्वेंट (पेंट, कोटिंग आदि) के रूप में किया जाता है।
- **उत्पादन के तरीके:**
 - ✓ थर्मो-केमिकल पद्धति: सिंथेसिस गैस → मिश्रित अल्कोहल
 - ✓ जैव-रासायनिक पद्धति: विशेष रूप से इंजीनियर किए गए सूक्ष्मजीवों द्वारा किए गए

डीज़ल के साथ आइसोब्यूटानॉल मिश्रण पर विचार क्यों?

- **एथेनॉल की तुलना में बेहतर मिश्रण गुण**
 - ✓ एथेनॉल की तुलना में अधिक ऊर्जा सामग्री — बेहतर ईंधन प्रदर्शन
 - ✓ पाइपलाइन-फ्रेंडली (कम संक्षारक, परिवहन में आसान)
 - ✓ बिना विशेष एडिटिस के डीज़ल के साथ बेहतर मिश्रण
 - ✓ कम हाइग्रोस्कोपिक — कम पानी अवशोषण, कम जंग का खतरा
- **सुरक्षित दहन विशेषताएँ**
 - ✓ एथेनॉल की तुलना में उच्च फ्लैश पॉइंट — कम वाष्पशीलता
 - ✓ भंडारण और परिवहन अधिक सुरक्षित
 - ✓ एथेनॉल का कम फ्लैश पॉइंट डीज़ल मिश्रण में एक बड़ी समस्या रहा है
- **फीडस्टॉक का लाभ**
 - ✓ वही कच्चा माल उपयोग किया जा सकता है जो एथेनॉल के लिए होता है:
 - ❖ गन्ने का रस
 - ❖ शीरा (Molasses)
 - ❖ अनाज आदि
 - ✓ इससे अधिशेष एथेनॉल उत्पादन को आइसोब्यूटानॉल की ओर मोड़ने में सुविधा मिलती है।
- **पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ**
 - ✓ टेलपाइप उत्सर्जन में कमी की संभावना
 - ✓ आयात प्रतिस्थापन में सहायता, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करता है

सम्बन्धित चिंताएँ

- **मिश्रण से जुड़ी समस्याएँ**
 - ✓ आइसोब्यूटानॉल सभी परिस्थितियों में डीज़ल के साथ पूरी तरह मिश्रित नहीं हो पाता।
 - ✓ हालांकि, बायोडीज़ल मिलाने से मिश्रण क्षमता में सुधार किया जा सकता है।

•

- बायोडीजल के स्रोत: नॉन-एडिबल ऑयल, प्रयुक्त खाना पकाने का तेल, पशु वसा आदि।

• कम सीटेन संख्या (Low Cetane Number)

- आइसोब्यूटानॉल की सीटेन संख्या डीजल की तुलना में काफी कम होती है।
- कम सीटेन संख्या से — डीजल नॉर्किंग, अधूरा दहन, कम पावर और इंजन पर अधिक दबाव पड़ सकता है।
- समाधान:** सीटेन बढ़ाने वाले एडिटिव्स का उपयोग, हालाँकि इससे लागत बढ़ जाती है।

• पायलट चरण

- मिश्रण तंत्र अभी परीक्षण चरण में है।
- पूर्ण मूल्यांकन के लिए पायलट परियोजना को लगभग **18 महीने** लग सकते हैं।

आगे की राह

- विभिन्न प्रकार के वाहनों और श्रेणियों में व्यापक अध्ययन किया जाए।

- चरणबद्ध मिश्रण लक्ष्य अपनाए जाएँ, शुरुआत $\leq 10\%$ ब्लेंडिंग से की जाए।
- इंजन प्रदर्शन, उत्सर्जन प्रोफाइल और दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन किया जाए।
- ईंधन गुणवत्ता, एडिटिव्स और भंडारण मानकों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश विकसित किए जाएँ।

निष्कर्ष

यदि भारत बड़े पैमाने पर डीजल के साथ आइसोब्यूटानॉल का सफल मिश्रण करता है, तो वह ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। उच्च ऊर्जा सामग्री, बेहतर सुरक्षा मानकों और मौजूदा एथेनॉल फीडस्टॉक के साथ अनुकूलता के कारण आइसोब्यूटानॉल एक अगली पीढ़ी का जैव-ईंधन बनने की क्षमता रखता है। हालाँकि, सीटेन गुणवत्ता और मिश्रण क्षमता जैसी तकनीकी चुनौतियों का समाधान कठोर परीक्षण, नीति समर्थन और उद्योग सहयोग के माध्यम से करना आवश्यक होगा।

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल

C CHAHAL
ACADEMY

'द हिन्दू' में क्या पढ़ें?

क्यू आर कोड स्कैन करें



THE
HINDU

रक्षा एवं सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का एक नया हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। NSG भारत की विशेष (एलीट) बल है, जो आतंकवाद-रोधी और विमान अपहरण-रोधी अभियानों के लिए जिम्मेदार है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में

- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की औपचारिक स्थापना 1986 में संसद के एक अधिनियम—राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986—के माध्यम से की गई।
- ऑपरेशन ब्लू स्टार (1984), पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, तथा अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला जैसी प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के बाद एक विशेष आतंकवाद-रोधी बल की आवश्यकता महसूस की गई।
- उद्देश्य:**
 - ✓ NSG का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करना और देश को आंतरिक सुरक्षा खतरों से सुरक्षित रखना है। इसे त्वरित प्रतिक्रिया बल के रूप में उच्च-जोखिम सुरक्षा स्थितियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मुख्य कार्य और विशेषज्ञताएँ

- NSG को विभिन्न प्रकार के विशेष अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:
 - ✓ भूमि, समुद्र और वायु में आतंकवाद-रोधी एवं विमान अपहरण-रोधी अभियान
 - ✓ बंधक बचाव अभियान
 - ✓ बम की पहचान, निष्क्रियकरण तथा तत्काल निर्मित विस्फोटक उपकरणों (IEDs) का निस्तारण
 - ✓ विस्फोट-पश्चात जाँच (Post-Blast Investigation – PBI)

संगठनात्मक संरचना

- NSG गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन कार्य करता है। इसके दो प्रमुख घटक हैं:
 - ✓ स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG): भारतीय सेना के कार्मिकों से गठित, यह NSG का मुख्य आक्रमण एवं स्ट्राइक विंग है।
 - ✓ स्पेशल रेंजर ग्रुप (SRG): केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों से गठित, यह मुख्यतः वीआईपी सुरक्षा से संबंधित दायित्व संभालता है।

विशिष्ट पहचान और आदर्श वाक्य

- NSG के कार्मिक काले परिधान और प्रतीक चिह्नों के कारण आम तौर पर “ब्लैक कैट कमांडो” के नाम से जाने जाते हैं।
- यह बल “सर्वत्र, सर्वोत्तम, सुरक्षा” के आदर्श वाक्य का पालन करता है, जो त्वरित कार्रवाई, सटीक प्रहार और मिशन पूर्ण होने के तुरंत बाद वापसी की इसकी कार्य-दर्शन को दर्शाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- NSG की स्थापना 1986 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी।
- स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG) मुख्यतः वीआईपी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
- NSG गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

ब्रह्मोस मिसाइल

चर्चा में क्यों: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल रक्षा विनिर्माण में भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमता का प्रतीक है। उन्होंने इसकी रणनीतिक क्षमता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र में लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में

- ब्रह्मोस मिसाइल भारत के डीआरडीओ (DRDO) और रूस की एनपीओ माशिनोस्त्रोयेनीय के बीच एक भारत-रूस संयुक्त उपक्रम का परिणाम है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्का नदियों से लिया गया है।
- ब्रह्मोस के मानक संस्करण की मारक क्षमता 290 किमी है, जबकि विस्तारित-मारक क्षमता वाले संस्करण 500 किमी तक लक्ष्य भेद सकते हैं। भविष्य के विकास, जैसे प्रस्तावित ब्रह्मोस-II, का लक्ष्य 1,500 किमी तक की मारक क्षमता प्राप्त करना है।
- ब्रह्मोस को विश्व की सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल माना जाता है, जो मैक 2.8 की गति से उड़ान भर सकती है —

- ✓ यह ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना है। यह एक दो-चरणीय मिसाइल है: पहले चरण में ठोस ईंधन बूस्टर सुपरसोनिक गति प्राप्त करता है, और दूसरे चरण में द्रव रैमजेट इंजन क्रूज़ चरण के दौरान अत्यधिक गति बनाए रखता है।

- यह मिसाइल बहु-प्लेटफॉर्म तैनाती के लिए डिज़ाइन की गई है और स्थल, समुद्र तथा वायु से प्रक्षेपित की जा सकती है। यह दिन-रात और सभी मौसम में उच्च सटीकता के साथ संचालन में सक्षम है।
- ब्रह्मोस "फायर एंड फॉर्गेट" सिद्धांत का पालन करती है, अर्थात् प्रक्षेपण के बाद इसे अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। यह 200 से 300 किलोग्राम वज़न का पारंपरिक वारहेड ले जाती है, जो इसे सटीक प्रहार के लिए अत्यंत प्रभावी बनाता है।

ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की विशेष विशेषताएं

- कई प्लेटफार्मों के लिए सार्वभौमिक मिसाइल
- संचालन का "फायर एंड फॉर्गेट" सिद्धांत
- पूरी उड़ान के दौरान उच्च सुपरसोनिक गति
- विभिन्न प्रक्षेप पथों के साथ लंबी उड़ान
- कम रडार हस्ताक्षर
- सटीक निशानेबाजी और उच्च घातक क्षमता



मार्गदर्शन प्रणाली

उच्च स्तरीय युद्धाभ्यास और तीव्र गोता लगाने की क्षमताओं को समाहित करने वाली उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली

प्रणोदन प्रणाली

ईंधन दक्षता और सुपरसोनिक गति के लिए वायु-संचालन टैम्जेट प्रणोदन

पंख और फिन

उड़ान के दौरान मिसाइल की बेहतर स्थिरता और सटीक दिशा के लिए

ठोस अवस्था प्रणोदक
मिसाइल के प्रारंभिक त्वरण के लिए ठोस प्रणोदक टॉकेट

प्रणोदन और उड़ान विशेषताएँ

- क्रूज मिसाइलें मुख्यतः जेट इंजनों का उपयोग करके उड़ान भरती हैं। अधिकांश क्रूज मिसाइलें सब-सोनिक होती हैं और टर्बोफैन या टर्बोजेट इंजनों पर निर्भर करती हैं। इसके विपरीत, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें रैमजेट इंजन का प्रयोग करती है, जो उन्हें लगातार उच्च गति से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है।

सक्षम (SAKSHAM) प्रणाली

चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित सक्षम काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (C-UAS) ग्रिड सिस्टम की खरीद प्रक्रिया शुरू की है, ताकि शत्रुतापूर्ण ड्रोन और मानवरहित हवाई खतरों के विरुद्ध वायुक्षेत्र सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

सक्षम (SAKSHAM) प्रणाली के बारे में

- SAKSHAM का पूर्ण रूप - सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट - है। यह आधुनिक युद्धक्षेत्र में उभरते हवाई खतरों का मुकाबला करने हेतु विकसित एक स्वदेशी काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (UAS) ग्रिड सिस्टम है।

कार्यप्रणाली और संरचना

- सक्षम एक मॉड्यूलर और उन्नत कमांड एंड कंट्रोल (C2) प्रणाली है, जो सुरक्षित आर्मी डेटा नेटवर्क (ADN) पर कार्य करती है।
- यह कई सेंसर, काउंटर-ड्रोन प्रणालियों और प्रतिक्रिया तंत्रों को एक ही डिजिटल मंच पर एकीकृत करती है, जिससे शत्रुतापूर्ण ड्रोन के विरुद्ध समन्वित और समयबद्ध कार्रवाई संभव होती है।

परिचालन सम्बंधी महत्व

- यह प्रणाली नव-परिभाषित टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस (TBS) में व्यापक वायुक्षेत्र सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- विस्तारित युद्धक्षेत्र की इस अवधारणा में एयर लिटरल शामिल है, जिसे भूमि स्तर से 3,000 मीटर (10,000 फीट) तक के वायुक्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।

उद्देश्य

- सक्षम प्रणाली का मुख्य उद्देश्य शत्रुतापूर्ण ड्रोन और मानवरहित हवाई प्रणालियों का वास्तविक समय में पता लगाना, उनका पीछा करना, पहचान करना और निष्क्रिय करना है, जिससे युद्धक्षेत्र जागरूकता और बल संरक्षण में वृद्धि होती है।

विकास

- सक्षम का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), गाजियाबाद के सहयोग से स्वदेशी रूप से किया गया है, जो भारत की रक्षा स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के प्रयासों को सुदृढ़ करता है।

मुख्य विशेषताएँ

- शत्रुतापूर्ण मानवरहित हवाई प्रणालियों (UAS) का वास्तविक समय में पता लगाना, उनका पीछा करना, पहचान करना और निष्क्रिय करना सुनिश्चित करती है।
- सेंसर इनपुट, काउंटर-ड्रोन प्रणालियों और एआई-आधारित विश्लेषण को एकीकृत कर कमांडरों के लिए मान्यता प्राप्त UAS चित्र (Recognised UAS Picture – RUASP) तैयार करती है।
- एआई-सक्षम पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, वास्तविक समय में खतरे का आकलन और स्वचालित निर्णय-सहायता को सम्मिलित करती है।
- सॉफ्ट-किल और हार्ड-किल प्रणालियों—दोनों के साथ काउंटर-UAS सेंसरों को जोड़कर समन्वित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाती है।
- एक साझा GIS-आधारित मंच पर 3D युद्धक्षेत्र व्यव्यांकन उपलब्ध कराती है, जिसमें मित्र और शत्रु दोनों UAS से संबंधित डेटा का एकीकरण होता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सक्षम (SAKSHAM) काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (C-UAS) ग्रिड सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह शत्रुतापूर्ण ड्रोन और UAS से निपटने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली है।
- यह आर्मी डेटा नेटवर्क पर कार्य करती है और सॉफ्ट-किल तथा हार्ड-किल काउंटर-ड्रोन प्रणालियों को एकीकृत करती है।
- यह केवल भूमि स्तर से 1,000 मीटर तक ही वायुक्षेत्र सुरक्षा प्रदान करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

तेजस Mk1A के बारे में

- तेजस Mk1A, भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस का उन्नत संस्करण है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। इसे भारतीय वायुसेना की संचालनात्मक प्रभावशीलता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- तेजस Mk1A का प्रमुख उद्देश्य पहले के Mk1 संस्करण की तुलना में युद्धक क्षमता, जीवित रहने की क्षमता (सर्वाइवेबिलिटी) और रखरखाव की सरलता में सुधार करना है। इसमें 40 से अधिक उन्नयन शामिल हैं, जो इसे अधिक सक्षम और कुशल लड़ाकू विमान बनाते हैं।
- तेजस Mk1A की प्रमुख विशेषताओं में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐर (AEWA) रडार का एकीकरण शामिल है, जो लक्ष्य पहचान, ट्रैकिंग और संलग्नता क्षमताओं को बेहतर बनाता है। इसके साथ ही विमान में एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट (UEWS) और उन्नत आत्म-सुरक्षा जैमर पॉड लगाया गया है, जिससे शत्रुतापूर्ण वातावरण में संचालन की क्षमता सुदृढ़ होती है।
- इसके अतिरिक्त, तेजस Mk1A में उन्नत डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर (DFCC Mk1A) दिया गया है, जो फुर्ती, स्थिरता और समग्र उड़ान प्रदर्शन को बढ़ाता है। डिज़ाइन में किए गए सुधारों से वज़न में कमी और रखरखाव में सुधार हुआ है, जिससे मिशनों के बीच तेज़ टर्नअराउंड और उच्च परिचालन उपलब्धता संभव होती है।
- समग्र रूप से, तेजस Mk1A का समावेश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) और भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

टॉमहॉक मिसाइलें

चर्चा में क्यों: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइलें आपूर्ति करता है, तो इससे रूस और अमेरिका के बीच तनाव में बड़ा इज़ाफा होगा।

टॉमहॉक मिसाइलों के बारे में

- टॉमहॉक एक दीर्घ-मारक, सब-सोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने भूमि-आधारित लक्ष्यों पर सटीक प्रहार के लिए विकसित किया है।
- टॉमहॉक मिसाइलें नौसैनिक जहाजों या पनडुब्बियों से वर्टिकल लॉन्च सिस्टम (VLS) के माध्यम से दागी जाती हैं। इन्हें मुख्यतः शत्रु क्षेत्र के भीतर उच्च-मूल्य लक्ष्यों पर पारंपरिक सटीक हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसकी संचालनात्मक मारक क्षमता लगभग 1,000 से 1,500 मील (करीब 1,550 से 2,500 किमी) है, जिससे यह सुरक्षित दूरी से लक्ष्य भेद सकती है। संरचनात्मक रूप से टॉमहॉक की लंबाई लगभग 18.3 फीट है और इसका वजन करीब 3,200 पाउंड होता है। यह

तेजस Mk1A लड़ाकू विमान

चर्चा में क्यों: भारतीय वायुसेना (IAF) नासिक में अपना पहला हल्का लड़ाकू विमान (LCA) तेजस Mk1A प्राप्त करने जा रही है। यह भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और घेरेलू रक्षा विनिर्माण को सुदृढ़ करता है।

सामान्यतः 1,000 पाउंड का पारंपरिक वारहेड ले जाती है, जबकि इसके कुछ संस्करण क्लस्टर म्यूनिशन भी पहुँचा सकते हैं।

- टॉमहॉक की एक प्रमुख विशेषता इसकी उच्च सटीकता है। यह बहुत कम ऊँचाई पर उड़ान भरती है, जिससे रडार से बचना आसान होता है। मार्गदर्शन के लिए इसमें जीपीएस, जड़त्वीय नौवहन प्रणाली (INS) और टेरेन कॉन्ट्रू मैपिंग का संयोजन उपयोग होता है, जिससे यह लगभग 10 मीटर की सटीकता के साथ लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है।
- मिसाइल को अरेखीय और लचीले उड़ान पथ का अनुसरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे शत्रु वायु-रक्षा प्रणालियों द्वारा इसे रोकना कठिन हो जाता है। प्रक्षेपण के समय यह ठोस ईंधन बूस्टर का

उपयोग करती है, जिसके बाद क्रूज़ चरण में टर्बोफैन इंजन इसे शक्ति देता है। टर्बोफैन इंजन से अपेक्षाकृत कम ऊष्मा उत्सर्जन होता है, जिससे इनक्रारेड पहचान कठिन हो जाती है।

परिचालन सम्बंधी इतिहास

- टॉमहॉक मिसाइलों का पहली बार 1991 में ऑपरेशन डेज़र्ट स्टॉर्म के दौरान युद्ध में उपयोग किया गया था। इसके बाद से इन्हें कई सैन्य अभियानों में प्रयोग किया गया है, जिनमें 2017 में सीरिया पर अमेरिकी हमले भी शामिल हैं। यह आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण सटीक-प्रहार हथियार के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है।

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल

CHAHAL
ACADEMY

'द हिंदू' का एडिटोरियल एनालिसिस

क्यू आर कोड स्कैन करें



सामाजिक मुद्दे

वैश्विक तंत्रिका (न्यूरोलॉजिकल) स्वास्थ्य संकट

चर्चा में क्यों: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट ऑन न्यूरोलॉजी (अक्टूबर 2025) में चेतावनी दी है कि तंत्रिका संबंधी विकार हर वर्ष लगभग 1.1 करोड़ मौतों का कारण बनते हैं और विश्वभर में 300 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट में तंत्रिका स्वास्थ्य के क्षेत्र में गंभीर नीतिगत उपेक्षा, मानव संसाधन की कमी और वैश्विक स्तर पर गहरी असमानताओं को रेखांकित किया गया है।

वर्तमान परिवर्तन

- स्ट्रोक, डिमेंशिया, मिर्गी, माइग्रेन तथा न्यूरो-विकासात्मक विकार जैसे तंत्रिका संबंधी रोग वैश्विक मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक बन चुके हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, विश्व की 40% से अधिक जनसंख्या किसी न किसी तंत्रिका संबंधी समस्या के साथ जीवन यापन कर रही है, फिर भी एक-तिहाई से भी कम देशों के पास मस्तिष्क स्वास्थ्य से संबंधित कोई राष्ट्रीय नीति है।
- रिपोर्ट गंभीर असमानताओं को उजागर करती है—
 - निम्न-आय वाले देशों में उच्च-आय वाले देशों की तुलना में 80 गुना तक कम न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं।
 - केवल 25% देश तंत्रिका संबंधी रोगों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के अंतर्गत शामिल करते हैं।
 - मात्र 18% देश तंत्रिका स्वास्थ्य के लिए अलग से बजट आवंटित करते हैं।
- बढ़ते बोझ के बावजूद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में तंत्रिका स्वास्थ्य को अब भी लगातार कम प्राथमिकता दी जा रही है।

तंत्रिका रोग बोझ का महत्व

तंत्रिका संबंधी रोगों का बढ़ता बोझ इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि—

- यह रोगों के वैश्विक स्वरूप में संक्रामक रोगों से गैर-संक्रामक एवं दीर्घकालिक रोगों की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- तंत्रिका रोगों में अक्सर जीवनपर्यात उपचार, पुनर्वास और सामाजिक सहायता की आवश्यकता होती है।
- ये उत्पादकता में कमी, गरीबी और देखभाल करने वालों पर बोझ को बढ़ाते हैं।
- कई तंत्रिका रोग समय पर निदान और उपचार से रोकथाम योग्य या उपचार योग्य हैं।
- मस्तिष्क स्वास्थ्य की उपेक्षा, एसडीजी-3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा डालती है।

अतः तंत्रिका स्वास्थ्य अब केवल एक सीमित चिकित्सीय विषय नहीं रहा, बल्कि यह एक विकासात्मक व शासन से जुड़ी गंभीर चुनौती बन चुका है।

प्रमुख तंत्रिका (न्यूरोलॉजिकल) रोग

- डब्ल्यूएचओ के आँकड़ों (2021) के अनुसार, मृत्यु और दिव्यांगता के प्रमुख कारणों में शामिल हैं—
 - स्ट्रोक (मस्तिष्काधात)
 - नवजात एस्सेफलोपैथी (नवजात शिशुओं में मस्तिष्क की कार्यविकृति)
 - माइग्रेन (आधा सिर दर्द)
 - अल्जाइमर रोग तथा अन्य प्रकार के डिमेंशिया
 - मधुमेह जनित न्यूरोपैथी (डायबिटिक नस क्षति)
 - मेनिन्जाइटिस (मस्तिष्कावरण शोथ)
 - अज्ञात कारण वाली मिर्गी (इडियोपैथिक एपिलेप्सी)
 - समय से पूर्व जन्म से जुड़ी तंत्रिका संबंधी जटिलताएँ
 - ऑटोइम स्पेक्ट्रम विकार
 - तंत्रिका तंत्र के कैंसर
- ये सभी रोग पूरे जीवन-चक्र में पाए जाते हैं—नवजात अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक।

डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट द्वारा उजागर की गई प्रमुख चुनौतियाँ

- नीतिगत कमी**
 - डब्ल्यूएचओ के केवल 32% सदस्य देशों के पास तंत्रिका संबंधी रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति है।
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में मस्तिष्क स्वास्थ्य अब भी हाशिये पर है।
- मानव संसाधन की कमी**
 - न्यूरोलॉजिस्ट, पुनर्वास विशेषज्ञों तथा मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की तीव्र कमी।
 - ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में यह कमी सबसे अधिक है।
- सेवाओं तक असमान पहुँच**
 - स्ट्रोक यूनिट, पुनर्वास सेवाओं और पैलिलेटिव देखभाल की सीमित उपलब्धता।
 - तंत्रिका संबंधी रोगों को अक्सर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) पैकेज से बाहर रखा जाता है।
- देखभालकर्ता बोझ और लैंगिक असमानता**
 - केवल 46% देश देखभालकर्ता सेवाएँ प्रदान करते हैं।
 - अनौपचारिक देखभालकर्ता - अधिकतर महिलाएँ - अब भी अमान्यताप्राप्त और असहाय बनी रहती हैं।

- **कमज़ोर आँकड़ा एवं शोध तंत्र**
 - ✓ केवल 53% देशों ने डब्ल्यूएचओ को तंत्रिका संबंधी आँकड़े उपलब्ध कराए हैं।
 - ✓ विशेषकर निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (LMICs) में तंत्रिका शोध अपर्याप्त वित्तपोषण से ग्रस्त है।
- ये सभी अंतर प्रणालीगत उपेक्षा को दर्शते हैं, न कि चिकित्सीय ज्ञान की कमी को।

भारत और विकासशील देशों में स्थिति: एक तुलनात्मक दृष्टिकोण

- भारत जैसे देशों में—
 - ✓ औसत आयु में वृद्धि और गैर-संचारी रोगों (NCDs) के बढ़ते प्रसार के साथ तंत्रिका रोगों का बोझ बढ़ रहा है।
 - ✓ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूरोलॉजिस्ट और पुनर्वास सुविधाओं की कमी बनी हुई है।
 - ✓ जेब से होने वाला अधिक खर्च दीर्घकालिक देखभाल तक पहुँच को सीमित करता है।
 - ✓ मौजूदा योजनाएँ (जैसे आयुष्मान भारत, NPCDS) गैर-संचारी रोगों को व्यापक रूप से संबोधित करती हैं, परंतु मस्तिष्क स्वास्थ्य पर स्पष्ट ध्यान का अभाव है।
- इससे तंत्रिका रोग स्वास्थ्य असमानता, बढ़ती वृद्ध जनसंख्या और आर्थिक असुरक्षा के संगम पर आ खड़े होते हैं।

परिवर्तन के लिए डब्ल्यूएचओ की कार्य-योजना

डब्ल्यूएचओ ने देशों से मिर्गी तथा अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों पर अंतर-क्षेत्रीय वैश्विक कार्य योजना (2022) को लागू करने का आग्रह किया है, जिसमें निम्नलिखित पर बल दिया गया है—

- **नीतिगत प्राथमिकता**
 - ✓ मस्तिष्क स्वास्थ्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य की प्राथमिकता के रूप में स्थापित करना।
 - ✓ समर्पित वित्तपोषण और प्रभावी नेतृत्व सुनिश्चित करना।
- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज**
 - ✓ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के पैकेज में तंत्रिका सेवाओं को शामिल करना।
- **जीवन-चक्र आधारित दृष्टिकोण**
 - ✓ रोकथाम, शीघ्र निदान, पुनर्वास और पैलिलेटिव देखभाल पर बल।
- **आँकड़े और जवाबदेही**
 - ✓ स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
 - ✓ साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को बढ़ावा देना।
- **जन-केंद्रित शासन**
 - ✓ नीति-निर्माण में प्रत्यक्ष अनुभव वाले व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित करना।

आगे की राह

- तंत्रिका स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए देशों को चाहिए कि—
 - ✓ मस्तिष्क स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत करें।
 - ✓ तंत्रिका स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण & संरक्षण का विस्तार करें।
 - ✓ रोकथामात्मक रणनीतियों को बढ़ावा दें, जैसे—स्ट्रोक की रोकथाम, मातृ देखभाल और चोट-निवारण।
 - ✓ देखभालकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण प्रदान करें।
 - ✓ शोध, निगरानी और वैश्विक सहयोग को सशक्त करें।
- आकस्मिक (Episodic) उपचार से हटकर सतत (Continuum-Based) तंत्रिका देखभाल की ओर बदलाव अनिवार्य है।

निष्कर्ष

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि वैश्विक तंत्रिका स्वास्थ्य संकट समाधानों की कमी के कारण नहीं, बल्कि नीतिगत जड़ता, असमान स्वास्थ्य प्रणालियों और अपर्याप्त निवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। हर वर्ष 1.1 करोड़ से अधिक मौतों और अरबों लोगों के प्रभावित होने के बावजूद, मस्तिष्क स्वास्थ्य की उपेक्षा मानवीय गरिमा और सतत विकास दोनों के लिए गंभीर खतरा है। तंत्रिका देखभाल को वैश्विक स्वास्थ्य शासन का मुख्य संतं बनाने के लिए तात्कालिक, समन्वित और समानतापूर्ण कार्रवाई अनिवार्य है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

चर्चा में क्यों: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवर्तन कल्याण मंत्रालय ने देशभर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय टेली-मानस (Tele-MANAS) स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए सुधारों को रेखांकित किया।

टेली-मानस (Tele-MANAS) कार्यक्रम क्या है?

- टेली-मानस एक राष्ट्रीय डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य पहल है, जिसे टेली-काउंसलिंग के माध्यम से निःशुल्क और चौबीसों घंटे मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- यह डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के साथ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण हेतु भारत के प्रयासों का एक प्रमुख संतं है।


ऐप और सेवा सुधार

- टेली-मानस मंच उपयोगकर्ताओं को किसी भी समय और कहीं से भी मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराता है, जिससे विशेषकर वंचित क्षेत्रों में पहुँच में सुधार होता है।
- हालिया सुधारों का केंद्रबिंदु—
 - ✓ **बहुभाषी समर्थन:** हिंदी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त कई क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएँ उपलब्ध कराना।

- ✓ **सुलभता सुविधाएँ:** दिव्यांगजनों, विशेषकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों, के लिए उपयोगिता बढ़ाने वाले फीचर।
- ✓ **चैटबॉट-आधारित सहायता:** जानकारी, मार्गदर्शन और सेवाओं तक पहुँच (नेविगेशन) में सहयोग।
- ✓ **आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र:** मानसिक स्वास्थ्य संकट के दौरान त्वरित मार्गदर्शन प्रदान करना।

जागरूकता और पहुँच विस्तार

- सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य में जन-जागरूकता, सामाजिक कलंक में कमी (Stigma Reduction) और शीघ्र हस्तक्षेप के महत्व पर जोर दिया।
- सार्वजनिक व्यक्तियों और अभियानों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य पर संवाद को सामान्य बनाया जा सके और सहायता लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले।



विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

परिचय

- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।
- इसका नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य है —
 - ✓ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना।
 - ✓ मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना।
 - ✓ सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ और वहनीय बनाने हेतु कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

विषय

- प्रत्येक वर्ष डब्ल्यूएचओ उभरती हुई या महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर केंद्रित एक विषय घोषित करता है, जो प्रायः सेवाओं तक पहुँच, समानता, तथा संकट और आपात स्थितियों के दौरान सहायता पर प्रकाश डालता है।

मुख्य तथ्य

- राष्ट्रपति ने शिक्षा को सशक्तीकरण का प्रमुख साधन बताया और उल्लेख किया कि समुदाय की साक्षरता दर 72% से अधिक है।

सिद्धी समुदाय के बारे में

- सिद्धी जनजाति अफ्रीकी मूल की है और मुख्यतः गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है।
- सामाजिक अलगाव, आर्थिक पिछड़ेपन तथा विकास के अवसरों तक सीमित पहुँच के कारण इन्हें PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा का महत्व

- **सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण**
 - ✓ शिक्षा से रोज़गार-योग्यता, कौशल विकास और आय सूजन बढ़ता है, जिससे जनजातीय युवाओं को बेहतर आजीविका के अवसर मिलते हैं।
 - ✓ यह सामाजिक गतिशीलता और गरिमा को भी बढ़ावा देती है, जिससे समुदाय ऐतिहासिक हाशियाकरण से उबर पाते हैं।
- **अधिकारों और योजनाओं के प्रति जागरूकता**
 - ✓ शिक्षा से संवैधानिक अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और कानूनी संरक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ती है।
 - ✓ जागरूक नागरिक PM-JANMAN, EMRS और वन धन योजना जैसी योजनाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हैं, जिससे समावेशी विकास को बल मिलता है।

जनजातीय सशक्तीकरण का माध्यम - शिक्षा

चर्चा में क्यों: हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा पदी मुर्मू ने गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में सिद्धी समुदाय के सदस्यों से संवाद किया। सिद्धी समुदाय को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- विशेष संवेदनशील जनजातीय समूह और सरकारी हस्तक्षेप**
 - ✓ भारत में 75 विशेष संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) हैं, जिन्हें लक्षित एवं केंद्रित विकास के लिए चिह्नित किया गया है।
 - ✓ प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन तथा अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ विकास अंतर को पाटने का लक्ष्य रखती हैं।
- जनजातीय समुदाय और सतत जीवन-शैली**
 - ✓ जनजातीय समुदाय प्रकृति-अनुकूल जीवन-शैली अपनाते हैं और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर निर्भर रहते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हैं।
 - ✓ ये प्रथाएँ सतत विकास, जैव-विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलापन को समर्थन देती हैं, तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
- संवैधानिक और विकासात्मक दृष्टि**
 - ✓ संविधान अनुच्छेद 46 के अंतर्गत जनजातीय कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, साथ ही पाँचवीं और छठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण प्रदान करता है।
 - ✓ राष्ट्रपति मुर्मू ने समता, न्याय और जनजातीय अधिकारों के संरक्षण को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य बताया।

आगे की राह

- विशेषकर दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करना आवश्यक है, ताकि ड्रॉपआउट दर और अधिगम अंतराल कम किए जा सकें।
- कल्याणकारी योजनाओं की अंतिम छोर तक आपूर्ति (लास्ट-माइल डिलीवरी) को मजबूत करना और समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव विकास के एक केंद्रीय घटक के रूप में बढ़ती मान्यता को रेखांकित करता है। टेली-मानस (Tele-MANAS) जैसी पहलें, विशेषकर संवेदनशील और वंचित आबादी के लिए, समानतापूर्ण, वहनीय और प्रौद्योगिकी-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में जागरूकता, सुलभता और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना न केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप एक सुदृढ़, समावेशी और उत्पादक समाज के निर्माण के लिए भी अनिवार्य है।

चिल्ड्रेन इन इंडिया रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने चिल्ड्रेन इन इंडिया रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी किया है, जिसमें देश में बच्चों की स्थिति और कल्याण से जुड़े प्रमुख संकेतक प्रस्तुत किए गए हैं।

रिपोर्ट के बारे में

- चिल्ड्रेन इन इंडिया रिपोर्ट एक सांख्यिकीय संकलन है, जो SRS, NFHS तथा प्रशासनिक अभिलेखों जैसे आधिकारिक डेटा स्रोतों पर आधारित है।
- यह बच्चों से संबंधित शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण और जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों पर साक्ष्य प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और बाल-केंद्रित परिणामों की निगरानी में सहायता करना है।

मुख्य निष्कर्ष

❖ स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय संकेतक

- शिशु मृत्यु दर (IMR):** पिछले एक दशक में इसमें महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को दर्शाती है। IMR का अर्थ है—किसी वर्ष में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या।
- पाँच वर्ष से कम आयु मृत्यु दर (U5MR):** नवीनतम वर्ष में इसमें निम्न कमी दर्ज की गई है, जो बाल जीवन रक्षा में निरंतर प्रगति का संकेत देती है। U5MR उस संभावना को मापता है कि कोई बच्चा पाँच वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो, प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर।
- जन्म दर:** इसमें लगातार गिरावट का रुझान बना हुआ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक दर्ज की गई है, जो भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण के अनुरूप है।

❖ शैक्षिक परिणाम

- विद्यालय छोड़ने की दर (School Dropout Rates):** विद्यालय छोड़ने की दर में निम्न स्तरों पर कमी दर्ज की गई है—
 - ✓ प्रारंभिक/तैयारी स्तर (Preparatory Stage)
 - ✓ मध्य स्तर (Middle Level)
 - ✓ माध्यमिक स्तर (Secondary Level)
 - ✓ यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, विद्यालयी शिक्षा में बेहतर स्थायित्व को दर्शाता है।
- लैंगिक समानता सूचकांक (Gender Parity Index – GPI):** विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न चरणों में लगभग समानता प्राप्त हो चुकी है, जो शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी और पहुँच में सुधार को प्रतिबिम्बित करती है।

❖ सामाजिक संरक्षण संकेतक

- बाल विवाह:** 20-24 वर्ष आयु वर्ग की उन महिलाओं का अनुपात, जिनका विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ, घटने की प्रवृत्ति

दर्शाता है, हालांकि इसकी व्यापकता अब भी चिंता का विषय बनी हुई है।

- दत्तक ग्रहण की प्रवृत्तियाँ (Adoption Trends):**

- ✓ हाल के वर्षों में दत्तक ग्रहण की कुल संख्या में वृद्धि हुई है।
- ✓ देश के भीतर दत्तक ग्रहण का अनुपात अधिक है, जबकि अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है; ये सभी मौजूदा कानूनी ढाँचों के अंतर्गत विनियमित हैं।

महत्व

- यह रिपोर्ट बाल स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण में भारत की प्रगति को रेखांकित करती है, साथ ही लगातार बनी चुनौतियों को भी सामने रखती है।
- SDG-3 (अच्छा स्वास्थ्य), SDG-4 (शिक्षा) और SDG-5 (तैंगिक समानता) की निगरानी में सहायक है।
- पोषण अभियान, समग्र शिक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के तहत लक्षित हस्तक्षेपों के लिए आँकड़ा-आधार प्रदान करती है।

निष्कर्ष

चिल्ड्रेन इन इंडिया रिपोर्ट बाल-संबंधी संकेतकों में निरंतर सुधार को दर्शाती है, जो नीतिगत हस्तक्षेपों और सामाजिक जागरूकता से प्रेरित है। तथापि, बाल श्रम, क्षेत्रीय असमानताएँ और किशोरों के कल्याण जैसे मुद्दों पर समावेशी और समान विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर नीतिगत ध्यान आवश्यक है।

“स्टेट ऑफ़ सोशल जस्टिस: ए वर्क इन प्रोग्रेस” रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने “द स्टेट ऑफ़ सोशल जस्टिस: ए वर्क इन प्रोग्रेस” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

मुख्य विवरण

- यह रिपोर्ट दोहा (कतर) में आयोजित होने वाले द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन (नवंबर 2025) से पहले जारी की गई है, जो 1995 में डेनमार्क में हुए कोपेनहेगन सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन के 30 वर्ष पूर्ण होने का स्मरण करती है।
- उस शिखर सम्मेलन में सामाजिक विकास पर कोपेनहेगन घोषणा और कोपेनहेगन कार्य-कार्यक्रम को अपनाया गया था।
- इन दस्तावेजों में दस प्रमुख प्रतिबद्धताएँ निर्धारित की गई थीं, जैसे —
 - ✓ गरीबी उन्मूलन,
 - ✓ पूर्ण और उत्पादक रोजगार की प्राप्ति,
 - ✓ सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना, तथा
 - ✓ महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करना।
- वर्ष 2025 की यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय की स्थिति का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करती है तथा विभिन्न प्रमुख स्तरों में हुई प्रगति और बनी हुई चुनौतियों की समीक्षा करती है।

सामाजिक न्याय क्या है?

- इसका अर्थ है कि सभी मनुष्यों को—चाहे उनकी जाति, नस्ल, पंथ, लिंग या लिंग-परिचय कुछ भी हो—भौतिक कल्याण और आधारिक विकास दोनों का अधिकार हो, वह भी स्वतंत्रता, गरिमा, आर्थिक सुरक्षा और समान अवसरों की परिस्थितियों में।
- सामाजिक न्याय विश्वास निर्माण में सहायक होता है, वैधता को सुदृढ़ करता है और उत्पादक क्षमता को मुक्त कर समावेशी विकास, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देता है।

सामाजिक न्याय में प्रमुख उपलब्धियाँ

- अत्यधिक गरीबी में कमी:** 1995 में 39% से घटकर 2025 में 10%, जबकि कार्यशील गरीबी 28% से घटकर 7% रह गई।
- सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि:** इतिहास में पहली बार, विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या कम-से-कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आ गई है।

सामाजिक न्याय के चार मूलभूत स्तंभ



मौलिक मानवाधिकार और क्षमताएं (बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करना)



अवसरों की समान पहुँच (शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार में आने वाली बाधाओं को दूर करके सम्मानजनक जीवन यापन को संभव बनाना)



उचित वितरण (आर्थिक विकास के लाभों में उचित हिस्सेदारी की गारंटी देना, विशेष रूप से सबसे वंचित लोगों के लिए)



निष्पक्ष परिवर्तन (प्रमुख संरचनात्मक सामाजिक परिवर्तनों (पर्यावरणीय, डिजिटल, जनसांख्यिकीय) का न्यायसंगत प्रबंधन)

- श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर में कमी:** 2005 से 2025 के बीच यह अंतर 26% से घटकर 24 प्रतिशत अंक रह गया।
- बाल श्रम:** 1995 में 20.6% से घटकर 2024 में 7.8%।

- असमानता में कमी:** देशों के बीच असमानता 2000 के दशक की शुरुआत से घट रही है, जिसका कारण मध्यम आय वाले देशों में श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि है।

मुख्य शब्दावली

- **अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty):** विश्व बैंक के अनुसार, अत्यधिक गरीबी में वे लोग आते हैं जो प्रति दिन 3 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करते हैं।
- **कार्यशील गरीबी (Working Poverty):** ऐसे लोग जो रोज़गार में होने के बावजूद उन परिवारों में रहते हैं जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे होती है।
- **जीविका योग्य वेतन (Living Wage):** वह न्यूनतम वेतन स्तर जो एक सम्मानजनक जीवन-स्तर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

भारत में सामाजिक न्याय की प्रमुख उपलब्धियाँ

- **अत्यधिक गरीबी:** 2011–12 में 16.2% से घटकर 2022–23 में 2.3% रह गई।
- **महिला श्रम बल भागीदारी:** 2024 में उल्लेखनीय वृद्धि, 2017–18 के 23.3% से बढ़कर 2023–24 में 41.7%।
- **सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि:** भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया।
- **असमानता में कमी:** गिनी गुणांक 25.5 के साथ, आय समानता के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है (स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद)।
- **मूलभूत सेवाओं तक पहुँच:** जल जीवन मिशन (JJM) जैसे कार्यक्रमों के तहत नल से जल की पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; अब 15.72 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार इससे जुड़े हैं।

सामाजिक न्याय प्राप्त करने से सम्बद्ध प्रमुख चिंताएँ

- **मौलिक मानव अधिकारों से संबंधित चुनौतियाँ**
 - ✓ **वेतन अंतर (Wage Gap):** वर्ष 2025 में पुरुषों और महिलाओं के बीच आय का अनुपात **78%** है।
 - वर्तमान गति से यह वेतन अंतर 50–100 वर्षों में ही समाप्त हो पाएगा।
 - ✓ **बाल श्रम:** 5–17 वर्ष आयु वर्ग के 13.8 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लगे हैं, जिनमें से लगभग 50% खतरनाक श्रम में संलग्न हैं।
 - ✓ **बंधुआ/जबरन श्रम:** 2016 से 2021 के बीच जबरन श्रम में लगे लोगों की संख्या 2.49 करोड़ से बढ़कर 2.76 करोड़ हो गई है।
- **अवसरों तक समान पहुँच से संबंधित चुनौतियाँ**
 - ✓ **असमानता:** शीर्ष 1% आबादी अब भी 20% आय और 38% संपत्ति पर नियंत्रण रखती है।
 - ✓ **अनौपचारिक रोज़गार:** कुल रोज़गार का लगभग **58%** हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है।
 - ✓ **मूलभूत सेवाओं तक पहुँच:** उदाहरण के तौर पर, हर चार में से एक व्यक्ति को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है।

• उचित संक्रमण (Fair Transitions) से संबंधित चुनौतियाँ

- ✓ **पर्यावरणीय संक्रमण:** वैश्विक ताप वृद्धि को अधिकतम 2°C तक सीमित करने के लिए आवश्यक उपायों से लगभग 60 लाख नौकरियाँ समाप्त हो सकती हैं, मुख्यतः जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में।
- ✓ **डिजिटल संक्रमण:** नवीनतम आईएलओ शोध के अनुसार, लगभग हर चार में से एक नौकरी जनरेटिव एआई द्वारा रूपांतरित होने की संभावना है।
- ✓ **जनसांख्यिकीय संक्रमण:** श्रम बाज़ारों में उत्पादकता में सुधार और सम्मानजनक नौकरियों तक पहुँच—
 - कम-आय और मध्यम-आय देशों में (जहाँ कार्यबल वृद्ध हो रहा जनसंख्या बढ़ रही है) तथा
 - उच्च और मध्यम-आय देशों में (जहाँ कार्यबल वृद्ध हो रहा है) - दोनों ही स्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सामाजिक न्याय के लिए प्रमुख पहलें

1. वैश्विक स्तर पर

- **सामाजिक न्याय हेतु वैश्विक गठबंधन:** अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा 2023 में शुरू की गई यह पहल सरकारों, श्रमिक एवं नियोक्ता संगठनों तथा अन्य साझेदारों को सामाजिक न्याय के उद्देश्य से एकजुट करती है।
- **सम्मानजनक कार्य एजेंडा:** ILO का यह एजेंडा सभी लोगों के लिए उत्पादक रोज़गार, उचित आय, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण के साथ कार्य के अवसरों को बढ़ावा देता है।
- **वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा (2008):** इस घोषणा में सम्मानजनक कार्य एजेंडा को ILO की नीतियों के केंद्र में रखा गया है।
- **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948):** यह उन मौलिक मानव अधिकारों को परिभाषित करती है, जिनका प्रत्येक व्यक्ति हकदार है।
- **अन्य पहलें:**
 - ✓ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (1966)
 - ✓ भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन (G20)
 - ✓ सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

2. भारत में

• संवैधानिक उपायः

- ✓ प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है।
- ✓ मौलिक अधिकार (जैसे अनुच्छेद 23) और राज्य के नीति-निदेशक तत्व (अनुच्छेद 38)।

• विधायी उपायः

- ✓ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
- ✓ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

- ✓ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- संस्थागत उपाय:
 - ✓ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
 - ✓ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
- कल्याणकारी उपाय:
 - ✓ प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
 - ✓ आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

आगे की राह

- न्यायपूर्ण वितरण
 - ✓ सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को प्रभावी रूप से मान्यता देना।
 - ✓ न्यूनतम वेतन नीतियों को अद्यतन करना और ILO के सिद्धांतों के अनुरूप वेतन-निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से जीविका योग्य वेतन को व्यवहार में लागू करना।
 - ✓ भेदभाव-रोधी नीतियों की प्रभावशीलता बढ़ाना तथा सामाजिक संरक्षण प्रणालियों की स्थिरता, कवरेज और पर्याप्तता को सुनिश्चित करना।
- अवसरों तक समान पहुँच
 - ✓ सक्रिय श्रम बाजार नीतियों (ALMPs) को मजबूत करना, जिनमें प्रशिक्षण और श्रम मध्यस्थता शामिल हों।

- ✓ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सतत उद्यम उपायों का समर्थन करना और औपचारिकीकरण के मार्ग प्रदान करना।
- ✓ सरकार द्वारा रोज़गार सब्सिडी (जैसे वेतन सब्सिडी और नियुक्ति प्रोत्साहन) प्रदान करना।
- ✓ सार्वजनिक रोज़गार कार्यक्रमों का प्रभावी डिज़ाइन और कार्यान्वयन; जैसे भारत का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)।

न्यायसंगत संक्रमण

- ✓ स्थान-आधारित रणनीतियाँ अपनाना; जैसे उन भौगोलिक क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जहाँ ऊर्जा उत्पादन घटा है।
- ✓ आंशिक सेवानिवृत्ति और आयु-आधारित भेदभाव-रोधी कानूनों की आवश्यकता, ताकि वृद्ध श्रमिकों को बनाए रखा जा सके और उनकी आर्थिक भागीदारी को समर्थन मिले।
- ✓ वृद्ध होते परिवारजनों की देखभाल के लिए सैवेटनिक अवकाश (Paid Leave) के प्रावधानों का विस्तार।

निष्कर्ष

गरीबी में कमी, शिक्षा और लैंगिक समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, सामाजिक न्याय अब भी एक अपूर्ण एजेंडा है। प्रगति को बनाए रखने के लिए देशों को संरचनात्मक असमानताओं को कम करने, सामाजिक संरक्षण का विस्तार करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना होगा कि आर्थिक वृद्धि सभी के लिए गरिमा और अवसर में परिवर्तित हो।

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल

'इंडियन एक्सप्रेस' में क्या पढ़े?


क्यू आर कोड स्कैन करें




इतिहास एवं संस्कृति

श्रीशैलम मंदिर

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की।



श्रीशैलम मंदिर के बारे में

- श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानम्, जिसे सामान्यतः श्रीशैलम मंदिर कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल है।
- यह मंदिर नल्लमाला पहाड़ियों में, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। घने वनावरण के कारण इसे आध्यात्मिक के साथ-साथ पारिस्थितिक महत्व भी प्राप्त है।
- यह मंदिर शैव और शाक्त परंपराओं के दुर्लभ संगम का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह—
 - भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तथा
 - देवी पार्वती के 18 शक्तिपीठों में से एक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- अभिलेखीय और साहित्यिक साक्ष्य संकेत देते हैं कि यह मंदिर स्थल सातवाहन काल (लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी) में संक्रिय था।
- समय के साथ इस मंदिर को कई राजवंशों का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिनमें शामिल हैं—
 - चालुक्य
 - काकतीय

- विजयनगर शासक
- कुतुबशाही
- इन शासकों ने मंदिर परिसर के विस्तार, नवीनीकरण और वास्तुकला-सौदर्यीकरण में योगदान दिया।

वास्तुकला की विशेषताएँ

- यह मंदिर मुख्यतः द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित है।
- प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं—
 - ऊँचे गोपुरम
 - विस्तृत प्राकार
 - सुंदर नक्काशी वाले मंडप
- मुख मंडप, जो विजयनगर काल में जोड़ा गया, मंदिर के सबसे प्रभावशाली सभागृहों में से एक है, जो अपने विशाल आकार और अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है।

धार्मिक महत्व

- हिंदू परंपरा के अनुसार—
 - यहाँ भगवान शिव का प्राकट्य मल्लिकार्जुन के रूप में माना जाता है।
 - जबकि देवी पार्वती का प्राकट्य भ्रामराम्बा के रूप में हुआ।
- एक ही स्थल पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों की उपस्थिति शिव और शक्ति की अविभाज्य ब्रह्मांडीय एकता का प्रतीक है।
- परिणामस्वरूप, यह मंदिर शैव और शाक्त—दोनों परंपराओं के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।

सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत

- श्रीशैलम को लंबे समय से आध्यात्मिक अध्ययन और धार्मिक विमर्श का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है।
- परंपरा के अनुसार, आदि शंकराचार्य ने श्रीशैलम का भ्रमण किया था और उनका संबंध शिवानंद लहरी—भगवान शिव को समर्पित एक भक्तिपूर्ण स्तुति—की रचना से जोड़ा जाता है।
- आज भी यह मंदिर एक प्रमुख तीर्थस्थल बना हुआ है, जो दक्षिण भारत की धार्मिक, स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. श्रीशैलम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

- यह भगवान शिव को समर्पित बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
- इसे देवी पार्वती से संबंधित अठारह शक्तिपीठों में से एक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

3. मुख्य मंदिर संरचना का मूल निर्माण गुप्त काल में हुआ था। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

✓ **शैक्षिक उपयोग:** विरासत संरक्षण, संग्रहालय नैतिकता तथा कलाकृतियों के अधिग्रहण के औपनिवेशिक इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

मुख्य विशेषताएँ

- **इंटरएक्टिव डिजाइन:** संग्रहालय को बाओबाब वृक्ष के रूप में डिजाइन किया गया है, जो स्थायित्व और ज्ञान का प्रतीक है (वास्तुकार: फ्रांसिस केरे)।
- **चोरी की गई संस्कृति की गैलरी:** चोरी हुई वस्तुओं के डिजिटल पुनर्निर्माण का प्रदर्शन।
- **वापसी और पुनर्स्थापन कक्ष:** सफल प्रत्यावर्तन मामलों का प्रस्तुतीकरण।
- **ऑडिटोरियम:** वाद-विवाद, कार्यशालाएँ और जागरूकता सत्रों का आयोजन।
- **एआई एवं 3D मॉडलिंग:** मूल अभिलेख उपलब्ध न होने पर भी वस्तुओं के अध्ययन की सुविधा।
- **गतिशील मंच:** वास्तविक दुनिया में जैसे-जैसे वस्तुओं की वापसी होती जाएगी, यह संग्रहालय क्रमशः “धीरे-धीरे खाली होने” के लिए अभिप्रेत है।

भारत से प्रतिनिधित्व

- भारत का प्रतिनिधित्व छठी शताब्दी की नटराज और ब्रह्मा की बलुआ पत्थर की दो मूर्तियों द्वारा किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के पाली स्थित महादेव मंदिर से संबंधित हैं।
- ये कलाकृतियाँ भारत की समृद्ध मंदिर कला परंपरा को प्रतिबिंबित करती हैं तथा औपनिवेशिक लूट के प्रभाव को उजागर करती हैं।

महत्त्व

- यह पहल न्याय और सुलह की दिशा में एक नैतिक और प्रतीकात्मक स्वीकृति के रूप में कार्य करती है।
- आभासी प्रत्यावर्तन (Virtual Repatriation) की अवधारणा प्रस्तुत कर यह समुदायों को उनकी विरासत से पुनः जोड़ने का माध्यम बनती है।
- यह कलाकृतियों की वापसी से जुड़े नैतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक आयामों की सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देती है।
- सांस्कृतिक कूटनीति और विरासत संरक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यह एक वैश्विक मॉडल प्रस्तुत करती है।

निष्कर्ष

यूनेस्को वर्चुअल म्यूजियम विश्व विरासत संरक्षण की दिशा में एक अग्रणी कदम है, जो प्रौद्योगिकी, कूटनीति और शिक्षा को एक साथ जोड़कर सांस्कृतिक न्याय को आगे बढ़ाता है, जागरूकता को सुदृढ़ करता है और डिजिटल युग में नैतिक प्रत्यावर्तन का समर्थन करता है।

यूनेस्को वर्चुअल म्यूजियम

चर्चा में क्यों: यूनेस्को ने हाल ही में स्पेन में आयोजित MONDIACULT 2025 सम्मेलन के दौरान चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया। यह अभिनव डिजिटल मंच लूटी गई विरासत का दस्तावेज़ीकरण करने, सांस्कृतिक कलाकृतियों की अवैध तस्करी से निपटने तथा मूल समुदायों को वस्तुओं की वापसी (प्रतिस्थापन/पुनर्स्थापन) को सुगम बनाने का उद्देश्य रखता है।



वर्चुअल म्यूजियम के बारे में

- यह विश्व का पहला वैश्विक ऑनलाइन संग्रहालय है, जो चोरी की गई, लूटी गई या अवैध रूप से तस्करी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं की पहचान, प्रदर्शन और अभिलेखीकरण के लिए समर्पित है।
- इंटरपोल और अन्य साझेदारों के सहयोग से विकसित यह मंच डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और 3D मॉडलिंग का उपयोग करता है, ताकि वे कलाकृतियाँ पुनर्निर्मित की जा सकें जो अन्यथा खो चुकी हैं या अप्राप्य हैं।
- वर्तमान में इस मंच पर 46 देशों की लगभग 240 चोरी की गई कलाकृतियाँ उपलब्ध हैं, जो जन-शिक्षा और अनुसंधान के लिए आभासी रूप से सुलभ हैं।
- **उद्देश्य**

- ✓ **अवैध तस्करी से निपटना:** पारदर्शी और अनुरेखणीय अभिलेख बनाए रखना, ताकि वस्तुओं की बरामदगी में सहायता मिले और अवैध व्यापार को रोका जा सके।
- ✓ **सांस्कृतिक पुनर्संबंध:** आभासी प्रत्यावर्तन के माध्यम से मूल समुदायों के साथ संबंधों को पुनः स्थापित करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. यूनेस्को के चौरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं के वर्चुअल म्यूज़ियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

- इसे स्पेन में आयोजित MONDIACULT 2025 सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था।
- यह लूटी गई कलाकृतियों को भौतिक रूप से वापस करने के बजाय उन्हें स्थायी रूप से आभासी प्रदर्शनी का हिस्सा बनाने का प्रयास करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

निर्माण एवं पुनर्निर्माण की समयरेखा

- 649 ईस्वी: वल्लभी के राजा मैत्रेय द्वारा दूसरे मंदिर का निर्माण।
- 725 ईस्वी: सिंध के शासक द्वारा मंदिर को लूटा गया।
- 815 ईस्वी: राजा नाग भट्ट द्वितीय द्वारा तीसरे मंदिर का निर्माण (लाल बलुआ पत्थर से)।
- 1026 ईस्वी: महमूद गज़नवी द्वारा मंदिर का ध्वंस।
- 1026–1042 ईस्वी: सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम द्वारा मंदिर का नवीनीकरण।
- 1169 ईस्वी: कुमारपाल (चालुक्य-सोलंकी वंश) द्वारा मंदिर का पुनर्स्थापन।
- 1299 ईस्वी: उलुग खान (दिल्ली सल्तनत) द्वारा मंदिर को लूटा गया।
- 1308 ईस्वी: महीपाल प्रथम (चूड़ासमा वंश) द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण; खेंगरा द्वारा शिवलिंग की पुनः स्थापना।
- 1395 ईस्वी: ज़फ़र खान (गुजरात सल्तनत) द्वारा आक्रमण।
- 1451 ईस्वी: सुल्तान महमूद बेग़ड़ा द्वारा मंदिर को लूटा गया।
- 1706 ईस्वी: औरंगज़ेब द्वारा मंदिर का ध्वंस।
- 1782 ईस्वी: अहिल्याबाई होल्कर द्वारा छोटे मंदिर का पुनर्स्थापन (पुराना सोमनाथ)।
- 1951 ईस्वी: स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल की पहल पर वर्तमान मंदिर का निर्माण, मारू–गुर्जर (चालुक्य) शैली में।

वास्तुकला का महत्त्व

- मंदिर का पुनर्निर्माण मारू–गुर्जर (चालुक्य/सोलंकी) स्थापत्य शैली में किया गया है।
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - ✓ स्तंभों पर सूक्ष्म एवं सुंदर नक्काशी
 - ✓ ऊँचा एवं भव्य शिखर
 - ✓ जटिल शिलाकारी और मूर्तिकला

निंगोल चाकोउबा उत्सव

चर्चा में क्यों: मणिपुर सरकार ने निंगोल चाकोउबा उत्सव से पूर्व एक मछली मेला आयोजित किया, जिसमें स्थानीय सांस्कृतिक और आर्थिक प्रोत्साहन के तहत विभिन्न प्रकार की मछलियों की 1.5 लाख किलोग्राम बिक्री का लक्ष्य रखा गया।



ऐतिहासिक महत्त्व

- यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के निकट प्रभास पाटन में स्थित है और इसे भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
- यह मंदिर तीन नदियों—कपिला, हिरण और सरस्वती—के त्रिवेणी संगम पर स्थित है।
- माना जाता है कि यह मंदिर 2,000 वर्ष से अधिक प्राचीन है, तथा लिखित अभिलेखों में इसका उल्लेख 649 ईस्वी से मिलता है।
- प्राचीन कथाओं के अनुसार, मंदिर के मूल निर्माण का श्रेय चंद्र देव (स्वर्ण), रावण (रजत), कृष्ण (काष्ठ) और भीमदेव (पाषाण) को दिया जाता है।

उत्सव के बारे में

- वार्षिक आयोजन:** निंगोल चाकोउबा हर वर्ष मणिपुर में मैतेई पंचांग के हियांगई महीने के चंद्र कैलेंडर के दूसरे दिन मनाया जाता है।
- प्रमुख समुदाय:** यह उत्सव मुख्य रूप से मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, हालांकि हाल के वर्षों में अन्य समुदायों की भागीदारी भी बढ़ी है।
- उद्देश्य:** यह पर्व पारिवारिक पुनर्मिलन, खुशी और सामाजिक सौहार्द पर बल देता है।
- नामकरण:**
 - ✓ **निंगोल** = विवाहित महिला
 - ✓ **चाकोउबा** = भोज के लिए आमंत्रण
 - ✓ इस उत्सव में विवाहित बेटियों/बहनों को उनके मायके में भोज और उत्सव के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- विशिष्टता:** विवाहित बहनें अपने मातृगृह आती हैं, सामूहिक भोज में भाग लेती हैं, उपहारों का आदान-प्रदान करती हैं और पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करती हैं।

मैतेई समुदाय के बारे में

- जातीयता:** मैतेई, मणिपुर का प्रमुख जातीय समुदाय है।
- भाषा:** वे मैतेई (मणिपुरी) भाषा बोलते हैं, जो —
 - ✓ भारत की 22 अधिकारिक भाषाओं में से एक है, तथा
 - ✓ मणिपुर की एकमात्र आधिकारिक भाषा है।
- भौगोलिक वितरण:**
 - ✓ मुख्यतः इंफाल घाटी में निवास
 - ✓ इसके अतिरिक्त असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम तथा पड़ोसी म्यांमार और बांगलादेश में भी उपस्थिति
- सामाजिक संरचना:** यह समुदाय कुलों (क्लान) में विभाजित है और बहिर्विवाह की परंपरा का पालन करता है (अर्थात् एक ही कुल में विवाह नहीं किया जाता)।
- अर्थव्यवस्था:** सिंचित खेतों में धान की खेती मैतेई समुदाय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

महत्व

- संस्कृति एवं विरासत:** यह उत्तर-पूर्व भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को उजागर करता है।
- सामाजिक सौहार्द:** पारिवारिक संबंधों, सामाजिक एकता और सामुदायिक सहभागिता पर बल देता है।
- क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था:** ऐसे उत्सव अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और जीविका से जुड़े होते हैं; उदाहरण के लिए मछली मेले।

कंबाला

चर्चा में क्यों: हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ़ एनिमल्स (PETA) के बारे में

को खारिज कर दिया। इस याचिका में उडुपी और दक्षिण कन्नड़ ज़िलों के बाहर आयोजित कंबाला भैंस दौड़ के आयोजन को चुनौती दी गई थी।

कंबाला के बारे में



- स्वरूप:** कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, जो कीचड़ भरे धान के खेतों में आयोजित की जाती है। यह आमतौर पर नवंबर से मार्च के बीच तीटीय कर्नाटक (उडुपी और दक्षिण कन्नड़) में होती है।
- सांस्कृतिक जड़ें:** परंपरागत रूप से इसे तुलुव परिवारों और स्थानीय जमीदारों का संरक्षण प्राप्त रहा है। यह दौड़ तुलुवा समुदाय से जुड़ी है, जो दक्षिण कर्नाटक में तुलु भाषा के मूल वक्ता हैं।
- उद्देश्य एवं प्रक्रिया:** दौड़ के दौरान जॉकी भैंसों के पीछे दौड़ते हैं, उन्हें कसकर पकड़ी गई लगाम से नियंत्रित करते हैं और गति बढ़ाने के लिए हल्की चाबुक का प्रयोग करते हैं।
- परंपरा:** ऐतिहासिक रूप से कंबाला गैर-प्रतिस्पर्धात्मक थी, जिसमें भैंसों के जोड़े क्रमवार दौड़ते थे। यह देवताओं के प्रति कृतज्ञता अनुष्ठान के रूप में भी किया जाता था, ताकि पशुधन को रोगों से संरक्षण मिल सके।
- आपत्तियाँ:** पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि कंबाला में भैंसों को अनावश्यक पीड़ा और कूरता सहनी पड़ती है, जो पशुओं के प्रति कूरता निवारण अधिनियम, 1960 (PCA Act) का उल्लंघन है। उनका कहना है कि यह दौड़ भैंसों की शारीरिक संरचना के अनुकूल नहीं है और इसलिए इसे पशु कूरता माना जाना चाहिए।

पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ़ एनिमल्स (PETA) के बारे में


- स्वरूप:** PETA एक वैश्विक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है, जो विभिन्न उद्योगों और समाज में पशुओं के दुरुपयोग और शोषण को रोकने के लिए कार्य करता है।
- स्थापना:** इसकी स्थापना 1980 में इंग्रिड न्यूकिंग और एलेक्स पाचेको ने की थी, जो पीटर सिंगर की पुस्तक 'एनिमल लिबरेशन' (1975) से प्रेरित थे।
- मुख्यालय:** नॉरफॉक, वर्जीनिया (अमेरिका) में स्थित है। विश्वभर में इसकी इकाइयाँ हैं और यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन माना जाता है।

- उद्देश्य:** PETA प्रजातिवाद (मनुष्य को अन्य प्राणियों से थ्रेष मानने वाली मानव-केंद्रित सोच) का विरोध करता है और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहाँ पशु सबसे अधिक कष्ट सहते हैं—
 - ✓ प्रयोगशालाएँ
 - ✓ खाद्य उद्योग
 - ✓ वस्त्र उद्योग
 - ✓ मनोरंजन और खेल
- कार्य-प्रणाली:** यह संगठन सार्वजनिक शिक्षा, जॉच-पड़ताल, अनुसंधान, कानूनी पहल, आंदोलन/प्रदर्शन तथा कंपनियों और नियामक संस्थाओं से संवाद के माध्यम से पशु कल्याण को बढ़ावा देता है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर

चर्चा में क्यों: ओडिशा सरकार ने पुरी में स्थित नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर के निवास 'पाथेर पुरी' के पुनर्स्थापन की योजना की घोषणा की है तथा उनकी विरासत के संरक्षण और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इसे संग्रहालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में



पृष्ठभूमि:

- ✓ रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ। वे 13 संतानों में सबसे छोटे थे।
- ✓ वे देबेन्द्रनाथ टैगोर—जो ब्रह्म समाज के प्रमुख व्यक्तित्व थे—और शारदा देवी के पुत्र थे।
- ✓ उन्हें प्रारंभिक शिक्षा घर पर मिली, जिसमें साहित्यिक और सांस्कृतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया।

विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा:

- ✓ उन्होंने कई विद्यालयों में अध्ययन किया और कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी रहे, हालांकि उन्होंने औपचारिक उच्च शिक्षा पूरी नहीं की।

• बहुआयामी व्यक्तित्व:

- ✓ वे बंगाली कवि, उपन्यासकार, संगीतकार, चित्रकार, दार्शनिक और शिक्षाविद् थे।
- ✓ उन्होंने भारतीय संस्कृति को पश्चिम से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ✓ वे एक बहुविद्यावान व्यक्तित्व (पॉलीमैथ) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, जिन्होंने बंगाल और भारत में साहित्य, संगीत और शिक्षा को नई दिशा दी।

• उपाधियाँ (Sobriquets)

- ✓ उन्हें 'गुरुदेव', 'कबिगुरु' और 'विश्वकवि' के नाम से जाना जाता है।

• महात्मा गांधी से संबंध

- ✓ वे महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र थे और उन्हें "महात्मा" की उपाधि देने का श्रेय भी रवीन्द्रनाथ टैगोर को दिया जाता है।

• राष्ट्रीय एकता के समर्थक

- ✓ उन्होंने भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए 'विविधता में एकता' को अनिवार्य बताया।

• विश्व धर्म संसद

- ✓ उन्होंने 1929 और 1937 में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाषण दिए और अंतर-धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा दिया।

• शिक्षा में योगदान

- ✓ उन्होंने 1921 में शांति निकेतन में विश्व-भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहाँ अनुभव-आधारित, उदार और समग्र शिक्षा पर बल दिया गया, जो पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों को चुनौती देती थी।

कवि और संगीतकार के रूप में योगदान

- उन्होंने 2,000 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें सामूहिक रूप से 'रवीन्द्र संगीत' कहा जाता है, जिसमें काव्यात्मक सौंदर्य और मधुर संगीत का सुंदर समन्वय है।
- उन्होंने बंगाली गद्य और काव्य का आधुनिकीकरण किया। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं —

- ✓ गीतांजलि (कविताओं का संग्रह, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित)
- ✓ घर-बाहर, गोरा, मानसी, बालाका, सोनार तोरी
- ✓ प्रसिद्ध गीत: 'एकला चलो रे'
- उन्होंने 16 वर्ष की आयु में 'भानुसिंह' उपनाम से अपनी पहली कविताएँ प्रकाशित कीं।
- उन्होंने भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' और बांग्लादेश का राष्ट्रगान 'अमर सोनार बांग्ला' की रचना की तथा अपने शिष्यों के माध्यम से श्रीलंका के राष्ट्रगान को भी प्रेरित किया।

पुरस्कार और सम्मान

- साहित्य का नोबेल पुरस्कार (1913):** 'गीतांजलि' के लिए; वे यह सम्मान पाने वाले प्रथम गैर-यूरोपीय थे।
- नाइटहृड (1915):** ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम द्वारा प्रदत्त; जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने 1919 में इसे त्याग दिया।

महत्त्व

- टैगोर की कृतियाँ साहित्यिक उल्कृष्टता, मानवतावाद और सार्वभौमिकता का प्रतिबिंब हैं।
- वे भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण, अंतरधार्मिक सौहार्द के संवर्धन तथा शैक्षिक नवाचार के प्रतीक बने हुए हैं।



शास्त्रीय आधार:

- ✓ यह मुख्यतः भरत मुनि द्वारा रचित प्राचीन संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र पर आधारित है।
- ✓ साथ ही हस्तलक्षण दीपिका से मुद्राओं (हस्त संकेतों) के विस्तृत निर्देश ग्रहण करता है।

पूर्ववर्ती रूप:

- ✓ कृष्णनट्टम और रामनट्टम—महाभारत और रामायण पर आधारित नृत्य-नाट्य रूप—ने कथकली के विकास को प्रभावित किया।

संरचना:

- ✓ कथकली में नृत्य, संगीत, मूक अभिनय और नाटक का समन्वय होता है, जिसके माध्यम से भारतीय महाकाव्यों और पुराण कथाओं की प्रस्तुति की जाती है।

कथकली

चर्चा में क्यों: केरल कलामंडलम, चेरुधुरुथी में हाल ही में एक ऐतिहासिक घटना घटी, जब 16 वर्षीय साहिबा संस्थान की 1930 में स्थापना के बाद कथकली का मंचन करने वाली पहली मुस्लिम बालिका बनी।

कथकली के बारे में

- उत्पत्ति:** कथकली का उद्भव 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर राज्य (वर्तमान केरल) में हुआ। प्रारंभ में इसका प्रदर्शन मंदिर परिसरों में होता था, बाद में यह राजदरबारों में लोकप्रिय हुआ।

नृत्य की विशेषताएँ:

- ✓ इसमें अभिनय के चारों अंगों का समावेश है—
 - आंगिक (शारीरिक गतियाँ),
 - आहार्य (वेश-भूषा और श्रृंगार),
 - वाचिक (वाणी या गायन),
 - सात्त्विक (मानसिक/भावनात्मक अभिव्यक्ति)।
- ✓ साथ ही इसमें नृत् (शुद्ध नृत्य), नृत्य (भावनात्मक नृत्य) और नाट्य (नाटकीय अभिनय) का समन्वय होता है।
- संगीत:** कथकली में सोपान संगीत का पालन किया जाता है, जो केरल की पारंपरिक मंदिर संगीत शैली है। ऐतिहासिक रूप से यह मंदिरों की सीढ़ियों पर अष्टपदी के अनुष्ठानिक गायन से जुड़ी रही है।

- **मुद्राएँ और अभिव्यक्तियाँ:**
 - ✓ इसमें अत्यधिक शैलीबद्ध गतियाँ, जटिल पदचालन और सूक्ष्म हस्त-मुद्राओं का प्रयोग होता है।
 - ✓ मुखाभिनय के माध्यम से भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति की जाती है, जिससे कथावाचन का पक्ष सशक्त होता है।
- **ऐतिहासिक चुनौतियाँ:**
 - ✓ 20वीं शताब्दी के आरंभ में कथकली लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुँच गई थी।
- **पुनरुत्थान के प्रयास:**
 - ✓ कवि वल्लथोल नारायण मेनन और मनकुलम मुकुंद राजा की पहलों से केरल कलामंडलम की स्थापना हुई, जो शास्त्रीय कला रूपों का उल्कृष्ट केंद्र बना और कथकली के पुनर्जीवन को सुनिश्चित किया।
- **प्रमुख कलाकार:**
 - ✓ कावुंगल चथुन्नी पाणिकर
 - ✓ कलामंडलम गोपी



यूपीएससी से पहले
अपना मूल्यांकन स्वयं करें

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए दैनिक उत्तर लेखन शुरू करें
द्वारा चहल एकेडमी: सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार संस्थान

क्यू आर कोड स्कैन करें



**प्रतिदिन प्रश्न को सुबह 10 बजे तथा माँडल उत्तर
रात 9 बजे अपलोड किया जाएगा
(सोमवार से शनिवार)**

सरकारी योजनाएँ

विकसित भारत बिल्डाथॉन

चर्चा में क्यों: विकसित भारत @2047 की परिकल्पना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, अटल नवाचार मिशन (AIM), नीति आयोग और एआईसीटीई की विभिन्न पहलों के माध्यम से छात्र-केंद्रित नवाचार और अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में विद्यालयी छात्रों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर की बिल्डाथॉन, जिसे विकसित भारत बिल्डाथॉन कहा गया है, का उद्देश्य इस नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह पहल कक्षा VI से XII के विद्यालयी छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का नवाचार एवं समस्या-समाधान मंच के रूप में परिकल्पित है, जो अटल टिंकिंग लैब्स (ATL) के ढाँचे के अनुरूप है।
- छात्रों में मेकर्स संस्कृति, डिज़ाइन थिंकिंग, रचनात्मकता और अनुभवात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य।
- बिल्डाथॉन का उद्देश्य कक्षा-कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान से जोड़ना है, ताकि छात्र अवधारणाएँ, प्रोटोटाइप या कार्यशील मॉडल विकसित कर सकें।
- यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है, जिसमें निम्न पर विशेष बल दिया गया है:
 - ✓ आलोचनात्मक चिंतन
 - ✓ रचनात्मकता
 - ✓ अंतर्विषयक अधिगम
 - ✓ अनुभवात्मक एवं व्यावसायिक शिक्षा
- समावेशी सहभागिता पर विशेष जोर, विशेषकर आकांक्षी जिलों, जनजातीय क्षेत्रों और वंचित क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित कर नवाचार तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण।
- छात्र प्रस्तुतियों का मूल्यांकन मौलिकता, व्यावहारिकता, नवाचार और संभावित सामाजिक प्रभाव के आधार पर विशेषज्ञ पैनलों द्वारा किया जा सकता है।
- चयनित छात्रों को मौजूदा AIM और AICTE प्रथाओं के अनुरूप मार्गदर्शन (मेटरशिप), इन्क्यूबेशन सहायता और उद्योग से जुड़ाव प्रदान किए जाने की अपेक्षा है।

व्यापक विषयगत दिशा (संकेतात्मक)

यह पहल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से व्यापक रूप से जुड़ी हुई है, जैसे—

- आत्मनिर्भर भारत — स्वदेशी समस्या-समाधान और नवाचार को प्रोत्साहन**

- वोकल फॉर लोकल -स्थानीय रूप से प्रासांगिक समाधानों का समर्थन
- पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकरण
- समावेशी एवं सतत विकास, विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के अनुरूप

महत्व

- एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना:** विद्यालय स्तर पर नवाचार और अनुभवात्मक अधिगम को अंतर्निहित करके नीति की मंशा को व्यवहार में रूपांतरित करता है।
- जमीनी स्तर के नवाचार को बढ़ावा:** छात्रों को कचरा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और सतत कृषि जैसी स्थानीय चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरित करता है।
- ग्रामीण-शहरी नवाचार अंतर को कम करना:** आकांक्षी और दूरदराज क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर छिपी हुई प्रतिभाओं की पहचान और उनके पोषण में सहायता।
- उद्योग-शिक्षा संबंधों को सुदृढ़ करना:** मार्गदर्शन (मेटरशिप) और इन्क्यूबेशन सहायता से रोजगार-क्षमता और नवाचार तप्तपरता में वृद्धि।

आगे की राह

- शिक्षकों और मेंटर्स की क्षमता-वृद्धि:** डिज़ाइन थिंकिंग और नवाचार शिक्षाशास्त्र में नियमित प्रशिक्षण।
- डिजिटल अवसंरचना में सुधार:** ग्रामीण और जनजातीय विद्यालयों में आईसीटी सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
- उद्योग और स्टार्टअप से मजबूत जुड़ाव:** नवाचारों के विस्तार हेतु विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और उद्योग निकायों के साथ सहयोग।
- पेटेंट और इन्क्यूबेशन के लिए संस्थागत सहयोग:** पेटेंट दाखिला और प्रोटोटाइप विकास में सहायता हेतु समर्पित सुविधा प्रकोष्ठ।

निष्कर्ष

एनईपी 2020 और विकसित भारत @2047 के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर की यह विद्यालयी नवाचार पहल भविष्य-तैयार, नवाचारी और सामाजिक रूप से संवेदनशील नागरिकों के निर्माण में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है, जिससे भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा सशक्त होगी।

| यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न |
|--|
| प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न: |
| प्रश्न: विकसित भारत @2047 के अनुरूप विद्यालय-स्तरीय नवाचार पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: |
| 1. ऐसी पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जो अनुभवात्मक अधिगम और रचनात्मकता पर बल |

| | |
|--|------------|
| <p>देती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. अटल नवाचार मिशन विद्यालयी छात्रों का समर्थन मुख्यतः नवाचार एवं टिकिरिंग-आधारित अधिगम ढाँचों के माध्यम से करता है। 3. इन पहलों का उद्देश्य कक्षा-कक्षीय शिक्षा को वास्तविक जीवन की समस्या-समाधान प्रक्रिया से जोड़ना है। <p>उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 | उत्तर: (d) |
|--|------------|

फ़ेयर से फुर्सत (Fare Se Fursat)

चर्चा में क्यों: नागर विमानन मंत्रालय ने "फ़ेयर से फुर्सत" नामक पहल शुरू की है। यह एलायंस एयर द्वारा संचालित चयनित मार्गों पर निश्चित विमान किराया (Fixed Airfare) का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा की किफायती दर, पूर्वानुमेयता और सुलभता में सुधार करना है—विशेषकर टियर-2 और टियर-3 शहरों के यात्रियों के लिए।

प्रमुख विशेषताएँ

- **निश्चित किराया तंत्र:** इस योजना के तहत चयनित मार्गों पर किराया बुकिंग के समय से स्वतंत्र होकर स्थिर रहेगा, जिससे डायनेमिक प्राइसिंग से जुड़ी कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होगा।
- **पायलट कार्यान्वयन:** सीमित अवधि के लिए चयनित क्षेत्रीय मार्गों पर पायलट रूप में लागू ताकि व्यापक विस्तार से पहले परिचालन व्यवहार्यता, यात्री प्रतिक्रिया और राजस्व प्रभाव का आकलन किया जा सके।
- **यात्री-केंद्रित दृष्टिकोण:** अंतिम समय में किराया बढ़ने की समस्या को कम कर पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता बढ़ाना।
- **क्षेत्रीय संपर्क को समर्थन:** उड़ान (UDAN—उड़े देश का आम नागरिक) योजना के उद्देश्यों के अनुरूप, कम सेवा-प्राप्त और बिना सेवा वाले हवाई अड्डों से संपर्क बढ़ाने में सहायक।

महत्व

- **किफायतीपन:** अत्यधिक किराया वृद्धि की समस्या का समाधान, जो विशेषकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के यात्रियों को प्रभावित करती है।
- **सुलभता:** पहली बार हवाई यात्रा करने वालों और छोटे शहरों के निवासियों को प्रोत्साहन।
- **यात्रा योजना में पूर्वानुमेयता:** निश्चित किराया होने से टिकट कीमतों की अनिश्चितता कम होती है और यात्रा की योजना आसान बनती है।
- **मूल्य निर्धारण संरचना का सरलीकरण:** जटिल डायनेमिक प्राइसिंग पर निर्भरता घटाकर समझना सरल बनाना।

- **सामाजिक समावेशन:** हवाई यात्रा को समाज के व्यापक वर्गों के लिए सुलभ बनाने की दृष्टि को सुदृढ़ करना।
- **उड़ान के साथ सामंजस्य:** 2017 में शुरू की गई किफायती क्षेत्रीय हवाई संपर्क की व्यापक पहल को मजबूती प्रदान करना।

प्रमुख संदर्भ: भारतीय विमानन क्षेत्र

- **वैश्विक स्थिति:** भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है।
- **यात्री वृद्धि (वित्त वर्ष 2023):**
 - ✓ घरेलू यात्री: लगभग **30.6 करोड़**
 - ✓ अंतरराष्ट्रीय यात्री: लगभग **6.9 करोड़**
- **अवसंरचना विस्तार:**
 - ✓ 2014 से संचालित हवाई अड्डों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
 - ✓ दीर्घकालिक योजनाओं का उद्देश्य विकसित भारत @2047 के अनुरूप हवाई अड्डा अवसंरचना का विस्तार करना है।

निष्कर्ष

फ़ेयर से फुर्सत पहल विमानन क्षेत्र में व्यावसायिक व्यवहार्यता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन स्थापित करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। क्षेत्रीय मार्गों पर पूर्वानुमेयता और किफायती किराए को बढ़ावा देकर यह समावेशी विकास का समर्थन करती है और भारत के क्षेत्रीय हवाई संपर्क ढाँचे को सुदृढ़ करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

- प्रश्न: 'फ़ेयर से फुर्सत', जो हाल ही में समाचारों में रहा, किससे संबंधित है?
- (a) टैक्सी किराया विनियमन
 - (b) विमानन क्षेत्र
 - (c) रेलवे किराया सुधार
 - (d) शहरी परिवहन समिक्षा

उत्तर: (b)

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

चर्चा में क्यों: हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की है। यह एक कृषि-केंद्रित प्रस्तावित पहल है, जिसका उद्देश्य बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से कृषि उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) से वैचारिक प्रेरणा लेता है, जो पिछले क्षेत्रों में परिणाम-आधारित विकास पर केंद्रित है।

- इसके अंतर्गत “ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन (रिज़िलिएंस)” का एक समग्र ढाँचा परिकल्पित है, जिसे राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा।
- योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं का अभिसरण तथा लक्षित हस्तक्षेपों का प्रस्ताव है।
- इसका फोकस उन जिलों पर होगा जहाँ कृषि उत्पादकता कम, फसल तीव्रता मध्यम, और संस्थागत ऋण तक सीमित पहुँच है।

उद्देश्य

- उन्नत आगत (इनपुट), प्रौद्योगिकी और कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना।
- फसल विविधीकरण और सतत कृषि को बढ़ावा देना, ताकि जल-गहन फसलों पर अत्यधिक निर्भरता कम हो।
- कटाई उपरांत अवसंरचना को सुदृढ़ करना, जिसमें ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भंडारण सुविधाएँ शामिल हैं।
- सिंचाई की दक्षता और कवरेज में सुधार करना।
- किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक संस्थागत ऋण तक पहुँच को सुगम बनाना।




वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

कृषि जिला विकास कार्यक्रम

यह योजना कम उत्पादकता, मध्यम फसल संघनता और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिलों को कवर करेगी।

- कृषि उत्पादकता को बढ़ाना
- फसल विविधता और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना
- पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाने के लिए
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना
- ऋण उपलब्धता में सुधार करना



केंद्रीय बजट 2025-26



आगे की राह

- केंद्र-राज्य समन्वय को सुदृढ़ करना:** प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहकारी संघवाद आवश्यक है, जिसमें राज्यों को राष्ट्रीय उद्देश्यों और परिणाम संकेतकों के अनुरूप रहते हुए जिला-विशिष्ट हस्तक्षेप तैयार करने की लचीलापन दिया जाए।
- मौजूदा योजनाओं का अभिसरण:** पीएमकेएसवाई, पीएमएफबीवाई, केसीसी, ई-नाम और एनएमएसए जैसी योजनाओं

- यह कार्यक्रम बड़ी संख्या में किसानों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखता है, विशेषकर लघु और सीमांत कृषकों को।

महत्व

- अल्परोज़गार का समाधान:** कृषि और संबद्ध गतिविधियों को सुदृढ़ करके यह योजना कृषि क्षेत्र में अल्परोज़गार (Underemployment) को कम करने तथा ग्रामीण आय बढ़ाने का प्रयास करती है।
- विवश पलायन में कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसर सुजित कर कार्यक्रम का उद्देश्य पलायन को मजबूरी के बजाय विकल्प बनाना है।
- समावेशी ग्रामीण विकास:** इस पर विशेष बल दिया गया है—
 - ✓ **ग्रामीण महिलाएँ:** उद्यम विकास, रोज़गार के अवसरों और वित्तीय समावेशन के माध्यम से।
 - ✓ **युवा किसान और ग्रामीण सुवा:** कृषि-उद्यमिता, कौशल विकास और मूल्य संवर्धन गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर।
 - ✓ **लघु और सीमांत किसान:** ऋण, अवसंरचना और बाज़ारों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करके।

के साथ सार्थक एकीकरण से दोहराव से बचा जा सकेगा, संसाधन दक्षता बढ़ेगी और जमीनी स्तर पर प्रभाव सुदृढ़ होगा।

- कृषि ऋण और किसान संस्थानों को सशक्त करना:** विशेषकर लघु और सीमांत किसानों के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक संस्थागत ऋण तक समय पर पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करना:** इससे ऋण तक पहुँच और बाज़ार से जुड़ाव में सुधार होगा।

- सतत और जलवायु-सहनशील कृषि को बढ़ावा:** फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, प्राकृतिक खेती & जलवायु-स्मार्ट पद्धतियों को अपनाने से जल, मृदा और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए उत्पादकता बढ़ेगी।
- कटाई उपरांत अवसंरचना और मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करना:** ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भंडारण, कोल्ड चेन, प्रसंस्करण इकाइयों और ग्रामीण लॉजिस्टिक्स में निवेश से कटाई उपरांत क्षति घटेगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
- मजबूत निगरानी और परिणाम-आधारित मूल्यांकन:** आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर मापनीय संकेतकों के साथ रीयल-टाइम निगरानी ढाँचा पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर सुधार सुनिश्चित करेगा।

पूरीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरणा लेती है।
- इसका उद्देश्य किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक संस्थागत ऋण तक पहुँच को सुगम बनाना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

- इसके बावजूद, मांग आपूर्ति से अधिक होने के कारण भारत अपनी घरेलू आवश्यकता का लगभग 14% दालों आयात करता है।
- 2023–24 में दालों का आयात बढ़कर लगभग 46.5 लाख टन हो गया, जिसका आयात बिल लगभग 3.75 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- दालों के प्रमुख निर्यातक देशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, मोजाम्बिक, तंज़ानिया, सूडान और मलावी शामिल हैं।
- यह मिशन दशक के अंत तक लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से आयात निर्भरता में क्रमिक कमी की परिकल्पना करता है।

मिशन के उद्देश्य एवं लक्ष्य (2030–31 तक)

- दालों के रक्बे का विस्तार कर लगभग 310 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाना।
- दाल उत्पादन को बढ़ाकर लगभग 350 लाख टन करना।
- उत्पादकता में सुधार कर लगभग 1,130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक ले जाना।
- तूर (अरहर/पिजन पी), उड्ड (ज्वैल ग्राम) और मसूर (लॉटिल) जैसी प्रमुख दालों के लिए एमएसपी-आधारित सुनिश्चित खरीद को जारी रखना।

मिशन के प्रमुख घटक

- बीज विकास एवं उपलब्धता**
 - प्रमाणित बीजों और बीज किटों का वितरण: बीज प्रतिस्थापन दर में सुधार हेतु किसानों को प्रमाणित बीज एवं बीज किट उपलब्ध कराना।
 - उच्च उपज, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-सहनशील किस्मों का विकास: आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से।
 - डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग: बीजों की ट्रेसेबिलिटी (पता लगाने की क्षमता) और गुणवत्ता आश्वासन के लिए SATHI पोर्टल जैसे डिजिटल मंचों का उपयोग।
- क्षेत्र विस्तार और फसल विविधीकरण**
 - दालों के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार: धन की परती भूमि और उपयुक्त वर्षा-आश्रित क्षेत्रों का उपयोग कर दालों का रक्बा बढ़ाना।
 - मॉडल दाल ग्रामों का प्रोत्साहन: सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकी अपनाने का प्रदर्शन करने हेतु।
- अवसंरचना, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन**
 - दाल प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना का समर्थन: कटाई उपरांत क्षति को कम करने के लिए।
 - भंडारण एवं मूल्य-संवर्धन अवसंरचना का सृजन: किसानों को बेहतर बाजार प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु।
- किसान सहायता एवं बाजार स्थिरीकरण**
 - सुनिश्चित खरीद: पीएम-आशा ढाँचे के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और भारतीय

दालों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन

चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने दालों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन को स्वीकृति दी है। यह छह वर्षीय पहल (2025–26 से 2030–31) है, जिसके लिए ₹11,440 करोड़ का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य घरेलू दाल उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

प्रमुख विवरण

- यह मिशन दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, आयात पर निर्भरता घटाने तथा बीजों की बेहतर उपलब्धता, सुनिश्चित खरीद और कटाई उपरांत प्रबंधन में सुधार के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
- दालें भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक हैं; ये प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होने के साथ सतत फसल प्रणालियों का अभिन्न हिस्सा हैं।
- भारत दालों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है—वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% और वैश्विक उपभोग में 27% हिस्सेदारी।

- राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) जैसी एजेंसियों के माध्यम से।
- ✓ **क्षमता-विकास कार्यक्रम:** कृषि पद्धतियों में सुधार और बाज़ार संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए।
 - ✓ **वैश्विक दाल कीमतों की निगरानी:** अत्यधिक मूल्य अस्थिरता से किसानों की रक्षा हेतु।

महत्व

- **पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करता है:** किफायती प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर पोषण सुरक्षा को मज़बूत करता है।
- **फसल विविधीकरण और जलवायु-सहनशील कृषि को बढ़ावा:** विशेषकर वर्षा-आश्रित क्षेत्रों में।
- **वैश्विक मूल्य उत्तर-चढ़ाव और आयात संकटों के प्रति संवेदनशीलता कम करता है।**
- **आत्मनिर्भर भारत और सतत कृषि विकास के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप।**

निष्कर्ष

दालों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन भारत में लंबे समय से बनी दालों की कमी की समस्या से निपटने के लिए उत्पादकता वृद्धि, संस्थागत समर्थन और बाज़ार स्थिरता पर आधारित एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह आयात पर निर्भरता को उल्लेखनीय रूप से घटा सकता है, किसानों की आय बढ़ा सकता है और भारत की पोषण एवं कृषि सहनशीलता को सुदृढ़ कर सकता है।

“सबकी योजना, सबका विकास” अभियान

चर्चा में क्यों: पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने “सबकी योजना, सबका विकास” विषय के अंतर्गत पीपुल्स प्लान कैपेन (PPC) 2025–26 का शुभारंभ 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) से किया है। इसका उद्देश्य 2026–27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं (PDPS) की तैयारी को सुगम बनाना तथा भागीदारीपूर्ण और समावेशी ग्रामीण शासन को सुदृढ़ करना है।

प्रमुख विवरण

- पीपुल्स प्लान कैपेन की शुरुआत 2018 में पंचायत स्तर पर भागीदारीपूर्ण और विकेंद्रीकृत योजना-निर्माण को संस्थागत रूप देने के लिए की गई थी।
- यह अभियान साक्ष-आधारित, डेटा-आधारित और अभिसरण-उन्मुख योजना-निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं को राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं से जोड़ा जा सके।
- 2019–20 से अब तक 18 लाख से अधिक पंचायत विकास योजनाएँ ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं, जो स्थानीय शासन में डिजिटल क्षमता और पारदर्शिता में सुधार को दर्शाता है।

अभियान के उद्देश्य

- **भागीदारीपूर्ण योजना-निर्माण:** ग्राम सभाओं के माध्यम से नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर जमीनी लोकतंत्र को सशक्त करना।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** ई-ग्रामस्वराज, मेरी पंचायत ऐप, पंचायत निर्णय (NIRNAY) और बैक-एंड निगरानी प्रणालियों जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजना-निर्माण और क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाना।
- **समावेशी विकास:** पंचायत योजना-निर्माण में अनुसूचित जनजातियों सहित हाशिये पर स्थित वर्गों और संवेदनशील समुदायों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना।
- **साक्ष-आधारित निर्णय-निर्माण:** डेटा विश्लेषण, डैशबोर्ड और पंचायत उत्तरि सूचकांक (PAI) जैसे सूचकांकों के उपयोग को प्रोत्साहित कर सूचित योजना-निर्माण।
- **योजनाओं का अभिसरण:** मनरेगा, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों जैसी प्रमुख योजनाओं के संसाधनों का अभिसरण कर दक्षता में वृद्धि करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- **अभियान का शुभारंभ:** 2 अक्टूबर (गांधी जयंती)
- **विशेष ग्राम सभाएँ:** प्रगति की समीक्षा, कमियों की पहचान तथा स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने हेतु आयोजित।
- **डिजिटल निगरानी:** वेब-आधारित प्लेटफॉर्म और जीआईएस-सक्षम उपकरणों के माध्यम से वास्तविक समय में निगरानी।
- **क्षमता निर्माण:** निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामुदायिक सुविधा-कर्ताओं का प्रशिक्षण, ताकि योजना-निर्माण और क्रियान्वयन की क्षमताएँ सुदृढ़ हों।
- **स्वयं के स्रोत से राजस्व (OSR):** पंचायतों की संसाधन जुटाने और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन की क्षमता बढ़ाने पर बल।
- **संवैधानिक आधार:** 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पर आधारित, जो पंचायती राज संस्थाओं को शासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित करता है।

निष्कर्ष

“सबकी योजना, सबका विकास” अभियान विकेंद्रीकरण और सहकारी संघवाद के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नागरिक सहभागिता को डिजिटल शासन और साक्ष-आधारित योजना-निर्माण के साथ एकीकृत कर यह पहल ग्रामीण विकास को अधिक समावेशी, जवाबदेह और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने का लक्ष्य रखती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “सबकी योजना, सबका विकास” अभियान पीपुल्स प्लान कैपेन के अंतर्गत किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है?

- (a) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (b) पंचायती राज मंत्रालय
- (c) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
- (d) गृह मंत्रालय

उत्तर: (b)

पीएम-सेतु (PM-SETU)

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री ने हाल ही में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में पीएम-सेतु का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के माध्यम से भारत के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है।

पीएम-सेतु क्या है?

- पीएम-सेतु एक केंद्रीय प्रायोजित कौशल विकास पहल है, जिसका लक्ष्य देशभर के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन करना है।
- यह योजना आईटीआई को उद्योग-संगत, आधुनिक कौशल केंद्रों में रूपांतरित करने का प्रयास करती है, ताकि वे उभरती प्रौद्योगिकियों और श्रम बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
- व्यापक दृष्टि यह है कि "सरकार-स्वामित्व, उद्योग-संलग्न" मॉडल की ओर बढ़ते हुए रोज़गार-क्षमता और उत्पादकता में सुधार किया जाए।

कार्यान्वयन का मॉडल

- यह योजना हब-एंड-स्पोक मॉडल का अनुसरण करती है:
 - ✓ 200 हब आईटीआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
 - ✓ प्रत्येक हब से चार स्पोक आईटीआई जुड़े होंगे; कुल मिलाकर लगभग 1,000 आईटीआई शामिल होंगे।
- **हब आईटीआई** से अपेक्षित सुविधाएँ:
 - ✓ उन्नत प्रशिक्षण अवसंरचना
 - ✓ स्मार्ट कक्षाएँ और डिजिटल अधिगम उपकरण
 - ✓ प्रशिक्षकों की क्षमता-वृद्धि की सुविधाएँ
 - ✓ प्लेसमेंट और करियर सहायता सेवाएँ

प्रमुख घटक

1. **उद्योग सहयोग**
 - उद्योग निकायों और स्थानीय उद्यमों के साथ साझेदारी पर विशेष बल।
 - मांग-आधारित प्रशिक्षण और उद्योग-संगत पाठ्यक्रमों पर ध्यान।
2. **पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण**
 - मौजूदा पाठ्यक्रमों का उन्नयन तथा निम्न क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत:
 - ✓ उन्नत विनिर्माण
 - ✓ नवीकरणीय ऊर्जा

- ✓ इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वचालन
- ✓ उभरती प्रौद्योगिकियाँ

3. लचीले कौशल मार्ग

- निम्न का एकीकरण:

- ✓ दीर्घकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम
- ✓ अल्पकालिक कौशल कार्यक्रम
- ✓ मॉड्यूलर और स्टैकेबल अधिगम विकल्प

4. उत्कृष्टता केंद्र

- चयनित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) को उन्नत और विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण हेतु सुदृढ़ करना, जिसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुभव शामिल होगा।

5. वित्तपोषण ढाँचा

- यह योजना केंद्र और राज्यों की साझा वित्तीय ज़िम्मेदारी के माध्यम से लागू की जाती है; जहाँ उपर्युक्त हो वहाँ बहुपक्षीय और संस्थागत समर्थन की भी गुंजाइश है।

महत्व

- **भविष्य-तैयार कार्यबल:** बदलती उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा की प्रासंगिकता को बढ़ाता है।
- **एमएसएमई को बढ़ावा:** स्थानीय उद्यमों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराता है।
- **आत्मनिर्भर भारत:** घरेलू मानव पूँजी को सुदृढ़ कर आत्मनिर्भरता को समर्थन।
- **वैश्विक रोज़गार-क्षमता:** भारत के कुशल कार्यबल की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता में सुधार।

निष्कर्ष

पीएम-सेतु भारत की कौशल नीति में एक रणनीतिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को उद्योग की मांग से अधिक निकटता से जोड़ा गया है। आईटीआई के आधुनिकीकरण और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने के माध्यम से यह योजना रोजगारोन्मुख, अनुकूलनशील और भविष्य-तैयार कार्यबल के निर्माण में योगदान देती है, जिससे कुशल भारत और विकसित भारत @2047 की परिकल्पना साकार होती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: पीएम-सेतु योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन का लक्ष्य रखती है।
 2. यह हब-एंड-स्पोक मॉडल का अनुसरण करती है, जिसमें लगभग 200 हब आईटीआई कई स्पोक आईटीआई से जुड़े होते हैं।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (a) केवल 1

- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

चर्चा में क्यों: भारत ने महिला-केंद्रित निवारक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अभियान के तहत देशभर में 6.5 करोड़ महिलाओं की जांच की जा चुकी है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य तक पहुँच सुट्ट छुई है और महिलाओं का सशक्तीकरण बढ़ा है।

मुख्य विवरण

- **कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालय:** यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) के समन्वित प्रयासों से लागू की जा रही है। इसमें मौजूदा स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा मंत्रों का उपयोग किया जा रहा है।
- **स्वास्थ्य जांच और जन-संपर्क:** आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित रोगों की जांच पर ध्यान दिया जाता है —
 - ✓ एनीमिया
 - ✓ उच्च रक्तचाप और मधुमेह
 - ✓ क्षय रोग (टीबी)
 - ✓ स्तन एवं गर्भाशय-ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर
 - ✓ प्रजनन संबंधी तथा चयनित त्वचा रोग
- **निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण:** यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए **जीवन-चक्र दृष्टिकोण** अपनाता है, जिसमें प्रारंभिक जांच, परामर्श, संदर्भ सेवाएँ तथा पोषण शिक्षा को शामिल किया गया है, ताकि रोग-भार कम हो और स्वास्थ्य परिणाम बेहतर हों।
- **मौजूदा योजनाओं के साथ समन्वय:** यह अभियान निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का पूरक है—
 - ✓ **मिशन शक्ति** – महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण
 - ✓ **पोषण 2.0** – महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण सहायता
 - ✓ **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)** – सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना
- **आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका:** आंगनवाड़ी केंद्रों ने सामुदायिक स्तर पर ऐसे केंद्रों के रूप में कार्य किया, जहाँ महिलाओं और किशोरियों ने निम्न विषयों पर जागरूकता सत्रों में भाग लिया—
 - ✓ मासिक धर्म स्वच्छता
 - ✓ संतुलित आहार और पोषण
 - ✓ मानसिक एवं शारीरिक कल्याण

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** डिजिटल उपकरणों का उपयोग स्वास्थ्य शिविरों की निगरानी, लाभार्थी कवरेज तथा सेवा वितरण के लिए किया गया, जिससे पारदर्शिता, समन्वय और संसाधनों के कुशल उपयोग में सुधार हुआ।
- **सामुदायिक सहभागिता:** समुदाय-आधारित कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और नागरिक समाज संगठनों ने विशेषकर ग्रामीण, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाने में योगदान दिया, जिससे अंतिम छोर तक सेवा-प्रदान सुट्ट हुआ।
- **साझेदारी और स्वयंसेवा:** भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तथा स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों और रक्तदान अभियानों को समर्थन मिला, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में सामुदायिक स्वामित्व मजबूत हुआ।

निष्कर्ष:

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान निवारक, समावेशी और महिला-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में भारत के बदलाव को दर्शाता है, जो विकसित भारत @2047 की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है। महिलाओं के स्वास्थ्य को सुट्ट बनाकर यह पहल स्वस्थ परिवारों, उन्नत मानव पूंजी और सतत राष्ट्रीय विकास में योगदान देती है।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना

चर्चा में क्यों: दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (**DDLLY**) हरियाणा सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना और सशर्त वित्तीय सहायता के माध्यम से लैंगिक असंतुलन को दूर करना है।

मुख्य विवरण

- **दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना:** जिसे हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है, बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर बालिका की स्थिति में सुधार पर केंद्रित है।
- यह योजना लैंगिक भेदभाव को हतोत्साहित करने, बालिका के अस्तित्व को बढ़ावा देने तथा शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।
- योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता चरणबद्ध और सशर्त रूप में दी जाती है, जिसे जन्म पंजीकरण, टीकाकरण, विद्यालय में नामांकन तथा शिक्षा की निरंतरता जैसे मानकों से जोड़ा गया है।
- संचित वित्तीय लाभ सामान्यतः निर्धारित शर्तों की पूर्ति के उपरांत, वयस्कता प्राप्त करने पर लाभार्थी को जारी किया जाता है।
- यह योजना लैंगिक समानता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के प्रति हरियाणा की व्यापक प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करती है।

महत्व

- लैंगिक समानता को बढ़ावा:** यह योजना कन्या भ्रूणहत्या, कम लिंगानुपात और बालिकाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव जैसी दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान करती है।
- शिक्षा को प्रोत्साहन:** शिक्षा से लाभों को जोड़कर यह योजना बालिकाओं की शिक्षा की निरंतरता को प्रोत्साहित करती है, जिससे विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आती है।
- सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा:** दीर्घकालिक वित्तीय सहायता वंचित परिवारों की आर्थिक सुरक्षा व सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाती है।

- राष्ट्रीय लक्ष्यों का समर्थन:** यह योजना संवैधानिक मूल्यों (अनुच्छेद 14 और 15) तथा महिला सशक्तीकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप है।

निष्कर्ष

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना बालिका में निवेश के माध्यम से कल्याणकारी नीतियों को सामाजिक परिवर्तन में रूपांतरित करने के हरियाणा के प्रयास को दर्शाती है। सशर्त वित्तीय प्रोत्साहनों के जरिए यह योजना शिक्षा, गरिमा व दीर्घकालिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है तथा अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान करती है।

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल

CHAHAL
ACADEMY

'द हिंदू' और 'इंडियन एक्सप्रेस' से 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों की दैनिक प्रश्नोत्तरी

क्यू आर कोड स्कैन करें



The Indian EXPRESS

THE HINDU

महत्वपूर्ण रिपोर्ट

राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (NHIS) 2026

चर्चा में क्यों: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) फरवरी 2026 में भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (NHIS) शुरू करेगा।

मुख्य विवरण

- प्रत्यक्ष मापन:** फरवरी 2026 में प्रस्तावित यह सर्वे देश-व्यापी पहला सर्वेक्षण होगा, जिसमें कल्याण के आकलन के लिए 'उपभोग' को प्रतिरूप (proxy) मानने के बजाय घरेलू आय का प्रत्यक्ष मापन किया जाएगा।
- विशेषज्ञ-आधारित रूपरेखा:** डॉ. सुरजीत एस. भल्ला के नेतृत्व में गठित तकनीकी विशेषज्ञ समूह द्वारा विकसित। यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप वेतन, स्व-रोज़गार, कृषि और सरकारी अंतरण (जैसे पीएम-किसान) सहित विविध आय स्रोतों का आकलन करेगा।
- संवेदनशीलता एवं रणनीति:** 2025 में किए गए प्री-टेस्ट में 95% उत्तरदाताओं ने आय से जुड़े प्रश्नों को "संवेदनशील" बताया। इसके महेनज़र मंत्रालय ने समृद्ध परिवारों के लिए स्व-घोषणा (self-compilation) विकल्प और डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उन्नत गोपनीयता प्रोटोकॉल प्रस्तावित किए हैं।

राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (NHIS) 2026 के बारे में

- संचालन:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), MoSPI के अंतर्गत
- प्रारंभ तिथि:** फरवरी 2026
- कवर:** सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (ग्रामीण व शहरी—दोनों क्षेत्र)
- उद्देश्य:** पहली बार भारत में घरों की आय, व्यय पैटर्न और जीवन-स्थितियों पर समग्र जानकारी एकत्र करना।

महत्व

- प्रत्यक्ष आय आकलन:** पहले के उपभोग- और रोज़गार-केंद्रित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के विपरीत, NHIS घरों द्वारा अर्जित आय का अलग-अलग स्रोतों—वेतन, स्व-रोज़गार, संपत्ति, पेंशन, प्रेषण, सरकारी अंतरण आदि—से प्रत्यक्ष अनुमान लगाएगा।
- असमानता और कल्याण का आकलन:** यह सर्वेक्षण व्यक्तियों/परिवारों के बीच आय तुलना को संभव बनाएगा, जिससे आय वितरण, असमानता और क्षेत्रीय व सामाजिक समूहों के बीच घरेलू कल्याण पर अधिक सूक्ष्म दृष्टि मिलेगी।
- नीतिगत प्रासंगिकता:** NHIS डेटा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के पुनर्मूल्यांकन, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) के संशोधन तथा

गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण नीतियों को उपभोग-आधारित प्रतिरूपों के बजाय आय-आधारित ऑकड़ों पर गढ़ने में सहायक होगा।

- वैश्विक सामंजस्य:** इस पहल के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, बांगलादेश, चीन और मलेशिया जैसे देशों की श्रेणी में शामिल होगा, जहाँ घरेलू आय सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों का अभिन्न हिस्सा हैं।

कार्यप्रणाली और विकास

- विशेषज्ञ पर्यवेक्षण:** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ. सुरजीत एस. भल्ला की अध्यक्षता में गठित तकनीकी विशेषज्ञ समूह (TEG) का गठन NHIS के डिज़ाइन, परिभाषाओं और कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए किया गया।
- पूर्व-परीक्षण चरण:** 4–8 अगस्त 2025 के दौरान प्रशिक्षण-सह-पूर्व-परीक्षण आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में स्थित NSO के 15 क्षेत्रीय कार्यालय शामिल थे—जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरु और हैदराबाद। इसका उद्देश्य उत्तरदाताओं की वृष्टि से प्रश्नावलियों की स्पष्टता और प्रारूप का आकलन करना था।
- सार्वजनिक परामर्श:** पूर्व-परीक्षण से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर आवश्यक सुधार सम्मिलित करने के बाद, मसौदा प्रश्नावली/अनुसूची को व्यापक परामर्श हेतु MoSPI की वेबसाइट पर रखा गया है, ताकि शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं और आम जनता से टिप्पणियाँ प्राप्त की जा सकें।
- सर्वोत्तम प्रथाएँ:** NHIS का डिज़ाइन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्वेक्षण कार्यप्रणालियों पर आधारित है और इसे वैश्विक डेटा के साथ उच्च विश्वसनीयता और तुलनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (NHIS) 2026 भारत में ऑकड़ों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पहल सिद्ध होने जा रहा है। उपभोग-आधारित दृष्टिकोण से आय-आधारित मापन की ओर बदलाव के साथ, यह सर्वे नीति-निर्माताओं को घरेलू कल्याण, असमानता और जीवन-स्तर पर अधिक परिष्कृत अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जिससे अधिक समावेशी आर्थिक भविष्य के लिए साक्ष्य-आधार सुदृढ़ होगा।

सतर्क नागरिक संगठन (SNS) की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन (SNS) ने भारत में सूचना आयोगों पर अपनी नौवीं प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में देश की प्रगति का आकलन प्रस्तुत करती है।

पृष्ठभूमि: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम

- आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ।
- यह नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य सरकार के कामकाज को खुला, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
- आरटीआई आंदोलन की जड़ें जमीनी प्रयासों में हैं, जैसे राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS), जिसने पारदर्शिता को लोगों के जीविका और न्याय के अधिकार से जोड़ा।
- उत्तर प्रदेश बनाम राज नारायण (1975) और एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई।

सतर्क नागरिक संगठन (SNS) रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष

- अकार्यशील और अल्प-कार्यक शूचना आयोग**
 - ज्ञारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कई राज्य सूचना आयोग (SICs) पदों के रिक्त रहने के कारण लंबे समय तक अकार्यशील रहे।
 - कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्य अपेक्षाकृत सक्रिय रहे, फिर भी कर्मचारियों की कमी से जूझते रहे।
- मामलों का बढ़ता लंबित बोझ**
 - जुलाई 2024 से जून 2025 के बीच 2.4 लाख से अधिक नई अपीलें दायर हुईं।
 - इनमें से केवल लगभग 1.8 लाख मामलों का निपटारा हो सका, जिससे लंबित मामलों में वृद्धि हुई।
 - तेलंगाना में वर्तमान गति से एक नई अपील के निपटारे में लगभग 29 वर्ष लग सकते हैं।
- प्रशासनिक विफलताएँ**
 - 29 में से 20 सूचना आयोग 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने में विफल रहे, जबकि यह कानूनन अनिवार्य है।
- कमज़ोर जवाबदेही**
 - विलंब से निपटाए गए 98% मामलों में लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) पर कोई दंड नहीं लगाया गया।
 - यह आरटीआई अधिनियम के कमज़ोर प्रवर्तन को दर्शाता है।

कानून में हालिया परिवर्तन

- आरटीआई संशोधन अधिनियम, 2019:** इसने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन तथा करने का अधिकार दिया, जिससे उनकी स्वतंत्रता में कमी आई।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** इस अधिनियम के तहत आरटीआई के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँच सीमित कर दी गई है, जब तक कि वह व्यापक जनहित में न हो। यद्यपि गोपनीयता महत्वपूर्ण है, पर इससे सार्वजनिक अधिकारियों की संपत्ति या अनुशासनात्मक अभिलेखों से जुड़ी पारदर्शिता कम हो सकती है।

आरटीआई के 20 वर्ष बाद की चुनौतियाँ

- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में अनेक पद रिक्त हैं और मामलों का भारी लंबित बोझ है।
- कमज़ोर दंड व्यवस्था, जो देरी और उल्लंघनों को हतोत्साहित करने में विफल रहती है।
- हिस्सल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम के बावजूद आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ।
- डिजिटल विभाजन—कई राज्यों में अभिलेखों का कमज़ोर डिजिटलीकरण और पुरानी सरकारी वेबसाइटें।

आगे की राह

- CIC और राज्य सूचना आयोगों (SICs) में सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरना।
- लंबित मामलों को घटाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित केस प्रबंधन प्रणालियाँ अपनाना।
- लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) के लिए नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- DPDP अधिनियम के तहत गोपनीयता और आरटीआई के अंतर्गत पारदर्शिता के बीच संतुलन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाना।

निष्कर्ष

सतर्क नागरिक संगठन (SNS) रिपोर्ट दर्शाती है कि यद्यपि आरटीआई अधिनियम लोकतंत्र के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बना हुआ है, परंतु कमज़ोर क्रियान्वयन और जवाबदेही की कमी के कारण इसकी प्रभावशीलता घट रही है। आरटीआई की भावना को जीवित रखने के लिए नागरिकों, नागरिक समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि सूचित नागरिकता और जवाबदेह शासन आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बीस वर्ष पहले थे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. सतर्क नागरिक संगठन (SNS) की हालिया रिपोर्ट के आलोक में, भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए आरटीआई व्यवस्था के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों की समीक्षा कीजिए तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई)

चर्चा में क्यों: वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) 2025 से पता चलता है कि हाल के वर्षों में वैश्विक भुखमरी कम करने की प्रगति ठहर गई है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG-2: 2030 तक शून्य भुखमरी) की प्राप्ति को लेकर गंभीर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) के बारे में

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक एक वार्षिक, सहकर्मी-समीक्षित (Peer-Reviewed) रिपोर्ट है, जो वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर पर भुखमरी का आकलन करती है।
- इसे कन्सर्न वर्ल्डवाइड (Concern Worldwide) और वेल्हंगरहिल्फे (Welthungerhilfe) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है।
- यह सूचकांक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है—केवल खाद्य उपलब्धता तक सीमित न रहकर अत्यपोषण, बाल स्वास्थ्य और मृत्यु दर जैसे परिणामों का आकलन करता है।

जीएचआई में प्रयुक्त संकेतक

- जीएचआई स्कोर की गणना **4 संकेतकों** के आधार पर की जाती है—
 - अत्यपोषण (Undernourishment):** अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली आबादी का अनुपात।
 - बाल अवरुद्धता (Child Stunting):** पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में आयु के अनुपात में कम ऊँचाई का प्रतिशत (दीर्घकालिक कुपोषण)।
 - बाल क्षीणता (Child Wasting):** पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में ऊँचाई के अनुपात में कम वजन का प्रतिशत (तीव्र कुपोषण)।
 - बाल मृत्यु दर (Child Mortality):** पाँच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर, जो कुपोषण के घातक प्रभावों को दर्शाती है।
- इन संकेतकों को भारांक देकर 0 (सर्वोत्तम) से 100 (सबसे खराब) तक का समग्र स्कोर तैयार किया जाता है।
- भुखमरी की गंभीरता के स्तर इस प्रकार वर्गीकृत है—निम्न, मध्यम, गंभीर, चिंताजनक और अत्यंत चिंताजनक।

प्रमुख वैश्विक निष्कर्ष

- भुखमरी में कमी की प्रगति का ठहराव**
 - 2010 के दशक के मध्य से वैश्विक भुखमरी स्तरों में बहुत सीमित सुधार देखा गया है।
 - उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में प्रगति विशेष रूप से धीमी रही है, जहाँ जनसंख्या वृद्धि, जलवायु दबाव और संघर्ष लगातार बने हुए हैं।
- शून्य भुखमरी लक्ष्य खतरे में**
 - बड़ी संख्या में देशों के 2030 तक SDG-2 (शून्य भुखमरी) लक्ष्यों से चूकने की आशंका है।

- रिपोर्ट चेतावनी देती है कि नवीकृत राजनीतिक प्रतिबद्धता के बिना शून्य भुखमरी लक्ष्य अप्राप्य ही रहेगा।
- कई देशों में बिगड़ते रुझान**
 - कुछ देशों में पिछले वर्षों की तुलना में भुखमरी स्तर बढ़े हैं, जिससे पूर्व की उपलब्धियाँ उलट गई हैं।
 - संघर्ष-प्रभावित और जलवायु-संवेदनशील क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं।

भारत का प्रदर्शन (जीएचआई परिप्रेक्ष्य)

- भारत “गंभीर भुखमरी” की श्रेणी में आता है।
- बाल अवरुद्धता (Stunting) और बाल क्षीणता (Wasting) की दरें ऊँची बनी हुई हैं, जो लगातार पोषण चुनौतियों को दर्शाती हैं।
- यद्यपि बाल मृत्यु दर में कमी आई है, परंतु पोषण परिणामों में सुधार असमान रहा है।
- सरकारी हस्तक्षेप,** जैसे —
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)
 - पोषण अभियान
 - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)— ने खाद्य तक पहुँच में सुधार किया है; हालांकि पोषण की गुणवत्ता और आहार विविधता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय रुझान

- उप-सहारा अफ्रीका:** संघर्ष, जलवायु आघात और खाद्य असुरक्षा के कारण भुखमरी का स्तर ऊँचा बना हुआ है।
- दक्षिण एशिया:** मिश्रित प्रगति—कुछ संकेतकों में सुधार हुआ है, परंतु बाल कुपोषण अब भी बना हुआ है।
- पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका:** संघर्ष और आर्थिक अस्थिरता के कारण ठहराव की स्थिति।
- लैटिन अमेरिका और कैरेबियन:** मध्यम स्तर की भुखमरी, जो असमानता और जलवायु घटनाओं से प्रभावित है।
- पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया:** अपेक्षाकृत कम भुखमरी स्तर, परंतु प्रगति धीमी है।
- यूरोप और मध्य एशिया:** वैश्विक स्तर पर सबसे कम भुखमरी स्तर।

वैश्विक भुखमरी के प्रमुख कारण

- संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता:** सशस्त्र संघर्ष खाद्य उत्पादन, बाजारों और मानवीय सहायता की पहुँच को बाधित करते हैं।
- जलवायु परिवर्तन:** सूखा, बाढ़ और लू (हीटवेव) कृषि उत्पादकता और आजीविका को कमजोर करते हैं।
- आर्थिक आघात:** मुद्रास्फीति, आय में कमी और सार्वजनिक व्यय में कटौती खाद्य असुरक्षा को बढ़ाती है।
- शासन की कमियाँ और असमानता:** कमजोर संस्थान & सामाजिक बहिष्करण पोषक भोजन तक समान पहुँच में बाधा बनते हैं।

आगे की राह

- खाद्य प्रणालियों को सुदृढ़ करना:** जलवायु-लचीली और सतत कृषि को बढ़ावा देना।
- पोषण सुरक्षा पर ध्यान:** मातृ पोषण, बाल स्वास्थ्य और आहार विविधता को सुदृढ़ करना।
- सामाजिक संरक्षण को मजबूत करना:** खाद्य और पोषण योजनाओं के लक्ष्यीकरण और आपूर्ति (डिलीवरी) में सुधार।
- वैश्विक सहयोग:** मानवीय सहायता का विस्तार और न्यायसंगत व्यापार तंत्र को बढ़ावा देना।
- ऑकड़ा-आधारित निगरानी:** स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर पोषण निगरानी प्रणालियों को सशक्त करना।

निष्कर्ष

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) यह स्पष्ट करता है कि भुखमरी में कमी अब आवश्यक गति से नहीं हो रही है। खाद्य और पोषण सुरक्षा की प्राप्ति के लिए समन्वित नीतिगत कार्रवाई आवश्यक है, जिसमें कृषि की लचीलापन क्षमता, पोषण-केंद्रित हस्तक्षेप, सामाजिक संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समावेश हो। भारत सहित विश्व के लिए चुनौती केवल पर्याप्त भोजन उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी के लिए पोषक, वहनीय और समान रूप से सुलभ आहार सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. विश्व में दीर्घकालिक भूख के प्रमुख निष्कर्षों और कारणों की समीक्षा कीजिए। सतत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए समन्वित नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

एक्सीडेंटल डेथ & सुइसाइड्स इन इंडिया (ADSI) रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने एक्सीडेंटल डेथ & सुइसाइड्स इन इंडिया (ADSI) 2023 रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में आत्महत्याओं, आकस्मिक मौतों, सड़क दुर्घटनाओं तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से होने वाली मौतों से संबंधित ऑकड़े प्रस्तुत करती है।

मुख्य निष्कर्ष

(A) भारत में आत्महत्याएँ

| संकेतक | पर्यवेक्षण |
|-----------------|--|
| कुल आत्महत्याएँ | 1,71,418 (2022 की तुलना में मामूली वृद्धि) |
| आत्महत्या दर | पिछले वर्ष की तुलना में कमी |

| | |
|---|--|
| लैंगिक स्वरूप | पुरुष: 72.8% ; महिलाएँ: 27.2% |
| सबसे अधिक आत्महत्या दर वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, सिक्किम, केरल |
| मुख्य कारण | पारिवारिक समस्याएँ (~32%), बीमारी (~19%), नशीले पदार्थ/शराब की लत (~7%), विवाह-संबंधी मुद्दे (~5%) |
| अन्य कारण | प्रेम-संबंध, दिवालियापन/ऋणग्रस्तता, बेरोज़गारी, परीक्षा में असफलता |

किसान आत्महत्याएँ

- कुल:** 10,786 (कुल आत्महत्याओं का लगभग 6%)
- सबसे अधिक हिस्सा:** महाराष्ट्र (~38.5%), कर्नाटक (~22.5%)
- नगण्य/शून्य किसान आत्महत्याएँ दर्ज करने वाले राज्य:** पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा

(B) आकस्मिक मौतें एवं सड़क दुर्घटनाएँ

| संकेतक | पर्यवेक्षण |
|-------------------------------------|---|
| कुल आकस्मिक मौतें | 4,64,029 (2022 की तुलना में वृद्धि) |
| घातक दुर्घटनाओं में प्रमुख वाहन | दोपहिया वाहन (~46%) |
| मुख्य कारण | अत्यधिक गति (~59%), खतरनाक/लापरवाह ड्राइविंग परिस्थितियाँ |
| दुर्घटनाओं का चरम समय | शाम के घंटे (3-9 बजे) |
| उच्च सड़क दुर्घटना मौतों वाले राज्य | उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश |
| राजमार्गों पर मौतें | सड़क दुर्घटना मौतों का लगभग एक-तिहाई |

(C) नशीले पदार्थ/पदार्थ दुरुपयोग से संबंधित मौतें

| श्रेणी | पर्यवेक्षण |
|-------------------|---|
| ओवरडोज से मौतें | 654 मौतें, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में संख्या अधिक |
| मिलावटी/अवैध शराब | झारखण्ड, कर्नाटक, बिहार और पंजाब में उच्च मृत्यु दर दर्ज |

सरकारी पहलें

1) आत्महत्या एवं मानसिक स्वास्थ्य रोकथाम

- ✓ राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022): 2030 तक आत्महत्या दर में 10% कमी का लक्ष्य।
- ✓ टेली-मानस (Tele-MANAS): 24x7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य सहायता।
- ✓ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP): समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ।
- ✓ मनोदर्पण: विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मनो-सामाजिक सहायता।

2) किसान सहायता उपाय

- ✓ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): कृषि जोखिमों के विरुद्ध फसल बीमा।
- ✓ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: वार्षिक ₹6,000 की आय सहायता।
- ✓ ऋण राहत एवं राज्य-विशिष्ट सहायता योजनाएँ।

3) सड़क सुरक्षा उपाय

- ✓ यातायात कानूनों का सख्त प्रवर्तन।
- ✓ दुर्घटना बाहुल्य "ब्लैक स्पॉट्स" की पहचान।
- ✓ सड़क अवसंरचना में सुधार (संकेतक, प्रकाश व्यवस्था, पैदल यात्री सुविधाएँ)।
- ✓ प्रौद्योगिकी का उपयोग (GPS, ADAS, निगरानी)।
- ✓ हेलमेट और सीट बेल्ट पर जागरूकता अभियान।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने एक्सीडेंटल डेथ & सुइसाइड्स इन इंडिया (ADSI) 2023 रिपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, किसान संकट और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से जुड़ी निरंतर चुनौतियों को रेखांकित करती है। यद्यपि नीतिगत पहलें मौजूद हैं, पर आँकड़े यह दर्शाते हैं कि संस्थागत क्षमता, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, व्यवहार परिवर्तन और सुरक्षित अवसंरचना को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि रोकी जा सकने वाली मौतों में कमी लाई जा सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

- प्रश्न. NCRB की भारत में एक्सीडेंटल डेथ & सुइसाइड्स इन इंडिया (ADSI) 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए—
1. वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटना मौतों में दौषिण्य वाहनों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी।
 2. महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलकर किसान आत्महत्याओं का 60% से अधिक हिस्सा रखते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

भारत में कारागार सांख्यिकी (PSI) 2023

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने "भारत में कारागार सांख्यिकी (PSI) 2023" रिपोर्ट जारी की है, जो भारत में कारागारों, कैदियों और कारागार प्रशासन की स्थिति पर समग्र आँकड़े प्रस्तुत करती है।

मुख्य बिंदु

- यह रिपोर्ट भारतीय कारागारों में मौजूद लगातार बनी संरचनात्मक समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करती है, जैसे - अधिक भीड़, विचाराधीन कैदियों का उच्च अनुपात, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ (विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य), कर्मचारियों की कमी, तथा मानवाधिकार-आधारित कारागार सुधारों की आवश्यकता।
- रिपोर्ट दंडात्मक दृष्टिकोण से हटकर सुधारात्मक और पुनर्वास-आधारित कारागार व्यवस्था की ओर संक्रमण के महत्व को रेखांकित करती है।

मुख्य निष्कर्ष (PSI 2023)

| संकेतक | पर्यवेक्षण |
|------------------------------|---|
| कुल कारागार | 1,332 कारागार (2022 में 1,330) |
| कारागार जनसंख्या | 2022 की तुलना में लगभग 4.4% की कमी |
| राष्ट्रीय अधिभोग दर | 120.8% (सर्वाधिक: दिल्ली ~200%; न्यूनतम: तेलंगाना ~72.8%) |
| विचाराधीन कैदी | कुल कैदियों का 75% से अधिक; उत्तर प्रदेश में संख्या सर्वाधिक |
| महिला कैदी | कुल का लगभग 4.1%; स्वास्थ्य, स्वच्छता और अभिरक्षा सुविधाओं में अंतर बना हुआ |
| विदेशी कैदी | अधिकांश विचाराधीन; प्रमुख देश—बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, नाइजीरिया |
| कारागार कर्मियों के रिक्त पद | राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 30%; कमी से सुरक्षा और सुधारात्मक उपाय प्रभावित |
| कारागारों में मौतें | लगभग 2,000 मौतें; एक बड़ा हिस्सा अप्राकृतिक कारणों (आत्महत्या सहित) से जुड़ा |

प्रमुख चुनौतियाँ

• अधिक भीड़ (Overcrowding)

- ✓ इससे रहने की खराब परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जो स्वच्छता, वेंटिलेशन, पोषण और चिकित्सा देखभाल तक पहुँच को प्रभावित करती हैं।
- ✓ यह पुनर्वास में बाधा डालती है तथा अभिरक्षा तनाव और हिंसा को बढ़ाती है।

• विचाराधीन कैदियों का संकट

- ✓ विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या जाँच, मुकदमे और जमानत प्रक्रियाओं में देरी को दर्शाती है।
- ✓ यह विशेषकर वंचित वर्गों के लिए कानूनी सहायता और त्वरित न्याय तक अपर्याप्त पहुँच को इंगित करता है।

• स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण

- ✓ अप्राकृतिक मौतों और आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या कारागारों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा को उजागर करती है।
- ✓ प्रशिक्षित चिकित्सा और मनोरोग विशेषज्ञों की कमी।

• लैंगिक और सामाजिक संवेदनशीलताएं

- ✓ महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों को अपर्याप्त सुविधाएँ, निजता की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है।
- ✓ जाति और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर कारागारों के भीतर सामाजिक भेदभाव की रिपोर्टें चिंताजनक हैं।

• कर्मचारियों की कमी

- ✓ अपर्याप्त स्टाफ के कारण सुरक्षा, कैदियों की निगरानी, परामर्श और सुधारात्मक कार्यक्रम प्रभावित होते हैं।
- ✓ कर्मियों पर अत्यधिक बोझ से सुधार सेवाओं की प्रभावशीलता घटती है।

संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचा

- **अनुच्छेद 14:** विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण।
- **अनुच्छेद 21:** गरिमा सहित जीवन का अधिकार, जिसमें स्वास्थ्य, भोजन और मानवीय व्यवहार का अधिकार शामिल है।

- **अनुच्छेद 22:** मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण तथा कानूनी परामर्श का अधिकार।
- **अनुच्छेद 23:** बेगार (बलात् श्रम) का निषेध।
- **अनुच्छेद 39A:** निःशुल्क विधिक सहायता और न्याय तक पहुँच का दायित्व।

(उदाहरण: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय - सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन तथा हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य - इन प्रावधानों का समर्थन करते हैं।)

निष्कर्ष

भारत में कारागार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि भारतीय कारागार अब भी प्रणालीगत कमियों से जूझ रहे हैं—जैसे अधिक भीड़, विचाराधीन कैदियों का लंबे समय तक निरुद्ध रहना, कर्मचारियों की कमी और अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। इन चुनौतियों से निपटने के लिए त्वरित न्यायिक प्रक्रियाएँ, मजबूत विधिक सहायता, कारागार अवसरणामें सुधार, पर्याप्त स्टाफिंग, तथा सुधारात्मक (Reformative) कारागार दृष्टिकोण आवश्यक हैं, जो संवैधानिक मूल्यों और मानवीय गरिमा को बनाए रखें।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "भारत की कारागार व्यवस्था में अधिक भीड़, विचाराधीन कैदियों का वर्चस्व और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा जैसी दीर्घकालिक समस्याएँ परिलक्षित होती हैं।" चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

तंबाकू उपयोग सम्बंधी WHO की वैश्विक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने तंबाकू उपयोग की व्यापकता में रुझानों पर वैश्विक रिपोर्ट (2000–2024) जारी की है, जिसमें वयस्क आबादी (15 वर्ष और उससे अधिक) में तंबाकू उपयोग के अनुमान तथा 2025–2030 तक के प्रक्षेपण प्रस्तुत किए गए हैं।

वैश्विक रुझान (2000–2024)

| संकेतक | 2010 | 2024 | पर्यवेक्षण |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|
| वयस्कों (15+) में तंबाकू उपयोग | 26.2% | 19.5% | उल्लेखनीय गिरावट |
| ई-सिगरेट उपयोगकर्ता | उपलब्ध नहीं | 10 करोड़+ | नए स्वास्थ्य एवं नियामकीय जोखिम |
| कुल उपयोगकर्ता | 1.32 अरब | 1.2 अरब | हर 6 में 1 वयस्क |

भारत की स्थिति और प्रगति

- **तंबाकू उपयोगकर्ता (2024):** लगभग 24.35 करोड़ वयस्क (15+)।

- **वैश्विक रैंकिंग:** दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (चीन के बाद) और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक (ब्राज़ील के बाद)।

- प्रगति:** 2010–2025 के बीच तंबाकू उपयोग में 43% सापेक्ष कमी की अपेक्षा; यह WHO के 30% सापेक्ष कमी के लक्ष्य से अधिक है।
- प्रमुख उत्पादक राज्य: गुजरात (30%);** अन्य—आंश्च प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार।

भारत में तंबाकू उपभोग कम करने की पहलें

- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003:**
 - ✓ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध।
 - ✓ नाबालिंगों को बिक्री पर प्रतिबंध।
 - ✓ विज्ञापन, पैकेजिंग और लेबलिंग का विनियमन।
- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019:**
 - ✓ ई-सिगरेट के निर्माण, बिक्री, आयात और विज्ञापन पर प्रतिबंध।
 - ✓ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), 2007–08: तंबाकू के दुष्प्रभावों पर जागरूकता।
- हालिया पहलें:**
 - ✓ **तंबाकू-मुक्त फ़िल्म नियम (2024):** फ़िल्मों/टीवी में तंबाकू उपयोग के चित्रण पर प्रतिबंध।

- ✓ **येलो लाइन अभियान:** स्कूलों के चारों ओर 100 गज की सीमा में बिक्री निषिद्ध।
- ✓ **कराधान:** उपभोग घटाने हेतु उत्पाद शुल्क और GST में वृद्धि।

निष्कर्ष

भारत WHO के गैर-संचारी रोग (NCD) लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है; वर्तमान में 20% वयस्क तंबाकू का उपयोग करते हैं। हालांकि, ई-सिगरेट अब नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं। तंबाकू-संबंधी रोगों के बोझ में कमी लाने के लिए कानूनी, वित्तीय, शैक्षिक और व्यवहारागत - इन सभी स्तरों पर निरंतर और समन्वित कार्रवाई आवश्यक है, न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी।


**यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न
मुख्य परीक्षा प्रश्न:**

प्रश्न. “काफी प्रगति के बावजूद, तंबाकू उपयोग भारत और विश्व - दोनों में अब भी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है।” टिप्पणी कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व

सोनम वांगचुक

चर्चा में क्यों: लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद्, पर्यावरण कार्यकर्ता और प्रमुख जन-स्वर सोनम वांगचुक हाल ही में चर्चा में रहे हैं। वे लद्दाख को राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संरक्षण, तथा स्थानीय पारिस्थितिकी और आजीविका की सुरक्षा की मांग को लेकर शांतिपूर्ण अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। इन मुद्दों ने शासन, संघवाद और नागरिक स्वतंत्रताओं पर बहस को पुनर्जीवित किया है।



भारत में निवारक निरोध

- निवारक निरोध (प्रिवेटिव डिटेंशन) का उद्देश्य किसी व्यक्ति को भविष्य में संभावित अपराध करने से रोकना है, जबकि दंडात्मक निरोध अपराध हो जाने के बाद लागू होता है।
- यह राज्य को उन व्यक्तियों को निरुद्ध करने की शक्ति देता है जिन्हें लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं के लिए खतरा माना जाता है।

संवैधानिक आधार

- संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रावधान।
- किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे अधिकतम तीन माह तक निरुद्ध किया जा सकता है; इसके बाद सलाहकार बोर्ड द्वारा निरोध की समीक्षा अनिवार्य है।
- निवारक निरोध कानूनों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपवाद के रूप में देखा जाता है और ये कड़े प्रक्रियात्मक संरक्षणों के अधीन होते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980

- उद्देश्य:** निम्नलिखित के प्रतिकूल गतिविधियों को रोकना—
 - ✓ राष्ट्रीय सुरक्षा

- ✓ लोक व्यवस्था
- ✓ भारत की रक्षा
- ✓ विदेशी शक्तियों के साथ संबंध
- ✓ आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का अनुरक्षण

अधिकार प्राप्त प्राधिकरण

- केंद्र एवं राज्य सरकारें, जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त।

मुख्य प्रावधान

- निरोध के आधार निरुद्ध व्यक्ति को 5–10 दिनों के भीतर बताए जाने चाहिए (विशेष मामलों में 15 दिनों तक विस्तार संभव)।
- निरोध की तीन सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड (जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं) द्वारा समीक्षा अनिवार्य।
- अधिकतम निरोध अवधि 12 माह है, जब तक कि उससे पहले निरोध निरस्त न कर दिया जाए।
- निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के समक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त नहीं होता।
- जनहित में कुछ जानकारियाँ रोकी जा सकती हैं।

सोनम वांगचुक का पक्ष


- वे निम्नलिखित की वकालत करते हैं—
 - ✓ लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा
 - ✓ जनजातीय अधिकारों और संस्कृति की रक्षा हेतु छठी अनुसूची में शामिल करना
 - ✓ संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरण संरक्षण
- अतिरिक्त माँगों—
 - ✓ लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग
 - ✓ लेह और कारगिल के लिए अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व
- उन्होंने इन माँगों को उजागर करने के लिए अहिंसक तरीकों—जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन और उपवास—को अपनाया है।

निष्कर्ष

सोनम वांगचुक की सक्रियता से जुड़े घटनाक्रम भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच मौजूद तनाव को उजागर करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) जैसे निवारक निरोध कानून, यद्यपि संवैधानिक रूप से मान्य हैं, पर उनकी विस्तृत विवेकाधीन शक्तियों और दुरुपयोग की संभावना के कारण विवादास्पद बने रहते हैं। यह प्रकरण लोकतांत्रिक असहमति, संघीय आकांक्षाओं और संवैधानिक संरक्षणों के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है—जो भारतीय शासन की एक निरंतर चुनौती है।

गांधी जयंती 2025

चर्चा में क्यों: 2 अक्टूबर 2025 को मनाई जाने वाली गांधी जयंती, महात्मा गांधी की 156वीं जयंती का स्मरण कराती है। यह अवसर समकालीन वैश्विक और राष्ट्रीय चुनौतियों के संदर्भ में अहिंसा, सत्य और सामाजिक न्याय के उनके आदर्शों की प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करता है।



गांधी जयंती का महत्व

- गांधी जयंती उस महान नेता के जन्म का स्मरण है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जन-आधारित, नैतिक और अहिंसक आंदोलन में परिवर्तित किया।
- यह दिन विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो गांधी के सार्वभौमिक प्रभाव को दर्शाता है।

महात्मा गांधी के बारे में

- पूरा नाम:** मोहनदास करमचंद गांधी
- जन्म:** 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर (गुजरात)
- निधन:** 30 जनवरी 1948 (हत्या)
- उपाधि:** "महात्मा" (रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा), "राष्ट्रपिता" (लोकप्रिय संबोधन)

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

- गांधी का जन्म एक अनुशासित परिवार में हुआ, जहाँ सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे मूल्यों ने उनके विकास को आकार दिया।
- उन्होंने लंदन (इनर टेम्पल) में कानून की पढ़ाई की, जहाँ पश्चिमी चिंतन और नैतिक लेखनों के संपर्क ने उनकी नैतिक दर्शन को प्रभावित किया।

बौद्धिक प्रभाव

- लियो टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन जैसे विचारकों ने गांधी के नैतिकता और सामाजिक न्याय संबंधी विचारों को गहराई से प्रभावित किया।
- रस्किन की पुस्तक 'अंटू दिस लास्ट' (Unto This Last) ने गांधी की सर्वोदय (सभी का कल्याण) की अवधारणा को आकार दिया।

दक्षिण अफ्रीका चरण (1893–1914)

- दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के अनुभवों ने गांधी को सत्याग्रह को प्रतिरोध के एक सशक्त तरीके के रूप में विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
- नेटाल इंडियन कांग्रेस और इंडियन ओपिनियन जैसे संस्थान संगठित अहिंसक विरोध के मंच बने।

भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम

- 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जन-संगठन के माध्यम से स्थानीय शिकायतों को उठाते हुए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय नेता के रूप में उभरे।

प्रमुख आंदोलन

- चंपारण सत्याग्रह (1917):** भारत में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग; किसान शोषण को उजागर किया।
- खेड़ा सत्याग्रह (1918):** अकाल और फसल विफलता से प्रभावित किसानों के लिए कर राहत सुनिश्चित की।
- अहमदाबाद मिल हड्डताल (1918):** श्रमिक अधिकारों को सुदृढ़ किया और मध्यस्थ के रूप में गांधी की भूमिका स्थापित की।
- असहयोग आंदोलन (1920–22):** अहिंसक तरीकों से स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित की।
- नमक सत्याग्रह / सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930):** अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक; वैश्विक ध्यान आर्कर्षित किया।
- पूना पैकट (1932):** दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न हल करते हुए सामाजिक एकता बनाए रखी।
- भारत छोड़ो आंदोलन (1942):** ब्रिटिश शासन से तत्काल वापसी की माँग वाला अंतिम जनआंदोलन ("करो या मरो")।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका

- गांधी 1924 (बेलगांव अधिवेशन) में कांग्रेस अध्यक्ष रहे।
- उन्होंने कांग्रेस को अभिजात नेतृत्व से हटाकर जन-केंद्रित संगठन में परिवर्तित किया।

अंतिम वर्ष और निधन

- विभाजन (1947) के दौरान सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए गांधी ने अथक प्रयास किए।
- 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई; उनके अंतिम शब्द "हे राम" माने जाते हैं।

वर्तमान संदर्भ में गांधीवाद की प्रासंगिकता

- अहिंसा:** संघर्ष, उग्रवाद और सामाजिक अशांति से निपटने में आज भी प्रासंगिक।
- सत्य और नैतिकता:** दुष्प्रचार के दौर और घटते सार्वजनिक विश्वास के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण।
- स्वदेशी:** आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के साथ सामंजस्य रखता है।

- **सतत जीवन-शैली:** जलवायु परिवर्तन और अति-उपभोग की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करती है।

अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2007 में घोषित; प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है।
- बढ़ते वैश्विक संघर्षों के बीच शांति, सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा देने का उद्देश्य।

निष्कर्ष

गांधी जयंती 2025 यह रेखांकित करती है कि गांधीवादी सिद्धांत केवल ऐतिहासिक आदर्श नहीं, बल्कि नैतिक शासन, सामाजिक सद्व्यवहार और सतत विकास के लिए 21वीं सदी में भी व्यावहारिक उपकरण हैं।

पंडित छन्नलाल मिश्र

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से एक पंडित छन्नलाल मिश्र का निधन हो गया।



पंडित छन्नलाल मिश्र के बारे में

- वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के एक प्रसिद्ध और वरिष्ठ साधक थे।
- उनका संबंध किराना घराना से था, साथ ही उन पर बनारस (वाराणसी) शैली का गहरा प्रभाव भी था।

- वे निम्न शैलियों में अपनी विशिष्ट दक्षता के लिए जाने जाते थे—

- ✓ ख्याल
- ✓ ठुमरी
- ✓ दादरा
- ✓ भजन

- उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शुद्धता बनाए रखते हुए, उसे सामान्य जनमानस तक लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रमुख योगदान

- उन्होंने विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक, भक्ति और शास्त्रीय संगीत परंपराओं का सृजनात्मक समन्वय किया।
- वे निरंतर सक्रिय रूप से कार्यरत रहे—
 - ✓ गुरु-शिष्य परंपरा के संरक्षण के लिए
 - ✓ युवा संगीतकारों के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए
- वे भारतीय शास्त्रीय कलाओं को बढ़ावा देने वाली सांस्कृतिक संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े रहे।
- उन्होंने शास्त्रीय अभिजात्या और जन-सुलभता के बीच एक सेतु के रूप में भूमिका निभाई।

पुरस्कार और सम्मान

- पद्म विभूषण (2021) – भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान
- पद्म भूषण (2010)
- पद्म श्री (1974)
- संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार

सांस्कृतिक महत्व

- वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जीवंत धरोहर के प्रतिनिधि थे।
- उनका जीवन निम्न बातों को प्रतिबिंबित करता है—
 - ✓ भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता
 - ✓ कला के प्रसार में मौखिक परंपराओं के महत्व को रेखांकित करना
- अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी सुदृढ़ किया।

विविध

नोबेल पुरस्कार 2025

चर्चा में क्यों: हाल ही में, नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा 6 से 13 अक्टूबर 2025 के बीच की गई। ये पुरस्कार मानव प्रयासों के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान को मान्यता देते हैं।

मुख्य विवरण

- नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल—स्वीडिश रसायनज्ञ और उद्योगपति—की वसीयत के अनुसार 1895 में की गई।
- यह उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिनके कार्यों ने मानवता को सर्वाधिक लाभ पहुँचाया है।
- पुरस्कार छह श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं—
 - भौतिकी
 - रसायन विज्ञान
 - शरीरक्रिया विज्ञान या चिकित्सा
 - साहित्य
 - शांति
 - अर्थशास्त्र (औपचारिक नाम: अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में स्वीडन के केंद्रीय बैंक का पुरस्कार—स्थापना 1968)
- विजेताओं को स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसकी राशि प्रत्येक वर्ष बदलती है, पर हाल के वर्षों में प्रति पुरस्कार 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक रही है।

2025 के नोबेल विजेता: सार एवं महत्व

(A) शरीरक्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में

- विजेता:** मैरी ई. ब्रनकोव, फ्रेड राम्सडेल, शिमोन सकागुची
- योगदान:** प्रतिरक्षा तंत्र में नियामक टी कोशिकाओं (Regulatory T Cells—Tregs) की पहचान और उनके कार्यों की व्याख्या।
- महत्व:**
 - Tregs प्रतिरक्षा तंत्र को स्व (self) और पर-स्व (non-self) में अंतर करना सिखाती हैं, जिससे शरीर अपने ही ऊतकों पर आक्रमण नहीं करता।
 - इस खोज से स्वप्रतिरक्षित रोगों (जैसे टाइप-1 मधुमेह, रूमेटॉइड आर्थराइटिस) के उपचार तथा संक्रमणों और कैंसर में प्रतिरक्षा विनियमन की नई उपचारात्मक संभावनाएँ खुली हैं।

(B) भौतिकी के क्षेत्र में

- विजेता:** जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट, जॉन एम. मार्टिनिस

- योगदान:** अतिचालक (सुपरकंडकिंग) परिपथों में स्थूल-स्तरीय कांटम टनलिंग और ऊर्जा के कांटीकरण का प्रदर्शन।

• महत्व:

- ✓ यह दर्शाता है कि कांटम यांत्रिकी के प्रभाव केवल परमाणुओं और कणों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़े पैमाने की प्रणालियों में भी प्रकट हो सकते हैं।
- ✓ यह कार्य कांटम कंप्यूटिंग की आधारशिला है, विशेषकर अतिचालक क्यूबिट्स के संदर्भ में, जो अगली पीढ़ी की संगणना के लिए महत्वपूर्ण हैं।

(C) रसायन विज्ञान के क्षेत्र में

- विजेता:** सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉब्सन, ओमर यागी
- योगदान:** मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) का विकास—अत्यंत बड़े सतह क्षेत्र वाली छिद्रयुक्त क्रिस्टलीय सामग्री।
- महत्व:**
 - ✓ MOFs गैसों का भंडारण (जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड), रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण, और पर्यावरणीय प्रदूषकों को अवरुद्ध करने में सक्षम हैं।
 - ✓ ये सामग्री रसायन विज्ञान में एक प्रमुख प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके अनुप्रयोग ऊर्जा भंडारण और पर्यावरणीय स्थिरता में हैं।

(D) साहित्य के क्षेत्र में

- विजेता:** लास्लो क्रास्नाहोरकाई
- योगदान:** मानव अस्तित्व की जटिलताओं की पड़ताल करने वाले उनके गहन और दार्शनिक उपन्यासों के लिए मान्यता।
- महत्व:**
 - ✓ उनकी कृतियाँ सभ्यता, मृत्युबोध और मानव मनोविज्ञान में गहराई से प्रवेश करती हैं।
 - ✓ वे साहित्यिक कौशल को समाज और आधुनिक जीवन पर गहन वित्तन के साथ संयोजित करती हैं।

(E) शांति के क्षेत्र में

- विजेता:** मारिया कोरिना मचाडो
- योगदान:** वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की वकालत, तथा शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन।
- महत्व:**
 - ✓ सत्तावादी शासन को चुनौती देते हुए “गोलियाँ नहीं, मतपत्र” के संदेश को रेखांकित किया।
 - ✓ कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में नागरिक साहस और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को सुदृढ़ किया।

(F) अर्थशास्त्र के क्षेत्र में

- विजेता: जोएल मोकीर, फिलिप अगियोन, पीटर हाउइट
- योगदान:
 - जोएल मोकीर:** उन्होंने ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, जिनसे सतत तकनीकी प्रगति संभव होती है।
 - फिलिप अगियोन और पीटर हाउइट:** उन्होंने नवोन्मेषी वृद्धि (Innovative Growth) और रचनात्मक विनाश (Creative Destruction) पर सिद्धांत विकसित किए—

यह बताते हुए कि नई प्रौद्योगिकियाँ कैसे पुरानी प्रणालियों को प्रतिस्थापित करती हैं और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करती हैं।

• महत्व:

- यह आर्थिक विकास में नवाचार की भूमिका को रेखांकित करता है।
- विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दरों के अंतर तथा नवाचार पारितंत्र (Innovation Ecosystems) के महत्व को स्पष्ट करता है।

नोबेल पुरस्कार विजेता 2025

| श्रेणी | विजेता | योगदान | फ़ोटो |
|-------------------------|---|--|-------|
| भौतिक विज्ञान | जॉन क्लार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका), निशेल एच. डेवोरेट (संयुक्त राज्य अमेरिका), जॉन एम. मार्टिनिस (संयुक्त राज्य अमेरिका) | विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटमकरण की खोज के लिए। | |
| रसायन विज्ञान | सुमुमि कितागावा (जापान), दिच्छीर्द रॉबसन (ऑस्ट्रेलिया), उमर एम. याधी (संयुक्त राज्य अमेरिका) | कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने, जैस भंडारण, उत्प्रेरण और जल संचयन के लिए उपयोग किए जाने वाले छिद्रयुक्त पदार्थों-मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क (एमओएफ) के विकास के लिए। | |
| चिकित्सा (शरीर विज्ञान) | मैरी ई. ब्रुनकोव (संयुक्त राज्य अमेरिका), फ्रेड टैम्सडेल (संयुक्त राज्य अमेरिका), थिमोन साकागुची (जापान) | परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसमें यह बताया गया है कि प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के अपने ऊतकों पर हमला करने से कैसे बचती है। | |
| साहित्य | लाट्झलो क्रास्जनाहोटकार्ड (हंगरी) | उनकी दूरदर्शी और प्रलयकारी साहित्यिक कृतियों के लिए, जो कला की स्थायी शक्ति को पुनः स्थापित करती हैं। | |
| शांति | मारिया कोटिना मचाडो (वेनेजुएला) | वेनेजुएला में लोकतंत्र और शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक संघर्ष के लिए। | |
| अर्थशास्त्र | जोएल मोकीर (संयुक्त राज्य अमेरिका/नीदरलैंड), फिलिप एगियन (फ्रांस), पीटर हॉविट (कनाडा) | नवाचार-संचालित आर्थिक विकास और रचनात्मक विनाश की अवधारणा को समझाने के लिए। | |

निष्कर्ष

2025 के नोबेल पुरस्कारों ने ऐसी महत्वपूर्ण खोजों और उपलब्धियों का उत्सव मनाया, जिन्होंने प्रतिरक्षा तंत्र, क्वांटम भौतिकी, उन्नत सामग्री, मानव

अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण लोकतंत्रिक परिवर्तन और नवाचार के अर्थशास्त्र की हमारी समझ को गहरा किया। ये उपलब्धियाँ विज्ञान, साहित्य, शांति और विकास के क्षेत्रों में वैश्विक उल्काष्टा को प्रेरित करती हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: नोबेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार आधिकारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत का हिस्सा है।
2. रसायन विज्ञान में मान्यता प्राप्त मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) के गैस भंडारण और प्रदूषक कैचर (pollutant capture) में अनुप्रयोग हैं।
3. नोबेल शांति पुरस्कार 2025 शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन और मानवाधिकारों की वकालत के लिए प्रदान किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

हेनले पासपोर्ट सूचकांक

चर्चा में क्यों: 2025 के हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका—दोनों की पासपोर्ट शक्ति में गिरावट आई है। यह वैश्विक आवागमन (मोबिलिटी) के बदलते रुझानों और वीजा नीतियों में परिवर्तन को दर्शाता है।

हेनले पासपोर्ट सूचकांक के बारे में

- **यह क्या है:** राष्ट्रीय पासपोर्टों की वैश्विक रैंकिंग, जो इस आधार पर तय होती है कि उनके धारक कितने देशों में बिना वीजा या आगमन पर वीजा (Visa-on-Arrival) के प्रवेश कर सकते हैं।
- **स्रोत:** जानकारी अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) द्वारा संकलित यात्रा डेटा पर आधारित है, जिसे हेनले एंड पार्टनर्स के शोध से पूरक किया जाता है।
- **प्रकाशक:** हेनले एंड पार्टनर्स—नागरिकता और निवास योजना में विशेषज्ञ परामर्श फर्म।
- **उद्देश्य:** यात्रा स्वतंत्रता का मापन—यह बताता है कि देश वैश्विक आवागमन के लिए कितने खुले हैं और अपने नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा कितनी सुगम है।

मुख्य निष्कर्ष — 2025 सूचकांक

• शीर्ष रैंक वाले पासपोर्ट:

- ✓ **सिंगापुर:** 193 गंतव्यों तक बिना वीजा या आगमन पर वीजा की पहुँच।
- ✓ **दक्षिण कोरिया:** 190 गंतव्यों तक पहुँच।

- ✓ **जापान:** 189 गंतव्यों तक पहुँच।
- ✓ ये रैंकिंग कई एशियाई देशों के नागरिकों के लिए यात्रा स्वतंत्रता में वृद्धि को रेखांकित करती हैं।

• भारत की रैंकिंग:

- ✓ 2025 सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है।
- भारतीय पासपोर्ट धारकों को 57 गंतव्यों तक वीजा-मुक्त/आगमन पर वीजा की सुविधा प्राप्त है।
- यह पिछले वर्षों की तुलना में हल्की गिरावट को दर्शाता है, जिससे अनेक देशों के मुकाबले यात्रा स्वतंत्रता सीमित होने का संकेत मिलता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

- ऐतिहासिक रूप से सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला अमेरिकी पासपोर्ट पहली बार इस सूचकांक के इतिहास में शीर्ष 10 से बाहर हो गया है।
- यह अब 12वें स्थान पर है और मलेशिया के साथ संयुक्त रैंक में है; बिना पूर्व-व्यवस्थित वीजा के 180 गंतव्यों तक पहुँच उपलब्ध है।

महत्व

- **वैश्विक आवागमन रुझान:** पासपोर्ट रैंकिंग राजनयिक संबंधों, वीजा वार्ताओं और भू-राजनीतिक बदलावों को प्रतिबिंबित करती है, जो लोगों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा क्षमता को प्रभावित करते हैं।
- **सॉफ्ट पावर और कूटनीति:** मजबूत पासपोर्ट रैंकिंग अक्सर सुदृढ़ राजनयिक संबंधों और वीजा नीतियों में पारस्परिकता का संकेत देती है।
- **आर्थिक एवं सामाजिक निहितार्थ:** अधिक यात्रा स्वतंत्रता व्यवसाय, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है; इसके विपरीत, कम रैंकिंग नागरिकों की अंतरराष्ट्रीय संपर्कता को प्रभावित कर सकती है।

सीमाएँ

- यह सूचकांक केवल वीजा पहुँच को मापता है; लागत, प्रतिबंध या द्विपक्षीय समझौतों जैसे यात्रा-सुगमता के अन्य पहलुओं को शामिल नहीं करता।
- अस्थायी यात्रा प्रतिबंधों (जैसे महामारी-संबंधी नीतियाँ) को रैंकिंग में नहीं गिना जाता।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सूचकांक पासपोर्टों को इस आधार पर रैंक करता है कि उनके धारक कितने देशों में बिना पूर्व-व्यवस्थित वीजा प्रवेश कर सकते हैं।

- 2025 में भारत का पासपोर्ट शीर्ष 50 वैश्विक पासपोर्टों में शामिल है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका 2025 के सूचकांक में शीर्ष 10 से बाहर हो गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मुख्य निष्कर्ष

• अनुकूलन की बढ़ती लागत:

- ✓ मॉडल-आधारित आकलन बताते हैं कि प्रभावी जलवायु अनुकूलन के लिए 2030 के मध्य तक विकासशील देशों को प्रति वर्ष लगभग 300–320 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता हो सकती है।
- ✓ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) और राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NAPs) में व्यक्त आवश्यकताओं के आधार पर अनुमान लगाने पर अनुकूलन लागत और अधिक निकलती है।

• अनुकूलन वित्त में बड़ा अंतर:

- ✓ हाल के वर्षों में विकासशील देशों को मिलने वाला अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त आवश्यक स्तरों से काफी कम रहा है—प्रति वर्ष 30 अरब अमेरिकी डॉलर से भी कम।
- ✓ इससे संकेत मिलता है कि अनुकूलन की आवश्यकताएँ, वर्तमान वित्त प्रवाह से 10 गुना से अधिक हैं।

• जोखिम में लक्ष्य:

- ✓ वर्तमान रुझानों के अनुसार, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के तहत 2019 के स्तर से अनुकूलन वित्त को दोगुना करने की प्रतिबद्धता के पूरी तरह हासिल होने की संभावना कम है।
- ✓ मौजूदा जलवायु वित्त प्रतिबद्धताएँ, जिनमें नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) पर चर्चाएँ भी शामिल हैं, अनुकूलन वित्त अंतर को पाठने के लिए अपर्याप्त हैं।

• निजी क्षेत्र की भूमिका

- ✓ रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि निजी क्षेत्र में अनुकूलन वित्त में महत्वपूर्ण योगदान देने की अभी तक अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है।
- ✓ उचित नीतिगत समर्थन, जोखिम-साझेदारी तंत्र और ब्लैंडड फाइनेंस उपकरणों के साथ, निजी वित्त प्रति वर्ष दर्जनों अरब डॉलर जुटाने में सक्षम हो सकता है।

महत्व

- यह दर्शाता है कि जलवायु शमन की तुलना में अनुकूलन अब भी अपर्याप्त रूप से वित्तपोषित है, जबकि यह जलवायु-संवेदनशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह पुनः बल देता है कि अनुकूलन में देरी से भविष्य में लागत अधिक, विकास लाभों का नुकसान, और मानवीय संकटों में वृद्धि होगी।
- यह समता और जलवायु न्याय के पक्ष को सुरक्षित करता है, क्योंकि उत्सर्जन के लिए सबसे कम जिम्मेदार देशों पर अनुकूलन का बोझ सबसे अधिक पड़ता है।

समाचारों में चर्चित स्थान (भारत)



अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश में पहली वाणिज्यिक कौयला खदान का उद्घाटन नामधिक-नामफुक कौयला ब्लॉक में किया गया।



सावलकोट, जम्मू और कश्मीर

पर्यावरण मंत्रालय की शीर्ष समिति ने सावलकोटे जलविद्युत परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दी है।

मिंग ला दर्ता, लद्दाख

बीआरओ की हिमांक परियोजना ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट ऊपर स्थित मिंग ला दर्ता पर दुनिया की सबसे ऊँची ओटर योग्य सड़क का निर्माण किया है।

पटना, बिहार

पवित्र 'जोडे साहिब' को गुरु चरण यात्रा के तहत नई दिल्ली से बिहार के पटना साहिब गुरद्वारे तक ले जाया जा रहा है।

बाथौ असम

असम में बोडो समुदाय के बाथौ धर्म को आगामी जनगणना में एक अलग कोड मिलेगा।

अहमदाबाद, गुजरात

अहमदाबाद को 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी संस्करण के मेजबान शहर के रूप में अनुशासित किया गया है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के पांच समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू पलैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु ने शेर-पूँछ वाले मैकाक, मद्रास हेजहोग, धाटीदार लकड़बग्ध और कूबड़ वाली महसीन मछली के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

मणिपुर

एक अध्ययन में मणिपुर की लोकटक झील में भूमि उपयोग और जल प्रदूषण के बीच संबंध पाया गया है, जिसका एक हिस्सा केंद्रल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के साथ साझा होता है।

सुंदरबन, पश्चिम बंगाल

सुंदरबन मत्त्यपालन मॉडल को एफएओ की वैश्विक मान्यता मिली।

सारंडा, झारखण्ड

सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने झारखण्ड सरकार को सारंडा में एक नया वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित करने का वचन देने का आदेश दिया।

समाचारों में चर्चित स्थान (विश्व)

तजाकिस्तान
द्विधारीय समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भारत ताजिकिस्तान के ऐनी हवाई अड्डे से हट गया।

इटली
इटली में गजना टर 2025 तक एक नए दिकोर्नियले स्टर पट सहन्तने वाली है।

सुकूदी अखब
हाल ही में सुकूदी अखब ने कफाल प्रणाली को समाप्त करा दिया है।

बारबाडोस
लोकपक्ष आ अध्यक्ष ने 69वें राष्ट्रकंल संसदीय सम्मेलन के दौरान बारबाडोस की दाढ़ीय सभा में भाटतीय संसदीय प्रतिनिधिंगल (आईसी) का नेतृत्व किया।

टर्की
तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया।

हैती
तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया।

जापान
जापान के युकिया की पहली येन-अध्याइत टेबलकाँड़न लैंच की है।

थिट्ट द्वीप
फिलीपीन के नियंत्रण वाले वित्त द्वीप के पाल एक चीनी जहाज और एक फिलीपीनी जहाज की टक्कर हो गई।

करात
भारत ने करात में अपनी एकीकृत भुगतान इटफॉस (यूपीआई) देवाओं का विस्तार किया है।

फिलीपींस
फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है।

तिमोर लेस्टे
तिमोर लेस्टे आसियान में गैरे चारस्ट्र के ऊपर शामिल हुआ।

वियतनाम
वियतनाम के हन्ताई में 72 देशों ने माइबट अपराध के सिलफ संयुक्त हाथ सम्मेलन पट हस्ताक्षर किया।

जलेहिया
दाखिंगपूर्व याहाई राष्ट्र तंथ (आसियान) भारत का 22वा शियट सम्मेलन करते हुए हिंदू विद्या में अप्रोजित हुआ।

पाकिस्तान
हाल ही में पाकिस्तान ने अबतों के अनुलोद अग्रिका का पासनी बंदगाह को विकसित करने और संचालित करने का अक्सर प्रयत्न किया।

सऊदी अरब
हाल ही में सऊदी अरब ने कफाल प्रणाली को समाप्त करा दिया है।

मिस्र
भारत ने गाजा शिखर सम्मेलन के लिए नंती को मिस्र भेजा

नालदीव
नालदीव यूराइजी, त्रिकालिस और हेपेटाइटिक के मां से बच्चे में संतरण का एकान्ते वाला पहला देश बन गया है।

ईरान
भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पट अमीरिका स्थानांतरण के लिए गए प्रतिवंश्यों से छह अमीरीकी छोट निली है।

'द हिंदू' व 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न

(अक्टूबर 2025)

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. एच-1बी वीज़ा के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

- यह एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष पेशों में विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- एच-1बी वीज़ा की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष होती है, जिसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- केवल अमेरिकी नागरिक ही एच-1बी वीज़ा के लिए आवेदन करने के पात्र होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है।

कथन 2: यह स्वायत्त जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के गठन की अनुमति देती है, जिन्हें कुछ निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है।

उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 3. भारत में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के तहत एक पूर्ण अधिकार है।
- संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इस अधिकार पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- मानहानि, अश्लीलता और घृणा भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के आधार हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3

- (c) केवल 1 और 3

- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन (A): भारत में कम मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होने के बावजूद सरकार की राजकोषीय स्थिति को कमज़ोर करती है।

कारण (R): कम मुद्रास्फीति नाममात्र GDP वृद्धि को घटा देती है, जिससे कर राजस्व कम होता है और राजकोषीय घटा बढ़ता है।

उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

- (a) A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।
- (b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) A सही है, लेकिन R गलत है।
- (d) A गलत है, लेकिन R सही है।

प्रश्न 5. चामुंडेश्वरी मंदिर के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- चामुंडेश्वरी मंदिर कर्नाटक के मैसूर स्थित चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित है।
- यह मंदिर देवी दुर्गा के अवतार देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है।
- इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल वंश के शासनकाल में हुआ था।

नीचे दिए गए कूट के का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 6. निम्नलिखित में से कौन-सा बीटी कपास (Bt Cotton) से संबंधित एक संभावित चिंता का विषय है?

- (a) कीटों में बीटी (Bt) विष के प्रति प्रतिरोध का विकास
- (b) सूखा सहनशीलता में वृद्धि
- (c) रेशा (फाइबर) की तीव्र वृद्धि
- (d) मृदा की उर्वरता में सुधार

प्रश्न 7. निम्नलिखित में से कौन-से अफ्रीकी देश भूमध्य सागर के साथ तटरेखा साझा करते हैं?

- (a) मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र
- (b) अल्जीरिया, सूडान, लीबिया, मिस्र
- (c) मोरक्को, मॉरिटानिया, ट्यूनीशिया, मिस्र
- (d) लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, माली

प्रश्न 8. न्यू स्टार्ट संधि (New START Treaty) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक परमाणु हथियारों तथा उनके प्रक्षेपण प्रणालियों को सीमित करने के लिए हस्ताक्षरित की गई थी।
2. भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 9. वेस्ट बैंक (West Bank) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है।
2. यह पूर्ण रूप से इज़राइल की संप्रभुता के अंतर्गत है।
3. वेस्ट बैंक में बड़ी फ़िलिस्तीनी आबादी निवास करती है तथा इसके कुछ क्षेत्र फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा प्रशासित हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से खसरा-रूबेला (MR) टीका किस प्रकार का टीका/वैक्सीन है?

- (a) जीवित दुर्बल (Live attenuated) टीका
- (b) निष्क्रिय (Inactivated) टीका
- (c) टॉक्सोइड टीका
- (d) उप-इकाई (Subunit) टीका

प्रश्न 11. नाटो (NATO) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. “सामूहिक रक्षा” का सिद्धांत नॉर्थ अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में निहित है, जिसके अंतर्गत एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है।
2. रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद हुए विस्तार के अंतर्गत फ़िनलैंड और स्वीडन 2023 में नाटो के सदस्य बने।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 12. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की अध्यक्षता के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. UNGA के अध्यक्ष का चुनाव महासभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से प्रतिवर्ष किया जाता है।
2. UNGA के अध्यक्ष का पद पाँच क्षेत्रीय समूहों के बीच क्रमवार (भौगोलिक घूर्णन) के आधार पर बदलता रहता है।
3. भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के बाद से अब तक UNGA की अध्यक्षता कभी नहीं कर चुका है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 13. ‘क्लाउड सीडिंग’ के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है, जिसका उद्देश्य बादलों में सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों का छिड़काव कर वर्षा बढ़ाना है।
2. क्लाउड सीडिंग का उपयोग ओलावृष्टि की तीव्रता को कम करने और कोहरे को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है, साथ ही वर्षा बढ़ाने के लिए भी।
3. क्लाउड सीडिंग की प्रभावशीलता पूर्णतः सुनिश्चित होती है और यह निश्चित रूप से वर्षा कराती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः दक्षिणी छोर से प्रारंभ होती है और उत्तर की ओर बढ़ती है।

कथन 2: सितंबर के बाद भारतीय स्थल खंड और आसपास के महासागरों के बीच तापमान प्रवणता उलट जाती है, जिससे मानसूनी पवनों की वापसी होती है।

कथन 3: हिमालय पर्वतमाला पीछे हटती मानसूनी पवनों को रोकती है, जिससे वे उत्तरी भारत में अपनी दिशा बदल लेती हैं।

उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

- (a) कथन 1 सही है तथा कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और दोनों, कथन 1 की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन 1 और कथन 2 सही हैं, लेकिन कथन 3 गलत है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 और कथन 3 दोनों गलत हैं।
- (d) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 और कथन 3 सही हैं।

प्रश्न 15. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन संविधान के अनुच्छेद

19(1)(a) के अंतर्गत सही है?

- (a) यह भारत के सभी नागरिकों को उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है।
- (b) यह बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- (c) यह केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है।
- (d) यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है।

प्रश्न 16. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) केंद्र सरकार में कई शीर्ष पदों पर नियुक्तियों के लिए उत्तरदायी होती है, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विरष्ट नौकरशाही पद शामिल हैं।

कथन 2: एसीसी में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं तथा गृह मंत्री सह-अध्यक्ष होते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 17. G20 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. G20 एक औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है, जिसके पास कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति और एक स्थायी सचिवालय होता है।
2. G20 प्रमुख विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक आर्थिक मुद्दों, वित्तीय स्थिरता और सतत विकास पर समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 18. प्रति जैविक प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टरेंस - AMR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी जैसे सूक्ष्मजीव उन दवाओं के प्रभाव का विरोध करने लगते हैं जो पहले उन्हें प्रभावी रूप से नष्ट कर सकती थीं।
2. मनुष्यों, पशुओं और कृषि क्षेत्र में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और गलत उपयोग AMR के प्रमुख कारण है।
3. AMR केवल विकासशील देशों में स्वास्थ्य के लिए खतरा है और वैश्विक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव नगण्य है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 19. निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय राज्य भारत-स्यामार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के माध्यम से स्यामार और थाईलैंड से जुड़ा हुआ है?

- (a) असम
- (b) मणिपुर
- (c) नागालैंड
- (d) मिज़ोरम

प्रश्न 20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: ASEAN दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

कथन II: ASEAN का एक सिद्धांत सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना है।

कथन III: ASEAN ने क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ASEAN मुक्त व्यापार क्षेत्र (AFTA) की स्थापना की है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

- (a) कथन I और कथन III सही हैं और दोनों, कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन I और कथन III सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) केवल कथन II और III सही हैं और वे कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (d) न तो कथन I और न ही कथन III सही हैं।

प्रश्न 21. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: भारत सरकार ने जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाशम ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए दूसरी पीढ़ी (2G) एथेनॉल संयंत्र शुरू किए हैं।

कथन 2: 2G एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के रस और मक्का जैसी खाद्य फसलों से बनाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष अधिकार प्रदान करता है।

कथन II: AFSPA के अंतर्गत, सशस्त्र बल बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं, परिसरों की तलाशी ले सकते हैं, और आवश्यकता समझे जाने पर बल का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु कारित करने की सीमा तक भी।

कथन III: कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की भूमिका के बिना किसी क्षेत्र को "अशांत क्षेत्र" घोषित कर सकती है और AFSPA लागू कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

- (a) कथन II और कथन III। सही हैं तथा दोनों, कथन। की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन II और कथन III। सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन। की व्याख्या करता है।
- (c) केवल कथन II और III। सही हैं तथा वे कथन। की व्याख्या करते हैं।
- (d) न तो कथन II और न ही कथन III। सही है।

प्रश्न 23. सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. CSTO रूस के नेतृत्व वाला एक सैन्य गठबंधन है, जो अपने सदस्य देशों के बीच सामूहिक रक्षा प्रदान करता है।
- 2. भारत और पाकिस्तान CSTO के पूर्ण सदस्य हैं।
- 3. CSTO में नाटो के अनुच्छेद 5 के समान प्रावधान है, जिसके अंतर्गत एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 24. दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. आईबीसी कंपनियों, व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए समयबद्ध समाधान प्रक्रिया प्रदान करता है।
- 2. आईबीसी के अंतर्गत परिचालन लेनदार (Operational Creditors) दिवाला प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 25. ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. जीसीएफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) के अंतर्गत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सहायता देने के लिए की गई थी।
- 2. इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में है और यह मुख्य रूप से निजी कंपनियों द्वारा वित्तपोषित है।

3. जीसीएफ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 26. एस्ट्रोसैट (Astrosat) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. एस्ट्रोसैट भारत का पहला समर्पित बहु-तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है, जिसे ISRO ने प्रक्षेपित किया।
- 2. इसमें पराबैंगनी, दृश्य और एक्स-रे तरंगदैर्घ्य में अवलोकन करने वाले उपकरण लगे हैं।
- 3. एस्ट्रोसैट को 2015 में श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 27. लाल सागर क्षेत्र को वैश्विक भू-राजनीति में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

- (a) यह खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ने वाले तेल परिवहन मार्गों का केंद्र है।
- (b) यहाँ दुर्लभ खनिजों और सोने की उच्च संघनता पाई जाती है।
- (c) यह अरब प्रायद्वीप के लिए मीठे पानी का प्रमुख स्रोत है।
- (d) यह अफ्रीका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग है।

प्रश्न 28. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. एनएसए के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।
- 2. केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को एनएसए लागू करने का अधिकार है।
- 3. एनएसए के अंतर्गत हिरासत में लिया गया व्यक्ति सामान्य आपराधिक मुकदमों की तरह तुरंत जमानत और कानूनी परामर्श का अधिकार रखता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 29. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: भारत में संगठनों को विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए FCRA लाइसेंस अनिवार्य है।

कथन 2: गृह मंत्रालय (MHA) वह सक्षम प्राधिकरण है, जो FCRA लाइसेंस प्रदान करता है और उसका विनियमन करता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 30. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ईडी मुख्य रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
2. ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
3. ईडी को किसी अन्य एजेंसी की पूर्व अनुमति के बिना आपराधिक न्यायालयों में अभियोजन चलाने की शक्ति प्राप्त है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 31. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) मुख्य रूप से किसके माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है?

- (a) कच्चे तेल के अन्वेषण को विनियमित करके
- (b) पाइपलाइनों और विपणन अवसंरचना को अनुमति देकर
- (c) पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करके
- (d) रिफाइनरी सुरक्षा मानकों की निगरानी करके

प्रश्न 32. नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, शरीर विज्ञान या चिकित्सा तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है।
2. नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत (मृत्यु के बाद) भी प्रदान किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 33. महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFPR) का क्या अर्थ है?

- (a) सरकार में प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं का प्रतिशत
- (b) महिला जनसंख्या के अनुपात में कार्यबल में सक्रिय रूप से शामिल महिलाओं का प्रतिशत
- (c) शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित महिलाओं का प्रतिशत
- (d) 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं का प्रतिशत

प्रश्न 34. भारत में डुगोंग (Dugong) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डुगोंग मन्त्रालय की खाड़ी, पाक खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में पाए जाते हैं।
2. इनकी जनसंख्या शिकार, बायकैच (अनचाही मछलियां और दूसरे समुद्री जीव), पर्यावास हानि और प्रदूषण के कारण संकटापन्न है।
3. पाक खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व को वर्ष 2022 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित किया गया।

नीचे दिए गए क्लृप्ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 35. मॉडल यूथ ग्राम सभा (MYGS) पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: MYGS का उद्देश्य छात्रों को ग्राम सभा की मॉक बैठकों के माध्यम से स्थानीय शासन का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।

कथन 2: यह पहल देश के सभी स्कूलों में केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 36. वन बंधु कल्याण योजना (VKY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह जनजातीय समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए एक प्रमुख योजना है।
2. इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के बीच गरीबी उन्मूलन हेतु कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए बिना गारंटी ऋण प्रदान करना है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 37. विभिन्न स्थलखंडों को अलग करने वाले जलडमरुमध्य (Straits) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मलक्का जलडमरुमध्य मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है।
2. बेरिंग जलडमरुमध्य उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है।
3. बॉसफोरस जलडमरुमध्य तुर्की के यूरोपीय भाग को एशियाई भाग से अलग करता है।
4. टॉरेस जलडमरुमध्य ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी से अलग करता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही है?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 38. अर्जुन MK1A टैंक के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अर्जुन MK1A में उन्नत कवच सुरक्षा (जिसमें विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच – ERA मॉड्यूल और माइन-प्रतिरोधी प्लेटें शामिल हैं) दी गई हैं।
2. यह एक डीजल इंजन से संचालित है और सभी प्रकार के भू-भागों पर 100 किमी/घंटा तक की गति प्राप्त कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 39. असम के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को पूर्व से पक्षिम की दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

- (a) नामदफा – काज़ीरंगा – नामेरी – मानस
- (b) काज़ीरंगा – नामदफा – मानस – नामेरी
- (c) मानस – नामेरी – काज़ीरंगा – नामदफा
- (d) नामदफा – नामेरी – काज़ीरंगा – मानस

प्रश्न 40. भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में परियोजनाओं के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय उद्यानों में किसी भी परियोजना या गतिविधि के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।
2. राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित परियोजनाओं के लिए केवल राज्य सरकार की स्वीकृति ही पर्याप्त होती है।
3. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) राष्ट्रीय उद्यानों में परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई नहीं

प्रश्न 41. इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन गैस होती है:

- (a) ज्वलनशील और वायु से हल्की
- (b) अज्वलनशील और वायु से भारी
- (c) अज्वलनशील और वायु से हल्की
- (d) ज्वलनशील और वायु से भारी

प्रश्न 42. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (UN OHCHR) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख मानवाधिकार अधिकारी होता है।

कथन 2: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महासचिव की सिफारिश पर की जाती है।

उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 43. निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है?

- (a) नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
- (b) वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
- (c) रेपो और रिवर्स रेपो दर
- (d) बैंकों का प्रूडेंशियल रेजुलेशन

प्रश्न 44. जैव उत्तेजक (बायोस्टिमुलेंट्स) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: बायोस्टिमुलेंट्स सतत कृषि में महत्व प्राप्त कर रहे हैं।

कथन 2: ये फसल उत्पादन और सूखा व लवणता जैसे अजैविक तनावों के प्रति सहनशीलता बढ़ाते हैं, बिना मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाए।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है।

प्रश्न 45. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ISA एक ऐसा गठबंधन है जिसमें 120 से अधिक देश शामिल हैं और जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।

2. इसका मुख्य फोकस केवल यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सौर परियोजनाओं के वित्तपोषण और तैनाती पर है।
3. ISA का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में स्थित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 46. नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नाटो की स्थापना के समय इसके 12 संस्थापक सदस्य देश थे।
2. फिनलैंड और स्वीडन वर्ष 2000 से पहले नाटो में शामिल हो चुके थे।
3. नाटो एक एकीकृत नागरिक संविवालय और सैन्य कमान संरचना के अंतर्गत कार्य करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 47. वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index – AQI) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: AQI वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जनता को सचेत करने का एक प्रभावी उपकरण है।

कथन 2: AQI की गणना कई प्रदूषकों जैसे PM2.5, PM10, NO₂, SO₂, CO और O₃ की सांद्रता के आधार पर की जाती है, जिनमें प्रत्येक का एक विशिष्ट उप-सूचकांक होता है।

उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है।

प्रश्न 48. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एस्प्रेशनल डिस्ट्रिक्स प्रोग्राम) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना है।
2. इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवल उत्तर-पूर्वी राज्यों के जिलों को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2

- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 49. कोरल ट्रांगल इनिशिएटिव (CTI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कोरल ट्रांगल इनिशिएटिव (CTI) छह देशों की एक बहुपक्षीय साझेदारी है, जिसका उद्देश्य समुद्री और तटीय संसाधनों का सतत प्रबंधन करना है।
2. कोरल ट्रांगल को पूर्ण अंतरराष्ट्रीय कानूनी संरक्षण के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।
3. समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs) जैव विविधता के संरक्षण के लिए CTI के अंतर्गत प्रमुख रणनीतियों में से एक हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 50. बैलिस्टिक मिसाइल को कूज़ मिसाइल से मुख्य रूप से क्या अलग करता है?

- (a) बैलिस्टिक मिसाइलें पूरे समय वायुमंडल के भीतर उड़ती हैं।
- (b) बैलिस्टिक मिसाइलें प्रक्षेपण के बाद मुख्यतः बड़े पैमाने पर बिना शक्ति वाले बैलिस्टिक प्रक्षेपक्र का अनुसरण करती हैं।
- (c) बैलिस्टिक मिसाइलें हमेशा परमाणु हथियार ले जाती हैं, कूज़ मिसाइलें नहीं।
- (d) बैलिस्टिक मिसाइलें कूज़ मिसाइलों की तुलना में धीमी होती हैं।

प्रश्न 51. मिशन सुदर्शन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य भारत की एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।
2. यह मिशन पूरी तरह से आयातित तकनीक पर आधारित है।
3. “सुदर्शन चक्र” नाम भगवान इंद्र के पौराणिक अस्त्र से प्रेरित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 52. पाकिस्तान के पासनी (Pasni) बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पासनी एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है, जो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और चीन समर्थित ग्वादर बंदरगाह से लगभग 70 मील दूर है।
2. इस बंदरगाह का विकास 1.2 अरब डॉलर की पहल के अंतर्गत किया गया है, जिसमें अमेरिकी निवेश शामिल है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों तक पहुँच बढ़ाना है।

3. पासनी ईरान सीमा से लगभग 100 मील दूर स्थित है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) केवल 1

प्रश्न 53. बीटा कोशिकाओं (B cells) का मुख्य कार्य क्या है?

- (a) वायरस-संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करना।
- (b) एंटीबॉडी का निर्माण करना।
- (c) CD8⁺ T कोशिकाओं को एंटीजन प्रस्तुत करना।
- (d) हिस्टामिन का साव करना।

प्रश्न 54. भारत में उच्च न्यायालयों (हाईकोर्ट) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उच्च न्यायालय संविधान के अंतर्गत राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक निकाय होते हैं।
2. किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती है।
3. उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 55. गाजा पट्टी (Gaza Strip) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गाजा पट्टी की स्थलीय सीमा इज़राइल और मिस्र से लगती है।
2. यह भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है।
3. जॉर्डन की सीमा गाजा पट्टी से लगती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 56. न्यू स्टार्ट संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संधि 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच हस्ताक्षरित हुई और 5 फरवरी 2011 को लागू हुई।

2. यह संधि प्रत्येक देश को 1,550 तैनात परमाणु वारहेड़स और 700 तैनात डिलीवरी सिस्टम (ICBM, SLBM और भारी बमवर्षक सहित) तक सीमित करती है।
3. संधि में अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु स्थल निरीक्षण और डेटा आदान-प्रदान जैसे सत्यापन उपाय शामिल हैं।
4. न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाली है और इसे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 57. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बीआईएस भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था है, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अधिनियम, 2016 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
2. यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
3. आईएसआई मार्क और हॉलमार्क प्रमाणन बीआईएस द्वारा जारी किए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 58. निम्नलिखित में से कौन-सा भौतिक स्थल लेबनान और इज़राइल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है?

- (a) जॉर्डन नदी
- (b) गोलन हाइट्स
- (c) ब्लू लाइन सीमांकन क्षेत्र
- (d) बेका घाटी

प्रश्न 59. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सीजेआई की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वरिष्ठता के आधार पर की जाती है।
2. सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय में पीठों (बैंच) की संरचना तय करता है और मामलों का आवंटन करता है।
3. सीजेआई संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और कानून निर्माण पर मतदान कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3

- (c) केवल 1 और 3
 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 60. कांटम प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: कांटम कंप्यूटर कुशलतापूर्वक कुछ क्लासिकल (नॉन- कांटम) एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को क्रैक कर सकते हैं।

कथन 2: शोर का एल्गोरिदम (Shor's algorithm) बड़े संख्याओं को सर्वश्रेष्ठ ज्ञात पारंपरिक एल्गोरिदम की तुलना में घातीय (exponentially) रूप से तेज़ी से फैट्क्टर कर सकता है।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
 (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
 (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
 (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 61. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल – एनजीटी) पर्यावरण मामलों के लिये और प्रभावी निपटान को एक विशेष मंच के माध्यम से सुनिश्चित करता है।

कथन 2: यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जैसे कानूनों के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रश्नों से जुड़े दीवानी मामलों की सुनवाई करता है।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (e) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
 (f) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
 (g) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
 (h) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 62. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- अनुच्छेद 14 नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 19 केवल भारत के नागरिकों को छह मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के निर्णय में यह स्थापित किया गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 आपस में जुड़े हुए हैं और परस्पर पूरक हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
 (b) केवल दो

- (c) सभी तीन
 (d) कोई नहीं

प्रश्न 63. जैव-मीथेनीकरण (बायो-मीथेनेशन) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक अपशिष्ट को अवायवीय अपघटन (एनारोबिक डाइजेस्टिव) के माध्यम से मीथेन में बदला जाता है।
- उत्पन्न मीथेन का उपयोग खाना पकाने के लिए या बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
- जैव-मीथेनीकरण संयंत्रों में केवल अकार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से गलत हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 3
 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 64. वर्ष 2025 के रसायन विज्ञान (Chemistry) के नोबेल पुरस्कार के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- रसायन विज्ञान का 2025 का नोबेल पुरस्कार मेटल – ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) पर अग्रणी कार्य के लिए प्रदान किया गया था।
- MOFs छिद्रयुक्त (Porous) पदार्थ होते हैं, जिनका उपयोग गैसों को अवरुद्ध और संग्रहीत करने या यहाँ तक कि हवा से पानी निकालने के लिए किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 65. भारत की स्थानिक (एंडेमिक) प्रजातियों और रेड लिस्ट आकलन के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- IUCN द्वारा आकलित भारतीय प्रजातियों में उभयचर (एम्फीबिअन्स) में स्थानिकता का स्तर सबसे कम है।
- स्थानिकता का अर्थ है कि वह प्रजाति केवल भारत के वन्य आवासों में पाई जाती है।
- भारत में सरीसृपों (रेप्राइल्स) की स्थानिकता स्तनधारियों की तुलना में कम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से गलत हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 2 और 3
 (c) 1, 2 और 3
 (d) 1 और 3

प्रश्न 66. वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पुरस्कार लास्ज़लो क्रास्नाहोर्कई को उनके दुनिया खत्म होने (Apocalyptic) और दार्शनिक लेखन (फ़िलॉसॉफिकल कहानियों) के लिए दिया गया।
2. वे साहित्य के नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हंगरी पहले लेखक हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 67. गोदावरी नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और इसे प्रायः दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है।
2. इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी नदियाँ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।
3. तेलंगाना में स्थित पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर सबसे बड़ी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 68. निम्नलिखित में से कौन-सा टेली मानस (Tele-MANAS) मॉडल का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

- (a) कॉल-आधारित और सामुदायिक सहयोग वाला द्वि-स्तरीय तंत्र
- (b) टेली-काउंसलिंग, मनोरोग संदर्भण (साइकियाट्री रेफरल) और अस्पताल में देखभाल (हॉस्पिटल केपर) को एकीकृत करने वाला त्रि-स्तरीय मॉडल
- (c) जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का चार-स्तरीय विकेन्द्रित नेटवर्क
- (d) हेल्पलाइन और ई-क्लिनिक सहायता का द्वि-स्तरीय मॉडल

प्रश्न 69. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के सॉलिसिटर जनरल की स्थिति का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

- (a) संवैधानिक प्राधिकारी
- (b) विधि अधिकारी (सेवा शर्ते) नियम, 1987 के अंतर्गत वैधानिक प्राधिकारी
- (c) विधि कार्य विभाग के अंतर्गत सिविल सेवक
- (d) संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य

प्रश्न 70. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) किसी दी गई जनसंख्या में आर्थिक गतिविधियों में संलग्न कार्यशील जनसंख्या के अनुपात को मापने का एक संकेतक है।

कथन II: इसे नियोजित व्यक्तियों की कुल जनसंख्या से अनुपात के रूप में, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

कथन III: उच्च WPR का अर्थ है कम श्रम बल भागीदारी और अर्थव्यवस्था में अधिक बेरोजगारी।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (a) कथन I और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन। की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन I और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन केवल एक ही कथन, कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) केवल कथन II और III में से एक सही है और वही कथन। की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 71. UDISE+ 2024–25 रिपोर्ट के निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पहली बार, भारत में शिक्षकों की कुल संख्या में महिलाएँ बहुसंख्यक हैं।
2. माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (GER) 2022–23 की तुलना में घटा है।
3. कार्यात्मक शौचालय और बिजली जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार ने बालिकाओं के ड्रॉपआउट दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 72. भारत-अफगानिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत ने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में गेहूं और चिकित्सीय आपूर्ति की आपूर्ति के माध्यम से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान की है।
2. भारत 2021 से अफगानिस्तान में स्थापित तालिबान-नेतृत्व वाली सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 73. 'एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस' (Axis of Resistance) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस पश्चिम एशिया में अमेरिकी और इज़राइली प्रभाव का विरोध करने के लिए गठित एक राजनीतिक-सैन्य गठबंधन है।
2. इसमें ईरान, सीरिया, हिजबुल्लाह और तेहरान समर्थित विभिन्न फ़िलिस्तीनी उग्रवादी समूह शामिल हैं।

3. यह गठबंधन क्षेत्र में ईरानी विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में स्थापित किया गया था।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 74. यमुनोत्री हिमनद, किस वृहद पर्वतीय तंत्र का भाग है?

- (a) जास्कर श्रेणी
- (b) पीर पंजाल श्रेणी
- (c) गढ़वाल हिमालय
- (d) धौलाधार श्रेणी

प्रश्न 75. भारत में एथेनॉल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है?

- 1. गन्ने का शीरा
- 2. मक्का
- 3. गेहूँ
- 4. चावल की भूसी

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 76. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. आरटीआई अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है।
- 2. राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से संबंधित सूचना इस अधिनियम के अंतर्गत पूरी तरह से अपवर्जित है।
- 3. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग (SICs) वैधानिक निकाय हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 77. जम्मू और कश्मीर में जलविद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

- 1. बगलिहार बांध - चिनाब नदी
- 2. किशनगंगा परियोजना - झेलम नदी
- 3. सावलकोट परियोजना - सिंधु नदी

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 78. भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

- 1. IRFC की स्थापना दिसंबर 1986 में भारतीय रेल की समर्पित वित्तपोषण इकाई के रूप में की गई थी।
- 2. वर्ष 2025 में IRFC को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया।
- 3. IRFC घरेलू बॉन्ड (कर योग्य और कर-मुक्त) तथा विदेशी उधारी के माध्यम से धन जुटाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 79. निम्नलिखित में से कौन-सा यूनेस्को के “चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय” (वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलेन कल्वरल ऑब्जेक्ट्स) का मुख्य उद्देश्य सबसे अच्छी तरह से बताता है?

- (a) शैक्षणिक अनुसंधान के लिए चोरी की गई कलाकृतियों का एक डिजिटल भंडार बनाना।
- (b) चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत तक वैश्विक पहुँच प्रदान करना, अवैध तस्करी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रत्यावर्तन (Restitution) को बढ़ावा देना।
- (c) मुख्य रूप से यूरोप और एशिया से प्राप्त कलाकृतियों पर केंद्रित एक वैश्विक कला अभिलेखागार प्रदर्शित करना।
- (d) बरामद की गई सांस्कृतिक वस्तुओं के लिए एक वर्चुअल बाजार के रूप में कार्य करना।

प्रश्न 80. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में समुदायों को शामिल किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) केंद्रीय ओबीसी सूची में समुदायों को शामिल करने की सिफारिश करता है, लेकिन अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है।
- 2. केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल होना स्वतः ही राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का अधिकार प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 81. मुद्रास्फीति (इन्फ्लेशन) के प्रकारों और उनके कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

| मुद्रास्फीति के प्रकार | कारण |
|--|--------------------------------------|
| (A) मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति (डिमांड-पुल इन्फ्लेशन) | 1. उत्पादन लागत में वृद्धि |
| (B) लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (कॉस्ट-पुश इन्फ्लेशन) | 2. वस्तुओं की अतिरिक्त मांग |
| (C) आयातित मुद्रास्फीति (इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन) | 3. वैश्विक आयात के कारण मूल्य वृद्धि |

उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 82. सीबीआई निदेशक को पद से हटाया नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि:

- (a) प्रधानमंत्री के आदेश से
- (b) सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति से
- (c) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा
- (d) साधारण सरकारी अधिसूचना द्वारा

प्रश्न 83. जीडीपी वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उच्च जीडीपी वृद्धि समान विकास की गारंटी देती है।
2. पूँजी-प्रधान क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार वृद्धि के बिना भी जीडीपी वृद्धि हो सकती है।
3. वैश्विक तेल कीमतों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और राजकोषीय नीति से जीडीपी वृद्धि प्रभावित हो सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 84. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: यमल सगर्भता (ट्रिन प्रेग्नेसी) को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के रूप में वर्णीकृत किया जाता है।

कथन 2: यमल सगर्भता (ट्रिन प्रेग्नेसी) में समयपूर्व प्रसव, कम जन्म वजन और मातृ जटिलताओं की दर अधिक होती है।

उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है।

प्रश्न 85. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: 1951 का संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, यह परिभाषित करता है कि शरणार्थी कौन है और उसके कानूनी अधिकारों तथा राज्यों के दायित्वों को निर्धारित करता है।

कथन 2: 1967 के प्रोटोकॉल ने 1951 के अभिसमय की समय और भौगोलिक सीमाओं को हटा दिया।

उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 86. वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स - FATF) की रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है।
2. भारत 2014 में FATF का पूर्ण सदस्य बना।
3. FATF की ग्रे सूची में वे देश शामिल होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल रहे हों।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 87. राष्ट्रमंडल खेलों (कॉमनवेल्थ गेम्स) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित होते हैं और इसमें राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं।
2. ओलंपिक खेलों की तरह, राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल्स, नेटबॉल और पैरा-स्पोर्ट्स जैसे खेल भी प्रतियोगिता का अभिन्न हिस्सा होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 88. पटाखों में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए:

1. बेरियम
2. स्ट्रॉन्शियम
3. पोटैशियम नाइट्रेट
4. मैग्नीशियम

उपर्युक्त में से कौन-से तत्व जलने के बाद विषैले पदार्थों के उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य खतरों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 89. पश्चिम एशिया के भौतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं:

1. टाइप्रिस और यूफ्रेट्स नदियाँ इराक से होकर बहती हैं और फारस की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले आपस में मिलती हैं।
2. मृत सागर, जो जॉर्डन और इज़राइल के बीच स्थित है, समुद्र तल से नीचे स्थित है और पृथ्वी के सबसे अधिक खारे जल निकायों में से एक है।
3. ज़ाय्रोस पर्वत श्रृंखला ईरान और तुर्की के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 90. भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. बी. एन. राव ने संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया था, जिसे बाद में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संशोधित किया।
2. वे बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्यरत रहे।
3. वे बंगाल प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 91. भारत में न्यायालय की अवमानना (कंटेम्प ऑफ़ कोर्ट) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यायालय की अवमानना में सिविल अवमानना शामिल है, जो न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना को दर्शाती है, तथा आपराधिक

अवमानना भी शामिल है, जिसमें न्यायपालिका को बदनाम करना या उसके अधिकार को कम करना शामिल है।

2. उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है।
3. भारत के राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त क्षमादान शक्ति के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के लिए दंड को क्षमा या कम कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 92. आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है, जो द्वितीयक और तृतीयक उपचार के लिए है।
2. यह योजना राज्य सरकारों के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से गलत हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर कुंजी

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| प्रश्न 1. (a) | प्रश्न 24. (a) | प्रश्न 47. (a) | प्रश्न 70. (c) |
| प्रश्न 2. (a) | प्रश्न 25. (c) | प्रश्न 48. (a) | प्रश्न 71. (b) |
| प्रश्न 3. (b) | प्रश्न 26. (c) | प्रश्न 49. (c) | प्रश्न 72. (a) |
| प्रश्न 4. (a) | प्रश्न 27. (a) | प्रश्न 50. (b) | प्रश्न 73. (a) |
| प्रश्न 5. (a) | प्रश्न 28. (b) | प्रश्न 51. (c) | प्रश्न 74. (c) |
| प्रश्न 6. (a) | प्रश्न 29. (a) | प्रश्न 52. (c) | प्रश्न 75. (d) |
| प्रश्न 7. (a) | प्रश्न 30. (b) | प्रश्न 53. (b) | प्रश्न 76. (b) |
| प्रश्न 8. (a) | प्रश्न 31. (b) | प्रश्न 54. (c) | प्रश्न 77. (a) |
| प्रश्न 9. (c) | प्रश्न 32. (a) | प्रश्न 55. (a) | प्रश्न 78. (c) |
| प्रश्न 10. (a) | प्रश्न 33. (b) | प्रश्न 56. (d) | प्रश्न 79. (b) |
| प्रश्न 11. (a) | प्रश्न 34. (a) | प्रश्न 57. (a) | प्रश्न 80. (a) |
| प्रश्न 12. (b) | प्रश्न 35. (a) | प्रश्न 58. (c) | प्रश्न 81. (a) |
| प्रश्न 13. (b) | प्रश्न 36. (a) | प्रश्न 59. (a) | प्रश्न 82. (c) |
| प्रश्न 14. (b) | प्रश्न 37. (b) | प्रश्न 60. (a) | प्रश्न 83. (b) |
| प्रश्न 15. (a) | प्रश्न 38. (a) | प्रश्न 61. (a) | प्रश्न 84. (a) |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| प्रश्न 16. (c) | प्रश्न 39. (a) | प्रश्न 62. (c) | प्रश्न 85. (b) |
| प्रश्न 17. (b) | प्रश्न 40. (b) | प्रश्न 63. (c) | प्रश्न 86. (a) |
| प्रश्न 18. (b) | प्रश्न 41. (a) | प्रश्न 64. (c) | प्रश्न 87. (c) |
| प्रश्न 19. (b) | प्रश्न 42. (b) | प्रश्न 65. (d) | प्रश्न 88. (d) |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| प्रश्न 20. (a) | प्रश्न 43. (d) | प्रश्न 66. (a) | प्रश्न 89. (a) |
| प्रश्न 21. (c) | प्रश्न 44. (a) | प्रश्न 67. (b) | प्रश्न 90. (b) |
| प्रश्न 22. (c) | प्रश्न 45. (c) | प्रश्न 68. (a) | प्रश्न 91. (c) |
| प्रश्न 23. (b) | प्रश्न 46. (a) | प्रश्न 69. (b) | प्रश्न 92. (d) |

दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. भारतीय कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, फिर भी एक बड़ा हिस्सा अब भी अवैतनिक बना हुआ है और भूमि स्वामित्व तथा संस्थागत समर्थन से वंचित है। चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उपाय सुझाइए। (GS3, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न. भारत में किसानों की आत्महत्याएँ गहरे कृषि संकट और प्रणालीगत नीतिगत चुनौतियों को दर्शाती हैं। इस संकट के प्रमुख कारणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए तथा किसानों की सतत आजीविका सुनिश्चित करने हेतु दीर्घकालिक उपाय सुझाइए। (GS3, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न. उभरती प्रौद्योगिकियों और बहु-क्षेत्रीय खतरों के माध्यम से युद्ध की प्रकृति में हो रहे परिवर्तन के संदर्भ में, भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्तता (Jointness), एकीकरण और सिद्धांतगत सुधारों की आवश्यकता की समीक्षा कीजिए। थिएटर कमांड संरचना के निर्माण में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। (GS3, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न. गुणवत्तापूर्ण शिक्षक सुनिश्चित करना भारत में शिक्षा के अधिकार को लागू करने में एक बड़ी नीतिगत चुनौती है। संवैधानिक और प्रशासनिक प्रावधानों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (GS2, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न. भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश समावेशी और सतत विकास के लिए ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता है। चर्चा कीजिए कि एक एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति किस प्रकार रोजगार सृजन, कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार तथा क्षेत्रों के बीच समान विकास सुनिश्चित कर सकती है। (GS3, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न. विधिक मान्यता के बावजूद, भारत में अक्रिय सदय अंत (पैसिव यूथेनेशिया) व्यावहारिक रूप से सुलभ नहीं है। इसके कारणों की जांच कीजिए तथा प्रक्रिया को अधिक मानवीय और प्रभावी बनाने हेतु उपाय सुझाइए। (GS2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न. भारत की मेट्रो और अवसंरचना परियोजनाओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि भू-राजनीतिक तनाव घेरेलू अवसंरचना विकास और खरीद प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लागत-प्रभावशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन हेतु नीतिगत उपाय सुझाइए। (GS2 एवं GS3, 150 शब्द)

प्रश्न. भारत में निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियाँ क्या हैं? दुरुपयोग को रोकने हेतु संस्थागत सुरक्षा उपाय सुझाइए। (GS2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न. प्रगतिशील विधायिका और कार्यक्रमों के बावजूद, भारत की मानसिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया खंडित और अपर्याप्त बनी हुई है। भारत में एकीकृत एवं पर्याप्त रूप से वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य ढाँचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (GS2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न. भारत में अपराध के बदलते स्वरूप साइबर अपराधों और कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि को दर्शाते हैं। इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा प्रभावी रोकथाम और न्याय वितरण के उपाय सुझाइए। (GS2 एवं GS3, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न. भारत का विधि पेशा संरक्षणवाद से साझेदारी की ओर संक्रमण कर रहा है। नियंत्रित परिस्थितियों में विदेशी विधि फर्मों को अनुमति देने से जुड़े हालिया सुधारों के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। (GS2, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न. भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के संकेत दिखा रहा है, जिसमें जन्म दर में गिरावट और मृत्यु दर में स्थिरता शामिल है। चर्चा कीजिए कि यह परिवर्तन देश के दीर्घकालिक विकास, श्रम बल संरचना और सामाजिक कल्याण नीतियों को कैसे प्रभावित कर सकता है। (GS1 एवं GS3, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न. “जहाँ नवाचार प्रगति को गति देता है, वहाँ यह सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था भी उत्पन्न करता है।” चर्चा कीजिए कि नीति निर्माता नवाचार-आधारित विकास को समानता और समावेशन के साथ कैसे संतुलित कर सकते हैं। (GS3, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न. इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) रणनीतिक कूटनीति और आर्थिक संपर्क के अभिसरण को दर्शाता है। पश्चिम एशिया और यूरोप में बदलती भू-राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिशीलताओं के संदर्भ में भारत के लिए इसके महत्व की समीक्षा कीजिए। (GS2 एवं GS3, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न. भारत का उभरता हुआ कार्बन बाजार जलवायु शमन के लिए बड़ी संभावनाएँ रखता है, लेकिन इसके साथ ही यह संवेदनशील समुदायों को हाशिये पर धकेलने का जोखिम भी पैदा करता है। निष्पक्षता और पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। (GS3, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न. भारत & ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़कर रक्षा क्षेत्र में परिचालन & औद्योगिक सहयोग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया

रक्षा साझेदारी में हाल के विकासों की समीक्षा कीजिए तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। (GS2, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न. भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई है। एक जनसांख्यिकीय संकेतक के रूप में TFR की सीमाओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए तथा घटती प्रजनन दर के भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। (GS1 एवं GS2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? इस प्रवृत्ति से जुड़े संभावित लाभों और जोखिमों दोनों की समीक्षा कीजिए। (GS3, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न. वैश्विक जलवायु राजनीति में बदलाव और विकसित देशों के घटते उत्साह के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि भारत का “स्टेडी हैंड” दृष्टिकोण जलवायु कार्रवाई पर बहुपक्षीय सहयोग को कैसे आकार दे सकता है। (GS3, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न. क्वांटम कंप्यूटिंग में हालिया प्रगति ने संगणनात्मक क्षमताओं को रूपांतरित करने की बड़ी संभावनाएँ दिखाई हैं। व्यावहारिक और स्केलेबल

अनुप्रयोगों को प्राप्त करने में अभी कौन-सी चुनौतियाँ बनी हुई हैं? चर्चा कीजिए। (GS3, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न. स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) भारत के शहरी शासन में एक प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो समग्र विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। मिशन की उपलब्धियों और प्रमुख कार्यान्वयन चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा इसे अन्य भारतीय शहरों में विस्तारित करने हेतु रणनीतिक मार्ग सुझाइए। (GS2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न. नवाचार तभी विकास को गति देता है जब उसे खुले और समावेशी संस्थानों का समर्थन प्राप्त हो। प्रौद्योगिकी, समाज और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के बीच संबंध के संदर्भ में इस कथन की चर्चा कीजिए। (GS3, 150 शब्द, 10 अंक)


प्रश्न. उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण और पहचान की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उनके वर्गीकरण और पूर्वानुमान की विधियों पर चर्चा कीजिए। (GS1, 150 शब्द, 10 अंक)

नोट

CHAHAL ACADEMY




सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एक अग्रणी संस्थान

हमारी अखिल भारतीय स्तर पर अवस्थिति



चहल एकेडमी द्वारा ब्लू बुक सीरीज

हमारी "ब्लू बुक" सीरीज की पुस्तकें



किसी भी जानकारी या ऑर्डर करने के लिए 9205927650

 **CHAHAL ACADEMY**
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)

www.chahalacademy.com
Follow Us

MRP. ₹120.00